



विषयसूची / CONTENTS

• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से / From the Chairman & Managing Director	3
• वार्षिक साधारण बैठक की सूचना / Notice of Annual General Meeting	7
• निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report	11
• प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण / Management Discussion and Analysis	13
• बैसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क) / Disclosures Under Pillar-III of Basel-II (New Capital Adequacy Framework)	49
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट / Corporate Governance Report	81
• तुलन पत्र / Balance Sheet	140
• लाभ व हानि लेखा / Profit and Loss Account	141
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	151
• लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	157
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report	187
• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	191
• हमारी प्रगति का विहंगावलोकन / Our Progress at a glance	193
• मुख्य निष्पादन अनुपात / Key Performance Ratios	195
• विदेशी मुद्रा में संक्षिप्त वित्तीय विवरण / Abridged Financial Statements in Foreign Currency	197
• शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या - समूहवार / Classification of Branches - Population Groupwise	198
• अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण - आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Financial Statements of Subsidiary - Andhra Bank Financial Services Limited	199
• आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी का समेकित वित्तीय विवरण / Consolidated Financial Statements of Andhra Bank and its Subsidiary	237
• प्राक्सी फार्म / Proxy Form	270
• इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा फार्म/Electronic Clearing Service Form	272
• उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास / Attendance Slip / Entry Pass	273

लेखा परीक्षक AUDITORS

राजू एंड प्रसाद
RAJU & PRASAD
नटराज अय्यर एंड कंपनी
NATARAJA IYER & CO
उमा महेश्वर राव एंड कम्पनी
UMAMAHESWARA RAO & CO
आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
R SUBRAMANIAN AND COMPANY
पात्रो एंड कम्पनी
PATRO & CO
सी आर सगदेव एंड कंपनी
C R SAGDEO & CO

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट

Registrar & Share Transfer Agents

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड (यूनिट आन्ध्रा बैंक)
काशीराम जमनादास बिल्डिंग
कार्यालय सं 21/22, भूतल
5, पी डी मेल्लो रोड (घडियाल गोदी)
मुम्बई - 400 009

M/s. MCS Ltd. (Unit: Andhra Bank)

Kashiram Jamnadas Building
Office No. 21/22 Ground Floor
5, P. D'Mello Road, (Ghadiyal Godi)
Mumbai - 400 009

शेयरधारकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पत्र



प्रिय शेयरधारक,

मुझे वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आपके बैंक के कार्यनिष्पादन को आपके साथ बाँटने का अवसर मिलने की खुशी है। आपका बैंक प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में भी अच्छे लाभ अर्जित कर रहा है।

वैश्विक परिदृश्य एक सम्मिलित चित्र दर्शाता है। जहाँ नई बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)

हाल की मंदी से उभर रही हैं, वहीं अमरीका और यूरो क्षेत्र में वृद्धि अभी भी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। तथापि, मध्यपूर्वी देश तथा उत्तर अफ्रिका में उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि से वैश्विक उत्थान की गति में अनिश्चितता बढ़ा रही है। फिर भी, मुद्रास्फीति संभली है, तथापि, उच्च तेल कीमतों से स्फीतिकारी प्रवृत्ति पुनः उभर सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो वैश्विक स्थूल आर्थिक परिस्थिति में संतुलित सुधार हुआ है।

वैश्विक अनिश्चितताएं और देशी चक्रीय और अवसंरचनात्मक घटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 2010-11 हेतु 8.4 वृद्धि दर की तुलना में 2011-12 में सात प्रति-शत से कम कर दिया है। जहाँ मुद्रास्फीति के नेपथ्य में महत्वपूर्ण जोखिमों पर अंकुश लगाना है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति में मंदी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

मंदी के कारण, वर्ष 2011-12 के दौरान कुल जमाराशियों में एएससीबी की वृद्धि पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में कम है। वर्ष 2010-11 के दौरान 15.9 प्रतिशत की तुलना में कुल जमाराशियों में वर्ष 2011-12 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 13.4 प्रतिशत रही, जो वित्तीय वर्ष 2005-06 से अब तक की निम्नतम है। बैंकों के अग्रिमों ने भी वर्ष 2011-12 के दौरान अधोगामी प्रवृत्ति दर्शायी है। एएससीबी द्वारा दिए बैंक ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष में 21.5 प्रतिशत की तुलना में 23 मार्च 2012 को 17.0 प्रतिशत रही, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 से अब तक की निम्नतम है। दूसरी ओर, ऋण-जमा अनुपात दि.25.03.2011 को 75.68% से बढ़कर दि.23.03.2012 को 78.11% हुआ।

आपके बैंक ने तीव्र प्रतिस्पर्धा और बाजार ताकतों की चुनौतियों का सामना करते हुए तथा ग्राहकों की उच्च अपेक्षाओं की पूर्ति में सफल परिणाम प्राप्त किए हैं। स्रोतों की लागत में वृद्धि के कारण निवल ब्याज मार्जिन पर भी दबाव है। तथापि, दृढ़ कार्पोरेट मूल्य और सेवा की उच्च गुणवत्ता के कारण आपके बैंक ने व्यापार में यथोचित अच्छी वृद्धि प्राप्त की है और इस तरह से प्राप्त की है जो सभी पणधारियों के लिए लाभदायक है। आपके बैंक के व्यापार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 1,90,500 करोड़ का मील-पत्थर पार किया है। आपके बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल जमाराशियों में 15.0% वृद्धि दर और सकल बैंक ऋण में 17.4% वृद्धि के साथ उद्योग से बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित किया है।

आपका बैंक ग्राहक केंद्रित बैंक है जिसका ध्यान मुख्यतः अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है। बैंक ने अपने ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं की कुशलता पूर्वक पूर्ति हेतु कई नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी आधारित पहल की है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- ◆ **कुल व्यापार** वर्ष 2010-11 में ₹ 1,64,311 करोड़ से बढ़कर 16.0% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 1,90,535 करोड़ हुआ है।
- ◆ **कुल जमाराशियाँ** पिछले वर्ष में ₹ 92,156 करोड़ से बढ़कर 14.9% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 1,05,851 करोड़ हुई हैं।
- ◆ **कासा जमाराशियाँ** ₹ 26,779 करोड़ से बढ़कर 4.4% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 27,947 करोड़ हुई हैं।
- ◆ **जमाराशियों की लागत** 7.51% रही।
- ◆ **सकल बैंक ऋण** ₹ 72,154 करोड़ से बढ़कर 17.4% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 84,684 करोड़ हुए हैं।
- ◆ **ऋण जमा अनुपात** 78.46% से बढ़कर 80.07% हुआ है।
- ◆ **निवल ब्याज मार्जिन** 3.67% रहा।
- ◆ **कोर परिचालन से गैर-ब्याज आय** ₹ 739 करोड़ रही।
- ◆ **बैंक का कोर परिचालन लाभ (निवेशों की बिक्री पर लाभ के अलावा)** 18.6% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 2694 करोड़ रहा।
- ◆ **निवल लाभ** 6.1% वृद्धि सहित 31.03.2012 को ₹ 1,345 करोड़ रहा।
- ◆ **सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए अनुपात** 2.12% रहा।
- ◆ **निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए अनुपात** 0.91% रहा।
- ◆ **बेसल-II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात** 13.18% रहा।
- ◆ **औसत आस्तियों पर प्रतिफल** 1.19% रहा।
- ◆ **प्रति कर्मचारी निवल लाभ** ₹ 8.91 लाख रहा।
- ◆ **प्रति कर्मचारी औसत व्यापार** ₹ 9.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 11.54 करोड़ हुआ।
- ◆ **बैंक की निवल मालियत** ₹ 6493 करोड़ से बढ़कर ₹ 7480 करोड़ हुई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार हेतु कई आई.टी पहल की हैं यथा:

- ◆ बैंक ने **श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई हेतु ई-दान सुविधा** आरंभ की है। किसी भी बैंक का ग्राहक जिसके पास मोबाईल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है, निर्धारित फार्मेट में **8108114400** को एमएमआईडी (मोबाईल पहचान नंबर) **9011111** के साथ एसएमएस भेज कर निधि दान कर सकता है।



Chairman & Managing Director's Letter to Shareholders



Dear Shareholders,

I am happy to get an opportunity to share with you the performance of your Bank for the financial year 2011-12. Your Bank continues to make good profits even under adverse market conditions.

The global scenario presents a mixed picture. While growth in emerging market economies (EMEs) is picking up from the recent slowdown, growth in the US and Euro Zone is still not in tune with the expectations. However, the sharp increase in oil prices as a result of the turmoil in the Middle East and North Africa is adding uncertainty to the pace of global recovery. Further, even though the inflation has moderated, the high oil prices may again fuel the inflationary trends. Overall, there has been modest improvement in the global macro-economic situation.

Global uncertainties and domestic cyclical and structural factors lowered the growth of Indian economy to below seven per cent in 2011-12 as compared to the growth rate of 8.4 per cent for 2010-11. While significant upside risks to inflation have to be kept anchored, there is a need to arrest the deceleration in growth momentum of Indian economy.

As a result of the slowdown, ASCBs growth in Aggregate Deposits during 2011-12 has been lower than the corresponding period of the previous year. While the year-on-year growth in Aggregate Deposits was 13.4 per cent during 2011-12 vis-a-vis 15.9 per cent in 2010-11, lowest since FY 2005-06, Advances of Banks have also shown a decreasing trend during 2011-12. Growth in Bank Credit extended by ASCBs stood at 17.0 per cent as on 23rd March 2012 as compared to 21.5 per cent in the previous year, lowest since FY 2004-05. On the other hand, Credit-Deposit Ratio has increased from 75.68% as on 25.03.2011 to 78.11% as on 23.03.2012.

Your Bank has come out with successful results in the face of challenges posed by intense competition & market forces amidst heightened expectations of the Clientele. Net Interest Margins are also under strain due to rise in cost of resources. Nevertheless, driven by strong Corporate value and high quality in service, your Bank has responded well with reasonably good growth in Business and in a manner which is beneficial to all Stakeholders. Business of your Bank crossed the milestone of ₹ 1,90,500 crore for the Financial Year, 2011-2012. Your Bank has performed better than the industry, with Aggregate Deposits registering a growth rate of 15.0% and Gross Bank Credit having grown at 17.4% over the previous year.

Your Bank is a customer centric Bank with its prime focus on delivering good customer service. The Bank introduced many new products and technology initiatives to cater to the changing needs of its customers in a more efficient manner.

The highlights of the performance of the Bank in FY 2011-12 as compared to FY 2010-11 are given hereunder :

- ◆ Total Business increased to ₹ 1,90,535 crore from ₹ 1,64,311 crore in 2010-11, registering a growth rate of 16.0%.
- ◆ Total Deposits increased to ₹ 1,05,851 crore from ₹ 92,156 crore in the previous year, registering a growth rate of 14.9%.
- ◆ CASA Deposits increased to ₹ 27,947 crore from ₹ 26,779 crore, registering a growth rate of 4.4%.
- ◆ Cost of Deposits stood at 7.51%.
- ◆ Gross Bank Credit increased to ₹ 84,684 crore from ₹ 72,154 crore, registering a growth rate of 17.4%.
- ◆ Credit Deposit Ratio increased to 80.07% from 78.46%.
- ◆ Net Interest Margin stood at 3.67%.
- ◆ Non-Interest Income from Core Operations stood at ₹ 739 crore.
- ◆ Core Operating Profit (excluding Profit on sale of Investments) of the Bank increased to ₹ 2694 crore, recording a growth rate of 18.6%.
- ◆ Net Profit increased by 6.1% to reach ₹ 1,345 crore as on 31.03.2012.
- ◆ Gross NPAs to Gross Advances Ratio stood at 2.12%.
- ◆ Net NPAs to Net Advances Ratio stood at 0.91% .
- ◆ Capital Adequacy Ratio stood at 13.18% under BASEL-II.
- ◆ Return on Average Assets stood at 1.19%.
- ◆ Net Profit per Employee stood at ₹ 8.91 lakh.
- ◆ Average Business Per Employee increased to ₹ 11.54 crore from ₹ 9.59 crore.
- ◆ Networth of the Bank increased to ₹ 7,480 crore from ₹ 6,493 crore.

During FY 2011-12, your Bank has taken many I.T. initiatives to improve Customer Service like :

- ◆ Bank has launched e-Donations facility for donations to Shri Siddhivinayak Temple, Mumbai. Customer of any Bank having Mobile Banking Facility can donate funds by sending an SMS in a prescribed format to 8108114400 with MMID (Mobile Identification Number) 9011111.

- ◆ बैंक ने नानकरामगुडा और विद्यानगर शाखाओं में 31.12.2011 को **नए ई-बैंकिंग केंद्र** आरंभ किए हैं। सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं।
 1. एटीएम मशीन, 2. स्वयं सेवा पास बुक प्रिंटर, 3. स्वचालित चेक जमा मशीन, 4. इंटरनेट बैंकिंग हेतु कियोस्क और 5. हमारे कॉल सेंटर हेतु हॉट लाइन.
- ◆ ग्राहक सभी दिन 24X7 आधार पर नकदी आहरण, चेक जमा, पास बुक अद्यतन और इंटरनेट बैंकिंग कर पाएंगे।
- ◆ बैंक ने दि.30.01.2012 से **एबी व्यावसायिक ऋण** नाम से वृत्तिक व्यवसायिकों के लिए एक नई ऋण योजना आरंभ की है, ताकि वृत्तिक सनदी लेखाकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मूल्यांकक, प्रबंधन/वित्तीय परामर्शदाता, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार आदि के संभाव्य संवर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
- ◆ बैंक ने हाल में 'अभया फर्स्ट वैल्यू पैक' नाम से एक नया उत्पाद आरंभ किया है जिसमें चार उत्पादन यथा आवर्ती जमा, बचत बैंक खाता, यूनिट संबद्ध योजना (ईक्विटी विकल्प) और जीवन बीमा कवर की विशेषताएं सम्मिलित हैं। यह रजत (₹ 25,000/-) स्वर्ण (₹ 50,000) और प्लैटिनम (₹ 1,00,000/-) तीन मूल्यवर्गों में उपलब्ध है।
- ◆ सितंबर 2011 में बैंक द्वारा **गिफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा** के अंतर्गत आरंभ किए पूर्वदत्त कार्डों को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
- ◆ **गिफ्ट कार्ड**, जो आरंभ में चुनिंदा शाखाओं में जारी किए जा रहे थे, शेष शाखाओं में भी जारी करने का प्रस्ताव है। फिलहाल, गिफ्ट कार्ड बिना प्रभार जारी किए जा रहे हैं। गिफ्ट कार्ड ₹ 250/- से ₹ 50,000/- तक इच्छानुकूल मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं। गिफ्ट कार्ड पूर्वलोडेड हैं। अतः, कार्डधारकों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए, गिफ्ट कार्डों के परिचालन हेतु कई जोखिम निवारक उपाय आरंभ किए गए हैं यथा :
 - o पीओएस प्रयोग हेतु पिन एनेबल किया हुआ है और यह पीओएस टर्मिनल पर पिन प्रॉप्ट की शर्त पर है।
 - o कार्डधारक, कार्ड उपयोग में नहीं होने पर अस्थायी रूप से कार्ड को लॉक कर सकते हैं।
 - o सभी लेनदेन हेतु एसएमएस अलर्ट एनेबल किए गए हैं।
- ◆ **अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रीपेड कार्ड** आरंभ में अमरीकी डॉलर में जारी किए जाते हैं। ग्राहकों की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्ड यूएसडी 200 के आरंभिक लोड से जारी किए जाते हैं जिन्हें यूएसडी 100 के गुणा में रीलोड किया जा सकता है। ये कार्ड बिना प्रभार जारी किए जाते हैं।
- ◆ 'खुदरा ऋण' दि.31.03.2012 को ₹ 10,065 करोड़ रहे।
- ◆ आपके बैंक के सुपुर्दगी चैनलों का नेटवर्क वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक बढ़कर 2821 हो गया है, इसमें वर्ष के दौरान 80 शाखाओं सहित (इसमें 10 विस्तार पटलों का अपग्रेडेशन शामिल है) 145 सुपुर्दगी चैनल जुड़े हैं।

- ◆ आपका बैंक वर्ष 2011-12 के दौरान त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पहुंचा है और इसके साथ बैंक की उपस्थिति 25 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों में है।
- ◆ कुल शाखाओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में 1632 से बढ़कर वर्ष 2011-12 के अंत में 1712 हो गई है। दि.31.03.2012 को अन्य सुपुर्दगी चैनलों में 1056 एटीएम, 15 विस्तार पटल और 38 अनुषंगी कार्यालय शामिल हैं। हमारे 1127 शाखारहित बैंकिंग यूनिट (व्यापार प्रतिनिधि) भी हैं।
- ◆ अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन बैंक की मुख्य रणनीति रही है। सकल एनपीए को ₹1798 करोड़ तक ही नियंत्रित रखना है जो सकल अग्रिमों का 2.12%, जब कि निवल एनपीए ₹ 756 करोड़ है जो 0.91% पर निम्नतर है।

बैंक के कार्यनिष्पादन में उसके शेरधारकों का समर्थन और विश्वास प्रतिबिंबित होता है। मैं अपने 15099 स्टाफ सदस्य, जो हमारी सभी उपलब्धियों में सदैव साधक रहे हैं, के प्रति हार्दिक प्रशंसा प्रकट करता हूँ।

बैंक ने एमसीएक्स द्वारा वर्ष 2011 हेतु प्रस्तुत सीएनबीसी-टीवी 18 उत्तम बैंक एवं वित्तीय संस्था पुरस्कार के अंतर्गत मध्य आकार सार्वजनिक बैंक कोटि में **“एडिटोरियल बोर्ड रोल ऑफ हॉनर”** प्राप्त किया।

बैंक की निवल मालियत ₹ 6493 करोड़ से बढ़कर ₹ 7480 करोड़ हुई। इससे पूंजी पर्याप्तता मानक प्राप्त करने में बैंक की तैयारी में सहायता मिलेगी। हमारे शेयर का बही मूल्य ₹ 116.02 से बढ़कर ₹ 126.36 हुआ।

बैंक के निदेशकों ने वर्ष 2011-12 हेतु 55% लाभांश की घोषणा की है।

आपका बैंक निरंतर आधार पर नए अवसर पहचानने, आंकने और सृजित करने तथा इन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में, मैं उत्साह और कटिबद्धता के साथ आन्ध्र बैंक के कार्यबल में सम्मिलित होता हूँ और बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपके निरंतर समर्थन तथा प्रोत्साहन की आशा करता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(बी.ए.प्रभाकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 07.05.2012



- ◆ Bank launched new e-Banking Centres at Nanakramguda and Vidyanagar Branches on 31.12.2011. The facilities include :
 1. ATM Machines, 2. Self Service Pass Book Printer, 3. Automated Cheque Deposit Machine, 4. Kiosk to carry out Internet Banking and 5. Hot Line to our Call Center.
- ◆ Customers will be able to Draw Cash, Deposit Cheques, Update their Pass Books and carry out Internet Banking on a 24X7 basis on all days.
- ◆ Bank introduced a new Loan Scheme for practicing Professionals named "AB Professional Loan" from 30.01.2012, to cater to the potential segment comprising of practising Chartered Accountants, Architects, Engineers, Valuers, Management & Financial Consultants, Company Secretaries, Cost Accountants, etc.,
- ◆ Bank recently launched a new Product named "Abhaya First Wealth Pack" in all its Branches, combining features of four products, viz., Recurring Deposit, Savings Bank Account, Unit Linked Plan (Equity Option) and Life Insurance Cover. This is available in three denominations of Silver (₹ 25,000/-), Gold (₹ 50,000/-) and Platinum (₹ 1,00,000/-).
- ◆ The Prepaid Cards launched by Bank in September 2011 under Gift and International Travel received good response from the Customers.
- ◆ Gift Cards which were initially issued at select Branches, are now proposed to be issued in the remaining Branches also. Presently, the Gift Cards are issued without any charges. The Gift Cards are available in flexi denomination from Rs.250/- to Rs.50,000/-. The Gift Cards are preloaded. Hence, while considering the safety point of the Cardholders, several risk mitigation measures are implemented for operating the Gift Cards, like :
 - o PIN is enabled for POS usage and is subject for prompting PIN at POS Terminal.
 - o Cardholder can lock the card temporarily when the card is not used.
 - o SMS Alerts are enabled for all transactions.
- ◆ The International Travel Prepaid Cards are issued initially in US Dollars. While considering the Customers affordability, the Cards are issued with an initial load of USD 200 and reloading in multiples of USD 100. The Cards are issued without charges.
- ◆ "Retail Lending" stood at ₹10,065 Crore as on 31.03.2012.
- ◆ Your Bank's network of delivery channels increased to 2821 by the end of Financial Year 2011-12, an addition of 145 delivery channels during the year, including 80 branches (including upgradation of 10 ECs).

- ◆ Your Bank has entered into Tripura and Himachal Pradesh States during the year, 2011-12 and with this the presence of the Bank spread to 25 States and 3 Union Territories.
- ◆ Total Branches increased from 1632 at the end of Financial Year 2010-11 to 1712 at the end of Financial Year 2011-12. Other delivery channels include 1056 ATMs, 15 Extension Counters and 38 Satellite offices as on 31.03.2012. We also have 1127 Branchless Banking Units (Business Correspondents).
- ◆ Management of Non-Performing Assets has been the Core Strategy of the Bank. Gross NPAs could be contained at Rs.1798 crore, forming 2.12% of Gross Advances, while Net NPAs at ₹ 756 crore are lower at 0.91%.

The performance of the Bank is reflective of support and confidence of its Shareholders. I must also place on record my sincere appreciation for the dedicated and committed workforce of 15099 Staff Members who have always been instrumental in all our achievements.

The Bank has received "Editorial Board Roll of Honour" under Mid-size Public Sector Banks' Category in the CNBC - TV18 Best Bank and Financial Institution Awards presented by MCX for the year 2011.

The Networth of the Bank increased to ₹ 7,480 crore from ₹ 6,493 crore. This would help in the Bank's preparedness in meeting the capital adequacy norms. The Book Value per Share increased from ₹ 116.02 to ₹126.36.

The Board of Directors of the Bank has declared a dividend of 55% for the year 2011-12.

Your Bank continuously seeks to identify, assess and create new opportunities and translate them into realities. In this endeavour, I join the rank and file of Andhra Bank with enthusiasm and commitment and also look forward to your continued support and encouragement in the fulfillment of objectives of the Bank.

With warm wishes,

Yours sincerely,

(B. A. PRABHAKAR)

Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad

Date : 07.05.2012

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की 12वीं वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार 5 जुलाई, 2012 को सायं 3.30 बजे शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाईटेक सिटी के निकट, मादापुर, हैदराबाद- 500 081 में, निम्न संव्यवहार हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च, 2012 तक लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र तथा खातों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु।

2. ईक्विटी-शेयरों पर लाभांश घोषित करने हेतु।

स्थान: मुम्बई

दिनांक- 07.05.2012

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(बी.ए.प्रभाकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ

1. बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र सदस्य स्वयं की अपेक्षा बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु कोई प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र हैं। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। बैंक के किसी कर्मचारी को प्रॉक्सी अथवा विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य-प्रति, विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए।

4. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास:

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थिति-पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश हेतु पास दें। शेयरधारक के प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति-पर्ची पर दर्शाना चाहिए।

5. बहियों का बंद रहना

शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियाँ 29.06.2012 से 04.07.2012 (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

6. लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2011-12 हेतु 55% (₹ 5.50 पैसे प्रति ईक्विटी शेयर) लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश, यदि वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित हो गया, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा जिनका नाम शेयरधारकों के रजिस्टर में हों तथा 28.06.2012 की समाप्ति पर निक्षेपागार द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्थिति विवरण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को दिया जाएगा। लाभांश-भुगतान की तिथि 11.07.2012 है।

7. इलेक्ट्रॉनिक- क्लियरिंग सेवा द्वारा लाभांश - भुगतान

निवेशकों को उनके, लाभांश वारंटों के मार्गस्थ धोखाधड़ीपूर्ण भुनाने से बचाने हेतु, बैंक ने निम्न केंद्रों में बैंक खाते रखने वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा प्रदान की है-

आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, भोपाल, कैलिकट (कोलिकोड), कोयंबतूर/तिरुपूर, देहरादून, धनबाद, दुर्गापुर, एर्णाकुलम, ईरोड, गोवा, गोरखपुर, ग्वालियर, हलदिया, हुबली, इंदौर, जबलपुर, जलंधर, जम्मू, जमशेडपुर, जोधपुर, काकिनाडा, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मंगलूर, मैसूर, नाशिक, नल्लूर, पांडिचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांचली, सेलम, सिलिगुड़ी, शोलापुर, सूरत, त्रिशूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाडा और विशाखपट्टणम

8. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा द्वारा लाभांश भुगतान (एनईसीएस)

इस पद्धति का उद्देश्य, लाभांश के भुगतान के केंद्रीयकृत संसाधन को सुगम बनाना है। एनईसीएस (जमा) हिताधिकारी खातों को जारीकर्ता बहुविध-जमा सुलभ करवाता है जोकि कोर-बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत



NOTICE

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of shareholders of Andhra Bank will be held on Thursday, the 5th July, 2012 at 03.30 p.m. at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081, to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2012, and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Reports on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend on Equity Shares.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 07.05.2012

(B.A. Prabhakar)
Chairman & Managing Director

Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE THEREAT INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. A PROXY NEED NOT BE A MEMBER.

2. In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting. No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

3. Appointment of a Representative :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting.

4. Attendance Slip - cum - Entry Pass:

For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip-cum-Entry pass at the entrance of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.

5. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from 29.06.2012 to 04.07.2012 (both days inclusive).

6. Dividend :

The Board of Directors have recommended a dividend of 55% (₹ 5.50ps. per equity share) for the financial year 2011-2012. The dividend, if approved by the Shareholders at the Annual General Meeting, shall be paid to the shareholders holding shares in physical form and whose names appear in the Register of Shareholders and to the shareholders holding shares in electronic form on the basis of the beneficiary position statement provided by the depositories at the end of 28.06.2012. The dividend payout date is 11.07.2012.

7. Dividend payment by way of Electronic Clearing Service (ECS) :

In order to protect the investors from transit loss/ fraudulent encashment of their dividend warrants, the Bank has offered Electronic Clearing Service facility to the shareholders having Bank accounts at the following centers:

Agra, Allahabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bhopal, Calicut (Kozhikod), Coimbatore/Tirupur, Dehradun, Dhanbad, Durgapur, Ernakulam, Erode, Goa, Gorakhpur, Gwalior, Haldia, Hubli, Indore, Jabalpur, Jalandhar, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kakinada, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mysore, Nasik, Nellore, Pondicherry, Pune, Raipur, Rajkot, Ranchi, Salem, Siliguri, Solapur, Surat, Thrissur, Tiruchirapalli, Tirupathi, Udaipur, Varanasi, Vijayawada and Visakhapatnam

8. Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS) :

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit)

सम्मिलित हैं। इस उद्देश्य हेतु, शेयरधारक को अमूर्त धारण के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी को अपना सीबीएस खाता संख्या एमआईसीआर संख्या आदि प्रस्तुत कर अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन करना है तथा मूर्त धारण के मामले में रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को सूचित करना है।

9. शेयरधारक के पते में परिवर्तन अद्यतन करवाना:

मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पत्राचार की शीघ्र प्राप्ति हेतु, अपने पते में परिवर्तन, यदि हो, नोट करने हेतु बैंक अथवा अपने रजिस्ट्रार को सूचित करें। इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन, यदि हो, अपने संबंधित निक्षेपागार में अद्यतन करवाएं।

10. फोलियो का समेकन:

जिन शेयरधारकों के शेयर, एक से अधिक खाते में मिलते-जुलते नामों के क्रम में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे खातों के लेजर-फोलियो की सूचना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को दें तथा शेयर प्रमाण-पत्र भिजवाएं ताकि बैंक सभी शेयरों का एक खाते में समेकन कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् शेयर प्रमाणपत्र सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे।

11. अंतरण एवं प्रस्तुतीकरण :

विधिवत् भरे हुए अंतरण-विलेख सहित शेयर प्रमाण-पत्र निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को प्रेषित किए जाने चाहिए:-

मैसर्स एमसीएसएल (यूनिट: आंध्र बैंक)
कांशीराम जमनादास बिल्डिंग
कार्यालय सं.21/22, भू-तल
5, पी.डिमेलो रोड (घडियाल गोडी)
मुम्बई- 400 009

12. शेयरधारकों से अनुरोध

i. कार्पोरेट -गवर्नेन्स में हरित पहल- अपने ई-मेल पते के पंजीकरण द्वारा ई-मेल से दस्तावेज प्राप्त करना।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र दि.21.04.2011 तथा 29.04.2011 द्वारा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते दर्ज करवाए हैं, उन्हें इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक साधारण बैठक/असाधारण सामान्य बैठक बुलाने की सूचना जैसी विभिन्न सूचनाएं / दस्तावेज प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करके "कार्पोरेट गवर्नेन्स में हरित पहल" की है।

इससे शेयरधारक सूचना शीघ्र प्राप्त कर पाएंगे तथा डाक द्वारा मार्गस्थ दस्तावेजों के खोने से बचा जा सकेगा। हरित-पहल के समर्थन में इस संरक्षण से कागज की खपत में कमी आएगी तथा पेड़ों

को बचाया जा सकेगा तथा यह बैंक की सामाजिक-दायित्व पहल में हमारा योगदान होगा।

यदि आप इलेक्ट्रानिक पद्धति से सूचना/दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया अपना ई-मेल आई डी अपने डीपी (यदि शेयर अमूर्त रूप में धारित हों) अथवा अपने बैंक (यदि मूर्त रूप में धारित हों) में रजिस्टर/अद्यतन करें।

ii. अदत्त/ अदावा लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो 16.10.2006 से लागू हुआ है) लाभांश की घोषणा की तारीख से 7 वर्ष की अवधि हेतु बैंक में अदत्त रहे लाभांश, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के उपखंड (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना होगा।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसी सभी लाभांश राशियां, जो 7 वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावा रह जाती हों, 16.10.2013 से निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाएंगी।

वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 (अंतरिम/अंतिम), 2005-06, 2006-07(अंतरिम/अंतिम), 2007-08 (अंतरिम/अंतिम), 2008-09, 2009-10 और 2010-11 हेतु जिन निवेशकर्ताओं ने लाभांश का दावा नहीं किया है, कंपनी सचिव, निवेशकर्ता सेवा अनुभाग, आंध्र बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हेदराबाद-500 004 से संपर्क कर सकते हैं।

iii. अमूर्त शेयर

शेयरधारक, जिनके शेयर मूर्त रूप में हैं, से अनुरोध है कि अपने शेयर अमूर्त रूप में परिवर्तित करें ताकि कागजी शेयरों के खो जाने / लापता होने से बचा जा सके।

iv. अन्य

क. कृपया नोट करें कि किफायत उपाय के नाते वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में नहीं बांटी जाएंगी। अतः, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक के स्थान पर साथ लाएं।

ख. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि थैली/ब्रीफ केस/ टेप रिकार्डर/ कैमेरा आदि लाने से बचें चूंकि इन सभी मदों की सुरक्षा जाँच की जा सकती है और बैठक स्थान में इन्हें लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



facilitate the Issuer to give multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Share Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his/her account on the pay-out date itself.

9. Updating of any change in address of the shareholder :

The shareholder holding the shares in physical form is requested to inform the Bank or its Registrars for noting the change in their address, if any, for prompt receipt of any correspondence. The shareholder holding the shares in electronic form is requested to update the change in their address, if any, with their respective Depository Participants.

10. Consolidation of Folios :

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Share Transfer Agents, the ledger folio of such accounts and send the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

11. Lodgement for Transfers :

Share Certificates along with the duly filled in transfer deed should be forwarded to the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. MCS Limited (Unit: Andhra Bank)
Kashiram Jamnadas Building
Office No. 21/22 Ground Floor
5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi)
Mumbai – 400 009.

12. Requests to Shareholders :

(i) Green Initiative in Corporate Governance – to receive documents through E-mail by registering your e-mail address

The Ministry of Corporate Affairs vide its Circular dated 21.04.2011 and 29.04.2011 has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by providing an opportunity to shareholders to receive various Notices/documents, such as Notice calling Annual General Meeting/ Extraordinary General Meeting and Annual Report of the Bank through electronic mode to the shareholders who have registered their e-mail addresses.

This facilitates the shareholders to receive

communication promptly and prevents loss of documents in postal transit. This patronage in support of Green Initiative will reduce paper consumption and save trees, contributing towards the social responsibility initiative of the Bank.

In case you desire to receive the Notices/Documents in electronic mode, please register/update your e-mail address with your DP (if shares are held in dematerialized form) or with the Bank (if shares are held in physical form).

(ii) Unpaid/Unclaimed Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of declaration of Dividend, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956.

In line with the above guidelines, all such Dividend amounts remaining unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of declaration of dividend will be transferred to the Investor Education and Protection Fund, with effect from 16.10.2013.

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants for the year/s 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 (Interim/Final), 2004-05 (Interim/Final), 2005-06, 2006-07 (Interim/Final), 2007-08 (Interim/Final), 2008-09, 2009-10 and 2010-11 may approach the Company Secretary, Investor Services Section, Andhra Bank, Dr. Pattabhi Bhavan, Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.

(iii) Dematerialisation of shares

The shareholders who are holding the shares in physical form are requested to get their shares dematerialized to avoid loss/misplacing of paper shares.

(iv) Others

- Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General meeting as an Economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.
- Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.
- Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

निदेशक की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशकों को 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों का लेखा परीक्षित विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. लाभप्रदता

बैंक ने पिछले वर्षों की अपनी वृद्धि गति को बनाए रखा एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अच्छा कार्यनिष्पादन किया है। लाभप्रदता मानकों में संतोषजनक वृद्धि हुई है। कुल आय 9188 करोड़ से 12199 करोड़ तक बढ़ गयी है जो 32.8% वृद्धि है जबकि गैर ब्याज आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ को छोड़ कर) पिछले वर्ष ₹ 756 करोड़ की तुलना में ₹ 739 करोड़ रही। बैंक का परिचालन लाभ ₹ 2413 करोड़ से ₹. 2815 करोड़ तक बढ़ गया है जो 16.7% की वृद्धि है। निवल लाभ 6.1% वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹ 1267 करोड़ से 2011-12 में ₹ 1345 करोड़ हो गया है।

सारणी 1: राजस्व, व्यय एवं लाभप्रदता की मुख्य बातें

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	निश्चित प्रगति	वृद्धि प्रतिशत
कुल ब्याज आय	8291.28	11338.73	3047.45	36.8%
कुल ब्याज व्यय	5070.31	7579.41	2509.10	49.5%
निवल ब्याज आय	3220.97	3759.32	538.35	16.7%
अन्य आय	896.96	859.93	-37.03	-4.1%
निवेशों की बिक्री पर लाभ	140.78	120.91	-19.87	-14.1%
अन्य स्थायी आय	756.18	739.02	-17.16	-2.3%
परिचालन व्यय	1704.86	1804.25	99.39	5.8%
परिचालन लाभ	2413.06	2815.00	401.94	16.7%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	1145.99	1470.33	324.34	28.3%
निवल लाभ	1267.07	1344.67	77.60	6.1%

- 1.1 कुल ब्याज आय 36.8% की अच्छी वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2011 को ₹. 8291.28 करोड़ से 31.03.2012 को ₹. 11338.73 करोड़ हुई है। इसमें से अग्रिमों से ब्याज आय 38.7% वृद्धि के साथ 31.03.2011 को ₹. 6689.17 करोड़ से 31.03.2012 को 9278.24 करोड़ है। निवेशों से ब्याज आय 28.2% वृद्धि के साथ ₹. 1539.39 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹. 1973.53 करोड़ रही।
- 1.2 ऋण विस्तार, विशेषकर, अधिक प्रतिफल वाले अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने एवं अग्रिमों से ब्याज आय में परवर्ती वृद्धि ने निवल ब्याज आय में 16.7% की वृद्धि में योगदान दिया है।
- 1.3 कुल गैर ब्याज आय में शुल्क आधारित आय पिछले वर्ष के ₹. 96.19 करोड़ की तुलना में मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹. 101.93 करोड़ रही।
- 1.4 कुल व्यय 31.03.2011 को ₹. 6775.17 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को ₹. 9383.66 करोड़ रहा। इसमें परिचालन व्यय ₹. 1804.25 करोड़ रहा (5.8% की वृद्धि)। स्थापना व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए 12.25% रहा।

विनियोजन

निवल लाभ से बने विनियोजन सारणी 2 में दर्शाए गये हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹. 336.17 करोड़ सांविधिक प्रारक्षितों को अंतरित किए गए एवं इससे अब सांविधिक प्रारक्षित ₹. 2026.17 करोड़ रहा। लाभांश के लिए अंतरित राशि ₹. 357.70 करोड़ है (लाभांश कर सहित)।

सारणी 2: निवल लाभ से विनियोजन

(₹. करोड़ में)

	2011-12
निवल लाभ से विनियोजन	1344.67
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण	336.17
पूँजी प्रारक्षिती को अंतरण	4.45
राजस्व प्रारक्षिती को अंतरण	675.00
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण	165.00
प्रस्तावित लाभांश को अंतरण (लाभांश कर सहित)	357.70
तुलन पत्र में आगे लिया गया लाभ	99.06

2. प्रमुख वित्तीय अनुपात

बैंक ने प्रमुख वित्तीय अनुपात में अच्छी वृद्धि दर्शायी है। निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष के 3.80% की तुलना में 3.67 % रहा। आय के प्रति लागत अनुपात में 41.40% से 39.06% सुधार हुआ जो परिचालन सक्षमता की वृद्धि को दर्शाता है। प्रति शेयर अर्जन ₹. 24.03 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹. 116.02 से बढ़कर ₹. 126.36 तक हो गया।

बैंक का आस्ति प्रोफाइल बहुत अच्छा बना हुआ है। मार्च 12 के अंत को सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां 2.12% रही एवं निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां 0.91% रहीं।

सारणी 3: प्रमुख वित्तीय अनुपात

मानदंड	31.03.2011	31.03.2012
अग्रिमों पर प्रतिफल (%)	11.16	12.45
जमाओं की लागत (%)	5.90	7.51
निवल ब्याज मार्जिन(%)	3.80	3.67
निधियों पर प्रतिफल (%)	8.93	10.04
निधियों की लागत (%)	5.46	6.71
आय के प्रति लागत अनुपात(%)	41.40	39.06
सीआरएआर(%)	14.38	13.18
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	1.36	1.19
प्रति शेयर अर्जन (₹.)	26.05	24.03
प्रति शेयर बही मूल्य(₹.)	116.02	126.36
निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.38	0.91
सकल अनर्जक आस्तियां (%)	1.38	2.12



DIRECTORS' REPORT

Directors of your Bank are happy to present the Annual Report of the Bank together with the audited Statement of Accounts and Auditors' Report for the financial year ended March 31, 2012.

1. PROFITABILITY

The Bank continued to grow well showing a good performance during the Financial Year 2011-12. Profitability Parameters saw satisfactory growth. Total Income increased by 32.8% from ₹ 9,188 Crore to ₹ 12,199 Crore while Non-Interest Income (excluding Profit on Sale of Investments) stood at ₹ 739 Crore compared to ₹ 756 Crore in the previous year. Operating Profit of the Bank increased to ₹ 2,815 Crore from ₹ 2,413 Crore, registering an increase of 16.7%. Net Profit increased by 6.1% to ₹ 1,345 Crore in 2011-12 from ₹ 1,267 Crore in the previous year.

Table 1: Highlights of Revenue, Expenditure and Profitability

(₹. in Crore)

	2010-11	2011-12	Absolute Growth	Percentage Growth
Total Interest Income	8291.28	11338.73	3047.45	36.8%
Total Interest Expenditure	5070.31	7579.41	2509.10	49.5%
Net Interest Income	3220.97	3759.32	538.35	16.7%
Other Income	896.96	859.93	-37.03	-4.1%
Profit on sale of Investments	140.78	120.91	-19.87	-14.1%
Core Other Income	756.18	739.02	-17.16	-2.3%
Operating Expenses	1704.86	1804.25	99.39	5.8%
Operating Profit	2413.06	2815.00	401.94	16.7%
Provisions and Contingencies	1145.99	1470.33	324.34	28.3%
Net Profit	1267.07	1344.67	77.60	6.1%

- 1.1 The total Interest Income has shown a robust growth of 36.8% from ₹ 8,291.28 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 11,338.73 Crore as on 31.3.2012. Of this, Interest Income from Advances grew by 38.7% from ₹ 6,689.17 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 9,278.24 Crore as on 31.3.2012. Interest Income from investments increased by 28.2% from ₹ 1,539.39 Crore and stood at ₹ 1,973.53 Crore for the financial year ended March, 2012.
- 1.2 The focus on credit expansion, high yielding advances in particular and the consequent increase in interest income from advances has contributed for the increase in Net Interest Income by 16.7 %.
- 1.3 Of the total Non Interest Income, Fee Based Income stood at ₹ 101.93 Crore for the financial year ended March 2012 against ₹ 96.19 Crore in the previous year.
- 1.4 Total Expenses were ₹ 9,383.66 Crore as on 31.3.2012 as against ₹ 6,775.17 Crore as on 31.3.2011. Of this, Operating Expenses stood at ₹ 1,804.25 Crore (an increase of 5.8%). Establishment Expenditure as a percentage of Total Expenditure stood at 12.25% for the year ended 31.3.2012.

APPROPRIATIONS

The appropriations made out of Net Profit are shown in Table 2. An amount of ₹ 336.17 Crore was transferred to statutory reserves during 2011-12, and with this, the statutory reserves now stand at ₹ 2,026.17 Crore. Transfer towards Dividend (including Dividend Tax) amounted to ₹ 357.70 Crore.

Table 2: Appropriations out of Net Profit

(₹ in crore)

	2011-12
Appropriation out of Net Profit	1344.67
Transfer to Statutory Reserves	336.17
Transfer to Capital Reserve	4.45
Transfer to Revenue Reserves	675.00
Transfer to Special Reserve	165.00
Transfer to proposed Dividend (including Dividend Tax)	357.70
Profit carried over to Balance Sheet	99.06

2. KEY FINANCIAL RATIOS

The Bank has shown good performance in key financial ratios. Net Interest Margin (NIM) stood at 3.67% compared to 3.80% in the previous year. Cost to Income Ratio improved from 41.40% to 39.06%, reflecting enhanced Operational Efficiency. Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 24.03 and Book Value per Share (BVPS) increased from ₹ 116.02 to ₹ 126.36.

The Asset Profile of the Bank continues to be very healthy. Gross Non-Performing Assets to Gross Advances stood at 2.12% and Net Non-Performing Assets to Net Advances stood at 0.91%, at the end of March 2012.

Table 3: Key Financial Ratios

Parameter	31.03.2011	31.03.2012
Yield on Advances (%)	11.16	12.45
Cost of Deposits (%)	5.90	7.51
Net Interest Margin (%)	3.80	3.67
Yield on Funds (%)	8.93	10.04
Cost of Funds (%)	5.46	6.71
Cost-to-income Ratio (%)	41.40	39.06
CRAR (%)	14.38	13.18
Return on Assets (%)	1.36	1.19
Earning Per Share (₹)	26.05	24.03
Book Value Per Share (₹)	116.02	126.36
Net NPA (%)	0.38	0.91
Gross NPAs (%)	1.38	2.12

3. पूंजी एवं निवल मालियत

(₹ करोड़ में)

मानदंड	31.03.2011	31.03.2012
शेयर पूंजी	560	560
प्रारक्षिती अधिशेष	5932	6920
बैंक की निवल मालियत	6492	7480

4. पूंजी पर्याप्तता

पिछले वर्ष के अंत तक बैंक की कुल पूंजी निधि ₹ 9861.04 करोड़ की तुलना में 13.1% बढ़कर ₹ 11,156.34 करोड़ रही। इससे पूंजी पर्याप्तता अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंड 9% की तुलना में, 13.18 % रहा, जो लगातार 4 वर्षों से 12% से अधिक है। साथ ही 9.02% के उच्च टीयर-1 अनुपात से भविष्य में व्यापार विस्तार हेतु बैंक के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 से बेसल-II पूंजी पर्याप्तता मानक अपनाए हैं और ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम के लिए भी सीआरएआर का आकलन किया है। बैंक में व्यवसाय स्तर तथा अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूंजी स्तर की पर्याप्तता के निर्धारण हेतु "आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया" भी है। आईसीएएपी का आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वैधीकरण होता है। निर्धारण प्रक्रिया में ऋण केंद्रीयकरण जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, चल-निधि जोखिम आदि जैसे बेसल-II मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत पिलर-II के समावेश हेतु रूपरेखा भी सम्मिलित है।

सारणी 4: सीआरएआर स्थिति

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2012
टीयर-1 पूंजी	9.68%	9.02%
टीयर-II पूंजी	4.70%	4.16%
कुल	14.38%	13.18%

5. लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 55% के लाभांश की सिफारिश की है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

1. स्थूल आर्थिक विकास

वैश्विक अनिश्चितताएं और देशी चक्रीय तथा अवसंरचनात्मक घटकों ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि को वर्ष 2010-11 के दौरान 8.4% की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2011-12 में कम करके 7% कर दिया है। वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि में 2.5%, उद्योग में 3.6% और सेवा में 8.8% की वृद्धि का अनुमान है। सभी तीन क्षेत्र वृद्धि के समेकन हेतु योगदान दे रहे हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था ने बाहरी और देशी दोनों स्तरों पर मंदी का बखूबी सामना किया है।

निवेश में तीव्र कमी, निजी खपत में मंदी और निवल बाहरी माँग से मंदी की गति बढ़ गई है। बचत और निवेश दरों में कमी दीर्घावधि वृद्धि कार्यनिष्पादन हेतु चिंता का कारण बने हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की अधिकांश अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं थे, जिसमें नवंबर 2011

माह के दौरान हल्का सुधार हुआ है। तथापि एमओएसपीआई के अद्यतन निर्गम के अनुसार पिछली तिमाही के दौरान आईआईपी वृद्धि (वर्षानुवर्ष) में, बाजार के अनुमान से कहीं अधिक कमी आई है।

वृद्धि की मंदगति कम होने से सामान्य कीमतों पर दबाव कम हुआ है। 2011-12 की चौथी तिमाही के दौरान मूल मुद्रास्फीति में गणनीय कमी से इसका साफ प्रकटन होता है। अंतरण प्रभाव कम होने पर तीव्र कमी के बाद पुनः प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति का प्रत्यावर्तन हुआ है। भविष्य में ऊर्जा कीमतें महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति स्रोत बनेंगी चूंकि तेल, कोयला और विद्युत कीमतों में कमी का ऊर्ध्वगामी समंजन किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजदूरी कीमतों का दबाव अभी कम होना है। उपभोक्ता कीमतों में मुद्रास्फीति भी अधिक बनी हुई है। 2012-13 की तीसरी तिमाही में स्फीति अनुमान में कमी आई लेकिन अधिक बनी रही। मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण नेपथ्य में मौद्रिक नीति से नियंत्रित रखने और नीति के संतुलन को अंतरित करते हुए वृद्धि गति की मंदी पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है।

1.1 आर्थिक तथा चल-निधि स्थिति

यद्यपि मुद्रा-स्फीति अधिक बनी हुई है, घटती हुई मुद्रा-स्फीति तथा वृद्धि दरों ने भारतीय रिजर्व बैंक को नीति दरें अपरिवर्तित रखते हुए, दिसंबर 2011 से निष्पक्ष आर्थिक नीति की ओर प्रोत्साहित किया।

मुख्यतः विदेशी मुद्रा परिचालनों तथा सरकार के बढ़ते नकदी-शेष, संरचनात्मक तथा संघर्षपूर्ण दोनों कारणों से चल-निधि घाटे में नवंबर, 2011 से वृद्धि हुई है। सरकार के बढ़ते खर्च के कारण चल-निधि घाटा अप्रैल, 2012 में कुछ कम रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 125 बेसिस पाइंट कमी द्वारा संरचनात्मक चल-निधि घाटे से निपटने हेतु 2 ट्रिलियन रुपए से अधिक की प्राइमरी स्थायी चल-निधि प्रदान की है।

वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में सीआरआर कटौती दर्शाते हुए प्रारक्षित राशि वृद्धि में कमी आई। फिर भी, समायोजित प्रारक्षित राशि में हाल ही में वृद्धि हुई है। स्थूल मुद्रा-वृद्धि, जमा वृद्धि में कमी दर्शाते हुए, मार्च, 2012 की समाप्ति पर सूचनात्मक ट्रेजेक्टरी से नीचे रही।

1.2 भुगतान संतुलन तथा बाहरी क्षेत्र

भुगतान संतुलन पर वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में काफी दबाव रहा। निवल पूंजी आगमन चालू खाता घाटे से कम रहा, जिसके कारण प्रारक्षितियों में काफी गिरावट आई। व्यापक चालू खाता घाटा, बढ़ता हुआ बाहरी ऋण, कमजोर होती निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) तथा घटते दोषपूर्ण सूचकों ने माँग प्रबंधन नीतियों तथा बाहरी क्षेत्र में अधिक विवेक की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत का व्यापार-घाटा 184.9 बिलियन अमरीकी डालर पर अत्यंत अधिक स्तर पर पहुँच गया अर्थात् मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु जीडीपी का 9.9% रहा (गत वर्ष के 118.7 बिलियन अमरीकी डॉलर घाटे अथवा जीडीपी के 7.1 की तुलना में) जो अधिक आयात सहित (32.1% वृद्धि सहित 488.6 बिलियन अमरीकी डॉलर) धीमी निर्यात वृद्धि (21% वृद्धि सहित 303.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) के कारण है।

निर्यात वृद्धि, लगातार व्यापार विविधता के बावजूद कम हो सकती है चूंकि उभरती एवं विकासशील अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि कम होती है। आयात बिल



3. CAPITAL & NET WORTH

(₹ in Crore)

Parameter	31.03.2011	31.03.2012
Equity Capital	560	560
Reserves Surplus	5932	6920
Net Worth of the Bank	6492	7480

4. CAPITAL ADEQUACY

The total Capital Funds of the Bank stand at ₹ 11,156.34 Crore, up 13.1% from ₹ 9,861.04 Crore as at the end of the previous year. With this, the Capital Adequacy Ratio stands at 13.18% which has been above 12% for the fourth year in a row when compared to the RBI prescribed norm of 9%. Coupled with this, a high Tier I Capital ratio of 9.02% provides the Bank sufficient headroom for future business expansion. As per RBI guidelines, Bank has already moved over to Basel II Capital Adequacy Norms with effect from 31.03.2009 and computed CRAR for Credit risk, Operational risk and Market risks. Bank has also put in place an "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) for assessing the adequacy of Capital levels keeping in view the expected increase in business levels and the additional Capital requirement. The ICAAP is subjected to validation by Internal Auditors. The assessment process also includes a framework for inclusion of Pillar-II risks under Basel-II guidelines, such as Credit concentration risk, interest rate risk in the banking book, liquidity risk, etc.

Table 4: CRAR Position

	31 March 2011	31 March 2012
Tier-1 Capital	9.68%	9.02%
Tier-II Capital	4.70%	4.16%
Total	14.38%	13.18%

5. DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank recommended a Dividend of 55% for the financial year 2011-12.

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

1. MACRO ECONOMIC DEVELOPMENTS

Global uncertainties and domestic cyclical and structural factors lowered the growth of Indian economy to below seven per cent in 2011-12 as compared to the growth rate of 8.4 per cent for 2010-11. As per Advance Estimates of Central Statistics Office for 2011-12, Agriculture is estimated to grow by 2.5%, industry by 3.6% and services by 8.8%. All three sectors are contributing to the consolidation of growth. More importantly, the economy has shown remarkable resilience to both external and domestic shocks.

The growth slowdown has been driven by a sharp fall in investment, some moderation in private consumption and a fall in net external demand. Decline in saving and investment rates constitute a concern for long-term growth performance.

The Index of Industrial Production (IIP) figures were not very encouraging through most of the Financial Year 2011-12,

only with a slight recovery in the month of November'11. However, the latest release by MOSPI shows that IIP growth (Y-o-Y) has slipped down during the last quarter, much below the market expectations.

Generalised price pressures softened as growth deceleration eased demand. This is also evident in a significant decline in core inflation during Q4 of 2011-12. Primary food inflation reversed after a sharp decline as transitory effects waned. Energy prices are likely to remain a significant source of inflation ahead, as suppressed domestic prices of oil, coal and electricity prices are adjusted upwards. Wage price pressures in both rural and urban areas are yet to soften. Consumer price inflation also remains high. Inflation expectations moderated in Q4 of 2012-13 but remain high. With significant upside risks to inflation, monetary policy needs to keep them anchored, while shifting the balance of policy to arrest the deceleration in growth momentum.

1.1 Monetary and Liquidity Conditions

Though inflation remains high, declining inflation and growth rates motivated the Reserve Bank to shift to a neutral monetary policy stance since December 2011, leaving policy rates unchanged.

The liquidity deficit has turned large since November 2011 due to both structural and frictional factors, mainly forex operations and a build up of Government's cash balances, respectively. Liquidity deficit eased in April 2012 due to large government spending.

The Reserve Bank injected durable primary liquidity of over Rs.2 trillion through open market operations (OMOs) purchase and a 125 basis point reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) to address the structural liquidity deficit.

Reserve money growth decelerated in Q4 of 2011-12, reflecting the CRR cuts. However, the pace of adjusted reserve money creation has recently picked up. Broad money growth fell below the indicative trajectory of the Reserve Bank for end-March 2012, reflecting a deceleration in deposit growth.

1.2 BoP and External Sector

The Balance of Payments (BoP) came under significant stress in Q3 of 2011-12. Net capital inflows fell short of the current account deficit (CAD), resulting in a substantial drawdown of Reserves. A wider current account deficit, rising external debt, weakening net international investment position (NIIP) and deteriorating vulnerability indicators underscored the need for greater prudence in external sector and demand management policies.

India's trade deficit hit a record high of USD 184.9 bn, i.e., 9.9% of GDP for the fiscal year that ended in March 2012 (as against previous year's deficit of USD 118.7 bn or 7.1% of GDP) owing to subdued export growth (21% growth to USD 303.7 bn) coupled with high imports (32.1% growth to USD 488.6 bn).

Export growth may weaken despite continued trade diversification as growth in emerging and developing

अधिक रहेंगे चूंकि कीमती धातुओं यथा सोना तथा चांदी की माँग कम हुई है और उच्चतर विश्व-तेल कीमतें मूल्य प्रभाव अंतरण अपर्याप्त है।

हालांकि वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में पूंजी आगमन में सुधार हुआ है, वैश्विक अनिश्चितताओं तथा तेल की कीमतों के लगातार अधिक बने रहने से बाहरी दृष्टिकोण में निहित जोखिम बढ़ते हैं। ऋण-सृजन पूंजी आगमन पर निर्भरता को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु सुधारों में वृद्धि, द्वारा पुनः ईक्विटी प्रवाह को प्रोत्साहन द्वारा कम करने की आवश्यकता है।

1.3 शेयर बाजार

देशी प्रगति में कमी तथा हाल ही में तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में विश्व बाजारों में पुनरुत्थान तथा विदेशी संस्थागत निवेशों के आगमन में वृद्धि और देशी मुद्रा-स्फीति में कमी के कारण उच्च रहा। कंपनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान हेतु बहिर्गमन सहित मौजूदा संरचनात्मक चल-निधि घाटे से, मुद्रा बाजार उन्नत रहा। सुधरी हुई वित्तीय स्थिति तथा अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय प्रगति से, भारतीय वित्त बाजार का वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में पुनरुत्थान हुआ जोकि मुख्यतः चल-निधि के कारण था तथा इससे अपेक्षाएं बढ़ीं। इसे बनाए रखने हेतु समष्टि अर्थशास्त्र के आधारभूत तत्वों में सुधार अपेक्षित है। वैश्विक चल-निधि तथा आकर्षक मूल्यांकन ने वर्ष 2012 के प्रारंभ से भारतीय शेयर बाजार में 15-17% वृद्धि हुई। बीएसई सेन्सेक्स 2011-12 के दौरान 12.5% गिरा तथा एनएसई निफ्टी 11.2% गिरा।

1.4 ऋण बाजार

चल-निधि की तंग स्थिति ने मुद्रा बाजार दरों में उछाल देखा। बाजार उधार कार्यक्रम के उत्तर में पश्च-बजट जी-सेक प्रतिफल में भी सुधार हुआ। यूरोपियन वाणिज्यिक बैंक द्वारा काफी चल-निधि के पश्चात वर्ष 2012 की प्रथम तिमाही के दौरान विश्व वित्त बाजार में दबाव में महत्वपूर्ण कमी आई। विश्व बाजार में, वस्तुओं के मुद्रीकरण तथा यूरो-क्षेत्र से विघटन का जोखिम है, विशेष रूप से विश्व बाजार में। सरकारी बांड पर प्रतिफल में चौथी तिमाही के अधिकांश भाग में गिरावट आई, यद्यपि वर्ष 2012-13 में उच्च-उधार की बजट - घोषणा से इसमें परिवर्तन आया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए नीति संबंधी कदमों से मुद्रा बाजार में अस्थिरता में कमी आई है। अगले वित्त वर्ष हेतु सरकार ने यूनियन बजट में 5.69 ट्रिलियन सकल उधार की घोषणा की है, जोकि जीडीपी का 5.10% है।

1.5 विदेशी मुद्रा बाजार

अमरीका के सकारात्मक डाटा तथा यूरो क्षेत्र में नीति-हस्तक्षेप से विश्व बाजार में सुधार आया है। अमरीका में हाल ही में प्रगति की आधारभूत सुदृढ़ता तथा यूरो क्षेत्र में नीति-उपायों से उन्नत अर्थ-व्यवस्था (ईई) में दोहरी मंदी की आशंका को बल मिला है। इससे अर्थ-व्यवस्था तथा अव्यवस्थित विश्व वित्त बाजार को स्थिर होने में मदद मिली है। फिर भी, यूरो क्षेत्र में हल्की मंदी के आसार, चीन तथा भारत सहित उभरती तथा विकासशील अर्थ-व्यवस्था (ईडीई) में प्रगति की कमी तथा बढ़ते कच्चे तेल के मूल्यों से मुद्रा-स्फीति एवं वैश्विक स्थिति में उत्थान के पथ पर जोखिम सामने आए हैं। वैश्विक विस्तारित सरल आर्थिक नीति व्यवस्थाओं से उच्च चल-निधि ने ईडीई को पूंजी प्रवाह से संबद्ध जोखिम हैं। फिर भी, विश्व

अर्थ-व्यवस्था के पुनः मंदी की ओर जाने के आसार नहीं हैं। उक्त कारण तथा अमरीकी प्रगति में अपेक्षा से अधिक वसूली ने अस्थायी विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाह अधिक प्रतिफल हेतु उभरती विकासशील अर्थ-व्यवस्था का स्रोत हो सकता था। रुपए में 31.03.2011 तक 44.65 से 31.03.2012 तक 51.16 प्रति अमरीकी डॉलर कमी आई है। डॉलर की बढ़ती माँग तथा भौगोलिक-राजनैतिक कारणों से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें इसका कारण रहीं।

1.6 भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा घोषित उपाय

निजी निवेश में सार्वजनिक निवेश की वृद्धि हेतु, राजकोषीय समेकन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। वृद्धि में 2012-13 में कुछ सुधार होगा। यद्यपि मुद्रा-स्फीति में कुछ सुधार हुआ है, मुद्रा-स्फीति को जोखिम अभी भी है। तदनुसार, मुद्रा-स्फीति तथा बाहरी असंतुलन के बिना माँग में वृद्धि द्वारा आर्थिक नीति को वृद्धि के समर्थन की आवश्यकता है। मुद्रा-स्फीति वर्ष के दौरान लगभग वर्तमान स्तर पर चिंताजनक बने रहने की आशंका है तथा मुद्रा-स्फीति में आगे महत्वपूर्ण कमी की कम संभावना है। औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुत्थान आपूर्ति अवरोध कम करने की गति, विशेष रूप से ऊर्जा एवं खनिज में कमी पर निर्भर है। विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान हेतु सरकारी पहल वृद्धि गति में सहायक होगी।

नए बजट में वृद्धित पूंजी परिव्यय तथा सड़क परियोजनाओं हेतु संविदा की तीव्र गति से वर्ष 2012-13 के बाद के भाग में निवेश में कुछ सुधार होने की संभावना दिखती है। आर्थिक सहायता को जीडीपी के 2% तक सीमित करने की प्रतिबद्धता एक सकारात्मक कदम है। निर्देशित पेट्रोलियम उत्पादों के लचीले मूल्य-निर्धारण को चरणबद्ध करने में विलंब होने से नेपथ्य जोखिम उत्पन्न होता है। तब कम-वसूली वर्ष 2011-12 से बढ़ जाएगी जिससे काफी राजकोषीय गिरावट आएगी। यह वर्ष 2012-13 के दौरान कुल माँग प्रबंधन हेतु चुनौती उत्पन्न करेगी।

प्रगति की मंद गति से माँग में कमी आने से आम कीमतों पर दबाव कम हुआ है। यह वर्ष 2011-12 की चतुर्थ तिमाही के दौरान मूल मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी से भी स्पष्ट है। माँग में कमी से कंपनियों के मूल्य-निर्धारण अधिकार कम हुए हैं। फिर भी, वर्ष 2012-13 में तेल की ऊँची कीमतों, अवरुद्ध भारी मुद्रा-स्फीति, विनिमय-दर प्रभाव अंतरण, भाड़े तथा कर-वृद्धि के प्रभाव, मजदूरी-दबाव तथा आपूर्ति हेतु संरचनात्मक बाधाओं के कारण मुद्रा-स्फीति वर्तमान स्तर पर बनी रहेगी। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में मुद्रा स्फीति अपेक्षाओं में कमी आई किंतु मुद्रा स्फीति अधिक बनी रही। मुद्रास्फीति के नेपथ्य में मौद्रिक नीति द्वारा महत्वपूर्ण जोखिमों पर अंकुश लगाना है, और नीतिगत तालमेल में अंतरण करते हुए वृद्धि गति में मंदी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

1.7 वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कुछ प्रमुख नीतिगत उपायः

- रेपो-दर में 6.75% से 8%- 125 बीपीएस की वृद्धि।
- रिवर्स रेपे दर में 5.75% से 7% - 125 बीपीएस की वृद्धि।
- मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर, जो रेपो-दर से ऊपर 100 बेसिस पाइंट के अंतर पर निर्धारित है, 9.00% पर अंशशोधित है। यह दर एमएसएफ के परिचालन पर प्रभावी होगी।



economies slows down. The imports bill will remain high due to inadequate passthrough of higher global oil prices and demand for precious metals, viz., gold and silver is curbed. While capital inflows have improved in Q4 of 2011-12, global uncertainties and persistently high oil prices aggravate downside risks to the external outlook. Dependence on debt-creating capital inflows needs to be reduced by encouraging renewed equity flows through accelerated reforms to attract FDI.

1.3 Equity Market

Despite the slowdown in domestic growth and the recent oil price increase, Indian equity markets stayed upbeat in Q4 of 2011-12, conditioned by the revival in global markets, the surge in FII inflows and the decline in domestic inflation. Reflecting the prevailing structural liquidity deficit coupled with outflows for advance tax payment by companies, money market rates remained elevated. Taking cues from favourable international developments and improved financial conditions, Indian Financial Markets revived in Q4 of 2011-12. The revival, however, has been primarily liquidity-driven and expectations led. For recovery to be sustained, macroeconomic fundamentals need to improve. Global liquidity and attractive valuations have driven a 15-17% rally in the Indian stock market from the start of 2012. BSE Sensex lost 12.5% and NSE Nifty lost 11.2% during 2011-12.

1.4 Debt Market

Tight liquidity conditions saw money market rates firm up. G-sec yields also firmed up post-budget in response to the large market borrowing programme. Stress in global financial markets eased significantly during Q1 of 2012 after the European Commercial Bank made a large liquidity injection. Going forward, there are risks of disruptive movements from euro area and monetisation of commodities, especially oil, in the global markets. The yields on government bonds fell for most part of the 4th quarter, although the trend reversed following the budget announcements of higher borrowing in 2012-13. Policy measures taken by the Reserve Bank have reduced volatility in the currency markets. For the next financial year, Govt. has announced gross borrowing of ₹ 5.69 trillion in the union budget, which is 5.10% of the GDP.

1.5 Foreign Exchange Market

Global market sentiments have improved following policy interventions in the euro area and positive data from the US. The recent firming up of growth fundamentals in the US coupled with policy measures in the euro area have helped abate fears of a double dip recession in the advanced economies (AEs). This has helped stabilise the troubled global financial markets and economy. Nevertheless, signs of a mild recession in the euro area, slowdown of growth in emerging and developing economies (EDEs) including China and India and surging crude oil prices bring to the fore risks to recovery in global growth and inflation. High liquidity from the extended easy monetary policy regimes

globally has associated risks for capital flows to the EDEs. Nevertheless, the global economy is unlikely to lapse into another recession. The above factors coupled with better than expected recovery in the US growth have temporarily helped reduce the stress in global financial markets and could have channelled FII flows into Emerging Developing Economies in search of higher yields. Rupee depreciated from 44.65 as on 31.03.2011 to 51.16 as on 31.03.2012 per US \$, owing to higher crude oil prices due to geo-political factors and increased dollar demand.

1.6 Measures announced by RBI and Government of India

Fiscal policy has a key role to play in speeding up public investment to crowd in private investment while ensuring fiscal consolidation. Growth is likely to improve moderately in 2012-13. While inflation has moderated, risks to inflation are still on the upside. Accordingly, monetary policy needs to support growth without inflation and external imbalances by excessively fuelling demand. Inflation is likely to remain sticky at about current level during the year with the probability of further significant moderation being small. Revival in the industrial sector hinges on the impetus to ease supply-side constraints, especially in the energy and mineral deficits. Government initiatives to revive the power sector would be helpful in reviving the growth momentum.

Increased capital outlays in the latest budget and brisk pace of tendering of road projects suggest some improvement in investment in latter part of 2012-13. Commitment to cap subsidies to 2 per cent of GDP is a positive step. Upside risks stem if phasing-in of flexible pricing of administered petroleum products is delayed. Under-recoveries would then exceed those in 2011-12 causing a large fiscal slippage. This poses challenges for aggregate demand management during 2012-13.

Generalised price pressures softened as growth deceleration eased demand. This is also evident in a significant decline in core inflation during Q4 of 2011-12. The pricing power of companies has waned with moderation in demand. However, the path of inflation in 2012-13 could remain sticky around current levels due to high oil prices, large suppressed inflation, exchange rate pass-through, impact of freight and tax hikes, wage pressure and structural impediments to supply response. Inflation expectations moderated in Q4 of 2012-13 but remain high. With significant upside risks to inflation, monetary policy needs to keep them anchored, while shifting the balance of policy to arrest the deceleration in growth momentum.

1.7 Some of the major Policy Measures announced by RBI during 2011-12 were:

- Repo rate increased by 125 bps from 6.75% to 8.00%.
- Reverse Repo rate increased by 125 bps from 5.75% to 7.00%.
- The Marginal Standing Facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 basis points above the repo rate, stands calibrated at 9.00 per cent. This rate will come into effect on operationalisation of the MSF.

- सीआरआर में 6.00% से 4.75% कमी।
- एसएलआर 24% है।
- अक्टूबर 25, 2011 से बचत बैंक जमा ब्याज दर का विनियमन तथा बैंकों को 1,00,000/- से अधिक की बचत बैंक शेष पर ब्याज दर के निर्णय की स्वतंत्रता दी गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक-दर, को मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर से पुनः संरेखित करते हुए, फरवरी 13, 2012 से बढ़ाकर 9.5% कर दी जिसने इसे चल-निधि समायोजन सुविधा (एलएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो-दर से जोड़ दिया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक नीति की द्वितीय तिमाही समीक्षा में घोषणा की कि घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (आर.आर.बी. के अलावा) प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना, टीयर-II केंद्रों में (2001 जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 जनसंख्या सहित) शाखाएं खोलने की सूचना की शर्त पर अनुमति है।
- एफसीएनआर (बी) खातों में रखी जमा पर ब्याज दरों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 23 नवंबर, 2011 से निम्न अनुसार परिशोधन किया गया :-
- 23 नवंबर, 2011 तक भारत में व्यवसाय-समाप्ति से लागू एफसीएनआर (बी) की सभी परिपक्वताओं पर, संबंधित मुद्रा/तदनुरूपी परिपक्वताओं पर (नवंबर 15, 2008 को समाप्त व्यवसाय से लागू बेसिस पाइंट जमा 100 बेसिस पाइंट की तुलना में) लिबार/स्वैप दरों जमा 125 बेसिस पाइंट की सीमा-दर के अंदर ब्याज दिया जाएगा। अस्थिर दर जमा पर 125 बेसिस पाइंट जमा संबंधित मुद्रा/परिपक्वता हेतु स्वैप दरों की सीमा के अंदर ब्याज दिया जाएगा। अस्थिर दर जमा पर, ब्याज पुनः निर्धारण अवधि 6 माह होगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 16.12.2011 से साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों तथा अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा पर ब्याज दरों का विनियमन किया। तदनुसार, बैंकों को एनआरई मीयादी जमा खातों पर ब्याज दरों का निर्धारण इस प्रकार करने की स्वतंत्रता दी गई कि इन खातों पर ब्याज दरें तुलनात्मक घरेलू रुपया जमा पर ब्याज दरों से अधिक न हो।

1.8 बैंकों से संबंधित केंद्रीय बजट 2011-12 में घोषित कदम

- वर्ष 2011-12 में कृषि में 2.5% वृद्धि, उद्योग में 3.9% तथा सेवाओं में 9.4% वृद्धि का अनुमान है। तीनों क्षेत्र प्रगति के समेकन में योगदान दे रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अर्थ-व्यवस्था ने बाहरी एवं घरेलू दोनों स्तरों पर मंदी का बखूबी सामना किया है।
- मौद्रिक नियंत्रण के कारण अगली राजकोषीय मुद्रास्फीति में कमी आने का अनुमान है और 2012-13 में जीडीपी वृद्धि $\pm 0.25\%$ के बाहरी बैंड सहित 7.6% होने का अनुमान है।
- वर्ष 2012-13 हेतु संशोधित आकलन में, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% होने का अनुमान है और वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय

घाटा जीडीपी का 5.1% होने का अनुमान है।

- राजकोषीय घाटे के विभिन्न अन्य वित्त संबंधी मदों को गणना में लेते हुए, वर्ष 2012-13 में दिनांकित प्रतिभूतियों से सरकार का निवल बाजार उधार ₹ 4.79 लाख होगा।
- प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, व्यक्ति करदाताओं के लिए छूट सीमा को ₹ 20,000 बढ़ाकर ₹ 1.80 लाख से ₹ 2.00 लाख किया गया है। बचत बैंक खाते पर ब्याज में ₹ 10,000/- छूट दी जानी है।
- एमएटी को 18% से बढ़ाकर 18.5% किया गया। तथापि, देशी कंपनियों पर अधिभार को 7.5% से घटाकर 5% किया गया है।
- प्रत्यक्ष कर कूट (डीटीसी) बिल को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की शीघ्र जांच के बाद यथाशीघ्र पारित किया जाना है।
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सीमा-शुल्क कम किया गया है। अवसंरचना उद्योग, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के संबंध में बजट सकारात्मक है। सेवा कर, अलग-अलग सेवाओं के लिए दरों में तदनुरूपी परिवर्तन करते हुए, बढ़ा कर 12% किया गया है।
- बजट के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही चूंकि सेन्सेक्स में 210 पाइंट और निफ्टी में 63 पाइंटों की गिरावट के बाद बंद हुए।
- समग्र रूप से, बैंकिंग उद्योग हेतु बजट निष्प्रभावी है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी संस्था को सुदृढ़ बनाने और रिहायशी आवास की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

1.9 बैंकिंग उद्योग में प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल जमाराशियों में वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से कम रही है। जहाँ 2011-12 के दौरान कुल जमाराशियों की वर्षानुवर्ष वृद्धि 13.4% रही, वहीं 2010-11 के दौरान यह 15.9% थी। बैंकों के अग्रिमों की प्रवृत्ति में भी 2011-12 के दौरान कमी दिखी। एससीबी द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण पिछले वर्ष के 21.5% की तुलना में 23 मार्च 2012 को 17.0% रहा। दूसरी ओर, ऋण-जमा अनुपात 25.03.2011 को 75.68% से बढ़कर 23.03.2012 को 78.11% हो गया।

कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान मीयादी जमाओं में अच्छी वृद्धि हुई जिसमें मौद्रिक राशियों के अन्य घटकों का कुल जोड़ और छोटी बचत से प्रतिस्थापन प्रतिबिंबित हुआ है चूंकि बैंकों द्वारा जमा दरों में वृद्धि से ब्याज धारी जमाओं के धारण को प्रोत्साहन मिला। तथापि 2011-12 की चौथी तिमाही के दौरान मीयादी जमाराशियों की वृद्धि में मंदी आई, जो आधार प्रभार के अधिपत्य और मुश्किल चल-निधि स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। परिणामस्वरूप, बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान गैर जमा स्रोत, यथा ऋण लिखतों और एलएएफ द्वारा उधार का आसरा लिया है।

2011-12 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान ऋण और जमा वृद्धि दरों में अंतर कम हुआ है। तथापि, 2011-12 की चौथी तिमाही के दौरान जमा वृद्धि में तीव्र मंदगति और मार्च 2012 के दौरान ऋण में वृद्धि से अंतर में वृद्धि हुई है। चूंकि जमा में वृद्धि कम हुई है, वाणिज्यिक बैंकों की गैर-जमा वित्त स्रोतों (यथा उधार) पर निर्भरता बढ़ी है।



- CRR decreased from 6.00% to 4.75%.
- SLR remains at 24%
- Deregulation of Savings Bank Deposits Interest Rate with effect from October 25, 2011 and Banks are given freedom to decide the interest rate on the Savings Bank Balances exceeding ₹ 1,00,000/.
- The Reserve Bank of India increased the Bank Rate to 9.5% with effect from February 13, 2012 by realigning it with the Marginal Standing Facility (MSF) rate, which in turn is linked to the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF).
- RBI in the second quarter review of monetary policy announced that the domestic scheduled commercial banks (other than RRBs) are permitted to open branches in Tier 2 centres (with population 50,000 to 99,999 as per Census 2001) without prior permission taken from the Reserve Bank in each case, subject to reporting.
- Interest Rates on Deposits held in FCNR(B) Accounts, revised by RBI with effect from November 23, 2011, as under:
- FCNR (B) deposits of all maturities contracted effective from the close of business in India as on November 23, 2011, interest shall be paid within the ceiling rate of LIBOR/SWAP rates plus 125 basis points for the respective currency/corresponding maturities (as against LIBOR/SWAP rates plus 100 basis points effective from close of business on November 15, 2008). On floating rate deposits, interest shall be paid within the ceiling of SWAP rates for the respective currency/maturity plus 125 basis points. For floating rate deposits, the interest reset period shall be six months.
- RBI deregulated interest rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits with effect from 16.12.2011. Accordingly, Banks are given freedom to determine the interest rates on NRE Term Deposit Accounts such that the interest rates offered on these accounts are not higher than the interest rates offered on comparable domestic rupee deposits.

1.8 Measures announced in the Union Budget, 2011-12 pertaining to Banks

- In 2011-12 agriculture is estimated to have grown at 2.5%, industry at 3.9% and services at 9.4%. All three sectors are contributing to the consolidation of growth. More importantly, the economy has shown remarkable resilience to both external and domestic shocks.
- Monetary tightening is expected to moderate inflation in the next fiscal and GDP growth is expected to be 7.6 percent with an outside band of +/- 0.25 percent in 2012-13.
- In the Revised Estimates for 2012-13, the effective revenue deficit is estimated at 1.8 per cent of the GDP and the fiscal deficit for 2012-13 is estimated 5.1 per

cent of the GDP.

- Taking into account the various other financing items for fiscal deficit, the net market borrowing of the Government in 2012-13 would be ₹ 4.79 lakh Crore through dated securities.
- Under direct tax, the exemption limit for individual tax payers enhanced by ₹ 20,000 from ₹ 1.80 lakh to ₹ 2.00 lakh. Interest on savings bank account to be exempted up to ₹ 10,000/-
- MAT is increased from 18% to 18.5%. However, the current surcharge on domestic companies is reduced from 7.5% to 5%.
- Direct Taxes Code (DTC) Bill to be enacted at the earliest after expeditious examination of the report of the Parliamentary Standing Committee.
- Customs duty is reduced on agriculture and related sectors. The budget is positive on infrastructure industry, environment friendly vehicles. The service tax has been increased to 12%, with corresponding changes in rates for individual services.
- The budget was received negatively by the market as the Sensex closed after losing 210 points and NIFTY 63 points.
- Overall, the budget is neutral for the banking industry. There is emphasis on rural development and strengthening of the rural credit delivery institution and impetus on residential housing.

1.9 Trends in Banking Industry

Growth in Aggregate Deposits in 2011-12 has been lower than the corresponding period of the previous year. While the year-on-year growth in Aggregate Deposits was 13.4 per cent during 2011-12, it was 15.9 per cent during 2010-11. Advances of Banks have also shown a decreasing trend during 2011-12. Growth in Bank Credit extended by ASCBs stood at 17.0 per cent as on 23rd March 2012 as compared to 21.5 per cent in the previous year. On the other hand, Credit-Deposit Ratio has increased from 75.68% as on 25.03.2011 to 78.11% as on 23.03.2012.

Term deposits recorded robust growth during calendar year 2011 mainly reflecting substitution from the other components of monetary aggregates and small savings as the increase in deposit rates by Banks incentivised the holdings of interest-bearing deposits. During Q4 of 2011-12, however, term deposit growth decelerated, mainly reflecting the dominance of the base effect and tight liquidity conditions. Consequently, Banks increased their recourse to non-deposit sources, such as borrowings by way of debt instruments and LAF during 2011-12 compared with the previous year.

The divergence between credit and the deposit growth rates had narrowed during the first three quarters of 2011-12. The sharper deceleration in deposit growth during Q4 of 2011-12 and turnaround in credit growth during March 2012, however, caused the divergence to increase. As deposit growth moderated, commercial banks' recourse to non-

2011-12 की चौथी तिमाही के दौरान एससीबी की जमा दरों में 2011-12 की प्रथम छमाही में प्राप्त उच्च स्तर से अधिकांशतः कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऋण दरों में सीमांत वृद्धि हुई है और इनमें नीति दर चक्र के उच्च स्तर के अनुरूप 2011-12 के द्वितीय छमाही में स्थिरता आई है। कठिन चल-निधि स्थिति, परवर्ती नीतिगत दर बढ़ोत्तर और बैंकों के लिए निधियों की उच्च लागत, के बावजूद 2011-12 के द्वितीय अर्धवर्ष के दौरान गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में मंद गति के कारण आधार दर स्टिकी बनी रही।

2. बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

2.1 व्यापार

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आंध्र बैंक का व्यवसाय 31.03.2011 को ₹ 1,64,310 करोड़ से बढ़ कर 16.0% की वार्षिक वृद्धि दर से 31.03.2012 को ₹ 1,90,535, करोड़ हुआ।

2.2 जमाराशियाँ

बैंक की कुल जमाराशियाँ ₹ 13,694.94 करोड़ की पूर्ण अभिवृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष 14.9% की वृद्धि दर से बढ़ कर 31.03.2012 को 1,05,851.22 करोड़ हुई। कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों (चालू एवं बचत) का अंश 26.4% रहा।

- चालू जमाएं 31.03.2011 को ₹ 7,160.10 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को ₹ 6,369 करोड़ रहीं।
- बचत बैंक जमाएं 31.03.2011 को ₹ 19,619 करोड़ से 10.0% की दर से बढ़ कर 31.03.2012 को ₹ 21,578 करोड़ हुई।
- मीयादी जमाएं 31.03.2011 को ₹ 65,377 करोड़ से 19.2% की दर से बढ़कर 31.03.2012 को ₹ 77,904 करोड़ हुई।

2.3 अग्रिम

सकल बैंक ऋण 31.03.2011 को ₹ 72,154 करोड़ से 17.4% से बढ़ कर 31.03.2012 को ₹ 84,684 करोड़ हुआ।

कृषि क्षेत्र को ऋण 31.03.2011 को ₹ 10,369 करोड़ से 20.2% से बढ़कर 31.03.2012 को ₹ 12,459 करोड़ हुआ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण 31.03.2011 को ₹ 11,105 करोड़ से 18.3% से बढ़कर 31.03.2012 को ₹ 13,132 करोड़ हुआ।

2.4 लाभप्रदता

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ₹ 2413 करोड़ की तुलना में 16.7% वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 2815 करोड़ हुआ है।

निवल लाभ वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1,267 करोड़ से 6.1% की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1345 करोड़ हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु ₹ 3221 करोड़ की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 3759 करोड़ हुआ है।

2.5 आस्ति गुणवत्ता

31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सकल एनपीए ₹ 1798 करोड़

रहे और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए 2.12% रहे।

31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवल एनपीए ₹ 755.85 करोड़ रहे और निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में 0.91% रहे।

2.6 पूंजी पर्याप्तता

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर बेसल II) 31.03.2011 को 14.38% की तुलना में 31.03.2012 को 13.18% रहा।

3. व्यापार समीक्षा

बैंक का कुल व्यापार 16.0% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 31.03.2011 को ₹ 1,64,310 करोड़ से 31.03.2012 को ₹ 1,90,535 करोड़ हुआ है।

3.1 कुल जमाराशियाँ

कुल जमाराशियाँ (अंतर-बैंक जमाराशियों के अलावा) 31.03.2011 को ₹ 91,962 करोड़ से बढ़कर, 15.0% वृद्धि दर दर्ज करते हुए, 31.03.2012 को 1,05,762 करोड़ हुई। कुल जमा में चालू जमाएं ₹ 6,327 करोड़, बचत जमाएं ₹ 21,578 करोड़ और मीयादी जमाएं ₹ 77,857 करोड़ हैं।

सारणी 5: कुल जमाराशियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जमाओं का प्रकार	राशि	कुल जमाओं का प्रतिशत
1	चालू जमाराशियाँ	6327.15	6.0%
2	बचत बैंक जमाराशियाँ	21578.29	20.4%
3	मीयादी जमाराशियाँ	77856.54	73.6%
4	कुल (1+2+3)	1,05,761.98	100.00
	पिछले वर्ष पर वृद्धि दर (%)	15.0%	

दि. 31.03.2012 को कुल जमाराशियों (कुल जमाराशियों में से अंतर बैंक जमाराशियों को कम करते हुए) की क्षेत्रवार व्याप्ति निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी 6: कुल जमाराशियों की क्षेत्रवार व्याप्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शाखाओं की कोटि	राशि	कुल का %
1	ग्रामीण	6257(11.5%)	5.9%
2	अर्ध-शहरी	16524(18.7%)	15.6%
3	शहरी	27272(17.4%)	25.8%
4	मेट्रो	55709(13.2%)	52.7%
5	कुल (1+2+3+4)	105762(15.0%)	100.0%

नोट : () में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से वार्षिक वृद्धि दर सूचित करते हैं।

3.2 सकल बैंक ऋण

बैंक ने पिछले वर्ष पर 17.4% वृद्धि दर दर्ज की और वर्ष के दौरान ₹ 12,350 करोड़ जोड़ते हुए 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 72,154 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 84,684 करोड़ हुआ।



deposit sources of finance (viz., borrowings) increased. During Q4 of 2011-12, deposit rates of SCBs remained mostly unchanged from their peak levels attained in H1 of 2011-12. Lending rates marginally notched up and seem to have plateaued in H2 of 2011-12 in line with the peaking of the policy rate cycle. Despite tight liquidity conditions, successive policy rate hikes and high cost of funds for Banks, the base rate remained sticky on account of the slow down in non-food credit growth during H2 of 2011-12.

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK

2.1 Business

During the financial year 2011-12, Andhra Bank's Business increased to ₹ 1,90,535 Crore as on 31.3.2012 from ₹ 1,64,310 Crore as on 31.03.2011, recording an annual growth rate of 16.0%.

2.2 Deposits

Bank's total Deposits amounted to ₹ 1,05,851.22 Crore as on 31.03.2012, showing an absolute accretion of ₹ 13,694.94 Crore and a growth rate of 14.9% over previous year. The share of CASA deposits (current and savings) in total Deposits stood at 26.4%.

- Current Deposits stood at ₹ 6,369 Crore as on 31.3.2012 as compared to ₹ 7,160.10 Crore as on 31.3.2011.
- Savings Bank Deposits increased to ₹ 21,578 Crore as on 31.03.2012, up from ₹ 19,619 Crore as on 31.03.2011, growing at a rate of 10.0%.
- Term Deposits increased from ₹ 65,377 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 77,904 Crore as on 31.03.2012, registering a growth rate of 19.2%.

2.3 Advances

Gross Bank Credit increased by 17.4% from ₹ 72,154 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 84,684 Crore as on 31.3.2012.

Credit to Agriculture Sector registered a growth rate of 20.2% from ₹ 10,369 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 12,459 Crore as on 31.3.2012.

Credit to Micro, Small and Medium Enterprises registered a growth rate of 18.3% from ₹ 11,105 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 13,132 Crore as on 31.03.2012.

2.4 Profitability

Operating Profit for the Financial Year 2011-12 went up to ₹ 2,815 Crore as compared to ₹ 2,413 Crore for the Financial Year 2010-11, recording a growth rate of 16.7%.

Net Profit improved from ₹ 1,267 Crore during 2010-11 to ₹ 1,345 Crore during 2011-12, growing at a rate of 6.1%.

Net Interest Income for the Financial Year 2011-12 improved to ₹ 3,759 Crore as compared to ₹ 3,221 Crore for the Financial Year 2010-11, showing an increase of 16.7%.

2.5 Asset Quality

For the Financial Year ended 31.03.2012, Gross NPAs stood

at ₹ 1,798 Crore and Gross NPAs as per cent of Gross Advances stood at 2.12%.

Net NPAs stood at ₹ 755.85 Crore and as per cent of Net Advances stood at 0.91% for the Financial Year ended 31.03.2012.

2.6 Capital Adequacy

Capital Adequacy Ratio of the Bank (CRAR-Basel II) stood at 13.18% as on 31.03.2012 as compared to 14.38% as on 31.3.2011.

3. BUSINESS REVIEW

The Total Business (Total Deposits plus Gross Bank Credit) of the Bank registered a growth rate of 16.0%, up from ₹ 1,64,310 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 1,90,535 Crore as on 31.3.2012.

3.1 Aggregate Deposits

Aggregate Deposits (excluding inter-bank deposits) went up from ₹ 91,962 Crore as on 31.3.2011 to ₹ 1,05,762 Crore as on 31.3.2012, registering a growth rate of 15.0%. Aggregate Deposits comprised of Current Deposits of ₹ 6,327 Crore, Savings Deposits of ₹ 21,578 Crore and Term Deposits of ₹ 77,857 Crore.

Table 5: Category-wise classification of Aggregate Deposits

(₹ in Crore)

Sl. No.	Type of Deposits	Amount	Percentage of Aggregate Deposits
1	Current Deposits	6327.15	6.0%
2	Savings Bank Deposits	21578.29	20.4%
3	Term Deposits	77856.54	73.6%
4	TOTAL (1+2+3)	1,05,761.98	100.00
	Growth rate over previous year (%)	15.0%	

Area-wise distribution of Aggregate Deposits (Total Deposits less Inter-Bank Deposits) as on 31.03.2012 is set forth in the following Table.

Table 6: Area-wise classification of Aggregate Deposits

(₹ in Crore)

S. No.	Category of Branches	Amount	% to total
1	Rural	6257 (11.5%)	5.9%
2	Semi-Urban	16524 (18.7%)	15.6%
3	Urban	27272 (17.4%)	25.8%
4	Metro	55709 (13.2%)	52.7%
5	TOTAL (1+2+3+4)	105762 (15.0%)	100.0%

Note: Figures in () indicate annual growth rate over the previous year

3.2 Gross Bank Credit

For the Financial Year ended 31.03.2012, Bank registered a growth rate of 17.4% in Gross Bank Credit over the previous year adding ₹ 12,530 Crore during the year, to reach ₹ 84,684 Crore as compared to ₹ 72,154 Crore for the Financial Year ended 31.03.2011.

सारणी 7: अग्रिम पोर्टफोलियो का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2011	31.03.2012	अंतर
1. खाद्य ऋण	1222.28	1372.91	150.63
2. गैर खाद्य ऋण (2.1 से 2.4)			
2.1 कृषि क्षेत्र को अग्रिम (आरआईडीएफ को छोड़कर)	10369.15	12458.53	2089.38
2.2 एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम	11104.77	13132.44	2027.67
2.3 बृहत उद्योग	31309.91	38458.89	7148.98
2.4 अन्य अग्रिम	18148.34	19261.18	1112.84
सकल बैंक ऋण (1+2)	72154.45	84683.95	12529.50
जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र को उधार	23082.42	27026.96	3944.54

3.2.1 प्राथमिक क्षेत्र उधार

प्राथमिक क्षेत्र को बैंक का उधार पिछले वर्ष पर 17.1% वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2012 को ₹ 27,027 करोड़ हुआ। पिछले वर्ष प्राथमिक क्षेत्र में पूर्ण वृद्धि ₹ 3,945 करोड़ है। महिला हिताधिकारियों को प्रदत्त कुल ऋण पिछले वर्ष पर 16.36% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,113 करोड़ रहा।

सारणी 8: प्राथमिक क्षेत्र उधार (31.3.2012 को)

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2011 -12
1. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम (2 से 6)	27026.96
2. कृषि ऋण	12458.53
3. माइक्रो एवं लघु उद्यम	8848.53
4. शैक्षिक ऋण	1515.86
5. आवास ऋण (अप्रत्यक्ष वित्त को मिलाकर)	4204.04
मेमो मद	
I. प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम - एएनबीसी का (%)	37.29
II. कृषि अग्रिम (%)	17.19

3.2.1.1 कृषि को ऋण

बैंक के कुल कृषि अग्रिम पिछले वर्ष पर 20.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 12,459 करोड़ रहे। पिछले वर्ष पूर्ण वृद्धि ₹ 2,090 करोड़ रही।

3.2.1.2 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण

बैंक ने कुल 2,30,668 स्वयं सहायता समूहों को कवर किया है और बकाया वित्तीय सहायता ₹ 2,911 करोड़ है।

3.2.2 माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण

माइक्रो एवं लघु उद्यमों को बैंक के कुल अग्रिम पिछले वर्ष पर 24.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 8,849 करोड़ रहे। पिछले वर्ष पूर्ण वृद्धि ₹ 1,737 करोड़ रही।

3.2.3 कमजोर वर्ग को ऋण

कमजोर वर्गों को अग्रिम ₹ 7,821 करोड़ रहे। एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में कमजोर वर्ग अग्रिम 10.79% रहे।

3.2.4 अल्पसंख्यकों को ऋण

अल्पसंख्यकों को प्रदत्त ऋण ₹ 2,756 करोड़ रहे, जो प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों का 10.2% है।

3.2.5 अजा/अजजा उधारकर्ताओं को ऋण

प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत अजा/अजजा हिताधिकारियों को प्रदत्त कुल ऋण ₹ 1,147 करोड़ था।

3.3 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

एमएसएमई क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। बैंक काफी समय से इस क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में उच्च प्राथमिकता देता आ रहा है।

एमएसएमई अग्रिम जो 31.03.2011 को ₹ 11,105 करोड़ थे, 18.3% वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 31.03.2012 को ₹ 13,132 करोड़ हुए।

एमएसएमई क्षेत्र में महिला हिताधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ब्याज दर में 0.50% छूट दे रहा है। बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए प्रधान कार्यालय एवं सभी आंचलिक कार्यालयों में एमएसएमई केयर सेल भी स्थापित किये गये हैं।

बैंक एमएसएमई क्षेत्र को उधार के संबंध में भारतीय बैंकिंग कूट एवं मनक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की प्रतिबद्धता कूट का भी पालन कर रहा है।

माइक्रो और लघु उद्यमियों को ₹ 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए बैंक ने चेक लिस्ट के साथ सरलीकृत आवेदन पत्र शुरू किया है।

3.4 खुदरा ऋण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, खुदरा ऋण ने 8.8% वृद्धि दर्ज की है और 31.03.2012 को पोर्टफोलियो ₹ 10,065 करोड़ रहा। पोर्टफोलियो को समेकित करने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बैंक ने वसूली पर प्रयास केंद्रित किए हैं। वृद्धि के मुख्य कारक आवास ऋण और कृषेतर स्वर्ण ऋण रहे। वित्तीय वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में, आवास ऋणों और वाहन ऋणों पर ब्याज दरों में, विशेषकर ₹ 20 लाख से अधिक के उच्च पोर्टफोलियो बढ़ाने हेतु, बाजार के अनुरूप संशोधन किया गया।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान डॉक्टर और अन्य व्यावसायी यथा सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रबंधन सलाहकार आदि को परिलक्षित करते हुए आकर्षक नए उत्पाद आरंभ किए गए। एक विशेष योजना 'एबी स्वर्ण ऋण' योजना को आरंभ की गई ताकि कृषेतर स्वर्ण ऋण में वृद्धि हो। कार्पोरेट ग्राहकों को कार के वित्तपोषण हेतु एक विशेष योजना आरंभ की गई।

खुदरा ऋणों के त्वरित संसाधन में सुविधा हेतु हैदराबाद नगर में दो केंद्रीयकृत खुदरा ऋण संसाधन केंद्र स्थापित किए गए।

3.5 अग्रिम- उद्योग-वार एक्सपोजर

विद्युत, निर्माण और संविदाकार, लौह एवं इस्पात, आवास ऋण, एनबीएफसी, वस्त्र उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का ऋण एक्सपोजर है। उच्च 10 उद्योगों को एक्सपोजर सकल बैंक ऋण का 60.8% जो विविधतापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का सूचक है।



Table 7: Classification of Advances portfolio

(₹ in Crores)

Category	31.03.2011	31.03.2012	Variance
1. Food Credit	1222.28	1372.91	150.63
2. Non-Food Credit (2.1 to 2.4)			
2.1 Advances to Agricultural Sector (Excl. RIDF)	10369.15	12458.53	2089.38
2.2 Advances to MSME Sector	11104.77	13132.44	2027.67
2.3 Large Industries	31309.91	38458.89	7148.98
2.4 Other Advances	18148.34	19261.18	1112.84
GROSS BANK CREDIT (1+2)	72154.45	84683.95	12529.50
Of which, Lending to Priority sector	23082.42	27026.96	3944.54

3.2.1 Priority Sector Lending

Priority Sector Advances of the Bank stood at Rs.27,027 Crore as on 31.03.2012, registering a growth of 17.1% over the previous year. The absolute increase in Priority Sector Advances over the previous year is ₹ 3,945 Crore. Total Credit extended to Women Beneficiaries was ₹ 5,113 Crore, registering a growth of 16.36% over the previous year.

Table 8: Priority Sector Lending (as on 31.3.2012)

(₹ in Crores)

Category	2011 -12
1. Priority Sector Advances (2 to 6)	27026.96
2. Agriculture Loans	12458.53
3. Micro and Small Enterprises	8848.53
4. Educational Loans	1515.86
5. Housing Loans (including indirect finance)	4204.04
Memo items	
I. Priority Sector Advances (%)	37.29
II. Agriculture Advances (%)	17.19

3.2.1.1 Credit to Agriculture

The Total Agricultural Advances of the Bank stood at ₹ 12,459 Crore, registering a growth of 20.2% over the previous year. The absolute increase over the previous year is ₹ 2,090 Crore.

3.2.1.2 Lending to Self Help Groups (SHGs)

Bank covered a total number of 2,30,668 Self Help Groups with outstanding financial assistance of ₹ 2,911 Crore.

3.2.2 Lending to Micro & Small Enterprises (MSE)

The Total Advances to Micro & Small Enterprises of the Bank were at ₹ 8,849 Crore registering a growth of 24.4% over the previous year. The absolute increase over the previous year is ₹ 1,737 Crore.

3.2.3 Credit to Weaker Sections

Advances to Weaker Sections stood at ₹ 7,821 Crore. The Weaker Section Advances as a percentage to ANBC stood at 10.79%.

3.2.4 Credit to Minorities

Credit extended to Minorities stood at ₹ 2,756 Crore, constituting 10.2% of Priority Sector Advances.

3.2.5 Credit to SC/ST Borrowers

The total Credit extended to SC/ST Beneficiaries under Priority Sector Advances was ₹ 1,147 Crore.

3.3 Credit to MSME Sector

MSME Sector is playing a crucial role in the economic development of our country. The Bank has been according high priority in lending to this sector since a long time.

The MSME Advances which were at ₹ 11,105 Crore as on 31.03.2011 rose to ₹ 13,132 Crore as on 31.03.2012, registering a y-o-y of 18.3%.

In order to encourage the women borrowers in MSME Sector, Bank is extending a concession of 0.50% in the interest rate. Bank has also set up MSME Care Cells at Head Office and all Zonal Offices to facilitate MSME borrowers for quick redressal of their grievances.

Bank is also adhering to the code of commitment of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) regarding lending to MSME Sector.

Simplified loan application form along with check list for Loan facilities up to ₹ 1.00 Crore for Micro and Small Enterprise Borrowers is in place.

3.4 Retail Lending

During the Financial Year 2011-12, Retail Credit has registered a growth of 8.8% and the portfolio as on 31.03.2012 stood at ₹ 10,065 Crore. In order to consolidate and improve upon the quality of the portfolio, Bank had to put focused efforts on Recoveries. The major growth drivers were Housing Loans and Non-Agricultural Gold Loans.

In the Fourth Quarter of the Financial Year 2011-12, interest rates on Housing Loans and Vehicle Loans were revised in line with market particularly to build up high end portfolio of above ₹ 20 lakhs.

Attractive new products were launched in this Financial Year aiming at Doctors and other professionals like Chartered Accountants, Company Secretaries, Engineers, Architects, Management Consultants, etc. A Special Scheme "AB Swarna Loan" Scheme was launched to increase Non-Agricultural Gold Loans. A Special Scheme was launched for financing Cars to Corporate Clients.

Two Centralized Retail Credit Processing Centers were established in Hyderabad City to facilitate speedy processing of Retail Loans.

3.5 Advances – Industry wise Exposure

Bank has loan exposure to various sectors like power, construction and contractors, iron & steel, housing loans, NBFCs, textiles, etc. Exposure to top 10 industries constitutes 60.8% of gross bank credit, signifying a diversified loan portfolio.

सारणी 9: अग्रिमों का उद्योग-वार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिम के % के रूप में सीमा	31.03.12 को वास्तविक निधि आधारित एक्सपोजर	पिछली तिमाही याने 31.12.2011 के कुल अग्रिम के % के रूप में एक्सपोजर
1	विद्युत	25.00%	17186.76	22.24%
2	एनबीएफसी	10.00%	6312.04	8.17%
3	आवास ऋण (इसमें आवासीय बंधक एवं आवासीय मध्यवर्तियों को अप्रत्यक्ष वित्त शामिल है)	15.00%	6010.03	7.78%
4	लौह एवं इस्पात	10.00%	5192.54	6.72%
5	वस्त्र उद्योग	9.00%	4692.53	6.07%
6	इंजीनियरी (हेवी एंड लाइट)	5.00%	2899.70	3.75%
7	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	7.00%	2872.70	3.72%
8	निर्माण और संविदाकार	10.00%	2684.49	3.47%
9	धान मिल	6.00%	2075.70	2.69%
10	ड्रग एंड फार्मस्यूटिकल्स	5.00%	1574.58	2.04%
	कुल		51,501.07	

3.6 सकल बैंक ऋण की क्षेत्रवार स्थिति

31.03.2012 को ऋण की जनसंख्या समूह वार व्याप्ति निम्नानुसार है :

सारणी 10: 31.03.2012 को ऋण की जनसंख्या समूह वार व्याप्ति

क्र.सं.	श्रेणी	राशि	कुल का %
1	ग्रामीण	8377 (14.5%)	9.9%
2	अर्ध-शहरी	11341 (14.5%)	13.4%
3	शहरी	18414 (17.9%)	21.7%
4	मेट्रो	46552 (18.4%)	55.0%
5	कुल	84684 (17.4%)	100.0%

नोट: () में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से वार्षिक वृद्धि दर सूचित करते हैं।

4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंकों को एनडीटीएल के 24% तक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश करना है। बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-प्रतिफल ताल-मेल पर आधारित है एवं बैंक विनियामक एवं आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का सख्त पालन कर रहा है। नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से संबंधित सांविधिक निर्धारणों का रखरखाव किया जा रहा है। कालावधि एवं जोखिम मूल्य की दैनिक निगरानी के अतिरिक्त तिमाही अंतरालों में निवेश पोर्टफोलियो की स्ट्रेस जांच एवं बैंक जांच द्वारा तिजोरी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बांड

एवं डिबेंचर पोर्टफोलियो के बाह्य दर निर्धारण माइग्रेशन की भी तिमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

दि.31.03.2012 को, निवेश (मूल्यहास घटाकर) में 22.4% की वृद्धि आई और 31.03.2011 को ₹ 24,204 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,629 करोड़ हुए। दि.31.03.2012 को ₹ 27,252.47 करोड़ का एसएलआर रखा गया, जो निवल माँग एवं समय देयताओं (एनडीटीएल) का 25.3% रहा। निवेशों से ब्याज आय वर्ष 2010-11 में ₹ 1,539.59 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1,973.53 हुई। निवेशों की बिक्री पर लाभ 2010-11 के दौरान 140.78 रहा और 2011-12 के दौरान रु.120.77 करोड़ रहा।

सारणी 11: निवेशों का वर्गीकरण (निवल)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	अंतर(%)
1. सरकारी प्रतिभूतियां	22719.55	26727.92	17.6%
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	23.59	10.36	-56.1%
3. शेयर	196.38	212.85	8.4%
4. डिबेंचर एवं बांड	585.97	705.97	20.5%
5. अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	135.36	199.29	47.2%
6. अन्य	543.14	1772.52	226.4%
कुल (1 to 6)	24203.99	29628.91	22.4%

4.1 महत्वपूर्ण निवेश

4.1.1 संयुक्त उद्यम बीमा

बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा एवं ब्रिटेन के लीगल एवं जेनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इंडियाफास्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। कंपनी में बैंक की शेयरहोल्डिंग 30% है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की 44% एवं लीगल एवं जेनरल ग्रुप द्वारा 26% है। दोनों बैंकों ने शाखाओं द्वारा बीमा पालिसियों की बिक्री आरंभ कर दी है। जीवन बीमा उद्यम में बैंक का निवेश ₹ 142.50 करोड़ है।

4.1.2. मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी

बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ मलेशिया में बैंकिंग अनुषंगी स्थापित करने हेतु टाई-अप किया है। उद्यम में बैंक का हिस्सा 25% है जो कुल अभिदत्त पूंजी आरएम 310 मिलियन (1 आरएम= ₹ 16.75 की दर से लगभग ₹ 519.25 करोड़ है) में से आर एम 77.50 मिलियन (लगभग ₹ 129.82 करोड़) है। अब तक हमने आर एम 10 मूल्य के 585025 शेयर हेतु अंशदान दिया है जो आर एम 5,850,250 (₹ 9.29 करोड़) है।

संयुक्त उद्यम की स्थापना दि.13.08.2010 को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के नाम से हुई और यह परिचालन आरंभ करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में आवश्यक घोषणा पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है जो लाइसेंस हेतु आवेदन का भाग है।

यह संयुक्त उद्यम मलेशिया में अपने प्रकार का प्रथम है और यह अपेक्षा है कि वहाँ की भारतीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मलेशिया की जनसंख्या का आठ प्रतिशत, जो लगभग 2.1 मिलियन है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यह संयुक्त उद्यम, मलेशिया के साथ लगभग 10 मिलियन अमरीकी डॉलर के तेजी से बढ़ रहे हमारे द्विपक्षीय व्यापार अत्यंत लाभदायी होगा। वाणिज्यिक परिचालन शीघ्र आरंभ होने की संभावना है।



Table 9: Industry wise Exposure of Advances

(₹ in Crore)

Sl. No.	Industry	Ceilings as % of Total advances of Previous Quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2012	Exposure as % of Total Advances of previous quarter i.e. 31.12. 2011
1	Power	25.00%	17186.76	22.24%
2	NBFC	10.00%	6312.04	8.17%
3	Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing Intermediaries)	15.00%	6010.03	7.78%
4	Iron and Steel	10.00%	5192.54	6.72%
5	Textiles	9.00%	4692.53	6.07%
6	Engineering (Heavy & Light)	5.00%	2899.70	3.75%
7	Commercial Real Estates	7.00%	2872.70	3.72%
8	Construction and Contractors	10.00%	2684.49	3.47%
9	Rice Mills	6.00%	2075.70	2.69%
10	Drug and Pharmaceuticals	5.00%	1574.58	2.04%
	Total		51,501.07	

3.6 Area-wise position of Gross Bank Credit

The population group wise distribution of Credit as on 31.03.2012 is as under:

Table 10: Gross Bank Credit- Population Group Wise as on 31.3.2012

Sl. No.	Category	Amount	% to total
1	Rural	8377 (14.5%)	9.9%
2	Semi-Urban	11341 (14.5%)	13.4%
3	Urban	18414 (17.9%)	21.7%
4	Metro	46552 (18.4%)	55.0%
5	TOTAL	84684 (17.4%)	100.0%

Note: Figures in () indicate annual growth rate over the previous year

4.INVESTMENTS

In terms of RBI guidelines, the Bank is required to invest in SLR securities to the extent of 24% of NDTL. Bank's investment decisions are based on risk-return trade-off and Bank is scrupulously following the regulatory and internal guidelines. Statutory prescriptions relating to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) are also maintained. Risk Management in treasury operations has been strengthened further by undertaking stress testing and back testing of the investment portfolio at quarterly intervals, besides daily monitoring of Duration and Value-at-Risk (VaR). External rating migration of the bonds and debentures portfolio is also being monitored on quarterly basis.

As on 31.03.2012, the Investments (net of depreciation) increased by 22.4% and stood at ₹ 29,629 Crore, up from ₹ 24,204 Crore as on 31.03.2011. SLR maintained as on 31.03.2012 was ₹ 27,252.47 Crore, which constituted 25.3% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL). Interest Income from Investments increased from ₹ 1,539.59 Crore in 2010-11 to ₹ 1,973.53 Crore in 2011-12. Profit on sale of Investments stood at ₹ 120.77 Crore during 2011-12, while it was ₹ 140.78 Crore during 2010-11.

Table 11: Classification of Investments

(₹ in Crore)

	2010-11	2011-12	Var (%)
1. Government Securities	22719.55	26727.92	17.6%
2. Other Approved Securities	23.59	10.36	-56.1%
3. Shares	196.38	212.85	8.4%
4. Debentures & Bonds	585.97	705.97	20.5%
5. Subsidiaries and / or Joint Ventures	135.36	199.29	47.2%
6. Others	543.14	1772.52	226.4%
TOTAL (1 to 6)	24203.99	29628.91	22.4%

4.1 Strategic Investments

4.1.1 Joint Venture Insurance

Our Bank is having Joint Venture in Insurance with Bank of Baroda and Legal and General Plc of UK christened "India First Life Insurance Co. Ltd". The Bank's stake in the venture is 30% while Bank of Baroda holds 44% and Legal and General Plc holds 26% stake. Both the Banks have commenced sale of insurance policies through their Branch outlets. Bank's investment in the life insurance venture is ₹ 142.50 Crore.

4.1.2 Banking Subsidiary in Malaysia

The Bank along with Bank of Baroda and Indian Overseas Bank, has entered into a tie up for setting up a Banking Subsidiary in Malaysia. The Bank's stake in the Venture is 25%, amounting to RM 77.50 Million (approximately ₹ 129.82 Crore), in a total subscribed Capital of RM 310 Million (approximately ₹ 519.25 Crore @ 1 RM = ₹ 16.75). So far, we have subscribed to 585025 shares of RM 10 each amounting RM 5,850,250 (₹ 9.29 Crore).

The joint venture has been incorporated on 13.08.2010 in the name of INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD and is in the process of commencing operations. The Bank has issued necessary Letter of Undertaking / Letter of Comfort favoring Bank Negara Malaysia forming part of the application for license.

The joint venture is the first of its kind in Malaysia and is expected to cater to the needs of the Indian Diaspora there. Eight percent of the population of Malaysia, which is approximately 2.1 million are Persons of Indian Origin. The joint venture is very much beneficial considering that our bilateral trade with Malaysia is rapidly growing and stands at approximately USD 10 billion. The commercial operations are likely to commence soon.

4.1.3 युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बैंकों के सहायता संघ द्वारा प्रोन्नत किया गया है, जिसमें हमारा बैंक भी शामिल है। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स इसके अन्य प्रमुख बैंक हैं। कंपनी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ गठबंधन किया है, जो इसे ट्रेडिंग प्लेट फार्म और करेंसी तथा ब्याज दर उत्पादों के लिए समाशोधन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी में बैंक का अंशदान 2.39% है।

4.1.4 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक के साथ जुड़ने के लिए बैंक ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स) के साथ गठबंधन किया। एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान परिचालन शुरू किया। बैंक ने एक्सचेंज में 4.6% की पूंजी लगायी।

4.2 राजकोष एवं विदेशी मुद्रा व्यापार

बैंक अपनी 46 नामित बी श्रेणी शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार करने हेतु 'प्राधिकृत डीलर' है। बैंक की 5 विनिमय गृहों के साथ स्पीड प्रेषण व्यवस्था है।

देशीय जोखिम, विनिमय जोखिम एवं अन्य विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक में पद्धतियाँ हैं। एकल देशीय जोखिम सीमा के लिए देशीय जोखिम एक्सपोजर एवं प्रत्येक जोखिम श्रेणी के अंतर्गत देशों के ग्रुप के लिए कुल जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

2011-12 के दौरान बैंक ने विदेशी मुद्रा में ₹ 24,569.09 करोड़ का व्यापारी पण्यवर्त दर्ज किया है। बैंक ने 31.03.2011 को ₹ 4,34,402 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को ₹ 4,38,338 करोड़ का अंतर-बैंक पण्यवर्त हासिल किया है।

5. क्रेडिट कार्ड व्यापार

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8,133 नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, इनमें 2,916 उन्नयन शामिल हैं। 31.03.2012 को कुल बकाया क्रेडिट कार्ड देयता ₹ 95.46 करोड़ रही। बैंक ने लगभग 40,830 पूर्वदत्त कार्ड भी जारी किए।

341 व्यापारियों के पंजीकरण के साथ, व्यापारी व्यवसाय पण्यवर्त ₹ 751 करोड़ रहा।

क्रेडिट कार्ड खर्च पर पुरस्कार पाइंट, जो लंबी अवधि से कार्डधारकों की माँग रही है, अब पूरा किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है, 500 पाइंटों के संग्रहण पर कार्ड खातों में कैश बैक द्वारा स्वतः मोचन।

अब ग्राहकों को ₹ 1 लाख तक की सीमा तक क्रेडिट कार्ड मंजूर करने हेतु शाखा प्रबंधकों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आंचलिक कार्यालयों को गैर-ग्राहकों और छह माह से कम अवधि हेतु खाता परिचालन वाले ग्राहकों को ₹ 1 लाख तक की सीमा तक क्रेडिट कार्ड मंजूर करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सृजन करने हेतु, शाखाओं और अंचलों द्वारा कार्ड संग्रहण हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इससे शाखाओं को कार्ड मंजूरी हेतु गैर-ब्याज आय के स्रोत का भी सृजन होता है।

प्रारंभ किये गये नये उत्पाद और सेवाएं

गिफ्ट कार्ड

₹ 250 से ₹ 50,000 तक के अनुकूल मूल्यवर्ग में अनोखी सुरक्षा विशेषताएं युक्त गिफ्ट कार्ड आरंभ किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्ड

यूएसडी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्ड, जिसमें पीओएस में एनेबल किया हुआ पिन, कार्ड उपयोग में न होने पर लॉकिंग सुविधा सहित स्टैंड इन कार्ड जैसी आकर्षक विशेषताएँ हैं।

स्वास्थ्य कार्ड

मेसर्स इंडियाफस्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी के साथ स्वास्थ्य बीमा दावा निपटान में सुविधा हेतु एक को-ब्रैंडेड स्वास्थ्य कार्ड आरंभ किया गया।

पूर्वदत्त कार्ड

एआरटी मरीजों को पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को पूर्वदत्त कार्ड उपलब्ध करवाए गए।

6. व्यापारी बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने तीन कंपनियों के लिए लाभांश वारंटों के भुगतान के लिए 'आदाता बैंकर' के रूप में कार्य किया है। बैंक शेयरधारक और निवेशकर्ता शिकायत कक्ष ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 21 शिकायतें और 7016 अनुरोध प्राप्त किए हैं और बैंक द्वारा सभी शिकायतों और अनुरोधों का समाधान किया गया है। बैंक की शेयर अंतरण समिति ने वर्ष के दौरान तीन बैठकें की और 1740 शेयर अंतरण, कुल मिलाकर 8,29,800 शेयर, हेतु अनुमोदन दिया है।

बैंक ने मेसर्स टाटा एआईजी जेनरल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ, 04.11.2011 से एक वर्ष की अवधि हेतु ₹ 50 करोड़ की राशि हेतु निदेशकों और अधिकारियों के लिए कार्पोरेट गार्ड के प्रति टाई अप किया है। कंपनियों के अवसंरचना बांड और अन्य आरंभिक सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव हेतु आम जनता से नामित शाखाओं द्वारा मूर्त आवेदन स्वीकारने हेतु बैंक का मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एजेंसी करार है।

बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का एक मत से चुनाव किया गया है और उन्होंने 14.03.2012 से कार्यभार ग्रहण किया है।

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए):

सेबी ने सार्वजनिक और अधिकार निर्गम हेतु अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए) नामक भुगतान के नए प्रकार का आरंभ किया है, जिसके द्वारा आवेदन राशि, निर्गम में आबंटन के आधार पर अंतिम रूप दिए जाने तक, निवेशकर्ता के बैंक खाते में अवरुद्ध रहती है।

एसबीए प्रक्रिया से, एकल विकल्प के साथ, कट-ऑफ पर बिडिंग कर रहे खुदरा व्यक्ति निवेशकर्ताओं को स्वयं प्रमाणित समूह बैंक (एससीएसबी), जिसमें निवेशकर्ताओं के बैंक खाते हैं, द्वारा आवेदन करने में सहायता मिलती है। एससीएसबी ऐसे बैंक हैं जो सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हैं। एससीएसबी आवेदन स्वीकार करेंगे, आवेदन का सत्यापन करेंगे, बिड भुगतान राशि तक निधि अवरुद्ध रखेंगे, एनएसई/ बीएसई की वैब आधारित बिडिंग प्रणाली में विवरण अपलोड करेंगे, आबंटन को अंतिम रूप दिए जाने पर राशि अनवरुद्ध करेंगे और आबंटित शेयरों के प्रति राशि निर्गमकर्ता के बैंक खाते में अंतरित करेंगे।



4.1.3 United Stock Exchange of India Ltd

United Stock Exchange of India Ltd. is promoted by a consortium of Banks, of which our Bank is also a partner. The other major Banks are Canara Bank, Bank of Baroda, Allahabad Bank, Bank of India, Indian Overseas Bank and Oriental Bank of Commerce. The Company has tied up with Bombay Stock Exchange which is providing the trading platform and clearing services for the currency and interest rate derivative products. The Bank holds 2.39% stake in the Company.

4.1.4 Multi Commodity Exchange of India Ltd.

With a view to be associated with one of the major commodity exchanges, our Bank has a tie up with the Multi Commodity Exchange (MCX-SX) Ltd. The Exchange commenced operations during the financial year 2004-05. The Bank has an Equity stake of 4.6% in the Exchange.

4.2 Treasury & Forex Business

The Bank is an 'Authorised Dealer', to deal in foreign exchange business through 46 designated B category Branches of the Bank. The Bank has speed remittance arrangements with Five Exchange Houses.

Systems have been put in place for management of country risk, exchange risk and other foreign exchange risks. The country risk exposures for single country risk limit and aggregate risk limits for the group of countries under each risk category are fixed and are being monitored on daily basis.

During the year 2011-12, the Bank recorded a merchant turnover of Rs.24,569.09 Crore in Forex. The Bank achieved Inter-Bank turnover of Rs.4,38,338 Crore as on 31.03.2012 compared to Rs.4,34,402 Crore as on 31.03.2011.

5. CREDIT CARD BUSINESS

The Bank issued 8,133 new credit cards in the Financial Year 2011-12, including 2,916 upgrades. The total outstanding Credit Card dues as on 31.03.2012 amounted to Rs.95.46 Crore. The Bank also issued around 40,830 prepaid Cards.

The Merchant Business turnover is Rs.751 Crore, with 341 Merchants enrolled.

Reward Points on credit card merchant spend, a long time demand of the card holder is now fulfilled. The unique feature is automatic redeeming on accumulation of 500 points with cash back to the card accounts.

The Branch Heads are now delegated with the power to sanction credit cards up to a limit of Rs.1 lakh for customers. The Zonal Offices have been delegated with the power to sanction credit cards to non-customers and customers with less than 6 months of account operation up to a limit of Rs.1 lakh.

In order to create competitive environment, Incentive Programme for mobilization of cards by Branches and Zones has been introduced. This also creates an avenue of Non Interest Income to the Branches for sanctioning cards.

NEW PRODUCTS & SERVICES INTRODUCED

Gift Cards

Gift Cards in flexi denomination from Rs.250 to Rs.50,000 with built in security unique features introduced.

International Travel Cards

International Travel Cards in USD with attractive features like PIN enabled at POS, Stand-in Card with Locking facility when the card is not in use introduced.

Health Card

A co-branded Health Card along with M/s India First Life Insurance Co. for facilitating Health Insurance claim settlement introduced.

Prepaid Cards

Prepaid cards provided to Government of Andhra Pradesh for disbursing the pension payment to the ART patients introduced.

6. MERCHANT BANKING SERVICES

The Bank acted as a 'Paying Banker' for payment of dividend warrants of three companies. The Bank's Shareholders' and Investors' Grievance Cell received 21 complaints and 7016 requests during the Financial Year 2011-12, and all the complaints and requests were redressed by the Bank. The Share Transfer Committee of the Bank met three times during the year and confirmed 1740 share transfers totalling to 8,29,800 shares.

The Bank tied up with M/s TATA AIG General Insurance Company Limited towards Corporate Guard for Directors and Officers for an amount of Rs.50 Crore for a period of one year with effect from 04.11.2011. The Bank has an agency agreement with M/s Stock Holding Corporation of India Limited to accept the physical applications for Infrastructure Bonds and other Initial Public Offers of the companies from the general public through the designated Branches.

Three Directors from amongst the Shareholders of the Bank have been elected unanimously and they assumed charge with effect from 14.3.2012.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA):

SEBI had introduced a new mode of payment in public and rights issues called Application Supported by Blocked Amount (ASBA), wherein the application money remains blocked in the Investor's Bank account till finalization of basis of allotment in the issue.

ASBA process facilitates retail individual investors bidding at cut-off, with single option, to apply through Self Certified Syndicate Banks (SCSBs) in which the investors have Bank accounts. SCSBs are those Banks which satisfy the conditions laid by SEBI. SCSBs would accept the applications, verify the application, block the funds to the extent of bid payment amount, upload the details in the web based bidding system of NSE / BSE, unblock when the basis of allotment is finalized and transfer the amount for allotted shares to the Bank account of the issuer.

म्यूचुअल फंड के नए फंड आफर हेतु भी एसबीए सुविधा उपलब्ध है। निवेशकर्ताओं, निर्गमकर्ताओं और बाजार को एसबीए के निहित लाभ के दृष्टिगत, 11.05.2010 से एसबीए की परिधि में परवर्ती विस्तार किया गया है और क्यूआईडी बिडर, इसमें उच्च निवल मालियत व्यक्ति, कॉर्पोरेट निवेशकर्ता आदि अन्य निवेशकर्ता श्रेणियों सहित, को भी आवेदन राशि के 100% भुगतान पर शामिल किया गया है।

वर्तमान में एसबीए सुविधा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा तथा 26 चयनित शाखाओं में उपलब्ध है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीए सुविधा द्वारा 41 निर्गम से संबंधित कार्रवाई की है। इनमें से 38 आईपीओ हैं, 2 एफपीओ हैं और 1 निर्गम संस्थागत निजी कार्यक्रम से संबंधित है।

7. शुल्क आधारित उत्पाद

बैंक जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पादों का विपणन, म्यूचुअल फंड उत्पाद, टेलीफोन बिल, प्रत्यक्ष कर, वाणिज्य कर, नगरपालिका कर, उपयोगिता भुगतान आदि की वसूली द्वारा आय स्रोत की विविधता द्वारा गैर-ब्याज आय में वृद्धि लाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता रहा है। बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और हमारे उत्पादों के विपणन के लिए विशेष रूप से विपणन अधिकारियों की सेवाएं ले रहा है। विपणन अधिकारियों की तैनाती शाखाओं में की गई है और प्रत्येक अंचल में विपणन प्रयासों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी है। विपणन पहल के अंतर्गत, बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के संवितरण और ऑटोमोबाइलों के वित्तपोषण हेतु ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ टाई-अप भी किया है।

7.1 बीमा

बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा एवं ब्रिटेन के लीगल एवं जेनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इंडियाफस्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है और नवंबर 2009 के दौरान इसका औपचारिक प्रारंभ हुआ है। कंपनी में बैंक की शयरहोल्डिंग 30% है जबकि बैंक ऑफ बडौदा की 44% एवं लीगल एवं जेनरल ग्रुप द्वारा 26% है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 46,262 आईएफएलआईसी पालिसियों की बिक्री की है और रु.111.29 करोड़ प्रीमियम वसूल किया है।

7.2 म्यूचुअल फंड व्यापार

बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ टाई-अप किया है यथा यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, रिलायन्स म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाईफ म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, बडौदा पायनर म्यूचुअल फंड और आईएनजी वैस्या म्यूचुअल फंड।

7.3 निक्षेपागार सेवाएं

बैंक 'एबी डीमैट' ब्रैंड नाम के अंतर्गत जनता को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक सेंट्रल डिपासिटी सर्विसेस (इंडिया) तथा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपासिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ निक्षेपागार प्रतिभागी (डीपी) है। बैंक की 158 शाखाएं डीमैट खाताएं खोलने हेतु प्राधिकृत हैं।

7.4 सोने के सिक्कों की खुदरा बिक्री

- 01.04.2011 से 30.03.2012 तक की अवधि के दौरान, बैंक ने 397.760 कि.ग्रा. के सोने के सिक्कों की बिक्री की और रु.4.16 करोड़ की आय अर्जित की (पिछले वर्ष के दौरान 306.346 कि.ग्रा की बिक्री पर ₹ 3.41 करोड़ आय का अर्जन हुआ)
- सोने के सिक्कों की बिक्री के लिए अक्षय तृतीया 2011, दीवाली धमाका 2011 और सोने के सिक्के धमाका 2012 विशेष अभियान चलाए गए।
- सोने के सिक्कों की बिक्री में सुधार लाने हेतु 2 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम के सिक्के आरंभ किए गए।

8. प्रारंभ किये गये नये उत्पाद और सेवाएं

8.1 अभया फस्ट वैल्यू पैक

दि.12.01.2012 को एक नवोन्मेषी उत्पाद अभयाफस्ट वैल्यू पैक का आरंभ किया गया। इसमें यूएलआईपी, जीवन बीमा कवर, आवर्ती जमा और बचत खाता शामिल हैं। 31 मार्च, 2012 तक ₹ 37.27 करोड़ की कुल राशि के 10260 अभया फस्ट वैल्यू पैक का संग्रहण किया गया जिसमें से ₹ 17.97 करोड़ प्रीमियम है और बैंक के पास जमा ₹ 19.30 करोड़ है।

8.2 वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर

हैदराबाद I, हैदराबाद II, करीमनगर और काकिनाडा अंचलों की 263 शाखाओं में नए साफ्टवेयर लोड किए गए हैं ताकि तत्काल प्राधिकार प्राप्त किए जा सकें और ग्राहकों को त्वरित भुगतान दिया जा सके।

8.3 प्रत्यक्ष कर वसूली / ओलटास

- बैंक ने नेट बैंकिंग और एटीएम द्वारा प्रत्यक्ष करों की स्वीकृति आरंभ की है।
- नवंबर 2011 में 418 नामित शाखाओं में भारत सरकार की सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ-1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस-2004) आरंभ की गई।
- आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में वाणिज्य कर विभाग की ओर से **वीएटी/सीएसटी** की ऑन-लाइन स्वीकृति आरंभ की गई।
- पीएफआरडीए से **राष्ट्रीय पेंशन योजना** के अंतर्गत पाईट ऑफ प्रसेन्स हेतु करार हस्ताक्षरित किया गया। कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी है।
- बैंक ने एन्नोर पोर्ट, तमिल नाडु और विशाखपट्टणम पोर्ट, आन्ध्र प्रदेश से प्राप्ति की सुविधा हेतु **पोर्ट कम्प्यूनिटी सिस्टम** के साथ अपनी नेट बैंकिंग सुविधा को एकीकृत किया है।

9. आई टी पहल

मार्च 2009 में बैंक के सीबीएस में माइग्रेशन से, अब हमारे सभी ग्राहक देश की किसी भी शाखा से लेनदेन कर सकते हैं। लेनदेन सुविधा सहित इंटरनेट बैंकिंग (खुदरा एवं कॉर्पोरेट) भी सीबीएस के अंतर्गत पहल के भाग के रूप में ग्राहकों के लिए प्रारंभ की गई। 31.03.2012 तक 1.74 लाख ग्राहकों ने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा हेतु पंजीकरण करवाया।



The ASBA facility is also available for New Fund Offers of Mutual Funds. In view of the inherent benefits of ASBA to investors, issuers and the market, w.e.f. 11.05.2010 the reach of ASBA was subsequently expanded to QID bidders also on 100% payment of application money including various other investor categories like High Net Worth Individuals, Corporate Investors, etc.

Presently, ASBA facility is available at 26 select Branches and through internet banking also .

The Bank has handled 41 issues through ASBA facility during the Financial Year 2011-12. Out of the same, 38 are IPOs, 2 are FPOs and 1 issue under Institutional Private Programme.

7. FEE-BASED PRODUCTS

The Bank has been constantly focusing on augmenting non-interest income through diversification of income streams by taking up marketing of life and non-life insurance products, mutual fund products, collection of telephone bills, direct taxes, commercial taxes, municipal taxes, utility payments, etc. Bank is utilizing Marketing Officers specifically for spreading awareness of our products and services and marketing our products. Marketing Officers are posted at select Branches, with every Zone having a Nodal Officer for monitoring the marketing efforts. As part of marketing initiatives, Bank has also entered into tie ups with Mutual Funds for distribution of Mutual Fund products and with automobile companies for financing automobiles.

7.1 Insurance

The Bank along with Bank of Baroda and Legal & General Group Plc of UK has formed a joint venture life insurance company named M/s India First Life Insurance Co Ltd. and it was formally launched in the month of Nov. 2009. The Bank has shareholding of 30% in the Company, while Bank of Baroda has 44% and 26% is held by Legal and General Group Plc, UK. During the FY 2011-12, Bank sold 46,262 IFLIC policies and collected premium of ₹ 111.29 Crore.

7.2 Mutual Fund Business

The Bank is having tie ups with Mutual Fund companies, namely, UTI Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Principal Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Sundaram Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, Fidelity Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, LIC Mutual Fund, Baroda Pioneer Mutual fund and ING Vysya Mutual fund.

7.3 Depository Services

Bank is offering depository Services to the public under the brand name of "AB Demat". The Bank is a Depository Participant (DP) with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as with National Securities Depository Limited (NSDL). 158 Branches of the Bank are authorized to open demat accounts.

7.4 Retail Sale of Gold Coins

- During the period from 01.04.2011 to 30.03.2012, Bank sold 397.760 Kgs of gold coins and earned an income of ₹ 4.16 Crore (previous year 306.346 Kgs were sold and an income of ₹ 3.41 Crore was earned).
- Special Campaigns Akshaya Thruthiya 2011, Diwali Dhamaka 2011 and Gold coins Dhamaka 2012 were launched for sale of Gold coins.
- 2 Gram, 20 Gram and 50 Gram coins were introduced to improve sale of Gold coins.

8. NEW PRODUCTS & SERVICES INTRODUCED

8.1 Abhaya First Wealth Pack

An innovative product Abhaya First Wealth Pack was launched on 12.01.2012. This includes a ULIP, Life Insurance Cover, Recurring Deposit, and Saving Account. Till 31st March 2012, 10260 Abhaya First Wealth packs with total amount of ₹ 37.27 Crore mobilized of which Premium is ₹ 17.97 Crore and Deposit with Bank is ₹ 19.30 Crore.

8.2 Western Union Money Transfer

New software was loaded in 263 Branches in Hyderabad I, Hyderabad II, Karimnagar and Kakinada Zones to enable instant authorization and to provide quick payment to the customers.

8.3 Direct Tax Collection / OLTAS

- Bank introduced accepting of Direct Taxes through net banking and ATMs.
- Public Provident Fund Scheme (PPF-1968) and Senior Citizen Savings Scheme (SCSS-2004) of Government of India was launched in November 2011 in 418 designated Branches.
- Online acceptance of **VAT/ CST** on behalf of Commercial Tax Department commenced in the States of Andhra Pradesh and Maharashtra.
- Agreement signed for Point of Presence under **National Pension System** from PFRDA. Process of Implementation is under way.
- Bank has integrated our net Banking with **Port Community System** to enable receipts for Ennore Port, Tamil Nadu and Vizag Port, Andhra Pradesh.

9. IT INITIATIVES

Following migration of the Bank to CBS in March 2009, all our customers can now transact from any of our branches across the country. Internet Banking (Retail and Corporate) with transaction facility was also launched for Customers as part of initiatives under CBS. As on 31.03.2012, 1.74 lakh customers have registered for Internet Banking facility.

हमारे ग्राहक सीबीएस में इंटरनेट बैंकिंग द्वारा अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हमारे बैंक खातों तथा अन्य बैंक खातों हेतु निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान भी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा किया जा सकता है। 31.03.2012 तक, ₹ 1183.13 करोड़ मूल्य के कुल 72032 ई-चालानों का भुगतान किया गया।

एटीएम आहरण/ पीओएस लेनदेन, ऑन लाइन इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन आदि सहित विभिन्न प्रकार के लेनदेन हेतु अपने ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट सुविधा प्रदान की गई है। 31.03.2012 तक, 23.25 लाख ग्राहकों ने इस सुविधा हेतु पंजीकरण करवाया तथा औसतन 90 लाख एसएमएस संदेश प्रत्येक माह भेजे जा रहे हैं।

एसएमएस पुश-एलर्ट सुविधा हेतु पंजीकरण का विकल्प बैंक के एटीएम पर भी प्रदान किया गया। एसएमएस पुल सुविधा के अंतर्गत, ग्राहक बैंक को एक एसएमएस भेजकर जब आवश्यकता हो, अपने खाते से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। विशेषताओं में शेष से संबंधी पूछताछ, लघु विवरण, चैक स्थिति आदि सम्मिलित हैं।

हमारे बैंक ने भारिबैं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप लेनदेन-आधारित मोबाइल बैंकिंग प्रारंभ की। इससे मोबाइल से मोबाइल तथा मोबाइल से खाते, मंदिरों को दान तथा उपयोगिता संबंधी भुगतान में मदद मिलती है।

ग्राहकों हेतु इंटर एक्टिव वाइस रिस्पॉन्स सहित टेली बैंकिंग तथा एक 20 सीटर कॉल-सेंटर सुविधा प्रारंभ की गई है। ग्राहक टोल-फ्री नंबर 1800-425-1515 डायल कर सकते हैं तथा ऑन लाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के अंतर्गत लेनदेन ने 83.5% वृद्धि हुई तथा वे 29.97 लाख से बढ़कर 55.00 लाख हुए आरटीजीएस के अंतर्गत लेनदेन में वृद्धि हुई तथा वे 9.28 लाख रुपए से बढ़कर 10.84 लाख रुपए हुए, वृद्धि दर 16.8% रही।

31.03.2011 तक एटीएम की संख्या 981 से बढ़कर 31.03.2012 तक 1056 हो गई। 31.03.2012 तक जारी डेबिट कार्डों की संख्या 796634 है।

बैंक ने डेबिट कार्ड सीवीवी के साथ जारी करने प्रारंभ किए ताकि उनका प्रयोग ऑन-लाइन भुगतान हेतु किया जा सके। एक नई सुरक्षा विशेषता 'चेकड बाई वीजा', भारिबैं के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, बैंक के क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड द्वारा इंटरनेट से लेनदेन हेतु प्रारंभ की गई। दूर-दराज की शाखा तथा ऑफ-साइट एटीएम संपर्क हेतु बैंक ने 450वीएसएटी लगाए हैं। बैंक सभी पंजीकृत ग्राहकों को ई-मेल द्वारा खाता विवरण भी भेज रहा है।

एक नए एमआईएस सोल्यूशन का प्रारंभ किया गया है जिसके द्वारा शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों/प्रधान कार्यालय के विभागों को रिपोर्ट प्रदान की जाती हैं। सोल्यूशन से डाटा विभिन्न फार्मेट जैसे एक्सेल, पीडीएफ आदि के परिवर्तित करने में मदद मिलती है। पेशनभोगियों का सभी डाटा केंद्रीकृत है तथा 1245 शाखाओं द्वारा 41567 पेशनभोगियों को सेवा प्रदान की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार हेतु वाणिज्यिक करों/वैट की वसूली : हमारी इंटरनेट बैंकिंग सेवा में एक और मूल्य-वर्धित सेवा 'साइबर ट्रेजरी' जोड़ी

गई है। अब हमारे ग्राहक आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार हेतु अपने वाणिज्यिक कर / वैट का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑन-लाइन कर सकते हैं।

हमारे एटीएम द्वारा सीधे करों का भुगतान: अब तक हमारे ग्राहक चुनी हुई शाखाओं के काउंटर पर अथवा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा सीधे करों का भुगतान कर सकते थे। अब यह सुविधा हमारे एटीएम पर भी प्रारंभ कर दी गई है।

अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस): यह एनपीसीआई द्वारा की गई पहल है। आईएमपीएस द्वारा इस सुविधा हेतु पंजीकृत ग्राहक बैंकों में निधि का अंतरण कर सकते हैं। इस उत्पाद का सॉफ्ट प्रारंभ किया गया है।

पोर्ट कम्प्यूनिटी-पद्धति द्वारा एकीकरण : हमने अपनी इंटरनेट बैंकिंग का पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पोर्ट कम्प्यूनिटी पद्धति से एकीकरण किया है जिसके द्वारा हमारे ग्राहक, जो विशाखपट्टणम तथा एन्नोर पोर्ट पर पोर्ट सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, सेवाओं के प्रति पोर्ट को भुगतान कर सकते हैं।

मोबाइल पुश एलर्ट : यह सुविधा कई प्रकार के गैर-वित्तीय लेनदेन हेतु भी प्रदान की गई है। हमने ग्राहकों को उनके जन्म दिन पर जन्मदिन शुभकामना एसएमएस संदेश भेजने प्रारंभ किए हैं।

इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहकों द्वारा मीयादी जमा खाते खोलना : हमारी इंटरनेट बैंकिंग पर एक नया ई-उत्पाद प्रारंभ किया गया है जिसके प्रयोग द्वारा हमारे ग्राहक स्वयं बिना शाखा गए इंटरनेट बैंकिंग द्वारा मीयादी जमा खाता खोल सकते हैं। जमा-रसीद शाखा द्वारा प्रिंट करके सिस्टम-जनित आवेदन - फार्म सहित कारेरियर द्वारा ग्राहकों को भेजी जाती है।

पी पी एफ तथा एस सी एस एस प्रारंभ करना : हमारा बैंक भारत सरकार की सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एस सी एस एस) के अंतर्गत खाते खोलने हेतु प्राधिकृत है। ये योजनाएं हमारे सरकारी व्यवसाय मॉड्यूल में सम्मिलित की गई हैं तथा एक साथ प्रारंभ की गई हैं।

ई-बैंकिंग केंद्र : आन्ध्र बैंक ने राज्य की राजधानी में विद्यानगर शाखा तथा नानकरामगुडा फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट में ई-बैंकिंग केंद्र स्थापित किया है। ई-बैंकिंग केंद्र में ए टी एम, स्वयं सहायता पासबुक प्रिंटर, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग तथा चेक-जमा हेतु हॉट लाइन सुविधा है।

इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑन लाइन चेक-बुक : अब हमारे इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक चेक-बुक जारी करने हेतु ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत, ग्राहक को वैयक्तिक चेक बुक जारी की जा रही हैं।

इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आरटीजीएस सुविधा : अब तक, हमारे ग्राहक नेफ्ट सुविधा द्वारा इंटरनेट बैंकिंग से अंतर बैंक निधि अंतरण करते थे। अब आरटीजीएस सुविधा हमारी इंटरनेट बैंकिंग पर भी उपलब्ध है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार हेतु वाणिज्यिक करों / वैट की वसूली :

हमारी इंटरनेट बैंकिंग सेवा में एक और मूल्य-वर्धित सेवा जोड़ी गई है। अब हमारे ग्राहक महाराष्ट्र राज्य सरकार हेतु भी हमारी इंटरनेट बैंकिंग के ऑन लाइन प्रयोग से अपने वाणिज्यिक करों / वैट का भुगतान कर सकते हैं।



Our Customers are enabled to pay their taxes through Internet Banking in CBS. Fund Transfer facility is made available for our Bank accounts and other Bank accounts through Internet Banking. Payment of our Bank's Credit Card Bills is also enabled through Internet Banking facility. As of 31.03.2012, total 72032 e-challans were paid with a value of ₹ 1183.13 Crore.

SMS Alerts facility has been provided to our customers for various types of transactions including ATM Drawals / POS transactions, Online Internet Banking transactions, etc. As on 31.03.2012, 23.25 lakh customers registered for this facility and on an average 90 lakh SMS messages are being sent every month.

Option to register for the SMS Push Alert facility was provided on Bank's ATMs also. Under SMS Pull facility, the customers can get account related information as and when they require by sending an SMS to Bank. The features include balance enquiry, mini-statement, cheque status, etc.

Our Bank Introduced Transaction based Mobile Banking as per RBI guidelines. This facilitates funds transfer from mobile to mobile and mobile to account, donations to temples and utility payments.

Tele-Banking with Interactive-Voice-Response and a 20 seater Call Centre facility has been launched for Customers. Customer can dial up Toll-free number 1800-425-1515 and register online.

During the year transactions under National Electronic Fund Transfer (NEFT) have gone up substantially by 83.5% from 29.97 lakhs to 55.00 lakhs transactions. Under Real Time Gross Settlement (RTGS) transactions increased from 9.28 lakhs to 10.84 lakhs, recording a growth of 16.8%.

Number of ATMs increased from 981 as on 31.03.2011 to 1056 as on 31.03.2012. Number of Debit cards issued during 2011-12, stood at 796634.

Bank started issuing Debit Cards with CVV so that they can be used for Online Payments. A new security feature "Verified by VISA" was introduced as per RBI guidelines for transactions through Internet using Bank's Credit and Debit Cards. For remote Branch and offsite ATM connectivity, Bank has deployed 450 VSATs. Bank is also sending Statements of Account through Email to all registered customers.

A New MIS solution is launched through which reports are provided to Branches / Zonal Offices / Head Office Departments. The solution facilitates export of data into various report formats like excel, pdf, etc. All the data of pensioners is centralized and 41567 pensioners are served through 1245 Branches.

Collection of Commercial Taxes/VAT for AP State Government: One more value added service namely 'Cyber Treasury' has been added to our Internet Banking offerings. Now our customers can pay their Commercial Tax/VAT for AP State Government online using our Internet Banking.

Direct Tax Payments through our ATMs: Hitherto, our customers were able to pay direct taxes through Internet Banking or at select branches across the counter. Now this facility is enabled on our ATMs also.

Inter-Bank Mobile Payment Service (IMPS): This is an initiative by NPCI. Using IMPS, funds transfer can be done across Banks for the customers registered for the facility. This product has been soft launched.

Integration with Port Community System: We have integrated our Internet Banking with Port Community System of Port Trust of India whereby our customers who are using port services at Visakhapatnam and Ennore Ports can make payment to Port towards services availed by them using our Internet Banking.

Mobile Push Alerts: This facility has been extended to many types of non financial transactions also. We have started sending SMS Alerts to customers on their birth days wishing them Happy Birth Day.

Opening of Term Deposit Accounts by customers through Internet Banking: A new e-product has been launched on our Internet Banking using which our customers can themselves open Term Deposit Accounts through Internet Banking without a need to visit the branch. The deposit receipt will be printed by the Branch and be sent to the customers by courier along with the system generated application form.

Launching of PPF and SCSS: Our Bank has been authorized to open accounts for customers under Public Provident Fund (PPF) and Senior Citizen Savings Schemes (SCSS) of Government of India. These schemes have been parameterized in our Government Business Module and have been launched simultaneously.

e-Banking Centre: Andhra Bank has set up e-Banking centre at Nanakramguda financial district and Vidyanagar branch in the state Capital. E-Banking centre is facilitated with self service such as ATM, Self service passbook printer, Internet Banking, Hot line for Telebanking and Cheque deposit.

Online Cheque Book through Internet Banking: Our Internet Banking Customers now can apply online for issuance of a cheque book. Under the said facility, personalized cheque books are being issued to the customer.

RTGS facility through Internet Banking: Hitherto, our customers were able to make inter-bank fund transfer through Internet Banking using NEFT facility. Now, the RTGS facility has also been extended on our Internet Banking.

Collection of Commercial Taxes/VAT for Maharashtra State Government: One more value added service has been added to our Internet Banking offerings. Now our customers can pay their Commercial Tax/VAT for Maharashtra State Government also online using our Internet Banking.

खाता संख्या परिवर्तनीयता : कासा हेतु खाता संख्या परिवर्तनीयता की एक नई विशेषता ग्राहकों हेतु 15.03.2012 से उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के अंतर्गत, ग्राहक बिना खाता संख्या बदले बैंक की किसी भी शाखा में अपने खाते अंतरित कर सकते हैं।

10. नटवर्क विस्तार

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने 80 शाखाएं (10 विस्तार केंद्रों के कोटि उन्नयन सहित) तथा 75 एटीएम खोले। इससे 31.03.2012 तक, बैंक की 1712 शाखाएं, 15 विसतार पटल, 38 आनुषंगी कार्यालय तथा 1056 एटीएम सहित, जो 25 राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेशों में फैले हैं, 2821 सुपुर्दगी चैनल हैं, बैंक की 54 विशेषीकृत शाखाएं हैं जो ग्राहकों के विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बैंक के दुबई (यूएई) (मई, 2006 में खोला गया) तथा न्यू जर्सी (यूएसए) (नवंबर, 2008 में खोला गया) में दो प्रतिनिधि (विदेशी) कार्यालय हैं।

सारणी 12: शाखाओं का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण :

क्र.सं	श्रेणी	संख्या	कुल का %
1	ग्रामीण	454	26.5 %
2	अर्ध-शहरी	479	28.0 %
3	शहरी	509	29.7 %
4	मेट्रो	270	15.8 %
	कुल	1712	100.0 %

31.03.2012 को बैंक की निम्नुसार 54 विशेषीकृत शाखाएं हैं :-

सारणी 13: विशेषीकृत शाखाएं

क्र.सं	विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	शाखाएं
1	विशेषीकृत एस एम ई शाखाएं	18
2	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखाएं	3
3	विशेषीकृत एग्री हाइ-टेक शाखाएं	6
4	विशेषीकृत आवास वित्त शाखाएं	4
5	विशेषीकृत वैयक्तिक बैंकिंग शाखाएं	4
6	विशेषीकृत एन आर आई शाखाएं	4
7	विशेषीकृत ऑटो टेक शाखाएं	8
8	कार्पोरेट वित्त शाखाएं	2
9	विशेषीकृत ऑटो टेक शाखा	1
10	ओवरसीज शाखा	1
11	आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा	3
	कुल	54

10.1 अल्पसंख्यक - आधिक्य जिलों में उपस्थिति :

31.03.2011 में अल्पसंख्यक आधिक्य जिलों में शाखाओं की संख्या 209 से बढ़कर 31.03.2012 में 220 हो गई। देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक आधिक्य जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 31.03.2012 को 12.9 % रहा।

11. गुणात्मक पहलु:

11.1 जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम के

प्रबंधन हेतु, भारिबैं के मार्गदर्शी सिद्धांतों / मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप एक बृहत “स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति” बनाई है। तदनुसार, सभी जोखिम प्रबंधन कार्य जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम), देशी राजकोष का मिड कार्यालय तथा परिचालनात्मक जोखिम कार्यों को एकीकृत किया गया है। बैंक की “एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति” की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुरूप प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठक मार्गदर्शन देने तथा बैंक की जोखिम प्रबंधन पहल के कार्यान्वयन में निदेश देने हेतु नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है।

11.1.1 ऋण जोखिम

- बैंक ने ऋण संबंधी सभी विषयों के विश्लेषण हेतु तथा बोर्ड को सिफारिश करने हेतु एक “ऋण जोखिम प्रबंधन समिति” का गठन किया है।
- बैंक की एक सुपरिभाषित “ऋण नीति” है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। बैंक ने ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, रेटिंग मानक तथा बैंच मार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण जोखिमों पर विवेकपूर्ण सीमाओं, आस्ति केंद्रीकरण, संपादित ऋणों हेतु मानकों, संविभाग प्रबंधन, ऋण समीक्षा प्रक्रिया, जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम अनुप्रवर्तन, ऋणों का मूल्य निर्धारण, प्रावधानीकरण, विनियामक/विधि अनुपालन आदि हेतु नीतियां बनाई हैं।
- बैंक की विभिन्न श्रेणी के जोखिमों हेतु एक बृहत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग पद्धति है।
- बैंक का, कार्पोरेट जोखिम की रेटिंग हेतु, बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं से (ईसीएआई) समझौता ज्ञापन है।
- बैंक क्रिसिल से उद्योग रिपोर्टें तथा क्रिसिल रिसर्च से उद्योग जोखिम स्कोर सेवा का उपयोग करता है।
- बैंक उद्योगों/क्षेत्रों पर संविभाग अध्ययन करता है जहाँ जोखिम पर्याप्त हो तथा ऐसे अध्ययनों के निष्कर्ष पर “ऋण जोखिम प्रबंधन समिति” द्वारा चर्चा की जाती है।

11.1.2 बाजार जोखिम

बैंक की एक सुपरिभाषित “बाजार जोखिम प्रबंधन नीति” है तथा बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों हेतु संगठनात्मक रूपरेखा है। बैंक “निवेश/विदेशी मुद्रा नीति” तथा “आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम नीति)” द्वारा बाजार जोखिम पर नियंत्रण रखता है।

आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) नामक उच्च प्रबंधन समिति बैंक के एएलएम को निरीक्षण करती है तथा बाजार में चल निधि एवं ब्याज दर परिदृश्य पर विचार विमर्श करती है तथा विभिन्न उत्पादों का कीमत निर्धारण करती है। पहचानीकरण, माप, निगरानी एवं नकदी पर बाजार जोखिम को कम करना, ब्याज दरें, ईक्विटी एवं विदेशी मुद्रा क्षेत्र, एएलसीओ द्वारा मानिटर किये जाते हैं।

परिपक्वता शेष के आधार पर परिपक्वता बेमेल हेतु ‘चल निधि जोखिम’ का अनुमान एवं प्रबंध ‘गैप विश्लेषण’ द्वारा किया जाता है। बैंक की चल निधि स्थिति संरचनात्मक चल निधि विवरण तथा अनुमान द्वारा दैनिक आधार पर आंकी जाती है। गैर-परिपक्वता प्रकृति वाली आस्तियों एवं देयताओं हेतु, बैंक व्यावहारिक अध्ययन कर रहा है तथा गैप विश्लेषण के प्रेक्षण गणना में लेता है। व्यावहारिक अध्ययन के परिणामों की बैंक टेस्टिंग तथा



Account Number Portability: A new feature of account number portability for CASA has been made available to customers from 15.03.2012. Under this facility, Customers can get their accounts transferred to any Branch of the Bank without the account number being changed.

10. NETWORK EXPANSION

During the Financial Year 2011-12, Bank opened 80 Branches (including up-gradation of 10 Extension Counters) and added 75 ATMs. With this, as on 31.03.2012, Bank had 2821 Delivery Channels consisting of 1712 Branches, 15 Extension Counters, 38 Satellite Offices and 1056 ATMs spread over 25 States and 3 Union Territories. The Bank has 54 Specialized Branches catering to the needs of the specific segments of clientele. The Bank also has two Representative (overseas) Offices at Dubai (U.A.E) (opened in May 2006) and New Jersey (U.S.A) (opened in November, 2008).

Table 12: Population Group Wise classification of Branches

S.No.	Category	Number	% to total
1	Rural	454	26.5 %
2	Semi-Urban	479	28.0 %
3	Urban	509	29.7 %
4	Metro	270	15.8 %
	TOTAL	1712	100.0 %

As on 31.03.2012 the Bank had 54 Specialized Branches, as detailed hereunder :

Table 13: Specialized Branches

S No.	Category of Specialized Branches	Branches
1	Specialised SME Branches	18
2	Specialised Agricultural Finance Branches	3
3	Specialised Agri - Hitech Branches	6
4	Specialised Housing Finance Branches	4
5	Specialised Personnel Banking Branches	4
6	Specialised NRI Branches	4
7	Specialised Retail Credit Branches	8
8	Corporate Finance Branches	2
9	Auto-Tech Finance Branch	1
10	Overseas Branch	1
11	Asset Recovery Management Branch	3
	TOTAL	54

10.1 Presence in Minority-Dominated Districts

The number of branches in Minority dominated Districts increased from 209 as on 31.3.2011 to 220 as on 31.3.2012. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 12.9% as on 31.3.2012.

11. QUALITATIVE ASPECTS:

11.1 Risk Management

The Bank has put in place a comprehensive "Integrated Risk Management Policy" for the management of credit risk, market risk and operational risk as per the guidance notes/guidelines of RBI. Accordingly, all the risk management

functions, viz., Credit Risk Management, Asset-Liability Management (ALM), Mid-office of the domestic treasury and operational risk functions have been integrated. The "Integrated Risk Management Policy" of the Bank is being reviewed every year in tune with the notifications given by the RBI. The Risk Management Committee (RMC) of the Board meets at regular intervals to provide guidance and directions in implementing the risk management initiatives of the Bank.

11.1.1 Credit Risk

- The Bank has constituted a 'Credit Risk Management Committee' for analyzing all issues relating to credit matters and for recommending to the Board.
- The Bank has a well defined 'Loan Policy' duly approved by the Board. The Bank has formulated policies on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.
- The Bank has in place a comprehensive Internal Credit Risk Rating system for various categories of exposures.
- Bank has entered into a Memorandum of Understanding with the External Credit Assessment Institutions (ECAIs) for rating the Corporate exposures.
- The Bank utilizes industry reports from CRISIL and the industry risk score service from CRISIL Research.
- The Bank undertakes portfolio studies on industries/sectors where the exposures are substantial and the findings of such studies are discussed by the 'Credit Risk Management Committee'.

11.1.2 Market Risk

The Bank has in place a well-defined 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for market risk management functions. The Bank manages market risk through 'Asset-Liability Management (ALM) Policy' and 'Investments/Forex Policy'.

A high level executive committee, namely, Asset-liability Committee (ALCO) oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market and decides upon the pricing of various products. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity, interest rates, equity and forex areas.

The 'liquidity risk' is measured and managed through 'gap analysis' for maturity mismatches based on residual maturity. The liquidity position of the bank is tracked on a daily basis by means of structural liquidity statements and projections. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioural studies and factoring the observations in the gap analysis. The behavioural study findings are subjected to back-testing

नियमित रूप से वैधीकरण करना है। निवल गैप एवं एक वर्ष तक के संचित गैप के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ रखी गयी हैं तथा इन सीमाओं का अनुमान एवं निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। बैंक की चलनिधि प्रोफाईल को भी विभिन्न चलनिधि अनुपातों के माध्यम से नियमित रूप से माप अनुमान लगाया जाएगा तथा इन पर निगरानी, विवेकपूर्ण सीमाओं की सहायता से की जाएगी।

'गैप विश्लेषण' तथा 'अवधि गैप विश्लेषण' द्वारा 'ब्याज दर जोखिम' का प्रबंधन किया जाता है। ब्याज दरों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के प्रति सहनशीलता सीमाएँ लगायी गयी हैं। बैंक की ईक्विटी पर ब्याज दरों में परिवर्तन प्रभाव को माप करने हेतु अवधि गैप विश्लेषण किया गया है तथा ईक्विटी की परिवर्तित अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ रखी गयी हैं। ईक्विटी की परिवर्तित अवधि की स्थिति को नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मुद्रा परिचालन समेत बाजार जोखिम का अनुमान लगाने हेतु वीएआर एवं अवधि विश्लेषण को उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को भी मासिक आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। तरलता और ब्याज दरों की परिदृश्यों का अनुरूपण करते हुए उनके प्रभाव का आकलन करने हेतु तनाव परीक्षण अभ्यास किये जाते हैं।

11.1.3. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का प्रबंधन एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति का एक भाग है और बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु ध्यान केंद्रित किया है। परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के सभी परिचालन जोखिम संबंधी कार्यकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, जिनमें जोखिम प्राफाइल को समझना, परिचालन जोखिम के प्रबंधन से संबंधित सामग्री को तैयार करना और नियंत्रणों में सुधार और न्यूनतम जोखिम को लक्षित करते हुए कार्य करना। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालन जोखिम नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अधीन अनुपालन की निगरानी करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार "बेसिक इंडिकेटर एप्रोच" को अपनाते हुए बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना करता है। परिचालन जोखिम गणना में उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए बैंक ने निम्न कदम उठाये :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन, जो उद्देश्य, पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और परिचालन जोखिम हानि घटनाओं का नियंत्रण, को कवर करता है।
- 5 वर्षों के लिए ऐतिहासिक हानि डाटा का सृजन किया जा रहा है। शाखा स्तर पर ही परिचालन हानि घटनाओं को ट्रैक करने की प्रथा बैंक में है।
- व्यापार क्षेत्र मैपिंग नीति तैयार की गयी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।
- परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना समांतर रूप से मानक एप्रोच (टीएसए) द्वारा की जाती है।
- बैंक ने भा.रि.बैं से परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार के आकलन हेतु बीआईए से टीएसए हेतु अनुमति ली है। हमें भा.रि.बैं से अनुमति अभी प्राप्त होनी है।

11.1.4. बेसल - II तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार "नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क" के अंतर्गत बैंक ऋण जोखिम के लिए मानक एप्रोच, बाजार जोखिम के लिए मानक आविधि एप्रोच और परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन करता है।

ऋण जोखिम : मार्च 31, 2009 को निवेश के अंतर्गत एचटीएम संविभाग सहित समग्र तुलन पत्र हेतु ऋण जोखिम के लिए बैंक ने मानकीकृत प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अपनाया है। बैंक ने कार्पोरेट जोखिम के निर्धारण हेतु बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। बैंक ने बैंक प्रबंधन की राष्ट्रीय संस्था (एनआईबीएम), पुणे के परामर्श से एक ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल (सीआरआरएम) का निर्माण किया है। इस मॉडल को डब्ल्यूएन (व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) आधारित सीआरआरएम मॉडल बनाकर और सुदृढ़ किया है ताकि यह बैंक के किसी भी स्थान से पहुँच के अंदर रहे। यह मॉडल ट्रांज़िशन मैट्रिक्स प्रदान करने तथा डिफॉल्ट संभावनाओं हेतु सूक्ष्म है तथा इससे बैंक को भविष्य में उन्नत माप दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।

बाजार जोखिम : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक बाजार जोखिम (एच एफ टी एवं ए एफ एस वर्ग में निवेश) के लिए पूंजी की आवश्यकता का परिकलन करने के लिए मानक अवधि पद्धति अपना रहा है। आंतरिक मॉडल एप्रोच में परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

परिचालन जोखिम : बैंक ने 31.03.2009 से बेसिक इंडिकेटर एप्रोच के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का प्रबंधन किया है। बैंक ने परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार के आकलन हेतु बीआईए से टीएसए हेतु भा.रि.बैं. अनुमति मांगी है जो अभी मिलनी शेष है।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बैंक वित्त वर्ष 2012-13 से बेसल-III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अंतर्गत तथा बेसल-II के अंतर्गत अपनी पूंजी पर्याप्तता प्रकट करेगा।

11.1.5 प्रकटीकरण नीति :

पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार बैंक के पास प्रकटीकरण नीति है। उसमें दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाता है और प्राधिकृत अधिकारी को उसकी रिपोर्ट दी जाती है।

11.2 आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन :

31.03.2012 को बैंक का सकल एन पी ए ₹ 1,798.01 करोड़ और सकल अग्रिम का सकल एन पी ए प्रतिशत 2.12% है। निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए 0.91% है। 31.03.2012 को 71.13% एन पी ए कवरेज का प्रावधान था।

एन पी ए खातों में वर्ष के दौरान कुल कमी ₹ 484.94 करोड़ हैं।

सारणी 14 -अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ों में)

	2010-11	2011-12
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	487.87	995.64
वर्ष के दौरान जोड़	794.68	1287.31
वर्ष के दौरान कमी	286.91	484.94
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां	995.64	1798.01
निवल अनर्जक आस्तियां	273.68	755.85



and validated regularly. Prudential limits are fixed for net gaps and also for cumulative gap up to one year and these limits are measured and monitored regularly. Liquidity profile of the Bank is also measured regularly through various liquidity ratios and monitoring of the same is done with the help of prudential limits fixed thereon.

The 'interest rate risk' is managed through 'gap analysis' and 'duration gap analysis'. Tolerance limits have been fixed for impact on net interest income (NII) due to adverse changes in interest rates. To measure the impact of interest rate changes on Bank's equity, duration gap analysis is done and prudential limit is set for modified duration of equity. Modified duration of equity is within the prudential limits set for this purpose. VaR and duration analysis are used for measuring market risk including treasury operations. The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is also being assessed on monthly basis. Stress testing exercises by simulating scenarios of liquidity and interest rates are undertaken to estimate their impact.

11.1.3 Operational Risk

Management of Operational Risk is a part of the 'Integrated Risk Management Policy' and the Bank has focused attention for the management of Operational Risk in the light of RBI guidelines. Operational Risk Management Department is responsible for coordinating all the operational risk management activities of the bank which includes building an understanding of the risk profile, implementing tools related to operational risk management, and working towards the goals of improved controls and lower risk. Operational Risk Management Committee [ORMC] ensures implementation of the Operational risk policies and monitors the compliance with limits approved by the Board/Risk Management Committee [RMC].

The Bank has been computing capital charge for operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' (BIA) as stipulated by the RBI. To move towards advanced approaches for Operational Risk Measurement the Bank has put in place the following:

- Operational Risk Management Policy which covers the objectives, identification, assessment, monitoring and control of operational risk loss incidents.
- Historical Loss Data is being created for 5 years. We have a system in place to track the Operational Loss events at branch level.
- Business Line Mapping Policy is framed and approved by Board.
- Capital Charge on Operational Risk is being calculated using The Standardized Approach (TSA) on parallel basis.
- Bank sought permission from RBI to move over to TSA from BIA for calculation of capital charge on Operational Risk. We are yet to receive the permission from RBI.

11.1.4 Basel - II Preparedness

As per RBI guidelines, all commercial banks in India shall follow the Standardised Approach for credit risk, Standardised Duration Approach for market risk and Basic

Indicator Approach for operational risk under the 'New Capital Adequacy Framework'.

Credit Risk: Bank has successfully migrated to Standardised Approach for Credit risk for total balance sheet including the HTM portfolio under Investments as on March 31, 2009. Bank has entered into a Memorandum of Understanding with the External Credit Assessment Institutions (ECAIs) for rating the Corporate exposures. The Bank has also developed a Credit Risk Rating Model (CRRM) with the consultancy assistance of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune. This model is further strengthened internally by making it as a WAN (Wide Area Network) based CRRM model so that it is accessible from any of the location of the Bank. This model is capable of providing transition matrices and default probabilities and would help the Bank in moving over to the Advanced Measurement Approach in future.

Market Risk: The Bank is adopting the Standardised duration method for computing capital charge for market risks (investments in HFT and AFS categories) as per RBI's guidelines.

Operational Risk: Bank has been providing capital charge for operational risk as per the Basic Indicator Approach (BIA) with effect from 31.03.2009. Bank sought permission from RBI to move over to TSA from BIA for calculation of capital charge on Operational Risk. We are yet to receive the permission from RBI.

Pursuant to the RBI guidelines, the Bank would be disclosing its Capital Adequacy under Basel II as well as under Basel III Capital Adequacy Framework from the financial year 2012-13 onwards.

11.1.5 Disclosure Policy

The Bank has a Disclosure Policy as per the disclosure requirements contained in the circular issued by the Reserve Bank of India on the implementation of the new capital adequacy framework. The guidelines therein are adhered to and compliance is reported to the competent authorities.

11.2 Management of Asset Quality

Gross NPAs of the Bank stood at ₹ 1,798.01 Crore as on 31.3.2012 and Gross NPAs as a percentage to gross Advances is 2.12% while Net NPAs as a percentage to net Advances stood at 0.91%. The Provision coverage of NPAs as on March 31, 2012 was 71.13%.

Total reduction during the year in NPA accounts amounted to Rs.484.94 Crore.

Table 14: Position of Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

	2010-11	2011-12
Gross NPAs at the beginning of the year	487.87	995.64
Additions during the year	794.68	1287.31
Reduction during the year	286.91	484.94
Gross NPAs at the end the year	995.64	1798.01
Net NPAs	273.68	755.85

31 मार्च 2012 को अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र वार विवरण निम्नप्रकार है

सारणी 15 : क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ों में, प्रतिशत को छोड़कर)

क्षेत्र	राशिराशि	अग्रिम का प्रतिशत *
1. कृषि	369.85	2.97
2. एम एस एम ई	425.56	3.24
3. खुदरा ऋण	322.46	2.85
4. बृहत् व मध्यम कार्पोरेट	590.86	1.26
5. अन्य	89.28	4.97
कुल	1798.01	2.12

* अग्रिमों के प्रति एनपीए% उस क्षेत्र के अग्रिमों के प्रति एनपीए दर्शाता है।

अनर्जक आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किये गये प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

सारणी 16 : अनर्जक आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

आस्ति की प्रकृति	राशि	किया गया प्रावधान
अवमानक आस्तियां	1084.16	371.57
संदिग्ध आस्तियां	642.48	599.22
हानि आस्तियां	71.37	71.37
कुल	1798.01	1042.16

11.2.1 पुनर्संरचना तंत्र

वर्ष 2011-12 के दौरान 1296 खाते जिसमें ₹ 3947.85 करोड़ बकाया राशि थी को पुनर्संरचना पैकेज के तहत पुनर्संरचित किया गया. मार्च 2012 को पुनर्संरचित खातों में ₹ 6081.03 करोड़ राशि एवं 43364 खाते हैं.

11.2.2 उधार प्रचलन

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति है बाजार की स्थिति गतियाँ और जोखिम जोखिम बोध को ध्यान में रखते हुए उसकी समीक्षा और संशोधन की जाती है. वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड के अनुमोदन से ऋण नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यापक समीक्षा और परिशोधन किया गया तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक पुस्तिका जारी की गई. बैंक ने ग्राहकवार, उद्योग/क्षेत्रवार पर्याप्त जोखिम सीमाएं (आंतरिक सीमाएं) निर्धारित की, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं.

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने क्षेत्र-स्तर कार्यकर्ताओं हेतु अधिकारों के सौंपे जाने पर एक अद्यतन पुस्तिका जारी की तथा अंचलों के प्रमुख स.म.प्र के मंजूरी अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की. नई अर्जक आस्तियों के अध्ययन (आइएएस) नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत 01.04.2011 से सीवीसी के अनुदेशों के अनुरूप जारी किए गए। बैंक का अनुप्रवर्तन कक्ष मासिक आधार पर 3 करोड़ रु से अधिक की सीमाओं वाली सभी मंजूरीयों की समीक्षा करता है तथा स्ट्रेस खातों, यदि हों, के विवरण समय पर उपचारात्मक कार्रवाई हेतु उच्च प्रबंधन के ध्यान में लाए जा रहे हैं।

11.2.3. तकनीकी मूल्यांकन कक्ष (टीएसी) और सिंडिकेशन डेस्क

बैंक में तकनीकी मूल्यांकन कक्ष (टीएसी) है, जो ऋण संसाधन और मंजूरी विभाग से स्वतंत्र है. यह एसबीआई, सीएपी, एपीआईटीसीओ, आदि जैसे अन्य परियोजना परामर्शदाताओं के अनुरूप बनाया गया है. कार्पोरेट ग्राहकों के लिए परियोजना सूचना ज्ञापन (पीआईएम) तैयार करना, तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता (टीईवी) का अध्ययन करना और ऋण प्रबंधन (ऋण सिंडिकेशन) करना, आदि कार्य कक्ष संभालता है. वित्तीय वर्ष 2011-12 में कक्ष ने ₹ 22.26 लाख की शुल्क आधारित आय अर्जित की.

11.2.4. ऋण निगरानी कक्ष

प्रधान कार्यालय के अधिकारों के अधीन आने वाले खातों की निगरानी करने, बृहत् और मिड कार्पोरेट विभागों के लिए अलग से ऋण निगरानी कक्ष का पुनर्गठन किया गया. प्रधान कार्यालय के सीएमआरडी विभाग द्वारा की जा रही ऋण निगरानी से यह अनन्य और अलग है.

11.3 प्रबंधन सूचना तंत्र

बैंक द्वारा विकसित किया गया सुदृढ़ प्रबंधन सूचना तंत्र महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक डाटा का संग्रहण करता है, जैसे कि, जोखिम प्रबंधन और योजना तथा वरिष्ठ प्रबंधन को निर्णय लेने में प्रभावी उपकरण के रूप में काम आता है. इससे शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलती है. बैंक प्रमुख पैरामीटरों में उपलब्ध सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए दैनंदिन आधार पर भी विश्लेषण कर सकता है. बैंक के सी.बी.एस से एम.आई.एस. द्वारा शीघ्र निर्णय लेने तथा उनके कार्यान्वयन में मदद मिलती है।

11.4 निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

31 मार्च 2011 को बैंक की 1632 शाखाएँ थी. उसमें से 1434 शाखाओं का वर्ष 2011-12 के दौरान निरीक्षण करना था. बैंक ने लेखा परीक्षा योजना 2011-12 के अनुसार सभी 1434 शाखाओं का निरीक्षण कर लिया. इसके अलावा 45 बी श्रेणी की शाखाओं का फेमा के अंतर्गत निरीक्षण किया गया. नियमित निरीक्षण की जाने वाली सभी शाखाओं को 2011-12 अवधि हेतु ऑफ-साइट निगरानी लेखा के अंतर्गत कवर दिया गया. सीबीएस परिवेश में ऑफ साइट निगरानी हेतु क्षेत्रों की भी पहचान की गई।

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु 300 शाखाओं को संगामी लेखा के अंतर्गत लाया गया, 31.12.2010 तथा जमा का 63.5%, अग्रिमों का 73.5% तथा कुल व्यवसाय का 70.2% कवर किया गया। निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मुंबई, क्रेडिट कार्ड प्रभाग, प्र.का., डी.आइ.टी., प्र.का., एच.आर.विभाग, प्र.का. निक्षेपागार सहभागिता शाखा हैदराबाद, विजयवाडा, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चैन्नई स्थित सेवा केंद्रों को भी संगामी लेखा में सम्मिलित किया गया।

शाखाओं के अतिरिक्त, निम्न कार्यालयों का भी वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान निरीक्षण किया गया।

नियंत्रक कार्यालयों का पद्धति निरीक्षण एवं वित्तीय लेखा (23) तथा प्र.का. विभाग (24), सेवा केन्द्रों का निरीक्षण (19), क्रेडिट कार्ड केन्द्र (21), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (2), वित्तीय सेवा केन्द्र (7), मुद्रा तिजोरी (28) तथा हमारी वित्तीय सेवाएँ अनुषंगी, एबीएफएसएल (1).



The segment-wise distribution of NPAs as on 31.03.2012 is as under:

Table 15: Segment-wise Non-Performing Assets

(₹ in Crore)		
Segment	Amount	% to Advances*
I. Agriculture	369.85	2.97
II. MSME	425.56	3.24
III. Retail Credit	322.46	2.85
IV. Large and Mid Corporate	590.86	1.26
V. Others	89.28	4.97
Total	1798.01	2.12

*NPA% to Advances indicates NPA to Advances of that segment.

Provisions held under different classes of NPAs are as under:

Table 16: Provisions held for Non-Performing Assets (including floating Provisions)

(₹ in Crore)		
Nature of Asset	Amount	Provision Held
Sub-Standard Assets	1084.16	371.57
Doubtful Assets	642.48	599.22
Loss Assets	71.37	71.37
Total	1798.01	1042.16

11.2.1 Restructuring mechanism

During FY 2011-12, 1296 accounts with outstanding of ₹ 3,947.85 Crore were restructured in terms of the restructuring packages. The total balances in restructured accounts as at the end of March 2012 stood at ₹ 6,081.03 Crore in 43364 accounts.

11.2.2 Lending Practices

The Bank has a Board approved Loan Policy in place and is being reviewed and revised taking into account market conditions and risk perceptions. During the Financial Year 2011-12, a comprehensive review and revision of Loan Policy Guidelines was made with the approval of the Board and a booklet with comprehensive guidelines was released. The Bank has fixed constitution wise and industry / sector wise substantial exposure ceilings (internal exposure ceilings) along with the exposure ceilings fixed by RBI.

During the Financial Year 2011-12, the Bank has released an updated booklet on Delegation of Powers for field level functionaries, and the sanctioning powers of AGMs heading Zones has been substantially enhanced. Guidelines on New Impaired Assets Study (IAS) Policy were issued in accordance with the directions of CVC, with effect from 01.04.2011. The Bank's Monitoring Cell has been reviewing all the sanctions with limits of over Rs.3 Crore on a monthly basis and details of stressed accounts, if any, are being brought to the notice of the Top Management for taking corrective action in time.

11.2.3 Technical Appraisal Cell (TAC) & Syndication Desk

The Bank has a Technical Appraisal Cell (TAC) which is independent of Credit Processing & Sanctioning Departments and is in line with other project consultants in the market, viz., SBI CAPs, APITCO, etc. The Cell undertakes preparation of Project Information Memorandum (PIM), conducting Techno-Economic Viability (TEV) Study and Debt Arrangement (Loan Syndication) for corporate clients. The Cell has earned Fee based income of Rs.22.26 Lakhs during the Financial Year 2011-12.

11.2.4 Credit Monitoring Cell

Credit Monitoring Cell of the Bank is reconstituted for both Large and Mid Corporate Departments separately to monitor the accounts falling under the powers of Head Office. This Monitoring Cell is exclusive and separate from the Credit monitoring done by Credit Monitoring & Review Department (CMRD) at Head Office.

11.3 Management Information System

Bank has developed a robust Management Information System which captures data essential for vital functions such as risk management and planning and which serves as an effective tool for the Top Management in decision making. This has facilitated quick decision making. The Bank is in a position to analyse performance in major parameters even on a day to day basis using the information system available. Leveraging on the CBS platform of the Bank, the MIS has facilitated speedy decision making and its implementation.

11.4 Inspection & Audit

As on 31.03.2011, the Bank had 1632 Branches, out of which 1434 Branches have fallen due for inspection during the year 2011-12. The Bank has completed inspection of all the 1434 Branches, as per the Audit Plan 2011-12. Additionally, 45 B category Branches were subject to inspection under FEMA. All the Branches subject to regular inspection were also covered under Off Site Surveillance Audit for the period 2011-12. Areas for Off Site Surveillance under CBS environment were also identified.

For the Financial Year 2011-12, 300 Branches were brought under the purview of Concurrent Audit, covering 63.5% of Deposits, 73.5% of Advances and 70.2% of Total Business as on 31.12.2010. Investments & International Banking Mumbai, Credit Card Division Head Office, DIT Head Office, HR Department Head Office, Depository Participation Branch Hyderabad and Service Centres situated in Hyderabad, Vijayawada, New Delhi, Mumbai and Chennai were also covered under Concurrent Audit.

In addition to the Branches, the following Offices were subjected to inspection during the Financial Year 2011-12: Systems Inspection & Financial Audit of Controlling Offices (23) and Head Office Departments (24), Inspection of Service Centres (19), Credit Card Centres (21), Regional Rural Banks (2), Financial Service Centres (7), Currency Chests (28) and our Financial Services Subsidiary, ABFSL (1).

11.5. अनुपालन नीति

बैंक में एक समेकित अनुपालन नीति है। उप महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार विभिन्न विभागों और आंचलिक कार्यालयों के अनुपालन अधिकारियों की भूमिका व दायित्वों को परिभाषित करते हुए उपयुक्त संस्थागत ढांचा बनायी गयी है। सांविधिक विनियामक तथा आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन बैंक का कार्य-क्षेत्र है। बैंक की अनुपालन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली है। वार्षिक अनुपालन जोखिम मूल्यांकन के अंतर्गत बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन - उपचारात्मक उपायों की पहचान की है तथा 2011-12 वर्ष में मूल्यांकन किया है। वर्ष 2011-12 हेतु आउटसोर्सिंग नीति, भा.रि.बैं.के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अद्यतन की गई है।

11.6. सूचना अधिकार अधिनियम का पालन करना

सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 दिनांक 18.10.2005 से लागू हुआ। चूंकि हमारा बैंक अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण है, हमारे बैंक में इसे तत्काल लागू किया गया।

सभी आंचलिक प्रबंधकों को संबद्ध अंचलों के सभी कार्यालयों के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किये गये। वे अनुरोधों पर विचार कर उपयुक्त सहयोग/सूचना प्रदान करते हैं। प्रधान कार्यालय में महा प्रबंधक अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी है।

वर्ष 2011-12 के दौरान सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत बैंक ने 1310 अनुरोध और 151 अपील प्राप्त कीं। सभी अनुरोध और अपीलों का उत्तर समय पर दिया गया है।

11.7 ग्राहक सेवा

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण एवं शाखा, आं.का. तथा प्र.का. स्तर पर समय पर निपटान के लिए बैंक, बोर्ड से अनुमोदित शिकायत निपटान नीति अपना रहा है। पेंशन संबंधित सभी डाटा केंद्रीयकृत है तथा केंद्रीयकृत पेंशन संसाधन केन्द्र (सीपीपीसी) से संबंधित है ताकि पेंशन और बकाया राशि अविलंब समय पर जमा की जा सके। पेंशन लेखा कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बैंक के केंद्रीयकृत पेंशन संसाधन केंद्र को मान्यता प्राप्त हुई है।

ग्राहक बैठक :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुरूप, बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार हेतु दिसम्बर, 2011 में (12.12.2011 से 17.12.2011) ग्राहक सेवा सप्ताह मनाया तथा शाखाओं की सेवा सप्ताह मनाया तथा शाखाओं की स्वच्छता एवं ग्राहकों से विनम्र व्यवहार हेतु स्टाफ को जागरूक किया

ग्राहक संपर्क सप्ताह के भाग के रूप में, बैंक ने एक ही दिन देशभर में याने 15.12.2011 को ग्राहक बैठक का आयोजन किया (ऐसी ग्राहक बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं) प्र.का. तथा आं.का. से उच्च प्रबंधन तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष पर्यवेक्षकों के रूप में शाखाओं में गए तथा ग्राहकों से बातचीत की। ग्राहक बैठकों में प्राप्त सुझावों को समेकित करके बैंक - मानदंडों के अनुसार यथासंभव कार्यान्वयन हेतु सभी अंचलों को परिचालित किया गया।

11.8 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन को सभी कार्यों को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक एच आर नीति वर्ष के दौरान बनाई गई। बैंक को पदोन्नति/भर्ती, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में विभिन्न मानव संसाधन विषयों पर भारत सरकार से कई मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त हुए हैं। इन सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों को एच.आर नीति में समाविष्ट किया गया। बैंक को खंडेवाल समिति से एच.आर विषयों पर अपनाने हेतु स्वीकृत सुझाव भी प्राप्त हुए। स्वीकृत सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्तमान श्रम-शक्ति में वृद्धि तथा ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन, राजकोष आदि क्षेत्रों में कुशलता-अंतर की पूर्ति तथा वित्तीय समावेशन की मांग की पूर्ति हेतु 199 विशेषज्ञ अधिकारी, 322 सामान्य अधिकारी तथा 928 लिपिकों को वर्ष के दौरान भर्ती किया गया।

11.9 औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण है। मान्यता प्राप्त अधिकारी फेडरेशन एवं अवार्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हर तिमाही में संयुक्त बैठक की गयी है। इसके अलावा, आंचलिक स्तर में स्थानीय मामलों के समाधान के लिए, कामकाजी स्थिति में सुधार और ग्राहक सेवा संबंधी मामलों पर चर्चाएं होती हैं। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी कल्याण योजनाओं में सीमाओं को बढ़ाने के लिए विचार किया गया तथा ग्राहक सेवा एवं कार्य संबंधित विषयों में सुधार किए गए।

11.10 प्रशिक्षण

- बैंक के अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना युक्त नव-निर्मित **एपेक्स कॉलेज**, जो हैदराबाद के फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट के विख्यात आईटी हब में है, का उद्घाटन दि.28.11.2011 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किया गया।
- नव-नियोजित कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु आरंभिक तथा अनुवर्ती पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अलावा कर्मचारियों की मूल क्षमताओं में सुधार लाने हेतु, उन्नत ऋण, नेतृत्व विकास, उत्पादन जागरूकता, दृष्टिकोण परिवर्तन और सॉफ्ट स्किल विकास पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।
- बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे अद्यतन विकास/परिवर्तन के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर में वित्तीय समावेशन, जोखिम प्रबंधन, एनपीए प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आदि विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्यशालाएं/कार्यक्रम शामिल किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 233 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 5566 कर्मचारियों को, जो लिपिकीय तथा एमएमजीएस III संवर्ग के कुल कर्मचारी संख्या के 47% हैं, प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, 221 अधिकारियों को एनआईबीएम, सीएबी, आईडीआरबीटी, भारतीय रिजर्व बैंक, बीआईआरडी, आईआईबीएफ, आईआईबीएम आदि जैसी विख्यात संस्थाओं द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों की परिचालनिक दक्षता को बढ़ाने हेतु, 66 विशिष्ट सीबीएस पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन के विभिन्न मॉड्यूल की उन्नत विशेषताओं के संबंध में इनपुट दिए गए।



11.5 Compliance Policy

The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. An executive of the Bank in the rank of Deputy General Manager has been appointed as the 'Chief Compliance Officer'. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Departments and Zonal Offices. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank. Suitable reporting system is put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy of the Bank. Under Annual Compliance Risk Assessment, Bank has identified Fraud Risk Management - Preventive Measures and assessed in the year 2011-12. Outsourcing Policy for the year 2011-12 is updated taking into consideration RBI guidelines.

11.6 Adherence to Right to Information Act

RTI Act, 2005 came into force with effect from 18.10.2005 and the act was implemented in our Bank from the date of inception as the Bank is Public Authority under Sec. 2 (h) of the Act.

All Zonal Managers are designated as Central Public Information Officers (CPIOs) for all offices in the Zone to deal with request and render reasonable assistance / information. General Manager at Head Office is the Appellate Authority under the Act.

During the Year 2011-12, Bank received 1310 requests and 151 Appeals under RTI Act. All the requests and Appeals were responded and replied in time.

11.7 Customer Service

The Bank is adopting a Board approved Grievance Redressal Policy for customers complaints and their timely disposal at Branch, Zonal Office and Head Office levels. All the data relating to pensions are centralized and linked to Centralized Pension Processing Centre (CPPC) to facilitate timely credit of pension and arrears without any delays. The Bank has received the recognition of the Centralized Pension Processing Centre from Central Pension Accounting Office, Government of India, New Delhi.

Customers' Meet

In accordance with the directions of Department of Financial Services, Ministry of Finance, the Bank observed Customer Contact Week in mid December 2011 (12.12.2011 to 17.12.2011) in order to improve the customer service, sensitize the staff for attending the Customers in a courteous manner, for cleanliness of the Branches, etc.

As a part of the Customer Contact Week, Bank also conducted Customers' Meet across the country on a single day, i.e., 15.12.2011 (such Customers' Meets are being conducted at regular intervals). Top Management and Senior Officers from Head Office and Zonal Offices visited the Branches as Special Observers and interacted with Customers. The suggestions received during the Customers' Meet were consolidated and circulated to all the Zones for implementation to the extent possible as per Bank Norms.

11.8 Human Resources Management

A comprehensive HR Policy covering the entire gamut of HR functions was put in place during the year. Bank has also received several guidelines from the Government of India on various HR matters in the areas of promotions, Recruitment, Performance Appraisal, etc. All these guidelines were incorporated in the HR Policy. Bank is also in receipt of the accepted recommendations of the Khandelwal Committee on HR Matters in Public Sector Banks from the Government of India for adoption. The accepted recommendations are being implemented in a phased manner.

To augment the existing manpower and bridge the skill gaps in areas like Credit, Information Technology, Forex, Risk Management, Treasury, etc., and to meet the demands of Financial Inclusion, 199 Specialist Officers, 322 General Officers and 928 Clerks were inducted during the year.

11.9 Industrial Relations

Industrial Relations are cordial in the Bank. Quarterly Meetings were held with the representatives of the recognized Officers' Federation and the Award Employees' Union. Apart from this, meetings were also held at Zonal level to sort out the local issues to better the working conditions as well as customer service. For the benefit of the Employees, enhancement in the limits was considered under staff welfare schemes and improvements were made in the areas of customer service and work related matters.

11.10 Training

- Bank's newly built **Apex College** with state-of-the-art training infrastructure located in the coveted IT Hub of Financial District in Hyderabad was inaugurated by the Hon'ble Chief Minister on 28.11.2011.
- To improve the core capabilities of employees, various training programmes on Advanced Credit, Leadership Development, Product Awareness, Attitudinal Change & Soft Skill Development were conducted besides induction & follow-on refresher programmes for grooming the newly inducted employees.
- Workshops/programmes on specialized areas like Financial Inclusion, Risk Management, NPA Management, Cyber Security, International Financial Reporting Standards, etc., were incorporated in the calendar of trainings to create the awareness among the Employees about latest developments / changes that are taking place in Banking Sector.
- In FY 2011-12, 233 in-house training programmes were conducted covering 5566 Employees which constitute 47% of the total staff strength in Clerical and Officers Cadre up to MMGS III. In addition to this, 221 Officers were trained through external trainings conducted by reputed institutions like NIBM, CAB, IDRB, RBI, BIRD, IIBF, IIBM, etc.
- For enhancing the operational efficiency of Employees on technology front, inputs on advanced features of different modules of Core Banking Solutions were imparted by conducting 66 exclusive CBS Refresher Programmes.

- बैंक ने फेडरल, मुम्बई की ओर से अन्य बैंकों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा पर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को प्रायोजित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में उपलब्धियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विदेश में आयोजित बाहरी कार्यक्रमों में विभिन्न संवर्गों के 15 कर्मचारियों को प्रायोजित किया गया।
- बैंक में नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

11.11 कर्मचारी संख्या

	संख्या	कुल का %
अधिकारी	8209	54.37
लिपिक	3903	25.85
अधीनस्थ कर्मचारी *	2987	19.78
कुल	15099	100.00

* अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के अलावा

11.12 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति प्रोफाइल

बैंक भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अजा एवं अजजा के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वित कर रहा है। 31.03.2012 को बैंक के कुल कार्यदल में अजा एवं अजजा का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3288 एवं 1094 है। बैंक में अबतक कुल 8209 अधिकारी हैं जिसमें अजा श्रेणी के अधिकारी 1390 हैं और अजजा श्रेणी के 586 अधिकारी हैं। बैंक ने अजा एवं अजजा कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए प्रधान कार्यालय में एक महा प्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी तथा अंचल के स्तर पर सभी आंचलिक प्रबंधकों को संपर्क अधिकारियों के रूप में पदनामित किया। आन्ध्र बैंक अजा एवं अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से संयुक्त तिमाही बैठकों का आयोजन करता है। डॉ. रामेश्वर ओरेयन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, ने सभी माननीय सदस्यों के साथ हमारे प्रधान कार्यालय, हैदराबाद का दि. 23.08.2011 को दौरा किया और बैंक में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री के.बी. कृष्ण मूर्ति, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली ने दि. 04.01.2012 को हमारे प्रधान कार्यालय, हैदराबाद का दौरा किया और अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध सेवा लाभ और अन्य कल्याण उपायों की समीक्षा की।

11.13 खेलकूद

बैंक खेलों को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खेलों को प्रोत्साहन देता है। बैंक ने क्रिकेट, कबड्डी एवं शतरंज जैसे कुछ खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती की है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने उपर्युक्त क्षेत्रों में कई ट्राफियां और पदक प्राप्त किये हैं।

11.14 विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

बैंक विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का विवेकपूर्ण पालन करता है। 31.03.2012 को विकलांग श्रेणी के अंतर्गत बैंक में कुल 240 स्टाफ हैं जिसमें से 81 अधिकारी, 111 लिपिक, 35 अधीनस्थ कर्मचारी एवं 13 अंशकालिक सफाई कर्मचारी हैं।

12. राजभाषा

बैंक राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और राजभाषा विभाग के सभी निर्देशों का कार्यान्वयन कर रहा है। सभी अंचलों द्वारा प्रत्येक वर्ष में हिंदी माह, चार हिंदी कार्यशालाएं, संपर्क अधिकारी (हिंदी) वार्षिक सम्मेलन, सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण (हिंदी माध्यम) आयोजित किया जाता है।

बैंक पिछले दो सालों से ऑन-लाइन राजभाषा परीक्षा का सफल आयोजन कर रहा है। हमारा बैंक ऐसी नवोन्मेषी राजभाषा परीक्षा का आयोजन करने वाला पहला और एक मात्र बैंक है। सभी शाखाओं में 'आकृति द्विभाषी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' के अलावा 'स्क्रिप्ट मैजिट' इंटरफेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सभी अंचलों को राजभाषा कार्यान्वयन पर एक सीडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें महत्वपूर्ण परिपत्र, विभिन्न फॉर्मेट, अनुस्मारक, दिशा-निर्देश और हिंदी के प्रयोग के संबंध में विभिन्न प्रेजेंटेशन उपलब्ध हैं। हिंदी के उपयोग में वृद्धि लाने हेतु बैंक के पोर्टल में विभिन्न मानक पत्र, प्रोफार्मा, स्टाफ कॉलेज की प्रशिक्षण सामग्री, राजभाषा विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र, हिंदी गृह पत्रिका, आकृति द्विभाषी सॉफ्टवेयर और अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

सभी शाखाओं में 'सप्ताह का विचार' और 'प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखिए' योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। सभी प्रशासनिक कार्यालयों में यूनिकोड एनेबल किया गया है और सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हमारा बैंक हैदराबाद, कर्नूल तथा विशाखपट्टणम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) का संयोजक है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार द्वारा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

13. सतर्कता

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 08.08.2011 से धोखाधड़ी की निगरानी हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) के भाग के रूप में अलग से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) का सृजन किया गया।

सतर्कता नियमावली के अनुसार, बैंक के सतर्कता विभाग का कार्य निर्धारित प्रोफार्मा में त्रैमासिक आधार पर मुख्य कार्यपालक मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल छियासठ शिकायतें प्राप्त हुईं। जहाँ आवश्यक हो, अनुपालन/जाँच की गई और शिकायतों का निपटान किया गया। अनुशासनिक कार्रवाई के लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु कदम उठाए गए और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 282 मामलों को निपटारा किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, 782 शाखाओं का सतर्कता संबंधी निरीक्षण किया गया और एसएमजीएस IV और उच्चतर सहित सभी अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणियों की निर्धारित संख्या में समीक्षा की गई। बैंक के सतर्कता विभाग ने परिचालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विभाग और निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा विभाग में कार्यान्वयन हेतु प्रणालीगत परिवर्तन सुझाए हैं।



- The Bank has sponsored Employees to Orientation Programme on Foreign Exchange organized by other Banks on behalf of FEDAI, Mumbai.
- To have an international exposure and to equip themselves with the accomplishments in the Global Financial Markets, 15 Employees in different Cadres were sent to External Programmes conducted abroad.
- Special focus is being placed on training and mentoring of the new recruits in the Bank.

11.11 Staff strength

	Strength	% to total
Officers	8209	54.37
Clerks	3903	25.85
Sub Staff *	2987	19.78
Total	15099	100.00

* Excluding Part Time Sweepers

11.12 SC/ST Profile

Bank has been implementing the reservation Policy for SCs & STs as per Govt. of India guidelines. The representation of SCs and STs is 3288 and 1094 respectively in the total workforce of the Bank as on 31st March 2012. The total Officers in the Bank as on date are 8209, of which 1390 Officers belong to SC category and 586 Officers belong to ST category. Bank has nominated a General Manager as Chief Liaison Officer for SCs & STs at Head Office and all Zonal Managers as Liaison Officers at Zonal Level to address the Grievances of SC & ST Employees. Bank has been conducting the quarterly joint meetings with the representatives of SC & ST Employees' Welfare Association of Andhra Bank. Dr. Rameshwar Oraon, Chairman, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi, along with all the Honorable Members visited our Head Office Hyderabad on 23.08.2011, and reviewed implementation of Reservation Policy for Scheduled Tribes in the Bank. Shri K. B. Krishna Murthy, Hon'ble Member, National Commission for Safai Karamcharis, New Delhi, visited our Head Office, Hyderabad on 04.01.2012 and reviewed service benefits and other welfare measures available to Part-Time Sweepers.

11.13 Sports & Games

The Bank is encouraging sports in order to facilitate promotion of sports and games to achieve excellence. The Bank has recruited outstanding sports personnel in a few disciplines like Cricket, Kabaddi and Chess. During the year 2011-12, Bank has won several trophies and medals in the above fields.

11.14 Persons with Disability (PWD)

The Bank is prudently following the Govt of India guidelines regarding recruitment of physically challenged persons. As on 31.3.2012, the Bank had a total of 240 Staff under the 'Persons with Disabilities' category consisting of 81 Officers, 111 Clerks, 35 Subordinate Staff and 13 Part Time Sweepers.

12. OFFICIAL LANGUAGE

Bank is implementing all directives of Reserve Bank of India and Official Language Department, besides implementing Annual Action Plan regarding Official Language Implementation. Hindi Month, four Hindi Workshops, Liaison Officers (Hindi) Annual Conference, General Banking Training (Hindi Medium) is being conducted every year by all the Zones.

Bank is conducting on-line Official Language Test successfully for the last two years. Our Bank is the first and the only Bank to conduct such an innovative Rajbhasha test. "Script Magic" interface facility has been provided in all the Branches, besides loading 'Akruti' bilingual Computer Software. All the Zones have been provided with a CD on 'O.L. Implementation' which contains important circulars, various formats, reminders, guidelines and various presentations regarding use of Hindi. Various standard letters, proformas, training material of Staff College, important circulars of O.L. Department, Hindi House Magazine, 'Akruti' bilingual software and other relevant material are made available on the Bank's portal in order to facilitate increase in use of Hindi.

'Thought for the Week' and 'Learn a Hindi word everyday' Schemes are implemented in all the Branches. Unicode has been enabled in all the Administrative Offices and training is being provided to all the Employees.

Our Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committee (Banks) in Hyderabad, Kurnool and Visakhapatnam. Town Official Language Implementation Committee (Banks), Hyderabad was awarded Third Prize by Regional Implementation Office, Government of India.

13. VIGILANCE

As per the directives of RBI, a separate Fraud Risk Management Group (FRMG) as part of the Integrated Risk Management Department (IRMD) has been created to monitor frauds with effect from 08.08.2011.

As per the Vigilance Manual, the work of Vigilance Department of the Bank is reviewed in the prescribed format on quarterly basis by the Chief Executive with the Chief Vigilance Officer. During the Financial Year 2011-12, total sixty six complaints were received. Compliance/ Investigation had been done wherever necessary and the complaints were disposed off. Steps were initiated for quick disposal of pending cases of disciplinary proceedings, and a total of 282 cases were disposed off during the Financial Year 2011-12.

During the Financial Year 2011-12, Vigilance Inspection of 782 Branches was conducted, and stipulated number of Annual Property Statements of all Officials including SMGS IV and above were reviewed. The Vigilance Department of the Bank has suggested systemic changes for implementation to Operations Department, DIT, Human Resources Department and Inspection & Audit Department.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, निवारात्मक सतर्कता के संबंध में स्टाफ को पुनश्चर्चा के संबंध में स्टाफ कॉलेज में 106 सत्र चलाए गए। वर्ष के दौरान गृह पत्रिका 'सावधान' को पुनः आरंभ किया गया। बैंक की सभी शाखाओं में निवारात्मक सतर्कता के संबंध में ऑन लाइन परीक्षा का आयोजन किया गया और उच्च कार्यनिष्पादकों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

दिसंबर 2011 में स्थानीय बैंकों की समन्वयक बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें धोखाधड़ियों और अन्य सतर्कता पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

बैंक ने 31.10.2011 से 05.11.2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मनाया गया और प्रधान कार्यालय में दि.03.11.2011 को एक बैठक आयोजित की गई। सतर्कता के संबंध में शिकायत दर्ज करने हेतु एक अलग ई-मेल आईडी (vigilance@andhrabank.co.in) का सृजन किया गया। सभी शाखाओं में सतर्कता के संबंध में जागरूकता जगाने और धोखाधड़ी तथा अन्य संबंधित मामलों पर सूचना बॉटने हेतु बैंक के पोर्टल में सतर्कता हेतु एक वैब पेज का सृजन किया गया।

वर्ष 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु सभी शाखाओं द्वारा घोष समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वार्षिक विवरणी को कंप्यूटरीकृत किया गया है और ऑन लाइन किया गया।

14. अग्रणी बैंक योजना

बैंक 1983 से राज्य स्तर बैंकर समिति, आन्ध्र प्रदेश, का संयोजक है और छह जिलों में यथा आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और गुंटूर में और ओडिशा राज्य के गंजाम और गजपति जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी संभाल रहा है। बैंक अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में अपनी सभी जिम्मेदारियां निभा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य 1.00 लाख करोड़ से अधिक बकाए कृषि ऋण और 13 लाख एसएचजी को प्रदत्त ₹ 15,548 करोड़ के एसएचजी बैंक लिंकेज वित्त पोषण के साथ देश का नेतृत्व कर रहा है। यह उपलब्धि एसएलबीसी और अन्य अग्रणी बैंकों के संगठित प्रयासों से ही संभव हो पाई है।

बैंक ने सेवा से संबंधित किसानों और अन्य कृषेतर गृहस्थियों को सेवा प्रदान करने और 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के संबंध में वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत-सरकार के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय किया है।

सेवा से वंचित किसानों की मैपिंग और तीव्र देयताओं की वसूली हेतु आन्ध्र प्रदेश के कृषि विभाग का सहयोग लिया जा सका। हरित पहल के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं के संबंध में ई-भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

एसएलबीसी, आन्ध्र प्रदेश के संयोजक बैंक के नाते, वित्तीय समावेशन, आवास ऋण, कृषि ऋण, सरकार प्रयोजित योजनाओं, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण, एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उप-समितियों का गठन किया गया।

सभी पगधारियों और सामान्य जनता के सूचनार्थ आन्ध्र प्रदेश के एसएलबीसी हेतु विशिष्ट वेबसाइट स्थापित की गई है जिसका यूआरएल www.slbcap.nic.in है।

15. एपीबीआईआरईडी

आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण और उद्यमों विकास हेतु बैंकर संस्थान (एपीआईआरईडी) एक गैर लाभ सोसाइटी है जिसका गठन आन्ध्र प्रदेश सरकार नाबार्ड और

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों द्वारा किया गया है। यह संस्थान ग्रामीण पुरुष, महिला (18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु समूह में), ग्रामीण उद्यमी, ग्रामीण एसएचजी महिलाओं को क्षमता निर्माण, उद्यमी विकास, परियोजना अवसर मार्गदर्शन आदि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है और किसानों तथा कृषकों को कृषि तथा संबंधित गतिविधियों में उचित प्रोद्योगिकी के अंतरण का प्रवर्तन करता है।

16. वित्तीय समावेशन

(वित्तीय समावेशन योजना)

बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी आबादित ग्रामों में मार्च 2012 तक व्यापार प्रतिनिधि परिचालित बैंकिंग आउटलेट द्वारा सेवा उपलब्ध कराई है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर, 1149 ग्रामों में बैंक द्वारा सेवा प्रदान की गई है और 6.42 लाख एबी ग्राम क्रांति बचत खाते, ₹ 500 की बिल्ट-इन ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित, खोले गए हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी एफ आई ग्रामों में 'अत्यंत छोटी शाखा' संकल्पना के अंतर्गत, शाखा का अधिकारी एफआई गांव का सप्ताह में एक बार निर्धारित दिन सीबीएस को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) कनेक्टिविटी युक्त लैपटॉप के साथ दौरा करेगा और मंत्रालय द्वारा संसूचित गतिविधियां/सेवाएं प्रदान करेगा।

"स्वाभिमान" के अनुरूप एफआई ग्रामों में वित्तीय साक्षरता के प्रवर्तन हेतु पैम्फलेट, ग्रामों का दौरा दृश्य-श्रव्य डाक्यूमेंटरी, प्रचार सामग्री युक्त मोबाइल वैन के रूप में प्रारंभिक स्तर पर प्रचार पहल की गई है।

सरकारी योजनाओं का इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एमजीएनआरईजी योजना के अंतर्गत मजदूरी संवितरण हेतु स्मार्ट कार्ड परियोजना:

- बैंक आबादित जिलों में - 'एक जिला एक बैंक' प्रकार के अंतर्गत गुंटूर और श्रीकाकुलम में और 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' के अंतर्गत पूर्व गोदावरी तथा वरंगल जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एमजीएनआरईजी योजना मजदूरी जैसी सरकारी योजनाओं के ईबीटी को जारी रख रहा है।
- उपर्युक्त 4 जिलों में 2665 ग्राम पंचायतों में 16.12 लाख हिताधिकारियों को सेवा प्रदान की गई और आज तक ₹ 446 करोड़ लाभ राशि के रूप में संवितरित की गई।

एसएचजी हेतु स्मार्ट कार्ड परियोजना

एसएचजी के आवास पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने 4 ग्रामों यथा रायवरम, कडियम, अनपति और बीबीनगर में व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा 'एसएचजी हेतु स्मार्ट कार्ड योजना' कि प्राथमिक परियोजना आरंभ की है।

कुल 2400 एसएचजी शाखा रहित बैंकिंग मॉडल सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इस पद्धति के अंतर्गत एसएचजी महिलाएं अपने समय और धन की बचत करती हैं चूंकि उनके एसएचजी खातों में सामान्य बैंकिंग लेनदेन उनके आवास पर ही हो जाता है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए नकदी ऋण सुविधा

प्रलेखन के संबंध में स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए बैंक ने नकदी ऋण पद्धति से एसएचजी का वित्तपोषण आरंभ किया है। सभी वर्तमान एसएचजी को भी मीयादी ऋणों को नकदी ऋण सुविधा ने परिवर्तित करने का अवसर प्रदान किया गया है।



During the Financial Year 2011-12, 106 sessions were conducted at the Staff College to refresh the staff with regards to Preventive Vigilance. The in House Magazine 'Savdhan' was also re-launched during the year. Online test on Preventive Vigilance was conducted in all the Branches of the Bank and the top performers were awarded.

A coordinated meeting of local Banks was conducted in December 2011 for exchange of views on frauds and other vigilance aspects.

The Bank observed Vigilance Awareness Week from 31.10.2011 to 05.11.2011 and a meeting was conducted at Head Office on 03.11.2011. A separate e-mail id (vigilance@andhrabank.co.in) has been created to lodge complaints related to Vigilance. A web page for Vigilance has been created in the Bank's portal for creating awareness among Branches on Vigilance and to facilitate sharing of information on frauds and other related matters.

Annual Return on the implementation of Ghosh Committee Recommendations by all the Branches is computerized and made online for the year ending 31.03.2012.

14. LEAD BANK SCHEME

The Bank is Convener Bank for State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh since 1983 and is also having Lead Bank responsibility in six Districts, viz., Srikakulam, East Godavari, West Godavari and Guntur in Andhra Pradesh and Ganjam and Gajapathi Districts of Orissa State. Bank is discharging all its responsibilities in implementation of Lead Bank Scheme.

Andhra Pradesh State is leading the Country with outstanding Agricultural Credit of above Rs.1.00 lakh crore and SHG Bank Linkage Finance of Rs.15,548 crore extended to 13 lakh SHGs. This could be achieved with concerted effort of SLBC and other Lead Banks.

The Bank has effectively coordinated the implementation of Government of India guidelines for coverage of uncovered farmers and other non-farming households and implementation of Financial Inclusion Plan in respect of villages with above 2000 population.

Support of Agriculture Department of Andhra Pradesh could be enlisted in mapping uncovered farmers and for recovery of chronic dues. Steps are being taken to ensure e-payments in respect of all Government Sponsored Schemes in Andhra Pradesh as part of Green initiative.

As Convener Bank for SLBC, Andhra Pradesh, Sub-Committees were constituted on Financial Inclusion, Housing Loans, Agricultural Credit, Government Sponsored Schemes, Lending to Minority Communities, MSME Sector for focused attention.

An exclusive website is set up for SLBC of Andhra Pradesh with URL www.slbcap.nic.in for the information of all the stake holders and general public.

15. APBIRED

Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (APBIRED) is a non-profit society formed by Government of Andhra Pradesh, NABARD and six Public Sector Banks including Andhra Bank. The

Institute imparts capacity building, entrepreneurship development, project opportunity guidance, etc., to rural men and women (in the age group of 18 years to 35 years), Rural Entrepreneurs, rural SHG women and also promotes transfer of appropriate technology to farmers and agriculturalists in Agriculture and Allied Activities.

16. FINANCIAL INCLUSION

(Financial Inclusion Plan)

Bank has covered all the allotted villages having population above 2000 with Business Correspondent operated banking outlets by March 2012.

At the end of Financial Year 2011-12, 1149 villages have been covered by Bank and 6.42 lakh AB Grama Kranthi Savings Accounts, with built-in overdraft facility of Rs 500 were opened.

The process of opening 'Ultra Small Branches' in all FI villages has been initiated, as per the directions of Ministry of Finance, Government of India. Under the 'Ultra Small Branch' concept, Officer from the Branch shall visit the FI village once in a week on a specified day along with a laptop having Virtual Private Network (VPN) connectivity to CBS to render the activities communicated by the Ministry.

Ground level publicity initiatives have been taken up in the form of release of pamphlets, visit of villages, audio-video documentary, mobile vans mounted with publicity material, etc., to promote Financial Literacy in the FI villages on the lines of 'Swabhimaan'.

Electronic Benefit Transfer (EBT) of Government Schemes

Smart Card Project for disbursement of Social Security Pensions and Wages under MGNREG Scheme:

- Bank is continuing the EBT of Government Schemes such as Social Security Pensions and MGNREG Scheme wages in the allotted Districts – Guntur and Srikakulam under 'One-District-One-Bank' mode and through 'Service Area' mode in East Godavari and Warangal Districts.
- 16.12 lakh beneficiaries in 2665 Gram Panchayats have been covered in the above 4 Districts, and Rs.446 Crore as benefit amount has been disbursed till date.

Smart Card Project for SHGs

To facilitate providing Banking Services at the Door step of SHGs, Bank launched a pilot project of "Smart Card Scheme for SHGs" through Business Correspondents in 4 villages, viz., Rayavaram, Kadium, Anaparthi and Bibinagar.

A total number of 2400 SHGs are availing the facility of branchless banking model. By this method, the SHG women are saving their time and money since the normal banking transactions in their SHG accounts are done at their doorstep.

Cash Credit Facility to Self Help Groups

To mitigate hardship faced by Self Help Groups with regard to documentation, Bank has introduced financing of SHGs through Cash Credit mode. All existing SHGs are also given the opportunity to convert their Term Loans into Cash Credit Facility.

गैर-उधारकर्ता किसानों का कवर

बैंक ने, अपने सेवा क्षेत्र के गांवों में बैंक वित्त द्वारा 100% किसानों को कवर करने हेतु विशेष अभियान आरंभ किया है। 31/03/2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 62790 नए किसानों को बैंक वित्त के अंतर्गत कवर किया गया।

भूमिरहित ग्रामीण गरीबों को एसबी ओवरड्राफ्ट सुविधा

एक जमा उत्पाद एसबी ओवरड्राफ्ट सुविधा (₹ 10,000/- तक) आरंभ किया गया है और बैंक के 5148 सेवा क्षेत्र ग्रामों में भूमिरहित ग्रामीण गरीबों को कवर करने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया है।

अल्पावधि उत्पादन ऋण की पुनःसंरचना

आन्ध्र प्रदेश के 684 मंडलों में जो दिसंबर 2010 में अतिवृष्टि/जाल तूफान से प्रभावित हुए किसानों को राहत आय उपलब्ध करवाए गए। बैंक ने खरीफ 2011 के दौरान खेती से संबंधित गतिविधियों के लिए उनको पात्रता/बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से वित्त भी उपलब्ध करवाया है।

आगे बैंक ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल में (नवंबर-दिसंबर 2011) अकाल बाधित के रूप में घोषित 878 मंडलों में राहत उपाय उपलब्ध करवाने हेतु अनुदेश दिया है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)

बैंक ने अपने 6 अग्रणी जिलों में यथा (आं.प्र में) एलुरु, गुंटूर, काकिनाडा और श्रीकाकुलम और गंजाम गजपति (ओडिशा में) छह वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में वित्तीय साक्षरता का प्रवर्तन और ऋण संबंधित विस्तृत सेवाएं प्रदान करते हैं।

भारिबैं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श को संकल्पना को अर्थपूर्ण और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने हेतु एक समर्पित न्यास के गठन से, बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों के संबंध में ग्रामीण जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वित्तीय साक्षरता पर एक डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार की जा रही है।

17. अनुषंगी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक की एक अनुषंगी है जिसका नाम आन्ध्र बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड (एबीएफएसएल) है, जोकि बैंक के पूर्ण-स्वामित्व में है। वर्ष 2011-12 के दौरान, एबीएफएसएल ने कोई नया व्यवसाय नहीं किया।

बैंक के दो प्रायोजित आरआरबी हैं। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित है, जोकि गुंटूर, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी को कवर करता है तथा उडीशा राज्य में गंजाम तथा गजपति जिलों को ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक कवर करता है। 31.03.2012 को दोनों आर आर बी का संयुक्त व्यवसाय ₹ 3,624 करोड़ रहा।

18. संसदीय समितियों के दौरे

बैंक संसदीय समिति की बैठकों के आयोजन में सक्रिय भाग लेता है और केंद्र तथा राज्य सरकार आदि से दौरे पर आए गणमान्य व्यक्तियों पर ध्यान देता है। दि.04.11.2011 को गृह समिति अध्ययन दौरे हेतु हैदराबाद आई, जिसमें उन्होंने विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक तथा आन्ध्र बैंक के अधिकारियों से विभिन्न बैंकिंग योजनाओं तथा नीति एवं संसद सदस्यों द्वारा उठाए मुद्दों / शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में अनौपचारिक चर्चा की।

19. आन्ध्र बैंक ग्रामीण विकास न्यास

आन्ध्र बैंक ग्रामीण विकास न्यास के तत्वावधान में किसानों, एसएचजी महिला, ग्रामीण बेराजगार युवकों और शिल्पकारों, इत्यादि को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से बैंक ने विभिन्न केंद्रों में (आन्ध्र प्रदेश, उडिशा और केरल राज्यों में) 11 ग्रामीण स्वरोजगार संस्थाओं की स्थापना की।

स्थापन से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इन संस्थानों ने 1,07,388 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया और 65.83% प्रशिक्षित अभ्यर्थी लाभदायक उद्यमों में कार्यरत हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान इन संस्थानों ने 8,391 अभ्यर्थियों को 337 कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया।

20. सुरक्षा व्यवस्थाएं

शाखा, मुद्रा तिजोरी और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैंक ने अत्यधिक प्राथमिकता दी है। 935 संवेदनशील शाखाओं में सीसी टीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। 281 आन-साइट एटीएम को भी सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 739 एटीएम और शेष 761 शाखाओं में सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मुद्रा तिजोरी और शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। एटीएमों की पर्याप्त भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा प्रणालियों में और वृद्धि लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारे बैंक के विरुद्ध अपराध कम किए जा सकें।

21. एनआरआई कक्ष

बैंक और एनआरआई ग्राहकों के बीच संप्रेषण को प्रभावी चैनल के रूप में एनआरआई कक्ष की स्थापना की गयी है। कक्ष मासिक एन आर आई न्यूज बुलेटिन द्वारा अनिवासी ग्राहक के साथ-साथ दो प्रतिनिधि कार्यालयों को वित्तीय क्षेत्रों की अद्यतन गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कक्ष दुबई एवं न्यू जर्सी (यूएसए) के प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ संपर्क रखता है और बैंक के एनआरआई ग्राहकों से नियमित पत्राचार करता है।

बैंक ने खाडी देशों में कई विनिमय केंद्रों से समझौते हेतु व्यवस्था की है तथा वित्तीय वर्ष के दौरान और तीन विनिमय गृहों (अमिरात इंटरनेशनल एक्सचेंज कं., वाल स्ट्रीट एक्सचेंज कं. और ओमान तथा युएई एक्सचेंज कं.) के साथ समझौता किया है और दुबई, कुवैत तथा ओमान के अनिवासियों को सेवा प्रदान कर रहा है। आम जनता में वित्तीय साक्षरता और विदेशी मुद्रा पर जागरूकता फैलाने हेतु एनआरआई कक्ष ने निजामाबाद, तिरुपति और विशाखपट्टणम में तीन प्रदर्शनियों में भाग लिया। आम आदमी में विदेशी मुद्रा विषयों पर जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

22. ब्रांड मूल्य तथा संचार

बाजार में ब्रैंड छवि में सुधार लाने और सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और धर्मार्थ कार्यक्रम देने तथा दान देने हेतु बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम किए:

बैंक ने बैंक के संस्थापक दिवस के अवसर पर साप्ताहिक समारोह के दौरान 'डॉ पट्टाभि स्मारक भाषण' आयोजित किया और भारिबैं के भूतपूर्व गवर्नर, श्री वाई वी रेड्डी ने स्मारक भाषण दिया।



Coverage of Non-Loanee Farmers

Bank has taken up a special campaign to cover 100% Farmers through Bank Finance in Bank's Service Area Villages. Around 62790 new Farmers were covered with Bank Finance during the Financial Year ended 31.03.2012.

SB-Overdraft Facility to landless Rural poor

A new product of SB Overdraft Facility (up to ₹ 10,000) is introduced and special campaign has been started to cover all the landless rural poor in the Bank's 5148 Service Area Villages.

Reschedulement of Short Term Production Credit

Bank has extended relief measures to farmers in 684 Mandals of Andhra Pradesh, which were affected by heavy rain/Jal Cyclone in December, 2010. Bank also provided fresh finance, as per their eligibility / Bank guidelines, for taking up farming activities during Kharrif, 2011.

Further, Bank also issued instructions to extend relief measures to farmers in 878 Mandals declared as drought-hit recently (Nov-Dec, 2011) by the State Government of Andhra Pradesh.

Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs)

Bank has established six Financial Literacy and Credit Counselling Centres in 6 Lead Districts of the Bank – viz., Eluru, Guntur, Kakinada and Srikakulam (in Andhra Pradesh) Ganjam and Gajapathi (in Odisha). The centres are promoting financial literacy and providing credit related extension services.

A Documentary Film on Financial Inclusion is being prepared to create awareness among rural people about the Banking and Financial Systems through the formation of a dedicated Trust for taking forward the concept of Financial Literacy and Credit Counselling in a more meaningful and effective manner, in line with RBI guidelines.

17. SUBSIDIARIES & REGIONAL RURAL BANKS

The Bank has one Subsidiary, namely, Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), which is wholly-owned by the Bank. During the year 2011-12, ABFSL did not conduct any fresh business.

Bank has two sponsored RRBs, namely, Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the Districts of Guntur, East Godavari and West Godavari and Rishikulya Gramya Bank in Ganjam District and Gajapathi Districts in the State of Orissa. The combined Business of the two RRBs as on 31.03.2012 stood at ₹ 3,624 Crore.

18. VISITS OF PARLIAMENTARY COMMITTEES

The Bank is actively involved in organizing Parliamentary Committee Meetings, attending to visiting Dignitaries from Central and State Governments, etc. The House Committee came for a Study Visit to Hyderabad on 04.11.2011, wherein they held an informal discussion with the representatives of various Government Organisations and Officials of SBI, Indian Bank and Andhra Bank regarding the involvement of MPs in various Banking Schemes and the Policy and action taken on grievances / issues raised by MPs.

19. ANDHRA BANK RURAL DEVELOPMENT TRUST

Under the aegis of Andhra Bank Rural Development Trust, Bank has set up 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) at various Centres (in Andhra Pradesh, Odisha, and Kerala States) and is imparting need based training for capacity building / entrepreneurial development and dissemination of knowledge to Farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans.

Since its inception, 107388 candidates have been trained by the Institutes and around 65.83% of the trained candidates are engaged in gainful ventures.

During the year 2011-12, the Institutes imparted training to 8,391 candidates through 337 programmes.

20. SECURITY ARRANGEMENTS

Top priority was accorded to upgrade security arrangements at Branches, Currency Chests and ATMs. CCTV Surveillance System has been installed in 935 vulnerable Branches. 281 onsite ATMs were also brought under CCTV surveillance. Board approval has been obtained for installation of CCTV system in 739 ATMs and in remaining 761 Branches in the Financial Year 2012-13. Annual security inspections of all Chests and Branches have been conducted. Adequate physical security of ATMs is being ensured. Efforts are also being made to further enhance security systems so that crime against our Bank can be reduced.

21. NRI CELL

The NRI Cell was set up with a view to serve as an effective channel of communication between the Bank and its NRI Clientele. The Cell is also updating the Non Resident Customers as well as the two Representative Offices with latest developments in the financial sphere through its Monthly NRI News bulletin. Apart from this, the Cell also undertakes liaison with the Representative Offices of Dubai and New Jersey (USA) and does regular correspondence with the NRI customers of the Bank.

Bank has entered into tie up with three more Exchange Houses in Gulf Countries (Emirates International Exchange Co., Wall Street Exchange Co. and Oman & UAE Exchange Co.) during the Financial Year 2011-12 and extending service to NRIs of Dubai, Kuwait and Oman. To spread financial literacy and awareness on foreign exchange among general public, NRI Cell has participated in three exhibitions at Nizamabad, Tirupathi and Visakhapatnam. These exhibitions were conducted under the guidance of Reserve Bank of India in their endeavour to spread awareness on foreign exchange matters among general public.

22. BRANDING AND COMMUNICATIONS

In order to improve the Brand Image in Market and sponsoring various Cultural, Literary, Educational and Charitable Programmes and giving Donations, the Bank also undertook the following activities during 2011-2012:

It organized 'Dr. Pattabhi Memorial Lecture' during the course of weeklong celebrations of Bank's Founders' Day and the Memorial Lecture was delivered by the former RBI Governor, Sri Y V Reddy.

बैंक ने अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, हैदराबाद में भाग लिया। बैंक के स्टाल को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया और श्री दामोदर राजा नरसिंहा, उप मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक ने गृह पत्रिका 'मैजिकार्ट' को पुनः आरंभ किया और अपनी मिनी टेलीफोन डायरेक्टरी का अद्यतन अंक, तीन वर्ष के बाद निकाला है।

23. बैंक की वेब साईट

बैंक, अपने आगंतुकों को बैंक, सेवाएं और उत्पादनों के संबंध में सूचना देने हेतु, अपनी कार्पोरेट वेबसाईट www.andhrabank.in तीन भाषाओं यथा अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में रखता है। यह वेबसाईट बैंक के साथ संसूचना हेतु आगंतुकों को सुविधा प्रदान करती है ताकि इसकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। बैंक द्वारा प्रदत्त विभिन्न उत्पादों पर ब्याज दरें निरंतर आधार पर अद्यतन की जाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग, उपयोगिता भुगतान, कर भुगतान और अन्य ऑन लाइन सेवाओं को वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है। बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपनी वेबसाईट 'कम दिखने वाले व्यक्तियों' को भी उपलब्ध करवाई है।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-परिचालनिक खातों के संबंध में सूचना प्रदर्शित करने हेतु नए ऑन लाईन मॉड्यूल आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति, आन्ध्र प्रदेश का संयोजक है और एक अलग वेबसाईट रखता है www.slbcap.nic.in इस वेबसाईट में एसएलबीसी बैठकों की कार्यवाही, बैंकर तथा जनता हेतु राज्य सरकार के निर्देश, अनुदेश संसूचित किए गए हैं।

बैंक सेर्ट-इन (इंडियन कंप्यूटर एमर्जेन्सी रेस्पान्स टीम) द्वारा बैंक वेबसाईट के संरक्षित अनुरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

24. पुरस्कार

बैंक ने एमसीएक्स द्वारा वर्ष 2011 हेतु प्रस्तुत सीएनबीसी- टीवी 18 उत्तम बैंक और वित्तीय संस्था अवार्ड के मध्य आकार सार्वजनिक बैंक श्रेणी के अंतर्गत 'एडिटोरियल बोर्ड रोल ऑफ हानर' प्राप्त किया है।

25. 2012 -13 हेतु दृष्टिकोण

केन्द्रीय डाटा कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 2011-12 हेतु 6.9% की जी डी पी वृद्धि का अग्रिम अनुमान भा.रि.बैं के 7.0% बेस-लाइन अनुमान के निकट है। वर्ष 2012-13 में, सामान्य मानसून की अपेक्षा करते हुए, कृषि-वृद्धि प्रचलित स्तर के निकट है। उद्योग गत वर्ष की अपेक्षा बेहतर रहेगा चूंकि उद्योग के सूचक आइआईपी प्रगति में टर्न-अराउंड का सुझाव देते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण भी पूर्व की अपेक्षा कुछ बेहतर है। वर्ष 2012-13 हेतु घरेलू प्रगति वर्ष 2011-12 की अपेक्षा कुछ बेहतर है। तदनुसार, वर्ष 2012-13 हेतु जीडीपी वृद्धि 7.3% का अनुमान है।

वृद्धि एवं मुद्रा स्फीति के अनुरूप वर्ष 2012-13 हेतु एम 3 वृद्धि, नीति-उद्देश्यों हेतु, भा.रि.बैं. द्वारा 15% अनुमानित है। तत्पश्चात, एससीबी की कुल जमा में 16% वृद्धि का अनुमान है। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थान आवश्यकताओं के संतुलन के दृष्टिगत एससीबी के गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि का भा.रि.बैं. का 17% अनुमान है।

घरेलू माँग-आपूर्ति संतुलन के दृष्टिगत, वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक चलन तथा संभावित माँग परिपेक्ष्य में, मार्च, 2013 हेतु डब्ल्यू पी आइ मुद्रा-स्फीति हेतु बेस-लाइन अनुमान 6.5% है। वर्ष के दौरान, मुद्रा-स्फीति के रेंज-बाउंड रहने की अपेक्षा है।

मुद्रा स्फीति के नियंत्रण तथा अपेक्षाओं के दृष्टिगत, मार्च, 2011 से अक्टूबर, 2011 के दौरान नीति-दर में 375 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि के पश्चात, भा.रि.बैं. दिसंबर, 2011 की मिड-तिमाही समीक्षा (एमक्यूआर) में रुका। बाद की वृद्धि मुद्रा-स्फीति डायनॉमिक्स ने भा.रि.बैं. दिसंबर को यह दर्शाने हेतु प्रेरित किया कि और कठोरता आवश्यक नहीं है तथा भविष्य की कार्रवाई दरों को कम करने हेतु होगी।

वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा नीति संबंधी कार्रवाई निम्न अनुसार है:-

- वृद्धि को चालू पश्च-संकट स्थिर करना
- मुद्रा-स्फीति के जोखिमों तथा अपेक्षाओं को देखना तथा
- सिस्टम को उपलब्ध चल-निधि कुशन में वृद्धि

इस परिपेक्ष्य में, भविष्य में भा.रि.बैं. की मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्न है:-

- नीति-दरों का चालू वृद्धि स्तर से समायोजन
- माँग-सृजित मुद्रा-स्फीति दबावों के जोखिमों के विरुद्ध ध्यान देना
- वित्तीय प्रणाली को अधिक चल-निधि कुशन प्रदान करना

26. वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के बोर्ड में निम्न परिवर्तन हुए:-

- श्री आर रामचंद्रन, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दि. 31.12.2011 को सेवा-निवृत्त हुए।
- श्री अनिल गिरोत्रा, बैंक के कार्यपालक निदेशक दि. 30.09.2011 को सेवा-निवृत्त हुए।
- श्री बी ए प्रभाकर ने दि. 02.01.2012 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री के के मिश्रा ने दि. 28.12.2011 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री शैबाल गुप्ता, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक ने दि. 03.04.2011 को बतौर निदेशक अपनी अवधि पूर्ण की।
- श्री राजीव शेखर साहु, केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक ने दि. 13.07.2011 को अपनी अवधि पूर्ण की।
- श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक ने दि. 13.03.2012 को बतौर निदेशक अपनी अवधि पूर्ण की।
- श्री वी एच रामकृष्णन, केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक ने दि. 13.03.2012 को बतौर निदेशक अपनी अवधि पूर्ण की।
- श्री पंकज चतुर्वेदी ने दि. 23.09.2011 को अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक (सीए श्रेणी) के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया।



Bank's participation in **All India Industrial Exhibition, Hyderabad**. Bank's Stall was awarded 2nd prize which was given away by the Deputy Chief Minister of A.P., Sri Damodar Raja Narasimha.

Bank has relaunched its **In-House Magazine, 'Magicart'** and also brought out an updated version of its **Mini Telephone Directory**, both after a gap of three years.

23. BANK'S WEB SITE

The Bank maintains its corporate website www.andhrabank.in in three languages, viz., English, Hindi and Telugu for providing visitors with information about the Bank, its services and products offered. This website is facilitating visitors to communicate with the Bank, thereby paving the way for availing its services. The interest rates on all the various products offered by the Bank are being updated on continuous basis. Online services like Internet Banking, utilities payment, Tax payment and other online services are made available on the website. The Bank has made its website accessible to 'visually impaired persons', as per Government of India guidelines.

The Bank is in the process of introducing new online module for displaying Inoperative accounts as per RBI guidelines.

The Bank being the convener of State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh, maintains separate website www.slbcp.nic.in. This website communicates all the proceedings of SLBC Meetings, State Government directives, instructions to Bankers and public.

The Bank follows meticulously CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) guidelines issued from time to time in maintaining Bank's Website securely.

24. AWARDS AND REWARDS

The Bank has received "**Editorial Board Roll of Honour**" under Mid-sized Public Sector Banks' Category in the CNBC – TV18 Best Bank and Financial Institution Awards presented by MCX for the year 2011.

25. OUTLOOK FOR 2012-13

The advance estimate of the GDP growth of 6.9 per cent for 2011-12 by the Central Statistics Office (CSO) is close to the Reserve Bank's baseline projection of 7.0 per cent. Going forward into 2012-13, assuming a normal monsoon, agricultural growth could stay close to the trend level. Industry is expected to perform better than in last year as leading indicators of industry suggest a turnaround in IIP growth. The global outlook also looks slightly better than expected earlier. Overall, the domestic growth outlook for 2012-13 looks a little better than in 2011-12. Accordingly, the baseline GDP growth for 2012-13 is projected at 7.3 per cent.

Consistent with growth and inflation projections, M3 growth for 2012-13, for policy purposes, is projected by RBI at 15 per cent. Consequently, aggregate deposits of SCBs are projected to grow by 16 per cent. Keeping in view the need to balance the resource requirements of the private sector and the public sector, growth in non-food credit of SCBs is projected at 17 per cent by the RBI.

Keeping in view the domestic demand-supply balance, the

global trends in commodity prices and the likely demand scenario, the baseline projection for WPI inflation for March 2013 is placed at 6.5 per cent. Inflation is expected to remain range bound during the year.

After raising the policy rate by 375 basis points during March 2010- October 2011 to contain inflation and anchor inflation expectations, the Reserve Bank paused in its mid-quarter review (MQR) of December 2011. Subsequent growth-inflation dynamics prompted the Reserve Bank to indicate that no further tightening was required and that future actions would be towards lowering the rates.

The policy actions taken by RBI during the year were expected to:

- stabilise growth around its current post-crisis trend;
- contain risks of inflation and inflation expectations re-surging; and
- enhance the liquidity cushion available to the system.

Against this backdrop, the stance of monetary policy of RBI in future is intended to:

- Adjust policy rates to levels consistent with the current growth moderation.
- Guard against risks of demand-led inflationary pressures re-emerging.
- Provide a greater liquidity cushion to the financial system.

26. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

The following changes took place in the composition in the Board of the bank during the financial year 2011-12:

- Sri R Ramachandran, Chairman and Managing Director of the Bank retired on 31.12.2011 on superannuation.
- Sri Anil Girotra, Executive Director of the Bank retired on 30.09.2011 on superannuation.
- Sri B A Prabhakar assumed charge as the Chairman and Managing Director of the Bank on 02.01.2012.
- Sri K K Misra assumed the charge of Executive Director of the Bank on 28.12.2011.
- Sri Shaibal Gupta, part-time Non-Official Director ceased to be Director as the tenure ended on 03.04.2011.
- Sri Rajib Sekhar Sahoo, Director elected from among the shareholders other than the Central Government ceased to be Director as the tenure ended on 13.07.2011.
- Sri Prem Prakash Pareek, Director elected from among the shareholders other than the Central Government ceased to be Director as the tenure ended on 13.03.2012.
- Sri V H Ramakrishnan, Director elected from among the shareholders other than the Central Government ceased to be Director as the tenure ended on 13.03.2012.
- Sri Pankaj Chaturvedi joined as Part-time Non-Official Director (CA Category) on 23.09.2011.



- श्री जी आर सुंदरवडिवेल, केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक ने दि. 14.03.2012 को बतौर निदेशक अपनी अवधि पूर्ण की।
- श्री के रघुरामन ने 13.03.2012 को बतौर निदेशक अपनी अवधि पूर्ण की तथा केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बतौर निदेशक दि. 14.03.2012 को पुनः चुने गए।
- श्री नंदलाल एल सारडा केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बतौर निदेशक दि. 14.03.2012 को चुने गए।

27. निदेशकों की दायित्व घोषणा

निदेशक मंडल एतद्वारा व्यक्त करता है कि

- वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखा पद्धति मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गये हैं।
- लेखा पद्धतियों का चयन किया गया है और सुसंगत तथा उचित रूप से इन्हें लागू किया गया है और विवेकपूर्ण निष्कर्ष और अनुमान किए गये हैं ताकि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक के काम-काज और लाभ-हानि का सही और सटीक स्थिति दर्शाई जा सके।

- बैंक की आस्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के निवारण हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखापद्धति रिकार्ड बनाए रखने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गयी है।

- वार्षिक लेखा, सतत आधार पर तैयार किये गये हैं।

28. आभार प्रदर्शन

आन्ध्रा बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य प्राधिकारी/ एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं करेस्पॉण्डेंट बैंकों के उनके अमूल्य समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवा एवं उल्लेखनीय व्यावसायिकता एवं अनवरत वृद्धि एवं लाभप्रदता बनाये रखने के लिए बैंक की दूरदृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भूरि भूरि प्रशंसा करता है। अंतिम रूप से निदेशक मंडल सभी ग्राहक एवं पणधारियों को तहेदिल से धन्यवाद देता है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से,

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 07.05.2012

(बी ए प्रभाकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



- Sri G R Sundaravadivel elected as Director from amongst the shareholders other than the Central Government on 14.03.2012.
- Sri K Raghuraman completed term as Director on 13.03.2012 and was re-elected as Director from amongst the shareholders other than Central Government on 14.03.2012.
- Sri Nandlal L Sarda elected as Director from amongst the shareholders other than Central Government on 14.03.2012.

27. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby states that

- The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts and proper explanations have been furnished, relating to material departures.
- Accounting policies have been selected, and applied consistently and reasonably, and prudent judgments and estimates have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank and of the Profit & Loss of the Bank for the Financial Year ended 31.03.2012.
- Proper and sufficient care has been taken for the

maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies (Amendment) Act, 2000, for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

- The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

28. ACKNOWLEDGEMENT

Andhra Bank is grateful to the Government of India, RBI, SEBI and other authorities/agencies, Financial Institutions and Correspondent Banks for their valuable support and guidance. The Directors also express their deep sense of appreciation to all the staff members of the Bank for their dedicated service, outstanding professionalism and commitment towards Bank's vision for a sustainable growth. Finally, the Directors wish to sincerely thank all the customers, shareholders and other stakeholders for their valuable support.

For and on behalf of the Board,

Place : Mumbai

(B A Prabhakar)

Date : 07.05.2012

Chairman & Managing Director

31.03.2012 को बेसल II के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क)

सारणी डी एफ - I : प्रयोग की गुंजाइश

1.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) ग्रुप में प्रथम बैंक का नाम, जिस के लिए यह रूपरेखा लागू है .

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण आन्ध्रा बैंक (एकल) से संबंधित है. बैंक की जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर) एकल आधार पर दर्शाया गया है.

ख) ग्रुप की इकाइयों के संक्षिप्त विवरण के साथ लेखा और नियंत्रण प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार पर भिन्नताओं की रूपरेखा :

i. जो पूर्ण रूप से समेकित है :

आन्ध्रा बैंक की एक ही अनुषंगी है, यानी, आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एबीएफएसएल). वास्तव में एबीएफएसएल महत्वपूर्ण वित्तीय कारोबार नहीं कर रहा है. ₹ 5.00 करोड़ की कुल शेयर पूंजी का (100%) आन्ध्रा बैंक द्वारा अंशदान किया गया है.

ii. जो यथानुपात समेकित है : कुछ नहीं

iii. जिन पर कटौती प्रक्रिया की गयी :

बैंक की निम्न सहयोगी संस्थायें हैं, जिन के लिए बैंक ने शेयर पूंजी का 35% अंशदान दिया है.

क्र.संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अनुपातिक प्रतिशत
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35%
2	ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक	भारत	35%

उपर्युक्त दोनों सहयोगी संस्थाएं लाभ अर्जन कर रही हैं और उनके संबंध में पूंजी की कमी नहीं है.

iv. जिन्हे न तो समेकित किया गया है और न ही कटौती की गई है. (उदा. जहां निवेश जोखिम भारित है):

क्र.संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अनुपातिक प्रतिशत
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी	भारत	30.00%
2	ए एस आर ई सी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	26.02%
3	इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	मलेशिया	25.00%

1.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

क) सभी अनुषंगों में अपर्याप्त पूंजी की सकल राशि, जो समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है, यानी जो कम कर दिया गया है और ऐसे अनुषंगों के नाम : कुछ नहीं

आन्ध्रा बैंक की एकमात्र अनुषंगी, एबीएफएसएल की संचित हानियां बकाया हैं. बैंक ने अनुषंगी में निवेश के रूप में ₹ 5.00 करोड़ पूर्ण पूंजी का प्रावधान किया है (कुल निवेश ₹ 5.00 करोड़).

ख) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की सकल राशि (उदा: चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं, साथ साथ उनके नाम, निगमित देश या आवास, स्वामित्व हित का अनुपात और अन्यथा इन संस्थाओं में वोटिंग पवर का अनुपात. इस के अलावा, इस प्रक्रिया बनाम कटौती प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए नियंत्रक पूंजी पर परिमाणात्मक प्रभाव का भी उल्लेख करें.

बैंक ने इंडिया फस्ट इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक जीवन बीमा कंपनी का आरंभ किया, जो बैंक ऑफ बडौदा और लीगल एण्ड जनरल के साथ एक संयुक्त वेंचर है. बैंक का अंशदान 2009-10 के दौरान 30% है.

क्र.संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व अंशदान का अनुपात	निवेश राशि
1	इंडिया फस्ट लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%	₹ 142.50 करोड़

संयुक्त उद्यम के निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार जोखिम भारित किया गया है.



DISCLOSURES UNDER PILLAR III OF BASEL II (NEW CAPITAL ADEQUACY FRAME WORK) AS ON 31.03.2012

Table DF-1: Scope of Application

1.1 Qualitative Disclosures:

a. The name of the top bank in the group to which the Framework applies.

Disclosures in this report pertain to Andhra Bank (Solo). The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank on standalone basis only is shown.

b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group:

i. That are fully consolidated:

Andhra Bank has only one Subsidiary i.e., Andhra Bank Financial Services Ltd (ABFSL). Infact, ABFSL is not carrying on any significant financial activity. The total Share Capital (100%) of ₹ 5.00 crore is contributed by Andhra Bank only.

ii. That are pro-rata consolidated: NIL

iii. That are given a deduction treatment:

Bank has the following associates where in the bank has contributed 35% of the share capital.

Sl. No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1.	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35%
2.	Rushikulya Grameena Bank	India	35%

The above mentioned two associates are making profits and there is no capital deficiency.

iv. That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted):

Sl. No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1.	India First Life Insurance Co.	India	30.00%
2.	ASREC (India) Ltd	India	26.02%
3.	India International Bank (Malaysia) BHD	Malaysia	25.00%

1.2 Quantitative Disclosures:

a. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: Nil

The sole subsidiary of the Bank, ABFSL has outstanding accumulated losses. The Bank has fully provided entire capital of ₹ 5.00 Crore towards its investment in subsidiary.

b. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.

The Bank launched India First Life Insurance Company, a Joint Venture with Bank of Baroda and Legal & General with a share of 30% in the year 2009-10.

Sl. No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage	Amount invested
1.	India First Life Insurance Co. Ltd.	India	30.00%	₹ 142.50 crore

The investment in the Joint Venture is categorized as 'Held to Maturity' and risk-weighted accordingly.

सारणी डी एफ - 2: पूंजी संरचना

2.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) सभी पूंजीगत उपकरणों की मुख्य बातें और नियम व शर्तों का संक्षिप्त विवरण, विशेषकर ऐसे पूंजी उपकरण जो टीयर - I और टीयर - II में शामिल करने योग्य हैं।

बैंक ने पूंजी में शामिल करने हेतु (31.03.2012 को समाप्त वित्त वर्ष से पहले) नवोन्मेषी बेमीयादी बाण्ड (टीयर-I पूंजी), गौण ऋण बाण्ड लोअर टीयर-II और अप्पर टीयर-II बाण्ड जारी किये हैं।

नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण बाण्ड :

वचन-पत्र - I इश्यू के रूप में अरक्षित गैर संचयी गौण बेमीयादी बाण्ड (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण - टीयर I- पूंजी)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
31.12.2008	200.00	9.50%	निरंतर	10 वर्ष के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल से 'एए+/ स्टेबल'

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान टीयर - I पूंजी में शामिल करने योग्य किसी प्रकार के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण /बाण्ड जारी नहीं किये गये।

जहां तक टीयर-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण /बाण्डों का मामला है, बैंक ने निम्न जारी किए :

ख) बकाया गौण ऋण बाण्ड :

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - V इश्यू (सीरीज ई)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
05.01.2005	200.00	7.25%	111 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स फिच रेटिंग्स द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड - VI इश्यू (सीरीज एफ)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
11.01.2008	700.00	9.15%	124 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एएए+' और मेसर्स फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड इश्यू VII (सीरीज जी)

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
10.09.2008	600.00	11.00%	120 महीने गया आबंटन तिथि से 15 वर्ष राद	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीए आरई एएए' और मेसर्स फिच रेटिंग द्वारा 'एए+(इंड)'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टीयर-II ऋण बाण्ड इश्यू VIII (सीरीज एच) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
24.12.2009	320.00	8.55%	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एएए' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एएए'



Table DF-2: Capital Structure

2.1 Qualitative Disclosures:

Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

Bank has earlier issued (prior to the F.Y. ended 31st March, 2012) Innovative Perpetual Bonds (Tier I Capital), Subordinated Debt Bonds (Lower Tier II) and Upper Tier II Bonds for inclusion in Capital.

a) Innovative Perpetual Debt Bonds:

Unsecured Non Cumulative Subordinated Perpetual Bonds (Innovative Perpetual Debt- Tier I Capital) in the nature of Promissory Notes - I Issue

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
31.12.2008	200.00	9.50%	Perpetual	After 10 years (subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' (stable) by M/s.Brickwork Rating India Pvt Ltd & 'AA+/Stable' by M/s. CRISIL

There was no issue of Innovative Perpetual Debts/Bonds during the financial year 2011-12 eligible for inclusion in Tier-I Capital.

With regard to issue of Debts/Bonds eligible for inclusion in Tier-II Capital, the Bank has issued the following:

b) Outstanding Subordinated Debt Bonds:

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds V issue (Series E)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
05.01.2005	200.00	7.25%	111 months	None	None	'AA+ (Ind)' by M/s Fitch Ratings

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VI issue (Series F)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
11.01.2008	700.00	9.15%	124 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by M/s.FITCH Ratings

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VII issue (Series G)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
10.09.2008	600.00	11.00%	120 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'AA + (Ind)' by M/s.FITCH Ratings

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Debt Bonds VIII issue (Series H)

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
24.12.2009	320.00	8.55%	120 months	None	None	'CARE AAA' by M/s. CARE & 'BWR AAA' (stable) by M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd

अप्पर टीयर II राण्ड :

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू I (सीरीज ए):

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
25.03.2009	200.00	9.30 %	यदि काल आप्शन 10 साल के बाद नहीं किया जाता तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'एए+ / स्टेबल'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू II (सीरीज - बी) :

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
08.06.2009	520.00	8.72 %	यदि काल आप्शन 10 साल के बाद नहीं किया जाता तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+' और मेसर्स क्रिसिल द्वारा 'एए+ / स्टेबल'

अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टीयर-II) बाण्ड इश्यू III (सीरीज - सी):

आबंटन तिथि	बाण्ड राशि (₹ करोड़ों में)	कूपन दर #	अवधि	काल आप्शन	पुट आप्शन	रेटिंग
18.12.2009	280.00	8.70%	यदि काल आप्शन 10 साल के बाद नहीं किया जाता है तो आबंटन की मान्य तिथि से 15 साल	10 साल के बाद (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन)	कुछ नहीं	मेसर्स केअर द्वारा 'सीएआरई एए+' और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा 'बीडब्ल्यूआर एए+'

यदि कॉल ऑप्शन की समाप्ति के बाद यानी बाण्ड जारी करने की तिथि से 10 वर्ष बाद उसका उपयोग नहीं किया जाता तो 0.5% स्टेप-अप आप्शन लागू होगा.

2.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :
क) टीयर I पूंजी की राशि :

बैंक की टीयर I पूंजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षितियां और नवोन्मेषी बेमीयादी बाण्ड शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत है. (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	राशि
प्रदत्त ईक्विटी अंश पूंजी		559.58
आरक्षितियां:		
शेयर प्रीमियम	1778.42	
सांविधिक आरक्षितियां	2026.17	
पूंजी आरक्षितियां	348.01	
आयकर की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	465.00	
प्रतिधारित अर्जन (लाभ हानि खाते में शेष)	99.06	
राजस्व आरक्षिति	2203.15	6919.81
नवोन्मेषी नेमीयादी ऋण बाण्ड		200.00
कुल		7679.39



C) Upper Tier II Bonds:

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue I (A-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
25.03.2009	200.00	9.30%	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' (stable) by M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd & 'AA+/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds Issue II (B-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
08.06.2009	520.00	8.72 %	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'BWR AA+' (stable) by M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd & 'AA+/Stable' by CRISIL

Unsecured Redeemable Non-convertible (Upper Tier II) Bonds Issue III (C-Series):

Date of Allotment	Bond amount (₹ in Crore)	Coupon Rate #	Tenor	Call Option	Put Option	Rating
18.12.2009	280.00	8.70%	15 years from the deemed date of allotment, in case call option is not exercised at the end of 10 years	After 10 years (Subject to RBI Approval)	None	'CARE AA+' by M/s.CARE and 'BWR AA+' by M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd

Step up option of 0.5% at the end of the call option i.e., 10th year from the date of issue of the Bond in case the call option is not exercised.

2.2 Quantitative Disclosures:

a. The amount of Tier I Capital:

Bank's Tier I Capital comprises of equity shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds. The details of the same are as mentioned below.

(₹ in Cr)

Particulars	Amount	Amount
Paid up Equity Share Capital		559.58
Reserves:		
Share Premium	1778.42	
Statutory Reserve	2026.17	
Capital Reserve	348.01	
Special Reserve under Sec 36 (1) (viii) of Income Tax	465.00	
Retained Earnings (Balance in P&L A/c)	99.06	
Revenue Reserve	2203.15	6919.81
Innovative Perpetual Debt Bonds		200.00
Total		7679.39

विवरण	राशि	राशि
घटाइये :		
अमूर्त आस्तियां	28.33	
आस्थगित कर आरित	0.00	
प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए पूंजी प्रभार	0.48	
अनुषंगी और एसोसिएट संस्थाओं में निवेश के लिए कटौती	12.05	40.86
कुल टीयर - I पूंजी		7638.53

ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से कम करने के बाद निवल):

बैंक की टीयर - II पूंजी में गौण ऋण बाण्ड, अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड और अन्य सामान्य प्रावधान और हानि-आरक्षितियां शामिल हैं. उनका विवरण निम्न प्रस्तुत हैं.
(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि	राशि	राशि
अप्रकटीकृत आरक्षितियां	5.00		
सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षितियां	0.00		
मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान	825.34	830.34	830.34
अप्पर टीयर - II ऋण बाण्ड			
कुल बकाया राशि	1000.00		
जिस में से वर्ष के दौरान वर्धित राशि	0.00		
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1000.00	1000.00	1000.00
कुल			
गौण ऋण जो लोअर टीयर II पूंजी में शामिल करने योग्य है			
31.03.2012 को कुल बकाया राशि			
वर्ष के दौरान वर्धित राशि	1740.00		
वर्ष के दौरान भुनायी गयी राशि	0.00		
वर्ष के दौरान पुनः शोधित	40.00		
टीयर - II में शामिल करने योग्य राशि	1700.00	1700.00	1700.00
कुल			3530.34
टीयर II पूंजी से अन्य कटौतियां			
प्रतिभूतिकरण पर पूंजी प्रभार	0.48		
लेनदेन अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए कटौती	12.05	12.53	12.53
कुल टीयर - II पूंजी			3517.81

कुल योग्य पूंजी की संरचना निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

टीयर I पूंजी	7638.53
टीयर II पूंजी	3517.81
कुल योग्य पूंजी	11156.34



Particulars	Amount	Amount
Less :		
Intangible Assets	28.33	
Deferred Tax Asset	0.00	
Capital Charge for Securitization Transactions	0.48	
Deduction for investment in Subsidiaries & associates	12.05	40.86
TOTAL TIER -I CAPITAL		7638.53

b. The total amount of Tier II Capital (Net of deductions from Tier II Capital):

Bank's Tier II Capital comprises of Subordinated Debt Bonds, Upper Tier-II Debt Bonds and other general provisions and loss reserves. The details of the same are as mentioned below:

(₹ in Crore)

Particulars	Amount	Amount	Amount
Undisclosed Reserve	5.00		
General Provisions and Loss Reserves	0.00		
Contingent Provisions on Standard Assets	825.34	830.34	830.34
Upper Tier-II Debt Bonds			
Total amount outstanding	1000.00		
Out of which raised during the year	0.00		
Amount eligible for inclusion in Tier-II	1000.00	1000.00	1000.00
Total			
Subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier II capital			
Total amount outstanding as on 31.03.2012	1740.00		
Amount raised during the year	0.00		
Discounted during the year	40.00		
Redeemed during the year			
Amount eligible for inclusion in Tier-II	1700.00	1700.00	1700.00
Total			3530.34
Other deductions from Tier II capital			
Capital Charge for Securitization Transactions	0.48		
Deduction for investment in Subsidiaries & associates	12.05	12.53	12.53
TOTAL TIER-II CAPITAL			3517.81

c. Total eligible capital comprises of:

(₹ in Crore)

Tier I Capital	7638.53
Tier II Capital	3517.81
Total eligible Capital	11156.34

सारणी डी एफ - 3 : पूंजी पर्याप्तता

3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों हेतु अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए बैंक के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त विवरण :

बैंक ने बेसल -II फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन शर्तों का कार्यान्वयन करते समय विश्व की उत्तम परंपराओं को अपनाया है। बेसल -II से संबंधित विभिन्न मामलों को बताने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा है। बैंक की पूंजी आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की एक अंतरिम पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएपी) समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन 4 वर्ष की मध्यम अवधि के लिए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं को मॉनिटर एवं निर्धारण करने के लिए एवं बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम में जोखिम अधिभारित आस्ति को दृष्टि में रखकर किया गया है।

समिति नियमित रूप से बैठक बुलाती है तथा पूंजी-संवर्धन हेतु विधिवत् परिपेक्ष्य विश्लेषण करके पूंजी संरचना के पुनःसंरचन तथा पूंजी-वृद्धि हेतु, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर उचित ध्यान देते हुए पूंजी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है। बैंक गौण ऋण और हाइब्रिड लिखत के स्तर में आवश्यकतानुसार टीयर-II पूंजी प्राप्त करता है।

3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹. करोड़ों में)

मद	राशि
ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो प्रतिभूतीकरण जोखिम 	7032.45 कुछ नहीं
बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी स्थिति जोखिम 	64.43 1.35 51.77
परिचालनात्मक जोखिम की पूंजी आवश्यकताएं <ul style="list-style-type: none"> मूल सूचक दृष्टिकोण 	466.69
कुल एवं बैंक के टीयर - I सी आर ए आर के लिए <ul style="list-style-type: none"> कुल सी आर ए आर (%) टीयर - I सी आर ए आर (%) 	13.18% 9.02%
समेकित ग्रुप के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर <ul style="list-style-type: none"> कुल सी आर ए आर (%) टीयर - I सी आर ए आर (%) 	13.18% 9.02%
महत्वपूर्ण अनुषंगी, जो समेकित ग्रुप में नहीं है, के लिए कुल एवं टीयर - I सी आर ए आर <ul style="list-style-type: none"> कुल सी आर ए आर (%) टीयर - I सी आर ए आर (%) 	लागू नहीं

सारणी डी एफ - 4 : सामान्य प्रकटीकरण

4.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण

4.1.1 गत देय और अनर्जक की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु):

आस्ति, पट्टे पर ली गयी आस्ति सहित जब भी बैंक को आय देना बंद कर देती है, अनर्जक आस्ति बन जाती है। 'अनर्जक आस्ति (एनपीए)' वह ऋण या अग्रिम है, जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में जहां मूल धन का ब्याज तथा/अथवा किस्त 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाती है,
- ओवर ड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में, जब खाता 90 दिनों से अधिक के लिए अव्यवस्थित/अतिदेय रह जाता है।
- खरीदे गये/भुनाये गये बिलों के संबंध में जब बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाते हैं।
- अल्पावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज दो फसल के मौसमों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है
- दीर्घावधि फसल के संबंध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज एक फसल के मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है।
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है।
- डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में प्राप्य अतिदेय डेरिवेटिव करार के बाजार मूल्य को जब सकारात्मक चित्रित करता है, यदि यह भुगतान की निर्धारित देय तारीख या तिथि से 90 दिन के लिए अतिदेय हो जाती है।



Table DF-3: Capital Adequacy

3.1 Qualitative disclosures:

A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee comprising of the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank over the medium horizon of 4 years, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets in Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on different options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization. The Bank is raising Tier II capital in the form of Subordinated Debt and Hybrid Instruments, as and when required.

3.2 Quantitative disclosures:

(₹ in Crore)

Items	Amount
Capital requirements for credit risk§	
● Portfolios subject to standardized approach	7032.45
● Securitisation exposures	NIL
Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
● Interest rate risk	64.43
● Foreign exchange risk (including gold)	1.35
● Equity position risk	51.77
Capital requirements for operational risk	
- Basic indicator approach	466.69
Total and Tier 1 CRAR for the Bank	
● Total CRAR (%)	13.18%
● Tier 1 CRAR (%)	9.02%
Total and Tier 1 CRAR for the Consolidated Group	
● Total CRAR (%)	13.18%
CRAR (%)	9.02%
Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group	
● Total CRAR (%)	
● Tier 1 CRAR (%)	NA

Table DF-4: Credit Risk: General Disclosures

4.1 Qualitative Disclosures:

a) General qualitative disclosures with respect to credit risk

4.1.1 Definition of Past due and impaired (for accounting purposes):

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A "Non Performing Asset" (NPA) is a loan or an advance where:

- interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan,
- the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as indicated hereunder, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

4.1.2 'अव्यवस्थित' स्थिति:

बकाया राशि, जब भी मंजूर की गयी राशि सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, खाते को अव्यवस्थित माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि मंजूर की गयी राशि /आहरण अधिकार से कम भी है किन्तु तुलन-पत्र की तारीख से 90 दिन तक कोई जमा नहीं है या इस अवधि में नामों की गयी ब्याज राशि से कम है, तो ऐसे खातों को अव्यवस्थित माना जाएगा।

4.1.3 "अतिदेय":

किसी भी ऋण सुविधा में बैंक द्वारा निर्धारित तारीख से पहले यदि बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं होता है, तो वह राशि अतिदेय मानी जाएगी।

4.1.4 रणनीति एवं प्रक्रियाएं:

ऋण जोखिम की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि "उधारकर्ताओं या काउण्टर पार्टियों की ऋण की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पन्न होनेवाली संभाव्य हानियां"। विभिन्न कारणों से उधारकर्ता को अपने वादे से मुकरने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक का ऋण जोखिम मूर्त रूप धारण करता है। ग्राहक या काउण्टर पार्टी द्वारा विवशता के कारण या अनिच्छा के कारण उधार, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं से चूक के कारण ये हानियां उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, हानियां ऋण की गुणवत्ता में वास्तविक या महसूस की गयी कमियों के कारण उत्पन्न पोर्टफोलियो मूल्य में क्षति हैं। अतः ऋण जोखिम, चूक जोखिम और एक्सपोजर जोखिम दोनों का संयुक्त परिणाम है और यह बैंक द्वारा कार्पोरेट, व्यक्तिगत बैंक, वित्तीय संस्था या राज्य के साथ ऋण कारोबार में उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

- ⇒ प्रत्यक्ष ऋण के मामले में : मूलधन/और या ब्याज अदा नहीं किया जाता है
- ⇒ गारंटियां या साख पत्रों के मामले में : दायित्व की परिणति पर ग्राहकों से निधियां वापस न आना;
- ⇒ राजकोष परिचालनों के मामले में : संबद्ध करारों के अंतर्गत काउण्टर पार्टियों द्वारा देय अदायगी या अदायगियों की शृंखला प्राप्त नहीं होना या बंद हो जाना;
- ⇒ प्रतिभूतियां व्यापार व्यवसाय के मामले में : निधि / प्रतिभूतियों के निपटान को प्रभावित नहीं किया जाना;
- ⇒ सीमापार एक्सपोजर के मामले में : राज्य द्वारा विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता और निर्बंध अंतरण में प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना।

ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबंधन समेकित जोखिम प्रबंधन का एक विशिष्ट अंग है। किसी भी बैंकिंग संस्था की दीर्घ-कालिक सफलता के लिए यह अत्यावश्यक है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, ऋण रेटिंग/स्कोरिंग द्वारा मापन, संभाव्य ऋण हानि का अनुमान लगाते हुए राशि परिमाण की गणना, वैज्ञानिक ढंग से मूल्य निर्धारण और प्रभावशाली ऋण निगरानी व्यवस्था और पोर्टफोलियो प्रबंधन द्वारा नियंत्रण, आदि शामिल हैं।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है। जिसकी समीक्षा समय समय पर की जाती है। गत वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव परिणाम स्वरूप इससे संबंधित नीति और पद्धतियों का परिमार्जन किया जा रहा है, नीति और पद्धतियों को बेसल II में बताये गये मार्गदर्शी सूत्रों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति निम्न उद्देश्यों से तैयार की गयी है।

1. क्रमिक और स्वस्थ ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना।
2. आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना।
3. स्वीकार्य सीमाओं/विवेकपूर्ण एक्सपोजरों के अंदर ऋण जोखिम एक्सपोजर को बनाये रखना।
4. आस्ति पोर्टफोलियो का इस तरह से प्रबंधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के यहां जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है।
5. बैंक में कार्यान्वित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच (आई आर बी) को माइग्रेट करने के लिए आवश्यक डाटा बेस तैयार करना।
6. पद्धतियां और नियंत्रणों को सरल और कारगर बनाते हुए जोखिम को मिटाना है या कम करना।

4.1.5 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन :

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी) (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आई आर एम डी), प्रधान कार्यालय

4.1.6 जोखिम रिपोर्टिंग की संभाव्यता और प्रकार एवं मापन पद्धतियां :

ऋण जोखिम मापन के अंतर्गत आयाम में अच्छे विकेंद्रीकृत पोर्टफोलियो की प्राप्ति के लिए ऋण जोखिम की माप में एक्सपोजर सीमाओं को निर्धारित करना शामिल है, जैसे कंपनियों, ग्रुप कंपनियों, उद्योग, संपार्श्विक प्रकार एवं भौगोलिक, आदि। बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कंपनियां, ग्रुप कंपनियां, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, गैर सरकारी संस्थाएं, संवेदनशील क्षेत्र, जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), संवेदनशील वस्तुएं, आदि के संबंध में बैंक में प्रक्रियाएं एवं नियंत्रण उपलब्ध हैं।



4.1.2 'Out of Order' status:

An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

4.1.3 'Overdue':

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.1.4 Strategies and Processes:

Credit Risk is defined as **"the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties"**. There is always a possibility for the borrower to default from his commitments for various reasons, resulting in crystallization of Credit risk to the Bank. These losses could stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counter party to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. Credit risk is, therefore, a combined outcome of Default Risk & Exposure Risk and arises from the Bank's dealings with or lending to a corporate, individual, bank, financial institution or a sovereign.

Credit risk may take the following forms:

- ⇒ in the case of direct lending: principal/and or interest amount may not be repaid;
- ⇒ in the case of guarantees or letters of credit: funds may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability;
- ⇒ in the case of treasury operations: the payment or series of payments due from the counter parties under the respective contracts may not be forthcoming or ceases;
- ⇒ in the case of securities trading businesses: funds/ securities settlement may not be effected;
- ⇒ in the case of cross-border exposure: the availability and free transfer of foreign currency funds may either cease or restrictions may be imposed by the sovereign.

The effective management of credit risk is a critical component of comprehensive risk management and is essential for the long - term success of any banking institution. Credit Risk Management encompasses identification, measurement through credit rating/scoring, quantification through estimate of expected loan losses, pricing on a scientific basis and controlling through effective Loan Review Mechanism & Portfolio Management.

The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II guidelines

The Credit Risk Management Policy is designed with the following Objectives.

1. Enhance the risk management capabilities to ensure orderly and healthy credit growth.
2. Maintain the Asset Quality.
3. Maintain credit risk exposure within acceptable parameters/prudential exposures.
4. Manage the asset portfolio in a manner that ensures, bank has adequate capital to hedge risks.
5. Build database necessary for migration to the Internal Ratings Based (IRB) approach, using the Credit Risk Rating Model implemented in the Bank.
6. Mitigate and reduce the risk by streamlining the Systems and Controls.

4.1.5 The structure and organisation of the relevant risk management function:

Credit Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Credit Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Office

4.1.6 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

4.1.7 जोखिम से बचाव और शमन करने की नीतियां और उपाय तथा शमन के निर्बाध प्रभाव को मॉनीटर करने की प्रक्रिया:

बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति है। ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, दर संबंधी मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति केंद्रीकरण, ऋण संपार्श्विकता के लिए मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा प्रक्रिया (तंत्र), जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम पर निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋण का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, विनियामक/कानूनी अनुपालन, आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियां और प्रक्रियाएं बनायी है।

4.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

क) कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	राशि
निधि आधारित	84683.95
गैर निधि आधारित	19429.56

ख) बैंक की विदेशी शाखाएं नहीं हैं , अतएव भौगोलिक ऋण जोखिम विवरण नहीं दिया गया है।

ग) उद्योगवार जोखिम वितरण :

31.03.2012 को उद्योगवार आंतरिक (निधिक) विवरण सीमाएं और विवरण :

31.12.2011 (पिछली तिमाही) को कुल अग्रिम ₹ 77,285.19 करोड

(₹ करोड़ों में)

क्रम. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों की सीमा %	पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों पर सीमा राशि	31.03.2012 को वास्तविक निधिक जोखिम राशि	पिछली तिमाही, यानी 31.12.2011 के कुल अग्रिमों के ऋण जोखिम का %
1	टेक्सटाइल्स*	9.00	6955.67	4692.53	6.07
2	पेट्रोलियम उत्पाद	10.00	7728.52	1292.98	1.67
3	पावर *	25.00	19321.30	17186.76	22.24
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	5.00	3864.26	2899.70	3.75
5	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां *	10.00	7728.52	6312.04	8.17
6	हीरे , जवाहरात और आभूषण	5.00	3864.26	1233.28	1.60
7	धान मिल	6.00	4637.11	2075.70	2.69
8	चीनी	5.00	3864.26	1292.62	1.67
9	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्ज	5.00	3864.26	1574.58	2.04
10	तंबाकू	2.00	1545.70	831.29	1.08
11	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	5.00	3864.26	512.97	0.66
12	डिस्टिलरीस	1.00	772.85	136.02	0.18
13	लोहा और इस्पात *	10.00	7728.52	5192.54	6.72
14	निर्माण और ठेकेदार	10.00	7728.52	2684.49	3.47
15	साफ्टवेयर	1.50	1159.28	213.25	0.28
16	अस्पताल	3.00	2318.56	433.64	0.56
17	होटेल	3.00	2318.56	969.68	1.25
18	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	1545.70	615.11	0.80
19	आवास ऋण (आवासीय बंधक और आवासी मध्यवर्तियों को अप्रत्यक्ष आवास ऋण शामिल हैं)*	15.00	11592.78	6010.03	7.78
20	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)*	7.00	5409.96	2872.70	3.72

* पिछली तिमाही के सकल ऋण एक्सपोजर का 5 प्रतिशत से अधिक एक्सपोजर.



4.1.7. Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

The bank also has a well defined Loan Policy in place. The bank has formulated policies & procedures on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

4.2 Quantitative Disclosures:

a) The total Gross Credit Risk Exposures are :

(₹ in Cr)

Category	Amount
Fund Based	84683.95
Non Fund Based	19429.56

b) Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.

c) Industry type distribution of exposures:

INDUSTRY WISE INTERNAL (FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31.03.2012.

TOTAL ADVANCES AS ON 31.12.2011 (PREVIOUS QUARTER) : ₹ 77,285.19 CRORE

Sl. No	Industry	Ceilings as % of total advances of previous quarter	Ceiling amount on total advances of previous quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2012	Exposure as % of total advances of previous quarter i.e. 31.12.2011
1	Textiles*	9.00	6955.67	4692.53	6.07
2	Petroleum Products	10.00	7728.52	1292.98	1.67
3	Power *	25.00	19321.30	17186.76	22.24
4	Engineering(Heavy & Light)	5.00	3864.26	2899.70	3.75
5	NBFC *	10.00	7728.52	6312.04	8.17
6	Diamonds, Gems & Jewellery	5.00	3864.26	1233.28	1.60
7	Rice Mills	6.00	4637.11	2075.70	2.69
8	Sugar	5.00	3864.26	1292.62	1.67
9	Drugs & Pharmaceuticals	5.00	3864.26	1574.58	2.04
10	Tobacco	2.00	1545.70	831.29	1.08
11	Cement & Cement Products	5.00	3864.26	512.97	0.66
12	Distilleries	1.00	772.85	136.02	0.18
13	Iron & Steel *	10.00	7728.52	5192.54	6.72
14	Construction & Contractors	10.00	7728.52	2684.49	3.47
15	Software	1.50	1159.28	213.25	0.28
16	Hospitals	3.00	2318.56	433.64	0.56
17	Hotels	3.00	2318.56	969.68	1.25
18	Educational Institutions	2.00	1545.70	615.11	0.80
19	Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing intermediaries)*	15.00	11592.78	6010.03	7.78
20	Commercial Real Estate	7.00	5409.96	2872.70	3.72

*Exposure is more than 5 per cent of the gross credit exposure of previous quarter

31.03.2012 को उद्योगवार आंतरिक (गैर निधिक) ऋण जोखिम सीमाएं और ऋण जोखिम
31.12.2011 (पिछली तिमाही) को कुल गैर-निधिक सीमाएं ₹ 26,272.81 करोड हैं

(₹ करोडों में)

क्रम संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही की गैर निधिक ऋण सीमा की सीलिंग %	पिछली तिमाही के गैर निधिक सीमाओं की सीलिंग राशि	31.03.2012 को वास्तविक गैर निधिक आधारित एक्सपोजर	पिछली तिमाही, यानी 31.12.2011 की गैर निधिक ऋण सीमाओं के एक्सपोजर का %
1	टेक्सटाइल्स	4.00	1050.91	474.41	1.81
2	पेट्रोलियम उत्पाद	1.00	262.73	29.15	0.11
3	पावर*	15.00	3940.92	2827.37	10.76
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	12.00	3152.74	1581.29	6.02
5	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5.00	1313.64	752.00	2.86
6	हीरे, जवाहरात तथा आभूषण	1.00	262.73	371.45	1.41
7	धान मिल	2.00	525.46	46.27	0.18
8	चीनी	4.00	1050.91	236.06	0.90
9	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स	6.00	1576.37	676.86	2.58
10	तंबाकू	0.50	131.36	29.28	0.11
11	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	2.00	525.46	140.41	0.53
12	डिस्टिलरीज	0.50	131.36	15.11	0.06
13	लोहा और इस्पात *	14.00	3678.19	2324.08	8.85
14	निर्माण और ठेकेदार *	50.00	13136.41	5464.53	20.80
15	साफ्टवेयर	1.00	262.73	0.23	0.01
16	अस्पताल	1.50	394.09	95.22	0.36
17	होटेल	1.50	394.09	25.92	0.10
18	शैक्षिक संस्थाएं	2.00	525.46	57.36	0.22
19	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)	2.00	525.46	171.92	0.65

* पिछली तिमाही की सकल गैर निधिक सीमाओं का 5% से अधिक एक्सपोजर

घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ करोडों में)

परिपक्वता प्रतिमान	अग्रिम (निवल)	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
0 से 1 दिन	338.53	43.34	196.08
2 से 7 दिन	1141.75	204.88	31.63
8 से 14 दिन	2005.51	344.05	67.83
15 से 28 दिन	1841.46	177.89	119.67
29 दिनों से 3 महीने	9412.09	1820.96	434.14
3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	4838.70	197.76	781.62
6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	9592.82	239.50	0.00
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	32354.34	3079.57	0.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक	9694.29	4351.00	0.00
5 वर्षों से अधिक	12422.34	19196.82	0.00
कुल	83641.83	29655.77	1630.97



INDUSTRY WISE INTERNAL (NON-FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31.03.2012.

TOTAL NON-FUNDED Limits AS ON 31.12.2011 (PREVIOUS QUARTER): RS.26,272.81 CRORE

(₹ in Cr)

Sl. No	Industry	Ceilings as % of Non Fund Limits of previous quarter	Ceiling amount on Non Fund Limits of previous quarter	Actual Non Fund based exposure as on 31.03.2012	Exposure as % of Non Fund Limits of Previous Quarter i.e. 31.12.2011
1	Textiles	4.00	1050.91	474.41	1.81
2	Petroleum Products	1.00	262.73	29.15	0.11
3	Power *	15.00	3940.92	2827.37	10.76
4	Engineering (Heavy & Light) *	12.00	3152.74	1581.29	6.02
5	NBFC	5.00	1313.64	752.00	2.86
6	Diamonds, Gems & Jewellery	1.00	262.73	371.45	1.41
7	Rice Mills	2.00	525.46	46.27	0.18
8	Sugar	4.00	1050.91	236.06	0.90
9	Drugs & Pharmaceuticals	6.00	1576.37	676.86	2.58
10	Tobacco	0.50	131.36	29.28	0.11
11	Cement & Cement Products	2.00	525.46	140.41	0.53
12	Distilleries	0.50	131.36	15.11	0.06
13	Iron & Steel *	14.00	3678.19	2324.08	8.85
14	Construction & Contractors *	50.00	13136.41	5464.53	20.80
15	Software	1.00	262.73	0.23	0.01
16	Hospitals	1.50	394.09	95.22	0.36
17	Hotels	1.50	394.09	25.92	0.10
18	Educational Institutions	2.00	525.46	57.36	0.22
19	Commercial Real Estate	2.00	525.46	171.92	0.65

* Exposure is more than 5 per cent of the non fund limits of the previous quarter

d) Residual contractual Maturity breakdown of assets:

(₹ in Cr)

Maturity Pattern	Advances (Net)	Investments	Foreign Currency assets
0 to 1 day	338.53	43.34	196.08
2 to 7 days	1141.75	204.88	31.63
8 to 14 days	2005.51	344.05	67.83
15 to 28 days	1841.46	177.89	119.67
29 days to 3 months	9412.09	1820.96	434.14
Over 3 months & upto 6 months	4838.70	197.76	781.62
Over 6 months & upto 1 year	9592.82	239.50	0.00
Over 1 year & upto 3 years	32354.34	3079.57	0.00
Over 3 year & upto 5 years	9694.29	4351.00	0.00
Over 5 years	12422.34	19196.82	0.00
Total	83641.83	29655.77	1630.97

ड) एन पी ए की राशि (सकल) :

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	राशि
अवमानक	1084.16
संदिग्ध-1	405.51
संदिग्ध-2	167.90
संदिग्ध-3	69.07
हानि	71.37
कुल	1798.01

च) निवल एन पी ए :

(₹ करोड़ों में)

निवल एन पी ए	755.85
--------------	--------

छ) एन पी ए अनुपात :

(₹ करोड़ों में)

सकल अग्रिमों का सकल एन पी ए (%)	2.12%
निवल अग्रिमों का निवल एन पी ए (%)	0.91 %

ज) एन पी ए में परिवर्तन (सकल) :

(₹ करोड़ों में)

(क) प्रारंभिक शेष	995.64
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	1287.31
(ग) वर्ष के दौरान घटाइयां	484.94
(घ) अंतिम शेष	1798.01

झ) एन पी ए प्रावधानों में परिवर्तन :

(₹ करोड़ों में)

एन पी ए विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	681.02
(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	481.69
(ग) बट्टा खाता / अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	174.84
(घ) अंतिम शेष	987.87
एन पी ए के अस्थिर प्रावधानों में परिवर्तन	
(क) प्रारंभिक शेष	38.06
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान घटाव	कुछ नहीं
(घ) अंतिम शेष	38.06



e) **Amount of NPAs (Gross):**

(₹ in Cr)

CATEGORY	AMOUNT
Sub-Std	1084.16
<i>Doubtful-1</i>	405.51
<i>Doubtful-2</i>	167.90
<i>Doubtful-3</i>	69.07
Loss	71.37
Total	1798.01

f) **Net NPAs:**

(₹ in Cr)

Net NPAs	755.85
-----------------	---------------

g) **NPA Ratios:**

Gross NPA to Gross Advances (%)	2.12%
Net NPA to Net Advances (%)	0.91%

h) **Movement of NPAs (Gross):**

(₹ in Cr)

(a) Opening Balance	995.64
(b) Additions during the year	1287.31
(c) Reductions during the year	484.94
(d) Closing Balance	1798.01

i) **Movement of Provision for NPAs:**

(₹ in Cr)

Movement of Specific Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	681.02
(b) Provisions made during the year	481.69
(c) Write-off / Write-back of excess provisions	174.84
(d) Closing Balance	987.87
Movement of Floating Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	38.06
(b) Additions during the year	NIL
(c) Reductions during the year	NIL
(d) Closing Balance	38.06

ज) अनर्जक निवेशों की राशि : ₹ 0.53 करोड

ट) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानित राशि : ₹ 0.53 करोड

ठ) निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधानों में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

(क) प्रारंभिक शेष	0.53
(ख) वर्ष के दौरान जोड	कुछ नहीं
(ग) वर्ष के दौरान घटाव	कुछ नहीं
(घ) अंतिम शेष	0.53

सारणी डी एफ - 5 : ऋण जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन है

5.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के लिए :

उपयोग की गयी ऋण निर्धारण एजेंसियों के नाम तथा किसी प्रकार के परिवर्तनों के कारण

- क्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सर्वोसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)
- क्रेडिट अनालिसिस अण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- एफ आई टी सी एच रेटिंग इंडियाल प्रइवेट लिमिटेड
- आई सी आर ए लिमिटेड

वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग की गई क्रेडिट एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं है।

एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए एजेंसियों का उपयोग किया गया :

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर) अनुमोदित दर निर्धारण एजेंसी द्वारा दिये गये अल्पावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया..
- आंतरिक नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया.
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मांगे गये दर निर्धारण का उपयोग करता है, जिसकी समीक्षा वैध एवं मान्यता प्राप्त ई सी ए आई द्वारा की जाती है.
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ई सी ए आई का दर निर्धारण एक साथ उपयोग नहीं करता है यदि संबंधित एक्सपोजर का दर निर्धारण एक ही चयनित ई सी ए आई द्वारा न किया गया हो. आगे, बैंक एक कार्पोरेट ग्रुप की अन्य संस्थाओं पर जोखिम भारित के लिए रेटिंग का उपयोग नहीं करता है.
- जहां एक्सपोजर उधारकर्ता को चयनित ई सी ए आई से बहु दर निर्धारण हैं, वहां जोखिम भारित संगणना के लिए बैंक ने निम्न प्रक्रिया अपनायी है
 - i. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा दो दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारितों को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भारित लगाया जाता है.
 - ii. यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारितों को दर्शाता है, तो निम्नतम दो संबंधित दरों का संदर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम दर का जोखिम भारित लगाया जाता है.

बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक निर्गमित दर के अन्तरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण:

ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं है.

5.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

प्रमुख जोखिम बकियों में मिटिगेशन के पश्चात् एक्सपोजर राशियों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत

जोखिम उपशमनों और साथ में कटौती की गयी बैंक की बकाया राशि (दर निर्धारित व दर अनिर्धारित) :

(₹ करोड़ों में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
100% से कम जोखिम भारित	33261.35	4691.57
100% जोखिम भारित	35948.63	11189.15
100% से ज्यादा जोखिम भारित	10278.77	1893.78
घटाया गया	5195.19	1655.06
कुल	84683.95	19429.56



j) Amount of Non-Performing Investments: ₹ 0.53 cr

k) Amount of provisions held for non-performing investments: ₹ 0.53 cr

l) Movement of provisions for depreciation on investments: (₹ in cr)

(a) Opening Balance	0.53
(b) Additions during the year	NIL
(c) Reductions during the year	NIL
(d) Closing Balance	0.53

Table DF-5: Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach

5.1 Qualitative Disclosures:

For portfolios under the standardized approach:

Name of the credit rating agencies used, plus reasons for any changes

- Credit Rating Information Services India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- FITCH Ratings India Private Limited
- ICRA Limited

There was no change in the credit rating agencies used during the year 2011-12.

Types of exposure for which each agency is used:

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdraft) Short term rating given by approved Rating Agencies is used.
- For domestic cash credit, overdraft and for term loan exposures of over 1 year, Long Term Rating is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
 - If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
 - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

No such process is applied

5.2 Quantitative Disclosures:

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of bank's outstandings (rated & unrated) in the following major risk buckets as well as those that are deducted:

(₹ in Cr)

	Fund Based	Non Fund Based
Below 100% risk weight	33261.35	4691.57
100% risk weight	35948.63	11189.15
More than 100% risk weight	10278.78	1893.78
Deducted	5195.19	1655.06
Total	84683.95	19429.56

सारणी डी एफ - 6: ऋण जोखिम उपशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

6.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

ऋण जोखिम शमन के संदर्भ में शामिल सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता :

6.1.1 नीतियां और प्रक्रियाएं, और यह बताने के लिए कि बैंक उनका कहां तक उपयोग करता है, ऑन अण्ड ऑफ बैलन्स

शीट नेटिंग

बैंक ऑन बैलन्स शीट और ऑफ बैलन्स शीट का नेटिंग का प्रयोग तभी करता है जब जमा राशियाँ/नकद किसी विशिष्ट ऋण आस्ति के विरुद्ध रखे जाते हैं.

6.1.2 संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया :

बैंक आस्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार, बैंक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो एक्सपोजर जोखिम के प्रति संपार्श्विकों को पूरा करता है (यथोचित संवारने के बाद). इस तरह संपार्श्विक मूल्य से प्रभावी रूप से जोखिम राशि को कम करता है.

6.1.3 बैंक द्वारा लिये जाने वाले मुख्य संपार्श्विकों का वर्णन :

जोखिम शमन के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतया लिये जाने वाले प्रधान संपार्श्विक निम्न प्रकार हैं :

1. नकद/बैंक जमा राशियां
2. स्वर्ण
3. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र
5. प्रकटित सरेंडर वेल्यू के साथ भारतीय जीवन बीमा पालिसी
6. ऋण प्रतिभूतियाँ (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेम वर्क में परिभाषित के अनुसार)
7. म्यूचुअल फंड की इकाइयां.
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि व भवन (एन पी ए खातों के मामले में मात्र)

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सूत्रों के अनुसार ऋण जोखिम शमन लागू किया जाता है.

6.1.4 गारंटर काउण्टर-पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, ऋण जोखिम के उपशमन के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गारंटी लेता है, जिसके लिए गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है एवं जो शर्त रहित एवं अविकल्पी है, गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यतया उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित या प्रभावित नहीं है. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभूति सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है. ऐसी गारंटियां निरंतर प्रभावित रहती है, जब तक सुविधा की संपूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है.

6.1.5 लिये गये उपशमानों के अंदर जोखिम केंद्रीकरण (बाजार या ऋण)के संबंध में सूचना:

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण पोर्टफोलियो है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत है :

- ऊपर सूचिकृत पात्र वित्तीय संपार्श्विक
- स्वतन्त्र एवं अच्छे मूल्य निर्धारित कॉर्पोरेटों द्वारा गारंटियां
- काउण्टर पार्टी द्वारा दी गयी अचल संपत्ति और चालू संपत्तियां

6.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
क) मार्जिन (हेयरकट) के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किय गये कुल एक्सपोजर. जिनमें से हैं :	6850.26
i) स्वर्ण : 3120.19 करोड	
ii) बैंक की जजमा राशियां : 3696.87 करोड	
iii) बीमा पॉलिसियां : 23.76 करोड	
iv) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र : 9.44 करोड	
ख) गारंटियों द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	4781.34 कुछ नहीं



Table DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

6.1 Qualitative Disclosures:

The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

6.1.1 Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

The Bank makes use of on-balance sheet and off-balance sheet netting only in cases where deposits/cash is held against the particular loan asset.

6.1.2 Policies and processes for collateral valuation and management:

A Board approved Policy on valuation of properties obtained by the Bank, is in place.

As per RBI guidelines, the Bank adopts the comprehensive approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

6.1.3 Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Cash/ Bank's deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as defined in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

6.1.4 Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled.

6.1.5 Information about risk concentration (market or credit) within the mitigation taken:

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of securities, such as:

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates
- Fixed and current assets of the counterparty

6.2 Quantitative Disclosures:

(₹ in cr)

Particulars	Amount
a. Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts. Of which :	6850.26
i) Gold : 3120.19 Cr	
ii) Bank Deposits : 3696.87 Cr	
iii) Insurance Policies : 23.76 Cr	
iv) NSCs / KVPs etc. : 9.44 Cr	
b. Total exposure covered by guarantees Total exposure covered by credit derivatives	4781.34 Nil

सारणी डी एफ - 7: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

7.1 गुणात्मक प्रकटीकरण :

प्रतिभूतीकरण के संदर्भ में शामिल चर्चा के साथ सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता :

7.1.1 प्रतिभूतीकरण गतिविधि के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इस में इन कार्यकलापों द्वारा बैंक से दूर अन्य निकायों में निहित प्रतिभूत एक्सपोजर की ऋण जोखिम को अंतरण करने की मात्रा शामिल है.

प्रतिभूतीकरण गतिविधि हेतु बैंक के लक्ष्य -

- आस्ति देयता असंबद्धताओं को कम करना
- शुल्क आधारित आय में वृद्धि करना और
- निधियों का पुनः विनियोजन.

नीहित प्रतिभूतियों के एक्सपोजर (यानी आवास ऋण) को पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) निवेशकों को हस्तांतरित किया गया.

7.1.2 प्रतिभूत आस्तियों में निक्षिप्त अन्य जोखिमों का प्रकार (उदा. चलनिधि जोखिम);

जब नकद संपार्श्विक प्रावधानों द्वारा चलनिधि जोखिम का ध्यान रखा जाता है और पर्याप्त प्रावधान करने द्वारा ऋण जोखिम का ध्यान रखा जाता है.

7.1.3 बैंक प्रतिभूति प्रक्रिया द्वारा निर्भाई जाने वाली की विभिन्न भूमिकायें और उनमें बैंक का प्रत्येक भूमिका का संक्षिप्त विवरण :

आन्ध्र बैंक प्रवर्तक और सेवा-प्रदाता है. बैंक निम्न प्रकार सभी वित्त पोषण प्रदान करता है

- सबॉर्डिनेट ट्रान्ची (पी टी सी - बी) की पूल प्रिन्सिपल में से 14.7% सबस्क्रिप्शन, जो ₹ 7.41 करोड़ है
- समूह में अतिरिक्त ब्याज अंतर का सबॉर्डिनेशन.
- ₹ 68 लाख समतुल्य नकद संपार्श्विक

7.1.4 प्रतिभूति एक्सपोजर के बाजार जोखिम में परिवर्तनों को मानिटर करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण.

बैंक में आस्तियों के निहित पूल की कार्य सूचना को निरंतर और सामयिक आधार पर प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध है. उस सूचना में - 30, 60, 90 दिनों में गत देय ऋणों का प्रतिशत, डिफाल्ट दरें, पूर्व भुगतान दरें और मोचन निषेध ऋण आदि शामिल हैं.

7.1.5 (क) ऋण जोखिम उपशमन के प्रयोग द्वारा प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के माध्यम से रीटेन किये गये जोखिमों के शमन के लिए बैंक की नीति का विवरण;

बैंक ने सबऑर्डिनेट पीटीसी को सब्सक्राइब कर के, नकद संपार्श्विक प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक प्रावधानों द्वारा साख की बढ़त का भी प्रावधान किया है.

ख) प्रतिभूतीकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं :

क्या लेनदेन विक्रय या वित्तपोषण माने जाते हैं;

लेन देन विक्रय माना जाता है.

रीटेन किये गये या खरीदे गये घटकों के मूल्य निर्धारण की पद्धतियां और मुख्य धारणाएं (जिनमें निविष्टियां शामिल हैं):

बैंक का एक ही प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर है. प्रतिभूतीकरण के दिन को ऋण खातों की बकाया राशि को पी टी सी का मूल्य माना गया.

पिछली अवधि की पद्धतियों और मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव;

कुछ नहीं

प्रतिभूतित आस्तियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को पहचानने के लिए अपनायी जानेवाली नीति.

कुछ नहीं

ग) बैंकिंग बहियों में प्रतिभूतीकरण कार्यकलापों के लिए उपयोग किये गये ई सी ए आई के नाम एवं प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के प्रभार जिस के लिए हर एजेंसी का उपयोग किया गया :

क्रिसिल, दर निर्धारण एजेंसी ने पूल का निर्धारण ए ए ए (एस ओ) किया है.

7.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

7.2.1 बैंकिंग बहियां

क) बैंक द्वारा प्रतिभूत कुल बकाया ऋण जोखिम : ₹ 50.36 करोड़ है



Table DF-7: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

7.1 Qualitative disclosures:

The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:

7.1.1 The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.

Objectives of the Bank for undertaking the securitization activity –

- Reduction of asset liability mismatches;
- Increase in fee based income; and
- Redeployment of funds.

Credit Risk of the underlying securitized exposures (i.e. Housing Loans) is transferred to the investors of Pass Through Certificates (PTCs).

7.1.2 The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets;

While Liquidity risk has been taken care by providing Cash Collaterals, Credit risk is taken care by making adequate provisions.

7.1.3 The various roles played by the bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;

Andhra Bank is the originator and service provider. The Bank is also the provider of credit enhancement in the following form:

- Subscription to subordinate tranche (PTC-B) to the extent of 14.7% of the pool principal aggregating to ₹ 7.41 crore.
- Subordination of excess interest spread in the pool.
- Cash collateral equivalent to ₹ 68 lacs.

7.1.4 A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.

The Bank has in place processes to access information on the performance of underlying pool of securitized exposures on an on-going basis and in a timely manner. Such information includes – percentage of loans which are 30, 60 and 90 days past due, default rates, prepayment rates and loans in foreclosure.

7.1.5 (a) A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;

The Bank has provided credit enhancement by way of subscribing to the sub-ordinate PTCs, by providing Cash collateral and also making suitable provisions.

b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:

Whether the transactions are treated as sales or financings;

The transaction is treated as a sale.

Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased

The Bank has only one securitization exposure. The outstanding in the loan accounts as on the date of securitization was considered to be the value of PTCs.

Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;

Nil

Policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.

Nil

c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

CRISIL, the Rating Agency has rated the pool as AAA (so).

7.2 Quantitative disclosures:

7.2.1 Banking Book

- a) **The total amount of exposures securitised by the bank:** ₹ 50.36 crore

- ख) बैंक द्वारा चालू अवधि के दौरान पहचानी गयी एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियाँ, एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित (उदा. क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि. अण्डर लैयिंग प्रतिभूति द्वारा विवरित): कुछ नहीं
- च) एक साल के अंदन प्रतिभूतित किये जानेवाली आस्तियों की राशि : इस दशा में कुछ नहीं
- छ) उक्त (च) में से प्रतिभूतिकरण के एक साल पूर्व उत्पन्न आस्तियाँ : लागू नहीं
- ज) प्रतिभूतित एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजन प्रकार द्वारा) और एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिकी पर पहचान नहीं की गयी लाभ या हानि . वर्ष 2004 के दौरान बैंक ने ₹ 50.36 करोड़ के आवास ऋण प्रतिभूतित किया. किसी प्रकार की हानियों की पहचान नहीं की गयी.

झ) निम्न मदों की सकल राशि :

- ऑन बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर रीटेन किया गया या एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित कय और
- ऑफ बैलन्स शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर एक्सपोजर प्रकार द्वारा विघटित

ऊपर जैसा

- ज) धारित या कीत प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजर के बीच विघटित और प्रत्येक नियंत्रक पूंजी अप्रोच के लिए आगे जोखिम भारित बैंड के रूप में विघटित
- पी टी सी - ए के सबार्डिनेट के रूप में पी टी सी - बी के रूप में ₹ 7.41 करोड़ के प्रतिभूतित आवास ऋण बैंक द्वारा सबरकैब किया गया
- ट) टीयर - I पूंजी द्वारा कम की गयी एक्सपोजर, क्रेडिट एन्हान्सिंग आई/ओ, जो समूचे पूंजी में से घटाये गये हैं, और अन्य एक्सपोजर जो समूचे पूंजी में से घटाये गये हैं (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)
- प्रतिभूतिकरण लेनदेन द्वारा पूंजी प्रभार ₹ 121.20 लाख है, जिस में से 50% टीयर I से और 50% टीयर II पूंजी से घटाया गया.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

7.2.2 व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक)

बैंक का व्यापार बही में कोई प्रतिभूति एक्सपोजर नहीं है

सारणी डी एफ - 8: ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

8.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

8.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में सुउदाहरित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना है. नीति के उद्देश्य है:

- अंतर्निहित बाजार संबंधी जोखिम को कैप्चर करने एवं ऑफ बैलेंस शीट मदें, और बैंक के बेहतर हित में मानीटर एवं प्रबंध करने
- यह सुनिश्चित करने कि बैंक का निवल बयाज दर बाजार संबंधी पहलुओं के घटबढ़ से संरक्षित है
- बाजार जोखिम के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के स्तर को सुधारने
- पूंजी स्रोतों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पूंजी संगणन के अधुनातन पद्धतियां के अपनाने के लिए बैंक को तैयार रखना

8.1.2 संबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ऑल्को)
- महाप्रबंधक -आईआरएमडी (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय
 - इंटीग्रेटेड मिड ऑफीस
 - आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

8.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- बैंक ने ओवरनाइट सीमा, इंद्राडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नोवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपाजर सीमा, उत्पादवार एक्सपाजर सीमा, इश्यूअरवार एक्सपाजर सीमा जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं.
- बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा मानीटर करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान है.



- b) For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security): Nil
- c) Amount of assets intended to be securitised within a year: Nil, at this stage
- d) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation: Nil
- e) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognized gains or losses on sale by exposure type.

Bank has securitized Housing Loans to the tune of ₹ 50.36 crore during 2004.

No losses were recognised by the Bank

f) Aggregate amount of:

- on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and
- off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type

Same as above

- g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach ₹ 7.41 crore of Securitised Housing Loans is subscribed by the Bank as PTC-B, subordinate to PTC-A.
- h) Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

Capital charge on Securitisation transaction is ₹ 95.98 lacs, of which 50% is deducted from Tier I and 50% from Tier II Capital.

7.2.2 Trading book

The Bank does not have any securitization exposure in its trading book.

Table DF-8: Market Risk in Trading Book

8.1 Qualitative Disclosures:

8.1.1 Strategies and processes:

The Bank has in place a well-defined and Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are

- to capture all the market related risks inherent in on and off-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

8.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- General Manager-Integrated Risk Management Department (Chief Risk Executive)-Head Office
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Office-
- Integrated Mid Office
- Asset Liability Management Cell

8.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

- Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the bank from trading desk to the Board level.

- जोखिम प्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए बाजार को मार्क किये जाने वाले प्रयोग की जाने वाली दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जाती है।
- बैंक की रणनीति के अनुसार रिपोर्ट निष्पादन एवं जोखिम, व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन का अनुप्रवर्तन करने के लिए रिपोर्ट प्रयोग की जाती है।
- रिपोर्टिंग सिस्टम समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट लचीले हैं और निर्णय करने की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करते हैं।
- डीलिंग रूम गतिविधियां केंद्रीकृत है
- रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं समयांतरल की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जोखिम मानीटरिंग, माप एवं निवारण बैंक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

8.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की विभिन्न अनुमोदित नीतियां यानी कि बाजार जोखिम प्रबंधन नीति देश प्रबंधन जजोखिम नीति, काउण्टर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, फॉरेक्स नीति एवं एएएलएम नीति विद्यमान हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम निर्धारण, पहचान एवं माप एवं प्रशामक, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

बैंक में काउंटर बैंक जोखिम प्रबंधन नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के श्रेणीकरण के लिए स्कोरिंग मॉडल है। स्कोरिंग मैट्रिक्स के अनुसार काउंटर पार्टियों द्वारा प्राप्त प्वायंट / मर्कों के आधार पर विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ बनायी जाती हैं।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रासंगिक निधीयन योजना बनाने द्वारा दबाव की स्थिति के समय चलनिधि की स्थिति अनुकूल है। प्रत्येक समय फ्रेम में सहा सीमाएँ हैं और उसके उल्लंघन से चलनिधि में बाधाएँ आने का संकेत प्रदान करेंगे।

8.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
- मानकीकरण अवधि अप्रोच	64.43
● ब्याज दर जोखिम	
● विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	1.35
● ईक्विटी स्थिति जोखिम	51.77

सारणी डी एफ - 9 : परिचालन जोखिम :

9.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

9.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक का परिचालक जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालक प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग एवं प्रासंगिक योजना युक्त हैं। बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां बनायी गयी हैं।

9.1.2 संबंध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालक जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है।

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालक जोखिम पबंधन समिति (ओआरएमसी)
- महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का (मुख्य जोखिम कार्यपालक)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी) प्रका

9.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति एवं/या माप प्रणाली

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं बाह्य इनथवेंट के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं। हानि ईवेंट के आधार पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जाता है।

9.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बैंक में परिचालन जोखिम पबंधन के संबंध में निम्न नीतियां बनायी गयी हैं।

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति: नीति में परिचालन जोखिम, जोखिम पबंधन संरचना, पहचान, निर्धारण, परिचालक जोखिम की माप एवं मानीटरिंग किये जाते हैं।



- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation. The reports are flexible and enhance decision-making process.
- The Dealing room activities are centralized
- The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suffice the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

8.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Counterparty Bank Risk Management Policy, Investment Policy, Forex Policy, and ALM policy are put in place for market risk management. Market risk management policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

Bank has in place a scoring model for categorization of International banks under Counterparty Bank Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity risk management policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of the same would signal a forthcoming liquidity constraint.

8.2 Quantitative Disclosures:

(₹ in Cr)

Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
● Interest rate risk	64.43
● Foreign exchange risk (including gold)	1.35
● Equity position risk	51.77

Table DF-9: Operational Risk:

9.1 Qualitative Disclosures:

9.1.1 Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

9.1.2 The structure and organisation of the relevant risk management function:

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- General Manager of Integrated Risk Management Department, Head Office (Chief Risk Executive)
- Operational Risk Management Cell (IRMD), Head Office

9.1.3 Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of MIS on loss event types.

9.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

Bank has put in place the following policies pertaining to Operational Risk Management:

- Operational Risk Management Policy: The policy covers the terms of operational risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of operational risk.

- अनुपालन नीति: बैंक में समग्र अनुपालन नीति है। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार आंचलिक कार्यालय, प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिचालक विभाग एवं शाखाओं में विभिन्न विभागों में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं ताकि गुपवार एवं बहुविध क्षेत्राधिकार अनुपालन जोखिम पर कार्य किया जा सके..
- बिजिनेस लाइन मापन नीति : भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक की सभी गतिविधियों को आठ बिजिनेस लाइनों में माप करने के लिए बैंक में "बिजिनेस लाइन मापन नीति" विद्यमान है और सकल आय बिजिनेस लाइन-वार प्राप्त की जाती है.

परिचालनात्मक जोखिम पूंजी निर्धारण

- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनाई है.

सारणी डी एफ - 10 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

10.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर के विनियमन से, विनियम दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली की व्यापकता बढ़ने के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनियम दर जोखिम इत्यादि एक्सपोज हो सकते हैं. आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की मानीटरिंग एवं प्रबंधन के माप करने के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निहित हैं. बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढ़ाने हेतु एएलएम का प्रधान उद्देश्य है.

समुत्थान शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने चलनिधि एवं ब्याज दर संरचनाओं के द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दरों में पैरलल शिफ्ट के जरिए जोखिम पर अर्जन को मूल्यांकित करता है एवं बेसिस जोखिम को भी.

स्ट्रेस की स्थिति भांपकर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, जिसमें ऋण का पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व क्लोजर द्वारा व्यवहारात्मक अध्ययन के लिए जहां एम्बेडेड ऑप्शन हैं स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं.

अर्जन परिप्रेक्ष्य से आईआरआर के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाया गया परंपरागत गैप विश्लेषण का पालन किया जाता है.

प्रतिशत शर्तों में ईक्विटी के बाजार मूल्य के ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु भारिबैंक द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताये अनुसार संशोधित ड्यूरेशन गैप पद्धति का पालन किया जाता है.

आल्को वैश्विक स्तर पर व घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत-लाभ, स्पिन ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय करता है.

10.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: विभिन्न परिदृश्य को सिमुलेट करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करने के द्वारा जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना से तैयार रह सकें और आवश्यक हो तो इसको दूर कर सकें. आस्ति एवं देयता के सम्मिश्रण के परिवर्तन द्वारा, यूनिट के नजदीक ड्यूरेशन गैप को लाने द्वारा, ब्याज दरों में परिवर्तन इत्यादि द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है.

10.1.2 सबद्ध जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठन: एएलएम कक्ष महाप्रबंधक आईआरएमडी को रिपोर्ट करता है तथा संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक आधार पर आल्को को प्रस्तुत किये जाते हैं और मासिक तौर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को. आल्कों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कामकाजी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं.

10.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं/या माप योजना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को विवरित करते हैं. बोर्ड के अनुमोदन से सहा सीमाएँ तय की जाती है जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है. सीमाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर आल्को को रिपोर्ट किया जाता है जिससे उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं.

10.1.4 हेजिंग एवंजोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ मिटिगेंट के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आल्को द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं. रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर आल्को को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं. विभिन्न समय अवधियों के अंतर्गत चलनिधिज जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं. विस्तृत रूप में गैप की स्थिति पर अध्ययन के बाद आल्को मिसमैच को कम करने के लिए विस्तृत रूप में रणनीतियां बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किया जा सके.



- **Compliance Policy:** The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Departments, Zonal Offices, other operating departments at HO and branches, so as to address group wide and multi jurisdictional compliance risk. Suitable reporting system is also put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy Bank wide.
- **Business Line Mapping Policy:** The Bank has in place 'Business Line Mapping Policy' to map all activities of the Bank into Eight business lines as stipulated by Reserve Bank of India and arrive at the Gross Income business-line wise.

Operational risk capital assessment:

- The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

Table DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book

10.1 Qualitative Disclosures:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc.; Asset Liability Management outlines a comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk.

The stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of IRR from Earnings perspective.

Modified Duration Gap method is followed, as per RBI guidelines, to assess the effect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms.

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

10.1.1 Strategies and process: The strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to zero, change in interest rates etc

10.1.2 The structure and organization of the relevant risk management functions: The ALM cell reports to the General Manager- Integrated Risk Management Department and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity, the interest rate sensitivity and short term dynamic liquidity statements are presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management Committee of the Board on monthly basis. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank and has the Executive Directors and GMs of functional Departments as its members.

10.1.3 The scope and nature of risk reporting and measurement systems: The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

10.1.4 Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants: Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimise the liquidity and interest rate risks.

10.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष तक पुनः मूल्य निर्धारण
0.25%	22.36
0.50%	44.71
0.75%	67.07
1.00%	89.42

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

ईक्विटी मूल्य में 200 बीपीएस दर उतार के लिए (प्रारक्षिती समेत)	₹ 952.38 करोड
--	---------------



10.2 Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

(₹ in crore)

Change in interest rate	Re-pricing up to 1 year
0.25%	22.36
0.50%	44.71
0.75%	67.07
1.00%	89.42

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	₹ 952.38 Crore
--	----------------

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस - दर्शन

आन्ध्र बैंक का दर्शन ग्राहकों की निरंतर बदलती आवश्यकताओं के प्रति अपनी गतिशीलता जारी रखना है। बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण में मदद मिलती है। इससे बैंक अपनी व्यावसायिक नीति के स्तर को बनाये रखता है और अपने सभी पणधारियों के लिए मूल्य में वृद्धि करता है। कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत हेतु उच्चस्तरीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पणधारियों में मूल्यों के निर्माण के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता आवश्यक है। संक्षेप में उद्देश्य निम्न प्रकार है।

- नैतिक सिद्धांतों एवं देश के कानूनी ढांचे के अंदर पणधारियों के मूल्य को कायम रखना
- ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज सहित शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हित की रक्षा करना
- संप्रेषण में पारदर्शिता और एकीकरण को सुनिश्चित करना और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 आन्ध्र बैंक का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के तहत तदनु रूप नए बैंक के रूप में किया गया है।
- 2.2 बोर्ड का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है।
- 2.3 बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के उपखंड (1) के संदर्भ में की जाती है।
- 2.4 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है जो बोर्ड के भी सदस्य हैं। बैंक के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) तथा खंड 8 के उपखंड (1) के तहत की जाती है।
- 2.5 31 मार्च 2012 को 9 अन्य निदेशक (गैर कार्यपालक) हैं जिनमें से बोर्ड के सदस्यों के रूप में 6 स्वतंत्र निदेशक हैं जो विभिन्न व्यवसाय के अनुभवी व्यक्ति हैं।
- 2.6 बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है जो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों के गवर्नेंस और बैंक के मामलों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान देती हैं।
 - बोर्ड की प्रबंधन समिति
 - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
 - शेयरधारकों और निवेशकों के लिए शिकायत निवारण समिति
 - उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों पर निगरानी हेतु विशेष समिति
 - बोर्ड की डीपीसी
 - बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
 - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
 - बोर्ड की शेयर अंतरण समिति
 - बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
 - बोर्ड की नामांकन समिति
 - बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
 - मानव संसाधन प्रबन्धन हेतु उप-समिति
 - सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति



CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATE GOVERNANCE - PHILOSOPHY

The Philosophy of Andhra Bank is to continue to remain dynamic to the ever changing needs of the customers. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business. This, in turn, enables the Bank to maintain a level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The principles of Corporate Governance require the commitment of the Bank to attain high standard of transparency, accountability, responsibility and financial stability with the ultimate objective of building up values to the stakeholders. The objectives can be summed up as under:

- Upholding the shareholders value within the principles of ethics and legal framework of the country;
- to protect interest of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large;
- to ensure transparency and integration in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980.
- 2.2 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
- 2.3 The Board is headed by the Chairman & Managing Director who is appointed by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India. The Chairman & Managing Director is appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.4 In addition to the Chairman and Managing Director, two Whole-time Directors (Executive Directors) of the Bank are appointed by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, who are also members of the Board. The Executive Directors of the Bank are appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.
- 2.5 As on 31st March, 2012, there are 9 other Directors (non executive) out of which 6 are Independent Directors as the members of the Board represented by persons with diversified professional experience.
- 2.6 The Board has constituted various committees as under, which provides specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank:
 - Management Committee of the Board
 - Audit Committee of the Board
 - Shareholders' and Investors' Grievances Committee
 - Special Committee for monitoring large value frauds
 - D.P.C. of the Board
 - Risk Management Committee of the Board
 - Customer Service Committee of the Board
 - Share Transfer Committee of the Board
 - Remuneration Committee of the Board
 - Nomination Committee of the Board
 - Credit Approval Committee of the Board
 - Sub-Committee for Human Resources Management
 - Information Technology Strategy Committee

- 2.7 बोर्ड की समितियों के विवरण आगे के पृष्ठों पर दिये गये हैं।
- 2.8 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों का आयोजन आवर्ती अंतराल में किया जाता है और वे उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा, नीतिपरक कार्य और बैंक के व्यावसायिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती हैं।
- 2.9 नीति निर्धारण, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण जैसे दायित्व बोर्ड द्वारा निभाए जाते हैं। बोर्ड ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्यपालकों और बैंक के कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार सौंपे हैं। बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा की जाती है और बैंक के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।
- 2.10 वार्षिक आधार पर बैंक की नीतियों की समीक्षा की जाती है और बदलते परिदृश्य तथा बाजार की मांगों के अनुरूप आवश्यक आशोधन किये जाते हैं।
- 2.11 बोर्ड के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हैं। अतः बोर्ड में कम से कम 1/2 स्वतंत्र निदेशक हैं। तदनुसार 31 मार्च 2012 को बोर्ड का संघटन निम्न प्रकार रहा।

निदेशकों के प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	3
गैर- कार्यपालक	9 (जिनमें से 6 स्वतंत्र निदेशक हैं)
कुल	12

- 2.12 वर्ष 2011-2012 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मंडल की 14 बैठकें हुई :-

05.05.2011	27.08.2011	07.01.2012
03/04.06.2011	29.09.2011	02.02.2012
21.06.2011	02.11.2011	28.02.2012
13.07.2011	28.11.2011	17.03.2012
28.07.2011	21.12.2011	

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशक का नाम	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	22.06.2011 को हुई 11 वीं एजीएम में उपस्थिति	अनुभव/योग्यता
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.01.2012 से 31.03.2012	4	4	लागू नहीं	सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में वर्ष 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यभार ग्रहण किया। आप सनदी लेखाकार हैं। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 31 वर्ष के कैरियर के दौरान ऋण, परिचालन तथा राजकोष के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। आपने विदेश में लगभग 8 वर्ष कार्य किया। आपने आन्ध्र बैंक में दिनांक 17.12.2011 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार-ग्रहण करने से पूर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने दिनांक 02.01.2012 को बतौर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कार्यभार ग्रहण किया।
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2011 से 31.12.2011	10	10	उपस्थित	वित्तीय प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित विज्ञान में स्नातकोत्तर। हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण से पूर्व, आप सिंडिकेट बैंक में कार्यपालक निदेशक थे। सिंगापुर परिचालन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा महा प्रबन्धक के रूप में सिंगापुर तथा कोलम्बो में आपको विदेश का व्यापक अनुभव है।



- 2.7 The details of the committees of the Board are provided in the following pages.
- 2.8 The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of customer services, ethical practices and professional Management of the Bank.
- 2.9 The responsibilities such as policy formulations, performance review and analysis are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in tune with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.
- 2.10 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.
- 2.11 The Chairman of the Board is an Executive Director and therefore at least 1/2 of the Board consists of Independent Directors. Accordingly the composition of the Board as on 31st March, 2012 is as under:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	3
Non-executive	9 (out of which 6 are Independent Directors)
Total	12

2.12 During the year 2011-12, the Board of Directors met on 14 occasions on the following dates:

05.05.2011	27.08.2011	07.01.2012
03/04.06.2011	29.09.2011	02.02.2012
21.06.2011	02.11.2011	28.02.2012
13.07.2011	28.11.2011	17.03.2012
28.07.2011	21.12.2011	

The details of attendance of each Director at the Board Meetings along with the number of meetings held during the period are as under:

Name of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended	Attendance at the Eleventh AGM held on 22.06.2011	Qualification / Experience
Sri B. A. Prabhakar Chairman & Managing Director	02.01.2012 to 31.03.2012	4	4	Not applicable	Joined Bank of Baroda in the year 1977 as Direct Recruit Officer. He is a Chartered Accountant. He has worked extensively in the area of credit, operations and Treasury during his career in Bank of Baroda spanning 31 years with overseas experience of above 8 years. He worked as Executive Director of Bank of India before joining Andhra Bank as Executive Director on 17.12.2011. He assumed charge as Chairman & Managing Director on 02.01.2012.
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	01.04.2011 to 31.12.2011	10	10	Attended	Post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management. Prior to joining in our bank, he was Executive Director of Syndicate Bank. He had wide overseas experience with a stint in Colombo and in Singapore as General Manager and Chief Executive Officer of Singapore Operations.

श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	14	उपस्थित	एक बैंकर के रूप में विविध कार्यों में 33 वर्ष के अनुभव के साथ सनदी लेखाकार। हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे।
श्री के के मिश्र कार्यपालक निदेशक	28.12.2011 से 31.03.2012	4	4	लागू नहीं	आपको 36 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है तथा आप बी ए, एल एल बी एवं सी ए आई आई बी हैं। आपने 10.09.1975 को अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के रूप में केनरा बैंक में कार्यभार सम्माला। आपने अलीगढ़ ग्रामीण बैंक तथा श्रेयस ग्रामीण बैंक में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपने कैनाफिन होम लि, बैंगलूरु में प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने हमारे बैंक में दिनांक 28.12.2011 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व केनरा बैंक में महा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने सहित विभिन्न स्तर पर कार्य किया है।
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 30.09.2011	7	7	उपस्थित	एम एस सी, एल एल बी, सीएआईआईबी, कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा, कारपोरेट विधि में डिप्लोमा। आपको बैंकिंग परिचालन एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में 33 वर्ष का अनुभव है।
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	8	अनुपस्थित	2008 से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक)
श्री के आर आनंदा भारिबैंक नामिती निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	14	अनुपस्थित	केंद्रीय बैंकिंग
श्री पंकज चतुर्वेदी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	23.09.2011 से 31.03.2012	8	7	लागू नहीं	व्यवसायी सनदी लेखाकार
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी प्रतिनिधि निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	14	अनुपस्थित	बैंकिंग
श्री एन वेंकट रमणा रेड्डी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	14	उपस्थित	कृषि में स्नातक
श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	01.04.2011 से 03.04.2011	---	---	लागू नहीं	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं दर्शन-शास्त्र में विद्या वाचस्पति
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	01.04.2011 से 13.07.2011	4	4	उपस्थित	वाणिज्य में स्नातक एवं व्यवसायी सनदी लेखाकार
श्री एन राज गोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी के प्रतिनिधि निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	14	14	उपस्थित	बैंकिंग
श्री के.रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (पुनः चुने गए)	01.04.2011 से 13.03.2012 14.03.2012 से 31.03.2012	14	14	अनुपस्थित	सनदी लेखाकार एवं बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्ष का अनुभव



Sri. A.A.Taj Executive Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	14	Attended	Chartered Accountant with 33 years of experience as a Banker in multifarious assignments. Prior to Joining our Bank, he was General Manager in Union Bank of India.
Sri. K.K. Misra Executive Director	28.12.2011 to 31.03.2012	4	4	Not Applicable	Shri K.K. Misra, has 36 years of Banking experience and is B.A., LLB and CAIIB. He joined Canara Bank as Officer trainee on 10.09.1975. He worked as Chairman of Aligarh Gramin Bank & Shreyas Gramin Bank. He worked as Managing Director of CanFin Homes Ltd., Bangalore. He has worked in various capacities including that of General Manager of Canara Bank before joining our Bank on 28.12.2011 as Executive Director.
Sri Anil Girotra Executive Director	01.04.2011 to 30.09.2011	7	7	Attended	M.Sc., LLB, CAIIB, Diploma In Personnel Management, Dip. In Corporate Laws. He has 33 years of varied experience in Banking Operations and Administration.
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	8	Leave of Absence	Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, Ministry of Finance since 2008.
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	14	Leave of Absence	Central Banking
Sri Pankaj Chaturvedi Part-time Non-Official Director	23.09.2011 to 31.03.2012	8	7	Not Applicable	Practicing Chartered Accountant
Sri Manoranjan Das Representing Workmen Employee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	14	Leave of Absence	Banking
Sri N. Venkata Ramana Reddy Part-time Non-Official Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	14	Attended	Graduate in Agriculture
Sri Shaibal Gupta Part-time Non-Official Director	01.04.2011 to 03.04.2011	—	—	Not Applicable	Post Graduate in Economics and Doctorate in Philosophy.
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	01.04.2011 to 13.07.2011	4	4	Attended	Graduate in Commerce and practicing Chartered Accountant
Sri N. Raja Gopal Reddy Representing Officer Employee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	14	14	Attended	Banking
Sri K Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Re-elected)	01.04.2011 to 13.03.2012 14.03.2012 to 31.03.2012	14	14	Leave of absence	Chartered Accountant with 35 years of Banking experience in various facets of Banking.

श्री जी आर सुंदरवडिवेल, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012 से 31.03.2012	1	1	लागू नहीं	सेवा-निवृत्त बैंकर । 37 वर्ष का बैंकिंग अनुभव । युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक तथा केरल राज्य तथा संघ-शासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप के बैंकिंग लोकपाल ।
श्री नंदलाल एल सारडा, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012 से 31.03.2012	1	---	लागू नहीं	आई आई टी, पोवाई, मुम्बई में कंप्यूटर साइन्स तथा इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर । वर्ष 1972 से अध्यापन क्षेत्र में हैं ।
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	01.04.2011 से 13.03.2012	13	12	अनुपस्थित	व्यवसायी सनदी लेखाकार
श्री वी एच रामकृष्णन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक.	01.04.2011 से 13.03.2012	13	12	उपस्थित	सनदी एवं लागत लेखाकार एवं बैंकिंग में 35 वर्ष का अनुभव ।

2011-2012 के दौरान निदेशक के रूप में अवधि समाप्त व्यक्तियों के नाम

निदेशक का नाम	दिनांक
श्री आर रामचन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.12.2011
श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक	30.09.2011
श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	03.04.2011
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	13.07.2011
श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	13.03.2012
श्री वी एच रामकृष्णन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	13.03.2012
श्री के रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	13.03.2012

2011-2012 के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम

निदेशक का नाम	दिनांक
श्री बी ए प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.01.2012
श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक	28.12.2011
श्री पंकज चतुर्वेदी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (सी ए श्रेणी)	23.09.2011
श्री जी आर सुंदरवडिवेल, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012
श्री के रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012
श्री नंदलाल एल सारडा, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012



Sri G.R. Sundaravadivel Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2012 to 31.03.2012	1	1	Not applicable	Retired Banker with 37 years of experience. He was Executive Director of United Bank of India and Banking Ombudsmen for the State of Kerala and UT Lakshadweep.
Sri Nandlal L. Sarda Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2012 to 31.03.2012	1	—	Not applicable	Professor in the Department of Computer Science and Engineering at IIT, Powai, Mumbai. He is in the teaching profession since 1972.
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2011 to 13.03.2012	13	12	Leave of absence	Practicing Chartered Accountant
Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2011 to 13.03.2012	13	12	Attended	Chartered & Cost Accountant and has 35 years experience in Banking.

Names of persons who ceased to be Directors during 2011-2012

Name of the Director	Date
Sri. R. Ramachandran, Chairman & Managing Director	31.12.2011
Sri Anil Girotra, Executive Director	30.09.2011
Sri Shaibal Gupta, Part-time Non-Official Director	03.04.2011
Sri Rajib Sekhar Sahoo, Part-time Non-Official Director	13.07.2011
Sri Prem Prakash Pareek, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	13.03.2012
Sri V.H. Ramakrishnan, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	13.03.2012
Sri K. Raghuraman, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	13.03.2012

Names of persons who were appointed as Directors during 2011-2012

Name of the Director	Date
Sri B.A. Prabhakar, Chairman & Managing Director	02.01.2012
Sri K.K. Misra, Executive Director	28.12.2011
Sri Pankaj Chaturvedi, Part-time Non-Official Director (CA Category)	23.09.2011
Sri G.R. Sundaravadivel, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2012
Sri K. Raghuraman, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2012
Sri Nandlal L. Sarda, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2012

2.13 निदेशकों के विवरण

निदेशकों का नाम	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक-पद / सदस्यता	समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डीपीसी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डीपीसी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति	02.01.2012 से 31.03.2012
श्री आर.रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डी पी सी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डी पी सी 3. ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति	01.04.2011 से 31.12.2011
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	1. आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड - बोर्ड के अध्यक्ष 2. इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शोरेन्स लिमिटेड- (नामिती निदेशक) 3. एएसआरईसी इंडिया लि (नामिती निदेशक)	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डीपीसी 3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 4. बोर्ड की शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 6. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. मानव संसाधन प्रबंधन हेतु उप-समिति	1. शेयर अंतरण समिति (02.11.2011 से अध्यक्ष)	01.04.2011 से 31.03.2012
श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की डी पी सी 4. बोर्ड की शेयरधारक निवेशक शिकायत समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 6. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	शून्य	28.12.2011 से 31.03.2012
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	1. आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड - बोर्ड के अध्यक्ष 2. इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शोरेन्स लिमिटेड- निदेशक	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की डीपीसी 3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 4. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 5. जोखिम प्रबंधन समिति 6. शेयर अंतरण समिति	1. शेयर अंतरण समिति (30.09.2011 तक से अध्यक्ष)	01.04.2011 से 30.09.2011
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. बोर्ड की डीपीसी 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 6. बोर्ड की नामांकन समिति	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. बोर्ड की नामांकन समिति	01.04.2011 से 31.03.2012
श्री के आर आनंदा भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति. 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति.	शून्य	01.04.2011 से 31.03.2012



2.13 Particulars of Directors

Name of the Director	Directorship/Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees	Chairman / Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Sri B A Prabhakar Chairman & Managing Director	None	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds 5. Risk Management Committee 6. Credit Approval Committee	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds 5. Risk Management Committee 6. Credit Approval Committee	02.01.2012 to 31.03.2012
Sri R Ramachandran Chairman & Managing Director	None	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds 5. Risk Management Committee	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Customer Service Committee 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds 5. Risk Management Committee	01.04.2011 to 31.12.2011
Sri A A Taj Executive Director	1. Andhra Bank Financial Services Ltd- Chairman of the Board. 2. India First Life Insurance Limited – (Nominee Director.) 3. ASREC India Ltd. (Nominee Director)	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Audit Committee of the Board 4. Shareholders' and Investors' Grievances Committee of Board 5. Risk Management Committee of the Board 6. Share Transfer Committee of the Board 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Sub-Committee for Human Resources Management	1. Share Transfer Committee – (Chairman w.e.f. 02.11.2011)	01.04.2011 to 31.03.2012
Sri K K Misra Executive Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. D.P.C. of the Board 4. Shareholders' and Investors' Grievances Committee of Board 5. Risk Management Committee of the Board 6. Share Transfer Committee of the Board 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Information Technology Strategy Committee	None	28.12.2011 to 31.03.2012
Sri Anil Girotra Executive Director	1. Andhra Bank Financial Services Ltd – Chairman of the Board. 2. India First Life Insurance Limited – Director	1. Management Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Audit Committee of the Board 4. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 5. Risk Management Committee 6. Share Transfer Committee	1. Share Transfer Committee (Chairman up to 30.09.2011)	01.04.2011 to 30.09.2011
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	None	1. Audit Committee of the Board 2. D.P.C. of the Board 3. Risk Management Committee 4. Remuneration Committee of Board 5. Special Committee for Monitoring Large Value Frauds 6. Nomination Committee of Board	1. Remuneration Committee of Board 2. Nomination Committee of Board	01.04.2011 to 31.03.2012
Sri K R Ananda RBI Nominee Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board.	None	01.04.2011 to 31.03.2012

		3. बोर्ड की डीपीसी. 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. बोर्ड की नामांकन समिति		
श्री पंकज चतुर्वेदी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (सी ए श्रेणी)	1. परफेक्ट बिजनेस एडवाइसरी सर्विसेज प्रा. लि. (गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी) 2. विजयलक्ष्मी प्रिंटिंग वर्क्स प्रा लि (गैर सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी) 3. महाविद्या इंटरनेशनल प्रा लि, सिंगापुर (गैर सूचीबद्ध विदेशी कम्पनी)	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति. 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति- 14.03.2012 से 3. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति. 4. बोर्ड की नामांकन समिति. 5. मानव संसाधन प्रबन्धन हेतु उप-समिति	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - 14.03.2012 से	23.09.2011 से 31.03.2012
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति. 14.01.2012 से 2. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. जोखिम प्रबन्धन समिति	शून्य	01.04.2011 से 31.03.2012
श्री एन वी आर रेड्डी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति. 30.01.2012 से 2. ग्राहक सेवा समिति. 3. बोर्ड की नामांकन समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति. 5. शेयर अंतरण समिति	शून्य	01.04.2011 से 31.03.2012
श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	शून्य	1. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की नामांकन समिति	1. बोर्ड की नामांकन समिति (25.11.2010 से 03.04.2011)	01.04.2011 से 03.04.2011
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	शून्य	1. प्रबंधन समिति (06.03.2011 से 13.07.2011) 2. जोखिम प्रबंधन समिति (13.07.2011 तक) 3. बोर्ड की नामांकन समिति (13.07.2011 तक) 4. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (24.03.2011 से 13.07.2011) 5. ग्राहक सेवा समिति (13.07.2011 तक) 6. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति (13.07.2011 तक)	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (24.03.2010 से 13.07.2011)	01.04.2011 से 13.07.2011
श्री एन राजगोपाल रेड्डी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 14.03.2012 से 2. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति	शून्य	01.04.2011 से 31.03.2012
श्री के. रघुरामन, केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	1. आईएफसीआई लिमिटेड 2. ओरियंटल कार्बन एंड कैमिकल्स लि. 3. बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल्स लिमिटेड 4. नागार्जुना एग्रिकेम लिमिटेड 5. इंडिया फाइनेल्ल लि. (बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक)	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 3. जोखिम प्रबंधन समिति 4. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. शेयर अंतरण समिति 6. मानव संसाधन प्रबन्धन हेतु उप-समिति	1. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 14.03.2012 से 2. मानव संसाधन प्रबन्धन हेतु उप-समिति	01.04.2011 से 13.03.2012 14.03.2012 से 31.03.2012 तक पुनः चुने गए।



		3. D.P.C. of the Board 4. Remuneration Committee of the Board 5. Nomination Committee of the Board		
Sri Pankaj Chaturvedi Part-time Non-Official Director (CA Category)	1. Perfect Business Advisory Services Pvt. Ltd. (Unlisted Indian Company) 2. Vijayalakshmi Printing Works Pvt. Ltd. (Unlisted Indian Company) 3. Mahavidya International Pte Ltd. Singapore (Unlisted Foreign Company)	1. Management Committee of Board. 2. Audit Committee of Board w.e.f. 14.03.2012 3. Customer Service Committee of Board 4. Nomination Committee of Board 5. Sub-Committee for Human Resources Management	1. Audit Committee of the Board w.e.f. 14.03.2012	23.09.2011 to 31.03.2012
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	None	1. Management Committee of Board w.e.f. 14.01.2012 2. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 3. Customer Service Committee 4. Risk Management Committee	None	01.04.2011 to 31.03.2012
Sri N V R Reddy Part-time Non-Official Director	None	1. Management Committee of the Board w.e.f. 30.01.2012 2. Customer Service Committee 3. Nomination Committee of the Board 4. Special Committee for Monitoring Large Value Frauds 5. Share Transfer Committee	None	01.04.2011 to 31.03.2012
Sri Shaibal Gupta Part-time Non-Official Director	None	1. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 2. Customer Service Committee 3. Nomination Committee of Board	1. Nomination Committee of the Board (w.e.f. 25.11.2010 to 03.04.2011)	01.04.2011 to 03.04.2011
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	None	1. Management Committee (w.e.f. 06.03.2011 to 13.07.2011) 2. Risk Management Committee (upto 13.07.2011) 3. Nomination Committee of Board. (upto 13.07.2011) 4. Audit Committee of Board (w.e.f. 24.03.2010 to 13.07.2011) 5. Customer Service Committee (upto 13.07.2011) 6. Special Committee for Monitoring Large Value Frauds (upto 13.07.2011)	1. Audit Committee of the Board (w.e.f. 24.03.2010 to 13.07.2011)	01.04.2011 to 13.07.2011
Sri N Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	None	1. Management Committee of Board w.e.f. 14.03.2012 2. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 3. Risk Management Committee	None	01.04.2011 to 31.03.2012
Sri K Raghuraman Director elected from amongst Shareholders other than Central Government	1. IFCI Limited 2. Oriental Carbon & Chemicals Limited 3. Birla Ericsson Opticals Ltd 4. Nagarjuna Agrichem Ltd 5. India Foils Ltd (Special Director appointed by BIFR)	1. Audit Committee of the Board 2. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 3. Risk Management Committee 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds 5. Share Transfer Committee 6. Sub-Committee for Human Resources Management	1. Shareholders' and Investors' Grievances Committee w.e.f. 14.03.2012 2. Sub-Committee for Human Resources Management	01.04.2011 to 13.03.2012 Re-elected w.e.f. 14.03.2012 to 31.03.2012

	6. रामा फासफेट्स लि. (बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक) 7. सुविधा पार्क लिफ्ट्स लिमिटेड			
श्री जी आर सुंदरवडिवेल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	1. निदेशक- रेपको होम फाइनेन्स लि. (रेपको बैंक की सहायक- भारत सरकार का उपक्रम) 2. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कं.लि.-यूटीआई एएमसी (प्रा.) लि के नामित निदेशक	1. शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायत समिति 2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 3. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 4. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति	शून्य	14.03.2012 से 31.03.2012
श्री नंदलाल एल सारडा केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	1. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सदस्य) 2. आईडीबीआई इंटेक लि. (सदस्य)	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. मानव संसाधन प्रबंधन हेतु उप-समिति 3. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	1. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	14.03.2012 से 31.03.2012
श्री प्रेम प्रकाश पारीक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	1. पीएनबी गिल्टज़ लि. 2. डिजीविजन होल्डिंग्स प्रा.लि. (अतिरिक्त निदेशक)	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (25.10.2011 से 13.03.2012 तक) 2. शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति 3. ग्राहक सेवा समिति (14.07.2011 से 13.03.2012 तक) 4. उच्च मूल्य धोखाधड़ी पर निगरानी हेतु विशेष समिति (13.03.2012 तक) 5. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (13.03.2012 तक)	शून्य	01.04.2011 से 13.03.2012
श्री वी एच रामकृष्णन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	1. दि केसीपी लि. 2. गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लि., मुम्बई	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (13.03.2012 तक) 2. जोखिम प्रबंधन समिति (13.03.2012 तक) 3. ग्राहक सेवा समिति (13.03.2012 तक) 4. शेयर अंतरण समिति (13.03.2012 तक)	शून्य	01.04.2011 से 13.03.2012

वर्ष 2011-2012 के दौरान, दो नए पूर्णकालिक निदेशकों ने बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए एक अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक (सी ए श्रेणी) तथा तीन निदेशकों ने बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया ।

निदेशक का नाम	अवधि
श्री बी ए प्रभाकर भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक.	02.01.2012 से
श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त	28.12.2011 से
श्री पंकज चतुर्वेदी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (सी ए श्रेणी)	23.09.2011 से
श्री जी आर सुंदरवडिवेल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012 से
श्री के रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012 से
श्री नंदलाल एल सारडा केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.03.2012 से



	6. Rama Phosphates Ltd (Special Director appointed by BIFR) 7. Suvidha Park Lifts Limited			
Sri G.R. Sundaravadivel Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. Director – REPCO Home Finance Ltd (Subsidiary of REPCO Bank – Govt. of India Enterprise) 2. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd. Nominee Director of UTI AMC (P) Ltd.	1. Shareholders' and Investors' Grievances Committee of Board 2. Risk Management Committee of Board 3. Customer Service Committee of Board 4. Special Committee for Monitoring Large Value Frauds 5. Remuneration Committee of Board	None	14.03.2012 to 31.03.2012
Sri Nandlal L. Sarda Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. Clearing Corporation of India (Member) 2. IDBI Intech Limited (Member)	1. Remuneration Committee of Board. 2. Sub-Committee for Human Resources Management 3. Information Technology Strategy Committee	1. Information Technology Strategy Committee	14.03.2012 to 31.03.2012
Sri Prem Prakash Paree Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. PNB Gilts Ltd. 2. Digivision Holdings Private Limited (Additional Director)	1. Management Committee of Board (25.10.2011 to 13.03.2012) 2. Shareholders' and Investors' Grievances Committee 3. Customer Service Committee (14.07.2011 to 13.03.2012) 4. Special Committee for monitoring Large Value Frauds (upto 13.03.2012) 5. Remuneration Committee of the Board (upto 13.03.2012)	None	01.04.2011 to 13.03.2012
Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. The KCP Ltd. 2. Gilt Securities Trading Corporation Ltd. Mumbai	1. Remuneration Committee of the Board (upto 13.03.2012) 2. Risk Management Committee (upto 13.03.2012) 3. Customer Service Committee (upto 13.03.2012) 4. Share Transfer Committee (upto 13.03.2012)	None	01.04.2011 to 13.03.2012

During the year 2011-12, two new Whole-time Directors joined the Board. One Part-time Non-Official Director (CA Category) and Three Directors elected from amongst shareholders other than Central Government joined the Board.

Name of the Director	Period
Sri B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director appointed by Government of India	w.e.f. 02.01.2012
Sri K.K. Misra, Executive Director appointed by Government of India	w.e.f. 28.12.2011
Sri Pankaj Chaturvedi, Part-time Non-Official Director (CA Category)	w.e.f. 23.09.2011
Sri G.R. Sundaravadivel, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	w.e.f. 14.03.2012
Sri K. Raghuraman, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	w.e.f. 14.03.2012
Sri Nandlal L. Sarda, Director elected from amongst shareholders other than Central Government	w.e.f. 14.03.2012

2.14 31.03.2012 तक बोर्ड के निदेशकों का प्रोफाइल.

1. श्री बी ए प्रभाकर

आप दिनांक 02.01.2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप सनदी लेखाकार हैं। आपने वर्ष 1977 में सीधी भर्ती द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी के रूप में सेवारंभ की। बैंक ऑफ बड़ौदा में 31 वर्ष की सेवा के दौरान ऋण, परिचालन तथा राजकोष के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। आपने लगभग 8 वर्ष तक विदेश में कार्य किया। आपने 15 अक्टूबर, 2008 को बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आपने आंध्र बैंक में दि.17.12.2011 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आपने दिनांक 02.01.2012 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

2. श्री आर.रामचंद्रन

आपने दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को आंध्र बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आप वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। आपने 1973 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में अपनी सेवारंभ की। आपको विदेश में व्यापक अनुभव है और आपने कोलम्बो तथा सिंगापुर में महा प्रबंधक तथा सिंगापुर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। आपको कार्पोरेट ऋण, विदेशी मुद्रा/राजकोष तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। आंध्र बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप सिंडिकेट बैंक में 19.12.2008 से 31.07.2010 तक कार्यपालक निदेशक थे। आप 31.12.2011 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा-निवृत्त हुए।

3. श्री अ अ ताज

दिनांक 07.12.2009 से आपके बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। आप 33 वर्ष के बैंकिंग अनुभव के साथ एक सनदी लेखाकार हैं। आपने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा स्तर, आंचलिक स्तर एवं कॉर्पोरेट स्तर पर बहुविध कार्य किए। यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में आप निवेश समिति, ऋण ग्रिड एवं कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य थे। हमारे बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे।

4. श्री के के मिश्र

आप दिनांक दि.28.12.2011 से आपके बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। आपको 36 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। आप बी.ए., एल.एल.बी., तथा सीएआईआईबी हैं। आपने 10.09.1975 में अधिकारी प्रशिक्षणार्थी के रूप में, केनरा बैंक में सेवारंभ की। आपने अलीगढ़ ग्रामीण बैंक तथा श्रेयस ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपने केनफिन होम्स लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉर्पोरेट ऋण विभाग में कार्य किया तथा चंडीगढ़ सर्किल और बंगलूरु में आंचलिक प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न स्तर पर कार्य किया।

5. श्री अनिल गिरोत्रा

आप दिनांक 17.05.2008 से आपके बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। आपको विज्ञान में स्नातकोत्तर और विधि में स्नातक डिग्री प्राप्त है। आंध्र बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आप लंदन में केनरा बैंक के मुख्य कार्यपालक के रूप में यू.के. परिचालन के प्रमुख थे। सितंबर 1975 में आपने केनरा बैंक में एक अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में सेवारंभ की। आपने केनरा बैंक में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। आपको बैंकिंग परिचालन एवं प्रशासन में 33 वर्ष का वैविध्यपूर्ण अनुभव है। आप 30.09.2011 को कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवा-निवृत्त हुए।

6. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल

आप 2008 से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक) हैं। आपने छठे केंद्रीय वेतन आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में, वायु मुख्यालय में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में, बारहवें वित्त आयोग तथा निदेशक (वेतन), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में भी कार्य किया है।

7. श्री के.आर.आनंद

आप दिनांक 30.07.2010 से बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं। आपने 1977 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में यूको बैंक में सेवारंभ की। तत्पश्चात् आप नवंबर 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी (डीआर) में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। आपने बंगलूरु, मुम्बई, त्रिवेंद्रम और चेन्नै में कार्य किया है। आपने भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों और बैंकिंग लोकपाल, कर्नाटक और चेन्नै में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

8. श्री पंकज चतुर्वेदी

आप 19 वर्ष से अधिक के अनुभव सहित व्यवसायी सनदी लेखाकार हैं। आप भारत की एक अग्रणी सी.ए.फर्म मैसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी के पार्टनर हैं। आपको बैंकों तथा बड़े कार्पोरेट की लेखा- परीक्षा का अनुभव है। आप अभिग्रहण तथा विलयन एवं कार्पोरेट वित्त पर कई बड़े कार्पोरेट समूह के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।

9. श्री मनोरंजन दास

आप मानवीकी में स्नातक और विधि में स्नातक हैं। वर्ष 1976 में लिपिक के रूप में सेवारंभ की तथा वर्तमान में कोर्टपेटा शाखा, ब्रह्मपुर में विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं। आप वर्तमान में एआईबीईए के अध्यक्ष, उडिशा राज्य महा सचिव, एआईबीईए, महा परिषद सदस्य, एआईबीईए और आईआरसी सदस्य हैं।

10. श्री एन. वेंकट रमणा रेड्डी

आप कृषि में स्नातक हैं तथा बतौर परामर्शदाता कृषि मॉडर्न एग्रो फार्मिंग संभालते हैं। आपको उपाध्यक्ष, स्पाइस बोर्ड (भारत सरकार), सदस्य न्यासी, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम, सदस्य न्यासी, विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, निदेशक, वन विकास निगम और सदस्य, सेन्सर बोर्ड के रूप में वैविध्यपूर्ण अनुभव है।



2.14 Profile of Directors on the Board as on 31.03.2012

1. Sri B A Prabhakar

Is the Chairman & Managing Director of your Bank w.e.f. 02.01.2012. He is a Chartered Accountant. Joined Bank of Baroda in the year 1977 as Direct Recruit Officer. He worked extensively in the area of credit, operations and Treasury during his career in Bank of Baroda spanning 31 years including overseas assignment for above 8 years. Assumed charge as Executive Director of Bank of India on 15th October, 2008. Joined Andhra Bank as Executive Director on 17.12.2011. Assumed charge as Chairman & Managing Director on 02.01.2012.

2. Sri R Ramachandran

Joined as the Chairman and Managing Director of your Bank on 1st September 2010. He is a post Graduate in Science with Post Graduate Diploma in Financial Management. He started his banking career with Indian Bank in 1973 as a Probationary Officer. He has wide overseas experience with a stint in Colombo and Singapore as General Manager and Chief Executive Officer of Singapore Operations. He has wide exposure to areas of Corporate Credit, Forex / Treasury and International Banking. Prior to joining Andhra Bank, he was Executive Director of Syndicate Bank from 19.12.2008 to 31.07.2010. He completed his tenure as Chairman & Managing Director on superannuation on 31.12.2011.

3. Sri A A Taj

Is the Executive Director of your Bank since 07.12.2009. He is a Chartered Accountant with 33 years of banking experience. He handled multifarious assignments in Union bank of India at Branch level, Zonal level and also at Corporate level. In Union Bank of India he was a member of Investments Committee, Credit grid and Audit Committee of executives. He was General Manager in Union Bank of India prior to joining Andhra Bank.

4. Sri K K Misra

Is the Executive Director of your Bank w.e.f. 28.12.2011. Sri K.K. Misra, has 36 years of Banking experience and is B.A., LLB and CAIIB. He joined Canara Bank as Officer Trainee on 10.09.1975. He worked as Chairman of Aligarh Gramin Bank & Shreyas Gramin Bank. He worked as Managing Director of CanFin Homes Ltd., and worked in various capacities such as Regional Head, Zonal Head in Bangalore and Chandigarh Circle and in Corporate Credit Department at Head Office of Canara Bank.

5. Sri Anil Girotra

Is the Executive Director of your Bank since 17.05.2008. He is a Post Graduate in Science and holds a Degree in Law. Prior to joining Andhra Bank, he was heading the UK Operations of Canara Bank in London as Chief Executive. He joined Canara Bank as Officer Trainee in September 1975. He held important positions in Canara Bank. He has 33 years of varied experience in Banking Operations and Administration. He completed his tenure as Executive Director on superannuation on 30.09.2011.

6. Smt. Madhulika P Sukul

Is a Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, Ministry of Finance since 2008. She also worked as Joint Secretary, Sixth Central Pay Commission, as Integrated Financial Advisor in Air Head quarters, Director, Twelfth Finance Commission and Director (Pay), Department of Expenditure, Ministry of Finance.

7. Sri K R Ananda

Is a Reserve Bank of India Nominee Director on the Board since 30.07.2010. Joined as Probationary Officer in UCO Bank in 1977. Joined RBI as Officer in Grade B (DR) in November 1981. He has worked at Bangalore, Mumbai, Trivandrum and Chennai. He worked in various departments of RBI, as Banking Ombudsman, Karnataka and as Regional Director of RBI at Chennai. Presently he is CGM (Estates) at RBI, Mumbai.

8. Sri Pankaj Chaturvedi

Is a practicing Chartered Accountant having experience of more than 19 years. He is a partner of M/s, Chaturvedi & Co., Chartered Accountants, New Delhi, a leading CA Firm. He has experience in handling Audits of Large Corporates and Banks. He is acting as Advisor to many Big Corporate groups on Corporate Finance and Merger & Acquisitions.

9. Sri Manoranjan Das

Is a graduate in Arts and a graduate in Law. Joined as a Clerk in 1976 and presently working as Special Assistant at Courtpetta Branch, Berhampur. He is presently AIBEA President, Orissa State General Secretary, AIBEA, General Council Member, AIBEA and IRC Member.

10. Sri N Venkata Ramana Reddy

Is a graduate in Agriculture and looking after Agriculture Modern Agro Farming as a Consultant. He has varied experience as Vice Chairman - Spices Board (GOI), Member Trustee - Tirumala Tirupati Devasthanams, Member Trustee - Vizag Port Trust, Director - Forest Development Corporation and Member - Censor Board.

11. श्री शैबाल गुप्ता

आप अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा दर्शन-शास्त्र में विद्या वाचस्पति हैं। एशियन डेव्लोपमेंट रीसर्च इन्स्टीट्यूट, पटना में संस्थापक सदस्य सचिव हैं। आपका अनुसंधान रुचि क्षेत्र अधिकांशतः बिहार के विकास की समस्याओं से जुड़ा है। आप 03.04.2011 तक आंध्र बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक थे।

12. श्री राजीव शेखर साहू

आप कॉमर्स में स्नातक एवं व्यवसायी सनदी लेखाकार हैं। व्यवसायी सनदी लेखाकार होने के अलावा आप जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एक्सआईएम), भुवनेश्वर इत्यादि सहित विभिन्न सरकारी एवं प्रबंधन संस्थानों में अतिथि संकाय सदस्य रहे हैं। वर्तमान में, आप आंध्र बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों की केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षा, निजी क्षेत्र उपक्रमों जैसे, नाल्को इत्यादि की लेखा परीक्षा की है। आपने 13.07.2011 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी की।

13. श्री एन. राजगोपाल रेड्डी

आप व्यवहारगत अध्ययन में स्नातकोत्तर हैं। आपने 17.06.1977 में आंध्र बैंक में लिपिक के रूप में सेवारंभ की तथा 31.12.1982 को जे.एम-1 अधिकारी तथा 31.12.1993 को एम.एम.11 अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए। आपने 14 से अधिक वर्ष प्रबंधक के रूप में कार्य किया। वर्तमान में आप उप प्रबंधक के रूप में केंद्रीकृत चेक संसाधन केंद्र, हैदराबाद में कार्यरत हैं।

14. श्री के रघुरामन

आप सनदी लेखाकार हैं और पंजाब नेशनल बैंक से कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। पहले आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों में 7 वर्ष महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। आप इंडिया कोआपरेशन कमिटी ऑफ मास्टर कार्ड इंटरनेशनल के अध्यक्ष पद पर रहे एवं भारतीय बैंक संघ की विभिन्न औद्योगिक स्तर समितियों के सदस्य रहे। आप भारतीय औद्योगिक वित्त कॉर्पोरेशन, देश में औद्योगिक वित्त के लिए एक प्रीमियर सार्वजनिक वित्तीय संस्था, के भी निदेशक हैं। आपने 13.03.2012 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूर्ण की तथा 14.03.2012 से 3 वर्ष हेतु केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से निदेशक चुने गए।

15. श्री जी आर सुंदरवडिवेल

आप राष्ट्रीयकृत बैंकों में 37 वर्ष से अधिक अनुभव वाले सेवा-निवृत्त बैंकर हैं। आप 14 वर्ष इंडियन बैंक में उच्च प्रबंधन संवर्ग तथा 4 वर्ष से अधिक अवधि हेतु युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पूर्ण-कालिक निदेशक रहे। आप 2 वर्ष तक केरल राज्य तथा संघ-शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बैंकिंग लोकपाल भी रहे।

16. श्री नंदलाल एल सारडा

आप आईआईटी, पोवाई, मुम्बई में कंप्यूटर साइन्स एवं इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। आप वर्ष 1972 से अध्यापन व्यवसाय में हैं। डाटाबेस सिस्टम्स एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके अनुसंधान क्षेत्र हैं। आप एक सलाहकार के रूप में कई कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निदेशक मंडल में रहे। आप वर्तमान में आईडीबीआई तथा क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में हैं। आप कई संगठनों की तकनीकी सलाहकार समितियों के भी सदस्य हैं।

17. श्री प्रेम प्रकाश पारीक

आप विधि में स्नातक डिग्री सहित सनदी लेखाकार हैं। पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में थे। आपको लेखा परीक्षा के क्षेत्र में अपार अनुभव है एवं बृहत लिमिटेड कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्यावसायिक कार्य किया है। आप राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय भारत क्षेत्र के सात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सदस्य भी हैं। आप आंध्र बैंक में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से चुने गये निदेशक थे। आपने 13.03.2012 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी की।

18. श्री वी.एच. रामकृष्णन

आप सनदी एवं लागत लेखाकार हैं, जिन्हें बैंक ऑफ इंडिया में देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में 35 वर्ष से अधिक अनुभव है। आप बैंक ऑफ इंडिया से महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप केसीपी लिमिटेड, चेन्नै तथा गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि, मुम्बई के बोर्ड में भी हैं। आप चेन्नै के श्रीराम समूह के भी सलाहकार हैं। आप आंध्र बैंक में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से चुने गये निदेशक थे तथा 13.03.2012 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी की।

3. निदेशक मंडल/कार्यपालकों की समितियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अनुसार निदेशकों की कई समितियाँ गठित की गयीं हैं ताकि आप अपने अधिकार तहत आने वाले विविध क्रियाकलापों के मामले में शीघ्र निर्णय ले सकें और उपयुक्त निगरानी एवं अनुवर्तन कर सकें।

बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं:-

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में विभिन्न व्यावसायिक मामलों, यथा ऋण प्रस्ताव, ऋण समझौता/ अपलेखन प्रस्ताव की मंजूरी, पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है।



11. Sri Shaibal Gupta

Is a Post Graduate in Economics and Doctorate in Philosophy. He is a Founder Member Secretary, Asian Development Research Institute, Patna. His areas of research interest have been guided more by the development problems of Bihar. He was a Part-time Non-Official Director of Andhra Bank till 03.04.2011.

12. Sri Rajib Sekhar Sahoo

Is a Graduate in Commerce and a practicing Chartered Accountant. Apart from being a practicing Chartered Accountant, he has been a visiting faculty to various Govt. and Management Institutes including Xavier Institute of Management (XIM), Bhubaneswar, etc.,. Presently he is a Part-time Non-Official Director of Andhra Bank. He carried out Central Statutory audit of Nationalized Banks, audit of Public Sector Undertakings like Nalco etc. He completed his tenure as Director on 13.07.2011.

13. Sri N Raja Gopal Reddy

Is a post graduate in Behavioral Studies. Joined Andhra Bank as Clerk on 17.06.1977, Promoted as JM-I Officer as on 31.12.1982 and MM-II Officer as on 31.12.1993. Worked as Manager for more than 14 years. Presently working as Deputy Manager, Centralised Cheque Processing Centre, Hyderabad.

14. Sri K Raghuraman

Is a Chartered Accountant and retired as Executive Director in Punjab National Bank. Earlier he worked as General Manager for over 7 years in various departments of Central Bank of India. He held the position of Chairman of 'India Cooperation committee of Master Card International' as well as the Member of various Industry Level Committees of IBA. He is also a Director of Industrial Finance Corporation of India, a premier Public Financial Institution for Industrial Finance in the Country. He completed his tenure as Director on 13.03.2012 and got re-elected from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2012 for a period of three years.

15. Sri G R Sundaravadivel

Is a retired Banker having more than 37 years experience in Nationalized Banks, of which 14 years was in the Top Management Cadre in Indian Bank and above 4 years as Whole Time Director in United Bank of India. He was also Banking Ombudsmen for the State of Kerala and UT Lakshadweep for a period of 2 years.

16. Sri Nandlal L. Sarda

Is a Professor in the Department of Computer Science and Engineering at IIT, Powai, Mumbai. He is in the teaching profession since 1972. His research interests are in the areas of Database Systems and Software Engineering. He is associated with many companies and government institutions as a consultant. He has served as Board of Director of Union Bank of India. He is presently on the Board of Directors of Clearing Corporation of India and IDBI. He is also serving on the Technical Advisory Committees of many organizations.

17. Sri Prem Prakash Pareek

Is a Chartered Accountant with a Degree in Law. Earlier he was on the Board of Bank of Baroda. He has vast experience in the field of Auditing and handled professional assignments of large limited companies, financial institutions, Banks and Public Sector Undertakings. He is also a member of the Central Council of the Institute of Chartered Accountants of India representing seven States of Central India Region at the National Level. He was a Director elected from amongst the shareholders of Andhra Bank, other than Central Government. He completed his tenure as Director on 13.03.2012.

18. Sri V H Ramakrishnan

Is a Chartered and Cost Accountant, having extensive experience of more than 35 years in both Domestic and International banking with Bank of India. He retired as a General Manager from Bank of India. He is also on the Board of The KCP Ltd, Chennai and Gilt Securities Trading Corporation Limited, Mumbai. He is also an Advisor to Shriram Group of Chennai. He was a Director elected from amongst the shareholders of Andhra Bank, other than Central Government, and completed his tenure as Director on 13.03.2012.

3. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS/EXECUTIVES

Various committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India guidelines / directives in order to expedite the decision making and proper monitoring and follow up of the various activities falling within their terms of reference.

The important committees of the Board are as under:-

3.1 Management Committee of the Board

Pursuant to the directive of the Government of India, Ministry of Finance, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक एवं तीन स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक समिति के सदस्य हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को कुल 18 बैठकें आयोजित की गई :-

21.04.2011	28.07.2011	28.11.2011
05.05.2011	27.08.2011	21.12.2011
16.05.2011	03.09.2011	07.01.2012
04.06.2011	29.09.2011	23.01.2012
22.06.2011	24.10.2011	28.02.2012
13.07.2011	16.11.2011	17.03.2012

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या के साथ प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :-

निदेशक का नाम	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित प्रबंधन समिति बैठकों की संख्या	प्रबंधन समिति बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.01.2012 से 31.03.2012	4	4
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2011 से 31.12.2011	14	14
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	18	18
श्री के के मिश्र कार्यपालक निदेशक	28.12.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 30.09.2011	10	10
श्री के आर आनंदा भारिबैं नामिती निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	18	18
श्री पंकज चतुर्वेदी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (सीए श्रेणी)	23.09.2011 से 31.03.2012	9	9
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	01.04.2011 से 24.04.2011 14.01.2012 से 31.03.2012	4	4
श्री एन वी आर रेड्डी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	30.01.2011 से 29.07.2011 30.01.2012 से 31.03.2012	9	9
श्री राजीव शेखर साहू अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2011 से 13.07.2011	6	4
श्री एन राजगोपाल रेड्डी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	25.04.2011 से 24.10.2011 14.03.2011 से 31.03.2012	11	11
श्री के रघुरामन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (पुनः चुने गए)	30.07.2011 से 29.01.2012	9	8
श्री प्रेम प्रकाश पारीक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	25.10.2011 से 13.03.2012	6	4



loan compromise / write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

The committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee Director of Reserve Bank of India and three independent Non Official Directors. In all, 18 Meetings of the Committee were held during the year, on the following dates:

21.04.2011	28.07.2011	28.11.2011
05.05.2011	27.08.2011	21.12.2011
16.05.2011	03.09.2011	07.01.2012
04.06.2011	29.09.2011	23.01.2012
22.06.2011	24.10.2011	28.02.2012
13.07.2011	16.11.2011	17.03.2012

The attendance of the Members at the Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below in the table:

Name of the Director	Period	No. of M.C. meetings held during the period	No. of M.C. meetings attended
Sri B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director	02.01.2012 to 31.03.2012	4	4
Sri R Ramachandran Chairman & Managing Director	01.04.2011 to 31.12.2011	14	14
Sri A.A. Taj Executive Director	01.04.2011 to 31.03.2012	18	18
Sri K.K. Misra Executive Director	28.12.2011 to 31.03.2012	4	4
Sri Anil Girotra Executive Director	01.04.2011 to 30.09.2011	10	10
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	01.04.2011 to 31.03.2012	18	18
Sri Pankaj Chaturvedi Part-time Non-Official Director (CA Category)	23.09.2011 to 31.03.2012	9	9
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	01.04.2011 to 24.04.2011 14.01.2012 to 31.03.2012	4	4
Sri N.V.R. Reddy Part-time Non-Official Director	30.01.2011 to 29.07.2011 30.01.2012 to 31.03.2012	9	9
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	01.04.2011 to 13.07.2011	6	4
Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	25.04.2011 to 24.10.2011 14.03.2011 to 31.03.2012	11	11
Sri. K. Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Re-elected)	30.07.2011 to 29.01.2012	9	8
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government	25.10.2011 to 13.03.2012	6	4

श्री वी एच रामकृष्णन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	14.07.2011 से 13.01.2012	9	9
--	--------------------------	---	---

3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में 5 निदेशक यथा कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक और दो स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशक, के साथ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया। स्वतंत्र गैर सरकारी निदेशकों में से एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न तारीखों में समिति की 12 बैठकें निम्न तिथियों को हुई।

05.05.2011	02.11.2011
13.07.2011	28.11.2011
28.07.2011	07.01.2012
27.08.2011	02.02.2012
29.09.2011	20.02.2012
23.10.2011	17.03.2012

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है और बैंक के सकल लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण करती है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रणाली का गठन, स्तर नियन्त्रण, परिचालन और गुणवत्ता और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का अनुवर्तन नियंत्रण शामिल है।

समिति आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की समीक्षा, लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एल एफ ए आर) में उठाये गये सभी मामलों का अनुवर्तन और लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करती है। समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में लेखा मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा करती है।

यह समिति विशेषीकृत एवं बहुत बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग की सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है। यह समिति आंतरिक लेखा कार्य की स्थिति के अलावा अंतर शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत अधिक समय से बकाया असमायोजित प्रविष्टियों की भी समीक्षा करती है।

अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या के साथ लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :-

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी कार्य-अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री पंकज चतुर्वेदी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (सी ए श्रेणी) (23.09.2011से)	अध्यक्ष / अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (14.03.2012 से अध्यक्ष)	7	6
श्री के रघुरामन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (14.03.2012 से सदस्य के रूप में बने रहे)	अध्यक्ष/निदेशक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (14.07.2011 से 13.03.2012 तक अध्यक्ष)	9	9
श्री राजीव शेखर साहू अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (13.07.2011 तक)	अध्यक्ष / गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (24.03.2010 से 13.07.2011 तक अध्यक्ष)	2	2
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012 तक)	सदस्य	12	12
श्री के के मिश्र कार्यपालक निदेशक (28.12.2011से)	सदस्य	4	4



Sri V.H. Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.07.2011 to 13.01.2012	9	9
---	--------------------------	---	---

3.2 Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board of Directors was constituted with five directors viz. Executive Director, Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India and Two Independent Non Official Directors. One of the Independent Non-Official Directors chairs the meeting of the Audit Committee.

The Committee met 12 times during the year under review, on the following dates:

05.05.2011	02.11.2011
13.07.2011	28.11.2011
28.07.2011	07.01.2012
27.08.2011	02.02.2012
29.09.2011	20.02.2012
23.10.2011	17.03.2012

The Audit Committee of the Board provides directions and also oversees the operations of the total Audit Functions of the Bank which include organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the Statutory / External Audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.

The Committee reviews internal inspection / audit functions, follow-up on all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with the external auditors in respect of LFAR. The committee also reviews the compliance of the Accounting Standards in terms of reporting process, disclosure of financial information and compliance in terms of other statutory requirements.

It reviews inspection reports of the specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also reviews inter branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter bank accounts besides reviewing the position of house keeping.

The attendance of members at the Audit Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of Audit Committee meetings held during the period of their tenure	Number of attended meetings
Sri Pankaj Chaturvedi Part-time Non-Official Director (CA Category) (w.e.f. 23.09.2011)	Chairman / Part-time Non-Official Director (Chairman w.e.f. 14.03.2012)	7	6
Sri K. Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Continuing as member w.e.f. 14.03.2012)	Chairman / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Chairman w.e.f. 14.07.2011 to 13.03.2012)	9	9
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non Official Director (upto 13.07.2011)	Chairman / Non Executive Independent Director (Chairman w.e.f. 24.03.2010 to 13.07.2011)	2	2
Sri A.A. Taj Executive Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)	Member	12	12
Sri K.K. Misra Executive Director (w.e.f. 28.12.2011)	Member	4	4

श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक (30.09.2011 तक)	सदस्य	5	5
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)	सदस्य	12	6
श्री के आर आनंदा भारिबै नामिती निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)	सदस्य	12	12

3.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

बैंक द्वारा सामना किये जा रहे समग्र जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एवं जोखिम स्तर निर्धारण का दायित्व एक समूह को सौंपने के उद्देश्य से, जो बैंक के बेहतर हित में है, बैंक ने 28.06.2001 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामिती निदेशक एवं तीन अन्य निदेशक हैं। वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं और बैंक के परिचालन, बाजार एवं ऋण जोखिम जैसे विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बार निम्नलिखित तारीखों को बैठकें हुईं:

13.07.2011	21.12.2011
24.10.2011	28.02.2012

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की सेवावधि के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है।

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी सेवावधि के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 02.01.2012 से 31.03.2012	01	01
श्री आर रामचन्द्रन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.04.2011 से 31.12.2011	03	03
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	04	04
श्री के के मिश्र कार्यपालक निदेशक	सदस्य 28.12.2011 से 31.03.2012	01	01
श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 30.09.2011	01	01
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	04	01
श्री राजीव शेखर साहु, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 13.07.2011	01	01
श्री वी एच रामकृष्णन केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 13.03.2012	04	04
श्री के.रघुरामन, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों से चुने गए निदेशक (14.03.2012 से पुनः चुने गए)	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	04	04
श्री एन राजगोपाल रेड्डी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	04	04



Sri Anil Girotra Executive Director (upto 30.09.2011)	Member	5	5
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)	Member	12	6
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)	Member	12	12

3.3 Risk Management Committee (RMC)

Bank has constituted a Risk Management Committee of the Board on 28.06.2001 with an objective to empower one group with full responsibility of evaluating overall risks faced by the Bank and determining the level of risks, which will be in the best interest of the Bank. The Committee is constituted with the Chairman & Managing Director, Executive Director, Govt. of India Nominee Director and three other Directors. The Committee met four times during the year and discussed various matters relating to operational, market and credit risks of the Bank.

The Risk Management Committee met 4 times during the year on the following dates:

13.07.2011	21.12.2011
24.10.2011	28.02.2012

The attendance of the members at the Risk Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of Risk Management Committee meetings held during the period of their tenure	Number of meetings attended
Sri B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director	Chairman 02.01.2012 to 31.03.2012	01	01
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	Chairman 01.04.2011 to 31.12.2011	03	03
Sri A.A. Taj Executive Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	04	04
Sri K.K. Misra Executive Director	Member 28.12.2011 to 31.03.2012	01	01
Sri Anil Girotra Executive Director	Member 01.04.2011 to 30.09.2011	01	01
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	04	01
Sri Rajib Sekhar Sahoo Part-time Non-Official Director	Member 01.04.2011 to 13.07.2011	01	01
Sri V H Ramakrishnan Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member 01.04.2011 to 13.03.2012	04	04
Sri K Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government (Re-elected w.e.f. 14.03.2012)	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	04	04
Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	04	04

श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	सदस्य 14.07.2011 से 31.03.2012	03	03
श्री जी आर सुंदरवडिवेल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	सदस्य 14.03.2012 से 31.03.2012	- - -	- - -

3.4 बोर्ड की डी.पी.सी.

बोर्ड की डी पी सी का गठन विशेष रूप से बैंक में विभागीय जाँच तथा सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा हेतु भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप हुआ है.

वर्तमान में, समिति के 5 निदेशक हैं यथा :-

1. श्री बी ए प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.01.2012 से 31.03.2012)
2. श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)
3. श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से 31.03.2012)
4. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)
5. श्री के आर आनंदा, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)

समिति की निम्नानुसार 2 बैठकें हुई :-

02.11.2011	17.03.2012
------------	------------

डी पी सी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, उनकी अवधि के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या सहित, नीचे सारणी में दी गई है :-

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनकी सेवावधि के दौरान आयोजित डी पी सी बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 02.01.2012 से 31.03.2012	01	01
श्री आर.रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 01.04.2011से 31.12.2011	01	01
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	02	02
श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक	सदस्य 28.12.2011 से 31.03.2012	01	01
श्री के आर आनंदा भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	02	02

3.5 उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति

उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति- केवल ₹ 1.00 करोड तथा अधिक की राशि वाली धोखाधड़ी वाले मामलों पर निगरानी कार्रवाई तथा उनकी विशेष रूप से निगरानी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप एक मंडल स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

वर्तमान में समिति के 5 निदेशक हैं याने

1. श्री बी ए प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.01.2012 से 31.03.2012)
2. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012)



Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	Member 14.07.2011 to 31.03.2012	03	03
Sri G.R. Sundaravadivel Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member 14.03.2012 to 31.03.2012	---	---

3.4 D.P.C. of the Board

D.P.C. of the Board is constituted in terms of Govt. of India directions to specifically look into the Review of disposal of vigilance disciplinary cases and Departmental Enquiries in the Bank.

Presently, the Committee consists of 5 Directors:-

1. Sri B.A. Prabhakar, Chairman & Managing Director
(From 02.01.2012 to 31.03.2012)
2. Sri A.A. Taj, Executive Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)
3. Sri K.K. Misra, Executive Director (From 28.12.2011 to 31.03.2012)
4. Smt Madhulika P. Sukul, Govt. of India Nominee Director
(From 01.04.2011 to 31.03.2012)
5. Sri K.R. Ananda, RBI Nominee Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)

The Committee met two times on ..

02.11.2011	17.03.2012
------------	------------

The attendance of the members at the D.P.C. meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of D.P.C. meetings held during the period	Number of meetings attended
Sri B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director	Chairman 02.01.2012 to 31.03.2012	01	01
Sri R. Ramachandran Chairman & Managing Director	Chairman 01.04.2011 to 31.12.2011	01	01
Sri A.A.Taj Executive Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	02	02
Sri K.K. Misra Executive Director	Member 28.12.2011 to 31.03.2012	01	01
Sri K.R. Ananda RBI Nominee Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	02	02

3.5 Special Committee for Monitoring Large Value Frauds

Special Committee for Monitoring Large Value Frauds, a Board level Committee is constituted as per the directions of Reserve Bank of India to specifically look into monitoring and following up the cases of frauds involving an amount of Rs.1.00 crore & above, exclusively.

Presently, the Committee consists of 5 Directors:-

1. Sri B.A. Prabhakar, Chairman & Managing Director (From 02.01.2012 to 31.03.2012)
2. Smt Madhulika P. Sukul, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2011 to 31.03.2012)

3. श्री एन वी आर रेड्डी, निदेशक (14.07.2011 से 31.03.2012)
4. श्री जी आर सुंदरवडिवेल, निदेशक (14.03.2012 से 31.03.2012)
5. श्री के रघुरामन, निदेशक (14.03.2012 to 31.03.2012)

समिति की निम्नानुसार 3 बैठकें हुई :-

02.11.2011	21.12.2011	02.02.2012
------------	------------	------------

उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति में सदस्यों की उपस्थिति, उनकी अवधि के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या सहित, नीचे सारणी में दी गई है :-

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष 02.01.2012 से 31.03.2012	01	01
श्रीमती मधुलिका पी सुकुल भारत सरकार नामिती निदेशक	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	03	03
श्री प्रेम प्रकाश पारीक निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए	सदस्य 01.04.2011 से 13.03.2012	03	03
श्री के.रघुरामन, निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए (14.03.2012 से पुनः चुने गए)	सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	03	03
श्री एन वी आर रेड्डी निदेशक	सदस्य 14.07.2011 से 31.03.2012	03	03
श्री जी आर सुंदरवडिवेल निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए	सदस्य 14.03.2012 से 31.03.2012	---	---

3.6 शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति -

3.6.1 बैंक ने विशेषकर शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड की समिति - "शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति" का गठन किया है। समिति में 7 निम्न निदेशक हैं :-

1. श्री के.रघुरामन, 14.03.2009 से समिति के अध्यक्ष (केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक)
2. श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 31.03.2012 तक)
3. श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से 31.03.2012 तक)
4. श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 30.09.2011 तक)
5. श्री प्रेम प्रकाश पारीक, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (01.04.2011 से 13.03.2012)
6. श्री शैबाल गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (01.04.2011 से 03.04.2011)
7. श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (16.06.2010 से)
8. श्री एन राजगोपाल रेड्डी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक (25.11.2010 से)
9. श्री जी आर सुंदरवडिवेल, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (14.03.2012 से)

वर्ष के दौरान शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति की 3 बैठकें हुई, (यानी 21.06.2011, 21.12.2011 तथा 17.03.2012) एवं शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।



3. Sri N.V.R. Reddy, Director (From 14.07.2011 to 31.03.2012)
4. Sri G.R. Sundaravadivel, Director (From 14.03.2012 to 31.03.2012)
5. Sri K. Raghuraman, Director (From 14.03.2012 to 31.03.2012)

The Committee met three times on..

02.11.2011	21.12.2011	02.02.2012
------------	------------	------------

The attendance of the members at the Special Committee for Monitoring Large Value Frauds meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Name of the Director	Type of Director	Number of Meetings of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds held during the period	Number of meetings attended
Sri B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director	Chairman 02.01.2012 to 31.03.2012	01	01
Smt Madhulika P Sukul Govt. of India Nominee Director	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	03	03
Sri Prem Prakash Pareek Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member 01.04.2011 to 13.03.2012	03	03
Sri K. Raghuraman Director elected from amongst shareholders other than Central Government (re-elected w.e.f 14.03.2012)	Member 01.04.2011 to 31.03.2012	03	03
Sri N.V.R. Reddy Director	Member 14.07.2011 to 31.03.2012	03	03
Sri G.R. Sundaravadivel Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member 14.03.2012 to 31.03.2012	---	---

3.6 Shareholders' and Investors' Grievances Committee

3.6.1 The Bank has constituted a Committee of the Board - "Shareholders' and Investors' Grievances Committee" – to specifically look into the redressal of the shareholders' grievances. The Committee consists of the following Directors :

1. Sri K Raghuraman, Chairman of the Committee, (Director elected from amongst shareholders other than Central Government) since 14.03.2009.
2. Sri A.A. Taj, Executive Director (from 01.04.2011 to 31.03.2012)
3. Sri K.K. Misra, Executive Director (from 28.12.2011 to 31.03.2012)
4. Sri Anil Girotra, Executive Director (from 01.04.2011 to 30.09.2011)
5. Sri Prem Prakash Pareek, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (from 01.04.2011 to 13.03.2012)
6. Sri Shaibal Gupta, Part-time Non-Official Director (from 01.04.2011 to 03.04.2011)
7. Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director (w.e.f. 16.06.2010)
8. Sri N. Raja Gopal Reddy, Officer Employee Director (w.e.f. 25.11.2010)
9. Sri G.R. Sundaravadivel, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (w.e.f. 14.03.2012)

The Shareholders' and Investors' Grievances Committee met 3 times during the year (i.e., on 21.06.2011, 21.12.2011 and 17.03.2012) and reviewed the position of the complaints.

वर्ष के दौरान अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

निदेशक का प्रकार	शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत समिति की बैठकों की संख्या	
	सेवावधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
श्री के.रघुरामन, अध्यक्ष/ केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 01.04.2011 से 13.03.2012 14.03.2012 से 31.03.2012 (पुनः चुने गए)	3	3
श्री अ अ ताज सदस्य/ कार्यपालक निदेशक 01.04.2011 से 31.03.2012	3	3
श्री के के मिश्र, सदस्य/ कार्यपालक निदेशक 28.12.2011 से 31.03.2012	1	1
श्री अनिल गिरोत्रा सदस्य/ कार्यपालक निदेशक 01.04.2011 से 30.09.2011	1	1
श्री जी आर सुंदरवडिवेल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 14.03.2012 से 31.03.2012	1	1
श्री प्रेम प्रकाश पारीक सदस्य/ केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक 01.04.2011 से 13.03.2012	2	2
श्री शैबाल गुप्ता, सदस्य/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक 01.04.2011 से 03.04.2011	- - -	- - -
श्री मनोरंजन दास 01.04.2011 से 31.03.2012 कर्मकार कर्मचारी निदेशक	3	3
श्री एन राजगोपाल रेड्डी सदस्य/अधिकारी कर्मचारी निदेशक 01.04.2011 से 31.03.2012	3	3

3.6.2 शेयर बाजार के सूचीकरण करार, खंड 47 के अनुरूप, सेबी द्वारा जारी शेयर बाजार सूचीकरण करार की विभिन्न शर्तों एवं निदेशों के अनुपालन के प्रयोजन हेतु श्री टी.आर रामभद्रन, उप महाप्रबंधक एवं कम्पनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.6.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31.03.2012 तक बैंक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, मुम्बई द्वारा प्राप्त अनुरोध/शिकायतों की कुल संख्या क्रमशः 7016/21 थी।

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप नहीं निपटायी गयी शिकायतों की संख्या "शून्य" है।

लंबित शिकायतों की संख्या शून्य

3.7 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति का गठन समय-समय पर किया जाता है एवं निम्नलिखित सदस्यों के साथ 14.03.2012 को शेयर अंतरण समिति पुनर्गठित की गयी।

1. श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक, (समिति के अध्यक्ष) (02.11.2011 से)

2. श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (28.12.2011 से)



The attendance of the members at the Shareholders' and Investors' Grievances Committee meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Type of Director	No. of Meetings of shareholders' and Investors' Grievances Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri K Raghuraman Chairman / Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 01.04.2011 to 13.03.2012 From 14.03.2012 to 31.03.2012 (Relected)	3	3
Sri A.A.Taj Member / Executive Director From 01.04.2011 to 31.03.2012	3	3
Sri K.K. Misra Member / Executive Director From 28.12.2011 to 31.03.2012	1	1
Sri Anil Girotra Member / Executive Director From 01.04.2011 to 30.09.2011	1	1
Sri G.R. Sundaravadivel Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 14.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Sri. Prem Prakash Pareek Member / Director elected from amongst shareholders other than Central Government From 01.04.2011 to 13.03.2012	2	2
Sri Shaibal Gupta, Member / Part-time Non-Official Director From 01.04.2011 to 03.04.2011	---	---
Sri Manoranjan Das Member / Workmen Employee Director w.e.f. 01.04.2011 to 31.03.2012	3	3
Sri N. Raja Gopal Reddy Member / Officer Employee Director w.e.f. 01.04.2011 to 31.03.2012	3	3

3.6.2 In terms of Clause 47 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, Mr. T.R. Ramabhadran, Dy. General Manager and Company Secretary is designated as the Compliance Officer for the purpose of complying with the various terms of the Listing Agreement with Stock Exchanges and Directives issued by SEBI.

3.6.3 The total number of requests / complaints received by the Bank and the Share Transfer Agents, M/s. MCS Limited, Mumbai during the year under review was 7016 /21 respectively as on 31.03.2012.

Number of requests / complaints not resolved to the satisfaction of the Shareholders is 'NIL'

Number of pending complaints .. NIL ..

3.7 Share Transfer Committee

Share Transfer committee is being constituted from time to time and the last reconstitution was on 14.03.2012 with the following members:

1. Sri A.A. Taj, Executive Director, Member (Chairman of the Committee) (w.e.f. 02.11.2011)
2. Sri K.K. Misra, Executive Director, Member (w.e.f. 28.12.2011)



3. श्री के.रघुरामन, निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए (01.04.2011 से 13.03.2012 और 14.03.2012 से)
4. श्री एन वी आर रेड्डी, निदेशक (14.03.2012 से)

वर्ष 2011-2012 के दौरान समिति ने 1740 शेयर अंतरणों का अनुमोदन किया है जो कुल 8,29,800 शेयर हैं। समिति शेयरों के अंतरण की पुष्टि करती है। वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की तीन बैठकें हुईं (याने 21.06.2011, 21.12.2011 तथा 17.03.2012)। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों की जमा तिथि से एक महीने के अंदर सभी अंतरण विधिवत् प्रभावित किये जाते हैं। साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि शिकायतें निर्धारित समय में निपटा ली गयी हैं और शिकायतों के अंतिम निपटान हेतु जहां जाँच की आवश्यकता है वहां शेयरधारकों को तुरंत अंतरिम उत्तर/सूचना देकर निपटान किया जाता है।

कोई शेयर अंतरण अनुरोध एक पक्ष से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है और 31.03.2012 को अंतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

3.8 ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार इत्यादि के लिए बोर्ड की "ग्राहक सेवा समिति" का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं (31.03.2012 तक) यथा:

1. श्री बी ए प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.01.2012 से)
2. श्री पंकज चतुर्वेदी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (14.03.2012 से)
3. श्री मनोरंजन दास, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (16.06.2010 से)
4. श्री एन वी आर रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (25.11.2010 से)
5. श्री जी आर सुंदरवडिवेल, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक (14.03.2012 से)

3.9 पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) पत्र संख्या एफ 20/1/2005-बीओआई, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार बैंक ने बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन 24.03.2007 को किया है। वित्त मंत्रालय के पत्र के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पूर्णकालिक निदेशक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र हैं जो "लक्ष्यों के आशय के विवरण" के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के लिए निर्धारित स्थूल परिमाणात्मक मानक एवं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर बैंच मार्क की प्राप्ति के अधीन है। परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता मानकों के मूल्यांकन का आधार संबंधित वर्ष के 31 मार्च को बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय डाटा होगा।

पूर्णकालिक निदेशकों यानी, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक, को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पुरस्कार का निर्णय लेने के लिए बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन पारिश्रमिक समिति करेगी।

समिति का 14.03.2012 को निम्न सदस्यों सहित पुनर्गठन किया गया :-

1. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार नामिती निदेशक (समिति की अध्यक्ष)
2. श्री के.आर.आनंदा, भारि बैंक नामिती निदेशक
3. श्री जी आर सुंदरवडिवेल, निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए
4. श्री नंदलाल एल सारडा, निदेशक, केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए

समिति की बैठक 21.06.2011 को हुई तथा अन्य सदस्यों सहित श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, भारत सरकार के नामिती निदेशक ने बैठक में भाग लिया।

3.10 बोर्ड की नामांकन समिति

30.11.2007 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया एवं निम्न निदेशकों के साथ 02.02.2012 को पुनर्गठन किया गया :

1. श्रीमती मधुलिका पी सुकुल, (समिति की अध्यक्ष) भारत सरकार नामिती निदेशक
2. श्री पंकज चतुर्वेदी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
3. श्री एन वी आर रेड्डी, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

बोर्ड की नामांकन समिति की बैठक केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन निदेशकों के चुनाव के संबंध में 22 फरवरी, 2012 को हुई।



3. Sri K. Raghuraman, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (from 01.04.2011 to 13.03.2012 and w.e.f. 14.03.2012)

4. Sri N.V.R. Reddy, Director (w.e.f. 14.03.2012)

The committee confirmed 1740 share transfers aggregating 8,29,800 shares during the year 2011-12. The committee confirms the transfer of shares. Three Meetings of the Share Transfer Committee were held during the year (i.e. on 21.06.2011, 21.12.2011 and 17.03.2012). The Bank ensures that all the transfers are duly affected within a period of 1 month from the date of their lodgment. The Bank further ensures that complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which needs enquiry for final disposal are attended with immediate interim reply / information to the shareholders.

There was no share transfer request which has been pending for more than a fortnight and no shares are pending for transfer as on 31.03.2012.

3.8 Customer Service Committee:

The Bank had constituted a Committee of the Board – “Customer Service Committee” to monitor the quality of customer service, improvement thereof, etc. The Committee consists of the following Directors (as on 31.03.2012):

1. Sri B.A. Prabhakar, Chairman & Managing Director (w.e.f. 02.01.2012)
2. Sri Pankaj Chaturvedi, Part-time Non-Official Director (w.e.f. 14.03.2012)
3. Sri Manoranjan Das, Workmen Employee Director (w.e.f. 16.06.2010)
4. Sri N. Venkata Ramana Reddy, Part-time Non-Official Director (w.e.f. 25.11.2010)
5. Sri G.R. Sundaravadivel, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (w.e.f. 14.03.2012)

3.9 Remuneration Committee:

The Bank has in terms of Ministry of Finance (MOF) letter no. F20/1/2005-BOI, dated 09.03.2007, constituted a Remuneration Committee of the Board on 24.03.2007. In terms of MOF letter, the Whole Time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the “Statement of Intent of Goals” and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the last financial year. The basis of evaluation of the quantitative and qualitative parameters would be the Bank’s audited financial data as on March 31st of the relevant year.

The Remuneration Committee shall evaluate the performance of the Bank / full time Directors for deciding the performance linked incentives to be paid to the Whole Time Directors i.e., Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank.

The Committee is reconstituted on 14.03.2012 with the following members:

1. Smt Madhulika P Sukul, Govt. of India Nominee Director
(Chairperson of the Committee)
2. Sri K.R. Ananda, RBI Nominee Director
3. Sri G.R. Sundaravadivel, Director elected from amongst shareholders other than Central Government
4. Sri Nandlal L. Sarda, Director elected from amongst shareholders other than Central Government

The committee met on 21.06.2011 and Smt Madhulika P. Sukul, GOI Nominee Director along with other members attended the meeting.

3.10 Nomination Committee of the Board

Nomination Committee of the Board constituted on 30.11.2007 and reconstituted last on 02.02.2012 with the following Directors:

1. Smt. Madhulika P. Sukul, (Chairperson of the Committee) Govt. of India Nominee Director
2. Sri Pankaj Chaturvedi, Part-time Non-Official Director
3. Sri N. V. R. Reddy, Part-time Non-Official Director

The Nomination Committee of the Board met on 22nd February, 2012 in connection with the election of Three Directors from amongst shareholders other than Central Government.

3.11 मानव संसाधन प्रबंधन हेतु उप समिति

दिनांक 14.03.2012 को पुनर्गठन किया गया है। बैंक की वर्तमान मानव संसाधन नीतियों पर विचार के उद्देश्य से उप-समिति का गठन किया ताकि मानव संसाधन नीतियां बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप हों।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें निम्न तिथियों को हुई :-

07.04.2011	21.12.2011
------------	------------

वर्ष के दौरान अवधि के अंदर आयोजित बैठकों की संख्या सहित मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्न सारणी में दी गई है:-

निदेशक का प्रकार	मानव संसाधन प्रबंधन हेतु उप-समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री के.रघुरामन, अध्यक्ष (केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों से चुने गए निदेशक) 14.03.2012 से सदस्य-01.04.2011 से 13.03.2012	2	2
श्री वी एच रामकृष्णन अध्यक्ष (केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक) 28.11.2011 से 13.03.2012	2	2
श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक/सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012	2	2
श्री पंकज चतुर्वेदी (निदेशक-सी ए श्रेणी) 14.03.2012 से 31.03.2012	---	---
श्री नंदलाल एल सारडा सदस्य (केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक) 14.03.2012 से 31.03.2012	---	---

3.12 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

आई टी निगरानी, सूचना सुरक्षा, आई एस लेखा परीक्षा, आई टी परिचालन, आई टी बाहरी सेवाएं, साइबर धोखाधड़ी, व्यवसाय निरंतरता योजना, ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम तथा विधि संबंधी पहलुओं जैसे 9 क्षेत्रों में भा रि बैं द्वारा जारी सिफारिशों के अनुपालन हेतु भा रि बैं द्वारा जारी पत्र सं. भा रि बैं/2010-2011/494 जी बी एस को आई टी सी बी सी सं.6/31.02.2008/2010-11 मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बोर्ड-स्तर की प्रतिभागिता सहित समिति का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संकल्प दि.14.06.2011 के अनुसार आई टी रणनीति बनाई गई है।

वर्ष के दौरान अवधि में संपन्न बैठकों की संख्या सहित सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की 15.07.2011 तथा 13.01.2012 को सम्पन्न बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न सारणी में दी गई है:-

निदेशक का प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी रण-नीति समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री नंदलाल एल सारडा अध्यक्ष (केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक) 14.03.2012 से 31.03.2012	-	-
श्री वी एच रामकृष्णन अध्यक्ष (केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक) 21.06.2011 से 13.03.2012	2	2



3.11 Sub-Committee for Human Resource Management

The Sub committee was constituted with an objective to revisit the existing HR policies of the Bank so that the HR policies for human resource management aligns with the corporate goals and objectives of the Bank. The same has been reconstituted on 14.03.2012

The Committee met two times during the period under review on:

07.04.2011	21.12.2011
------------	------------

The attendance of the members at the Sub-committee for Human Resources Management meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Type of Director	No. of Meetings of Sub-Committee for Human Resources Management	
	Held during the tenure	Attended
Sri K Raghuraman Chairman w.e.f. 14.03.2012 (Director elected from amongst shareholders other than Central Government). Member from 01.04.2011 to 13.03.2012	2	2
Sri V H Ramakrishnan Chairman(Director elected from amongst shareholders other than Central Government) From 28.11.2011 to 13.03.2012	2	2
Sri AA Taj Executive Director/Member From 01.04.2011 to 31.03.2012	2	2
Sri Pankaj Chathurvedi Member (Director - CA Category) From 14.03.2012 to 31.03.2012	--	--
Sri Nandalal L. Sarda Member (Director elected from amongst shareholders other than Central Government) From 14.03.2012 to 31.03.2012	--	--

3.12 Information Technology Strategy Committee

In terms of guidelines issued by RBI letter No. RBI/2010-11/494DBS.CO.ITC.BC.NO. 6/31.02.2008/2010-11 for implementation of recommendations issued by Reserve Bank of India in nine broad areas such as IT governance, Information Security, IS Audit, IT Operations, IT Services Outsourcing, Cyber Fraud, Business Continuity Planning, Customer Awareness programmes and Legal aspects. The committee has been constituted with Board level participation. The IT Strategy is formed as approved by Board vide its Resolution dated 14.06.2011.

The Committee is reconstituted on 14.03.2012.

The attendance of the members at the Information Technology Strategy Committee meetings held on 15.07.2011 and 13.01.2012 along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Type of Director	No. of Meetings of Sub-Committee for Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri Nandalal L. Sarda Chairman (Director elected from amongst shareholders other than Central Government) From 14.03.2012 to 31.03.2012	-	-
Sri V H Ramakrishnan Chairman(Director elected from amongst shareholders other than Central Government) From 21.06.2011 to 13.03.2012	2	2

श्री के के मिश्रा, कार्यपालक निदेशक / सदस्य 28.12.2011 से 31.03.2012	1	1
श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक / सदस्य 21.06.2011 से 13.03.2012	2	2

3.13 ऋण अनुमोदन समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दि. 05.12.2011 के अनुरूप, बोर्ड संकल्प सं.50, दि.02.02.2012 द्वारा बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया। यह समिति ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करेगी।

- 3 लाख करोड़ रु. अथवा अधिक के व्यवसाय वाले 'ए' श्रेणी के बैंकों के मामले में 400 करोड़ ₹ तक अथवा
- अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में 250 करोड़ रु. तक
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंपे गए अधिकारों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को सौंपे गए अधिकारों से बाहर के ऋण प्रस्ताव तथा प्रबंधन समिति द्वारा विचार किए जा रहे ऋण प्रस्तावों पर ऋण अनुमोदन समिति विचार करेगी। इसपर उक्त अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा की शर्तें होंगी तथा ऐसी सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति विचार करेगी।

समिति की बैठक वर्ष के दौरान निम्न तिथियों को 8 बार हुई :

10.02.2012	20.03.2012
18.02.2012	22.03.2012
02.03.2012	28.03.2012
12.03.2012	31.03.2012

वर्ष के दौरान अवधि के अंदर आयोजित बैठकों की संख्या सहित ऋण अनुमोदन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति जो निदेशक मंडल में हैं, निम्न सारणी में दी गई है :-

निदेशक का प्रकार	मानव संसाधन प्रबंधन हेतु उप समिति की बैठकों की संख्या	
	अवधि के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) 02.02.2012 से 31.03.2012	8	8
श्री अ अ ताज सदस्य (कार्यपालक निदेशक) 02.02.2012 से 31.03.2012	8	8
श्री के के मिश्र, सदस्य (कार्यपालक निदेशक) 02.02.2012 से 31.03.2012	8	8

3.14 अन्य समितियां:

कई अन्य कार्यकारी समितियाँ हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक तथा विभागीय कार्यपालक हैं। इन समितियों का गठन व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा एवं अनुप्रवर्तन तथा दैनंदिन क्रिया-कलापों हेतु किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यमूलक समितियां निम्नलिखित हैं :-

1. आस्ति देयता समिति (ऑलको)
2. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
3. निवेश समिति (आईसी)
4. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी)
5. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)



Sri K K Misra Executive Director / Member From 28.12.2011 to 31.03.2012	1	1
Sri AA Taj Executive Director / Member From 21.06.2011 to 13.03.2012	2	2

3.13 Credit Approval Committee

In terms of Gazette notification dated 05.12.2011 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board was constituted vide Board Resolution No. 50 dated 02.02.2012. This Committee shall exercise powers of the Board with regard to credit proposals:-

- Upto four hundred crore rupees in case of the category A Banks having business of three lakh crore rupees or more or
- Upto two hundred fifty crore rupees in case of the other Nationalised Banks.
- The credit proposals which exceed the power delegated to the officials of the Nationalised Banks including powers delegated to the Chairman and Managing Director and the credit proposals being considered by the Management Committee shall be considered by the Credit Approval Committee subject to the limit specified as above and the credit proposals which exceed such limits be considered by the Management Committee.

The Committee met 8 times on the following dates during the year:

10.02.2012	20.03.2012
18.02.2012	22.03.2012
02.03.2012	28.03.2012
12.03.2012	31.03.2012

The attendance of the members at the Credit Approval Committee meetings who are Directors on the Board along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below in the table:

Type of Director	No. of Meetings of Sub-Committee for Credit Approval Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri B A Prabhakar Chairman(Chairman & Managing Director) From 02.02.2012 to 31.03.2012	8	8
Sri AA Taj Member(Executive Director) From 02.02.2012 to 31.03.2012	8	8
Sri K K Misra Member(Executive Director) From 02.02.2012 to 31.03.2012	8	8

3.14 Other Committees:

There are various other functional committees, consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director, General Managers and Departmental Executives, which have been constituted for day-to-day functioning, review and monitoring of various aspects of business. Some of the important functional committees are as under:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Operational Risk Management Committee (ORMC)
3. Investment Committee (IC)
4. Risk Based Supervision Committee (RBSC)
5. Credit Risk Management Committee (CRMC)

6. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति

इन समितियों के विवरण और उनके कार्य संक्षिप्त रूप में निम्न प्रस्तुत हैं:-

3.14.1 आस्ति देयता प्रबंधन (ऑलको)

ऑलको निर्णय लेने वाला निकाय है जो बैंक के जोखिम एवं आय के परिप्रेक्ष्य में आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। ऑलको बैंक की चलनिधि एवं तुलनपत्र में ब्याज दर जोखिम की निगरानी करने के लिए प्रमुख प्राधिकरण है। यह पाक्षिक आधार पर बैंक की संरचनात्मक चलनिधि, गतिशील चलनिधि और ब्याज दर की अस्थिर स्थिति की समीक्षा करता है और बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं/मानदंडों के अंतर्गत निगरानी करता है। ऑलको वर्तमान ब्याज दर पर बैंक के विचार और भविष्य व्यवसाय रणनीति के लिए निधिकरण का स्वरूप और उत्पादन मूल्य (जमा और अग्रिमों पर ब्याज दर का निर्धारण) जैसे विषयों पर निर्णय लेता है।

आस्ति देयता समिति (ऑलको) - समिति के सदस्य :-

- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक
- ग. मुख्य महाप्रबंधक
- घ. महा प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग/ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग)
- ङ. महा प्रबंधक (कार्पोरेट आयोजना)
- च. महा प्रबंधक (राजकोष, मुम्बई)

सहायक महा प्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग)- संयोजक

इस अवधि के दौरान समिति की 30 बैठकें हुईं जिसमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न टिप्पणियों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। साथ ही, समिति ने दैनिक आधार पर थोक जमाराशियों पर अधिमानी ब्याज दरें देने के संबंध में भी चर्चा की और अनुमोदन प्रदान किया।

3.14.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम नीतियों एवं सीमाओं के कार्यान्वयन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति उत्तरदायी है। सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सृजन एवं रखरखाव द्वारा संस्था के अंदर परिचालन जोखिम कम करना इस समिति का प्रमुख उद्देश्य है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)- समिति के सदस्य :-

- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक
- ग. मुख्य महा प्रबंधक
- घ. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/ सीएमआरडी)
- ङ. महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा)
- च. महाप्रबंधक (परिचालन)
- छ. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
- ज. महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

समीक्षा वर्ष के दौरान समिति की निम्न तिथियों को 6 बैठकें हुईं :-

01.04.2011, 20.05.2011, 06.09.2011, 03.10.2011, 06.12.2011 तथा 12.03.2012

3.14.3 निवेश समिति

निवेश के अनुमोदन, निवेश लेनदेन की समीक्षा, विभिन्न मुद्रा बाजार खिलाड़ियों को विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा तय करने, गैर एसएलआर निवेश इत्यादि हेतु निवेश समिति का गठन किया गया।

निवेश समिति (आई सी) - समिति के सदस्य :

- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक



6. Internal Capital Adequacy Assessment Committee

The details of these Committees and their functions in brief are furnished hereunder:

3.14.1 Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO is a decision making body responsible for Asset Liability Management of the Bank from Risk and Returns perspective. ALCO is a primary authority for monitoring liquidity and interest rate risks in the Balance Sheet of the Bank. It reviews the structural Liquidity, dynamic liquidity and interest rate sensitivity position of the Bank on fortnightly intervals and monitors the same to be within the Prudential Risk limits / parameters set by the Board. ALCO also articulates the current interest rate view of the Bank and base its decisions such as funding pattern and product pricing (fixing of interest rates on deposits and advances) for future business strategy.

Asset Liability Committee (ALCO) – Members of the Committee:

- a. Chairman and Managing Director [Head of the Committee]
 - b. Executive Directors
 - c. Chief General Manager
 - d. General Manager (IRMD/CMRD)
 - e. General Manager (Corporate Planning)
 - f. General Manager (Treasury, Mumbai)
- AGM/CM/(IRMD)- Convener

The Committee met 30 times during the period to discuss and decide on various notes submitted by different Departments of Head Office. Further, the Committee also deliberated and accorded approvals to offer preferential rates of interest on Bulk Deposits on day-to-day basis.

3.14.2 Operational Risk Management Committee

Operational Risk Management Committee is responsible for implementation of the Operational Risk policies and limits approved by the Board / RMC. It shall have as its principal objective the mitigation of operational risk within the institution by the creation and maintenance of an explicit operational risk management process.

Operational Risk Management Committee (ORMC) – Members of the Committee

- a. Chairman and Managing Director [Head of the Committee]
- b. Executive Directors
- c. Chief General Manager
- d. General Manager (IRMD / CMRD)
- e. General Manager (I & A)
- f. General Manager (Operations)
- g. General Manager (DIT)
- h. General Manager & C V O

The committee met six times during the year under review on the following dates:

01.04.2011, 20.05.2011, 06.09.2011, 03.10.2011, 06.12.2011 and 12.03.2012

3.14.3 Investment Committee

Investment Committee was constituted to approve investments, review investment transactions, fix prudential exposure limits to various money market players, investments in Non-SLR investments etc.

Investment Committee (IC) – Members of the Committee

- a. Chairman and Managing Director [Head of the Committee]
- b. Executive Directors

- ग. मुख्य महाप्रबंधक
 - घ. महाप्रबंधक (आई आई बी)
 - ङ. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)
- समिति की बैठक शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन होती है।

3.14.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति

बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन एवं जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के उपायों के पर्यवेक्षण के लिए एवं तिमाही आधार पर बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी) - समिति के सदस्य :

- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक
- ग. मुख्य महाप्रबंधक
- घ. महाप्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)
- ङ. महाप्रबंधक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा)
- च. महाप्रबंधक (परिचालन)
- छ. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
- ज. महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी

समीक्षागत वर्ष के दौरान समिति की 20.05.2011, 08.09.2011, 10.12.2011, 21.02.2012 और 12.03.2012 को पाँच बैठकें हुईं।

3.14.5 ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति/रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सीआरएमसी उत्तरदायी है। समिति बैंक की ऋण जोखिम नीति, ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए नीतियां / मानक, वित्तीय प्रसंविदा, श्रेणी निर्धारण मानदंड एवं बेंचमार्क तैयार करेगी एवं बोर्ड / आरएमसी को अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी। समिति ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएँ, ऋण संपार्श्विकों के लिए मानदंड, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा मेकनिज्म, जोखिम केंद्रीकरण, जोखिम निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋणों का मूल्य, प्रावधानीकरण, विनियामक / कानूनी अनुपालन इत्यादि पर भी निर्णय लेगी।

संरचना :

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)- समिति के सदस्य :-

- क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (समिति के प्रमुख)
- ख. कार्यपालक निदेशक
- ग. मुख्य महाप्रबंधक
- घ. महा प्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)
- ङ. महा प्रबंधक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नीति)
- च. महा प्रबंधक (एमएसएमई)
- छ. महाप्रबंधक (खुदरा ऋण)
- ज. उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक/ मुख्य प्रबंधक(एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग) -संयोजक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम महा प्रबंधक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

समीक्षा वर्ष के दौरान निम्न तारीखों को समिति की 12 बैठकें हुईं।

01.04.2011, 21.05.2011, 28.06.2011, 06.09.2011, 10.09.2011, 22.10.2011, 23.11.2011, 10.12.2011, 11.01.2012, 25.01.2012, 21.02.2012 और 12.03.2012.



- c. Chief General Manager
- d. General Manager (IIB)
- e. General Manager (IRMD / CMRD)

The committee meets on a daily basis except on Saturdays.

3.14.4 Risk Based Supervision Committee

The Risk Based Supervision Committee was constituted for the supervision of the measures on the implementation of the Risk Based Supervision and risk based internal audit of the bank and review of the risk profile of the bank on a quarterly basis.

Risk Based Supervision Committee (RBSC) – Members of the Committee

- a. Chairman and Managing Director [Head of the Committee]
- b. Executive Directors
- c. Chief General Manager
- d. General Manager (IRMD / CMRD)
- e. General Manager (I & A)
- f. General Manager (Operations)
- g. General Manager (DIT)
- h. General Manager & C V O

The committee met five times during the year under review on 20.05.2011, 08.09.2011, 10.12.2011, 21.02.2012 and 12.03.2012.

3.14.5 Credit Risk Management Committee (CRMC)

CRMC is responsible for implementation of the Credit risk policy / strategies approved by the Board / RMC. The Committee shall prepare the Credit Risk Policy of the bank, policies / standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks and recommend to Board / RMC for approval. The Committee shall also decide on the delegation of Credit approving powers, prudential limits on credit exposures, standards for loan collaterals, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory / legal compliance etc.

Composition:

Credit Risk Management Committee (CRMC) – Members of the Committee

- a. Chairman and Managing Director [Head of the Committee]
- b. Executive Directors
- c. Chief General Manager
- d. General Manager (IRMD/CMRD)
- e. General Manager (Priority Sector Policy)
- f. General Manager (MSME)
- g. General Manager (Retail Credit)
- h. Dy.GM / AGM / CM (IRMD) – Convener

In the absence of both Chairman & Managing Director and Executive Director, the senior most General Manager shall preside over the Committee meeting.

The committee met twelve times during the year under review on the following dates:

01.04.2011, 21.05.2011, 28.06.2011, 06.09.2011, 10.09.2011, 22.10.2011, 23.11.2011, 10.12.2011, 11.01.2012, 25.01.2012, 21.02.2012 and 12.03.2012.

3.14.6 आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति :

आईसीएएपी की कार्यपालक स्तर समिति आईसीएएपी प्रलेख में किए मूल्यांकन की जाँच करके आशोधन/परिवर्तन, यदि हों, सुझाएगी। तत्पश्चात् समिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के समक्ष रखे जाने वाले आईसीएएपी प्रलेख की सिफारिश करेगी और उसके पश्चात् अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

संरचना

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति- समिति के सदस्य :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यपालक निदेशक

मुख्य महा प्रबंधक

महाप्रबंधक (आईआरएमडी/सीएमआरडी)

महाप्रबंधक (कार्पोरेट योजना)

महाप्रबंधक (केंद्रीय लेखा विभाग)

महाप्रबंधक (राजकोष, मुम्बई)

समिति की बैठक अर्ध-वार्षिक अंतराल पर होती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की बैठक दो बार 21.05.2011 तथा 10.12.2011 को हुई।

4. सामान्य बैठकें

4.1 वार्षिक सामान्य बैठकें

शेयरधारकों की गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों (ए जी एम) का विवरण निम्न प्रकार है :-

साधारण बैठक	तारीख	समय	स्थान
नवीं एजीएम	25.06.2009	पूर्वाह्न 10.00 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081
दसवीं एजीएम	16.06.2010	पूर्वाह्न 10.00 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081
ग्यारहवीं एजीएम	22.06.2011	पूर्वाह्न 10.00 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500 081

उपर्युक्त पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

गत तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्र के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

4.2 असाधारण सामान्य बैठक

पीछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है।

तारीख	समय	स्थान	उद्देश्य
23.03.2011	पूर्वाह्न 10.30 बजे	शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 7,45,80,366 इक्विटी शेयरों का निर्गम और आबंटन

5.1 महत्वपूर्ण प्रकटन

बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया एवं शेयर बाजार या सेबी या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के कानून, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निदेशों के गैर अनुपालन के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कोई दंड नहीं लगाया गया। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार 31.03.2012 के तुलनपत्र के लेखों पर टिप्पणियों में बैंक के संबंधित पार्टों लेनदेन का प्रकटन किया गया।

निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने बैंक द्वारा बनाई गई आदर्श आचरण संहिता की पुष्टि की है तथा उसे वेबसाइट पर रखा गया है।



3.14.6 Internal Capital Adequacy Assessment Committee:

The Executive level Committee of ICAAP shall scrutinize the assessment made in the ICAAP document and suggest modifications/changes, if any, to the document. The Committee shall then recommend the ICAAP document to be placed before the Chairman & Managing Director and thereafter to the Board for approval.

Composition:

Internal Capital Adequacy Assessment Committee – Members of the Committee:

Chairman & Managing Director
Executive Directors
Chief General Manager
General Manager (IRMD/ CMRD)
General Manager (Corporate Planning)
General Manager (Central Accounts Department)
General Manager (Treasury, Mumbai)

The committee meets at Half-yearly intervals.

The Committee met two times during the year under review on 21.05.2011 and 10.12.2011.

4. General Body Meetings

4.1 Annual General Meeting

The details of previous three Annual General Meetings (AGM) of shareholders are as follows:

General Body Meeting	Date	Time	Venue
Ninth AGM	25.06.2009	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081
Tenth AGM	16.06.2010	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081
Eleventh AGM	22.06.2011	10.00 AM	Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081

No Special Resolution was passed in the previous three Annual General Meetings stated above.

No Special Resolution was passed through postal ballot during the previous three years.

4.2 Extraordinary General Meeting

The details of Extraordinary General Meeting of the shareholders held during the last 3 years are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
23.03.2011	10.30 AM	Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near HiTech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081	To issue and allot 7,45,80,366 equity shares to Government of India on preferential basis

5.1. Material Disclosures

The Bank had complied with all the requirements regarding Capital Market related matters and no penalty has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority for non compliance of any law, guidelines and directives during the last three years. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts, Schedule of the Balance Sheet as on 31.03.2012 as per Accounting Standards-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

The Directors and Senior Management personnel affirm by the Model Code of Conduct framed by the Bank and the same is posted on the website.

सूचीबद्ध समझौते के खिंड 49(v) के अंतर्गत सीईओ तथा सीएफओ का प्रमाण पत्र कार्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

गैर कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या नीचे प्रस्तुत है।

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. श्री के रघु रामन | 375 शेयर |
| 2. श्री जी आर सुंदरवडिवेल | 200 शेयर |
| 3. श्री प्रो. नंदलाल एल सारडा | 100 शेयर |

अन्य सभी गैर कार्यपालक निदेशकों के पास हमारे बैंक के इक्विटी शेयर नहीं है।

5.2 वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निदेशकों को दिये गये पारिश्रमिक * का विवरण

निदेशक	वेतन	भ.नि. को बैंक का अंशदान	परिलब्धियां	बैठक शुल्क	कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	
					वि.व.अवधि	राशि
@ श्री बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.01.2012 से 31.03.2012)	357870	22650	9042	--	--	--
@ श्री आर.रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2012 से 31.12.2011)	1092818	69309	94348	--	2010-11	406575
@ श्री अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	1295946	82149	90645	--	2010-11	550000
@ श्री के के मिश्र, कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से 31.03.2012)	321352	20339	--	--	--	--
@ श्री अनिल गिरोत्रा कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 30.09.2011)	661484	41997	61044	---	2010-11	550000
# श्री एन राजगोपाल रेड्डी अधिकारी कर्मचारी निदेशक	641332	पेंशन विकल्पदाता	4294	182500	--	--
श्री मनोरंजन दास कर्मकार कर्मचारी निदेशक	514449	पेंशन विकल्पदाता	--	165000	--	--

* पारिश्रमिक में वेतन, लाभ, परिलब्धियां आदि सम्मिलित हैं।

@ सरकारी विनियमनों के अनुसार सेवा संविदा.

आन्ध्र बैंक अधिकारी सेवा विनियमनों के अनुसार.

6. सूचना के साधन

शेयर बाजार, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं, को तिमाही वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं।

बैंक का मानना है कि सभी पणधारियों को विभिन्न गतिविधियों, कार्यनिष्पादन एवं उत्पाद पहल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2011-2012 के लिए बैंक के वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं तिमाही परिणाम प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये। बैंक की वेबसाइट www.andhrabank.in पर भी परिणाम उपलब्ध कराये गये। बैंक के सभी शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन प्रेस मीट बुलाई जाती है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं अन्य उच्च कार्यपालक अपने दौरों के समय भारत के अन्य स्थानों पर और विदेश के दौरों के समय निधि प्रबंधकों के साथ आपसी बैठक एवं प्रेस के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक के निष्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। मुख्यतः निम्न समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम, कार्पोरेट विज्ञापन एवं नोटिस दिये जाते हैं :



The Certificate of CEO & CFO under Clause 49(v) of the Listing Agreement is attached to the Corporate Governance Report.

The number of shares held by Non Executive Directors is furnished below:

1. Sri K Raghuraman 375 shares
2. Sri G R Sundaravadivel 200 shares
3. Sri Prof. Nandlal L. Sarda 100 shares

All other Non Executive Directors do not hold equity shares of the Bank.

5.2 Details of remuneration* paid to the Directors for the Financial year 2011-12

Amount in ₹

Director	Salary	Banks' Contribution to PF	Perquisites	Sitting Fees	Performance based Incentive	
					Period FY	Amount
@ Sri B A Prabhakar Chairman & Managing Director (02.01.2012 to 31.03.2012)	357870	22650	9042	--	--	--
@ Sri R Ramachandran Chairman & Managing Director (01.04.2011 to 31.12.2011)	1092818	69309	94348	--	2010-11	406575
@ Sri A.A. Taj Executive Director	1295946	82149	90645	--	2010-11	550000
@ Sri K K Misra Executive Director (28.12.2011 to 31.03.2012)	321352	20339	--	--	--	--
@ Sri Anil Girotra Executive Director (01.04.2011 to 30.09.2011)	661484	41997	61044	--	2010-11	550000
# Sri N. Raja Gopal Reddy Officer Employee Director	641332	PENSION OPTEE	4294	182500	--	--
Sri Manoranjan Das Workmen Employee Director	514449	PENSION OPTEE	--	165000	--	--

* The remuneration includes Salary, benefits, perquisites etc.

@ Service contract as per Government Regulations

As per Andhra Bank Officers Service Regulations

6. Means of Communication

Quarterly financial results are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, within the stipulated time frame.

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on different activities, performance and product initiatives. Annual, half-yearly and quarterly results of the Bank for the year 2011-12 were published in the leading newspapers. The results were also made available on the Bank's website www.andhrabank.in. The Annual Report is sent to all the shareholders of the Bank. Every year, after the annual, half - yearly and quarterly results are declared, a Press Meet is held on the same day in which the Chairman & Managing Director answers to the queries of the Media. The Chairman & Managing Director, Executive Directors and other top functionaries, in the course of their visits to other centres in India as well as abroad, undertake one to one meeting with the Fund Managers as well as Press personally and appraise them about the performance of the Bank. The following news papers mainly cover the Financial Results, Corporate Advertisements and Notices:

अंग्रेजी	राजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेन्शियल क्रानिकल, राजनेस लाइन, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, खलीज टाइम्स (दुराई), टेक्न क्रानिकल, इकॉनॉमिक टाइम्स
तेलुगु	ईनाडु, धरित्री, जनसत्ता, प्रजा शक्ति, वार्ता, आन्ध्र प्रभा
हिन्दी	हिंदुस्तान (हिंदी), दिव्या भास्कर, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, आनंद राजाजार
उर्दू	द रहनुमा-ए-डेक्कन, मुनसिफ ठेली
तमिल	दिनमलर
कन्नड	विजय कर्नाटक
मराठी	लोकमत
उड़िया	संवाद

7. शेयरधारक जानकारी

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है। 31.03.2012 को बैंक की 1712 शाखाएँ एवं 23 आंचलिक कार्यालय हैं। निम्नलिखित शेयर बाजारों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं :-

- क. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सिंबल : 532418
 25 वां तल, फिरोज जीजीभय टावर्स स्टॉक कूट/सिस्टम : एएनडीबीकेडीएम
 दलाल स्ट्रीट, मुंबई -400 001,
- ख. दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक कूट/सिंबल: आन्ध्रबैंक
 एक्सचेंज प्लाजा,
 बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
 बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400 051.
 वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान 31.03.2012 तक कर दिया गया है.

8.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तिकरण

बैंकों के शेयर सेबी की अनिवार्य अमूर्त सूची के अंतर्गत हैं एवं बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए एक निर्गमी कम्पनी के रूप में बैंक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ निक्षेपागार सेवाओं का सदस्य है। शेयरधारक अपने शेयरों का एनएसडीएल या सीडीएसएल में अमूर्तिकरण कर सकते हैं। निक्षेपागार सेवाओं ने बैंक को निम्न आईएसआईएन संख्याएँ आवंटित की हैं.

एनएसडीएल - आईएनई 434A01013

सीडीएसएल - आईएनई 434A01013

मार्च 31, 2012 को बैंक के 1,91,391 शेयरधारकों में से 37,007 शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में हैं और 1,54,384 शेयरधारक के शेयर अमूर्त रूप में हैं। बैंक के कुल 55,95,80,364 शेयरों में से 32,45,80,364 शेयर भारत सरकार के पास हैं एवं शेष 23,50,00,000 आम जनता को निर्गमित किये गये हैं। 31 मार्च 2012 को कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (भारत सरकार सहित) का 96.88% इलेक्ट्रॉनिक रूप में और 3.12% मूर्त रूप में हैं।

8.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस):

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा लाभांश भुगतान की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लाभांश की अदायगी आदि हेतु निवेशक को देय राशि उसके खाते में सीधे जमा की जाती है। बैंक ने निम्न केंद्रों में स्थित शेयरधारकों के खातों हेतु ये सेवाएँ प्रदान की हैं :-

आगरा	हलदिया	पुदुचेरी
इलाहाबाद	हुबली	पुणे
अमृतसर	इंदौर	रायपुर
औरंगाबाद	जबलपुर	राजकोट
बड़ौदा	जालंधर	रांची



English	Business Standard, Financial Chronicle, Business Line, Financial Express, Khaleej Times (Dubai), Deccan Chronicle, Economic Times
Telugu	Eenadu, Dharitri, Janasatta, Prajasakthi, Vaartha, Andhra Prabha
Hindi	Hindustan (Hindi), Divya Bhaskar, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Anand Bazar
Urdu	The Rahnuma-e-Deccan, Munsif Daily
Tamil	Dinamalar
Kannada	Vijay Karnataka
Marathi	Lokmat
Oriya	Sambad

7. Shareholders Information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with the Head Office situated at Hyderabad. The Bank has its presence in 1712 branches and has 23 Zonal Offices as on 31.03.2012.

The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges

- Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001.
Symbol: 532418
Stock Code/System: ANDBKDM
- The National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai – 400 051.
Stock Code/ Symbol: ANDHRABANK

The annual listing fee has been paid till 31.03.2012.

8.1 Dematerialisation of Securities

The shares of the bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank is a member of the Depository Services with National Securities Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer company for dematerialisation of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The Depository services have allotted the following ISIN numbers to the bank.

NSDL -- INE434A01013

CDSL -- INE434A01013

As on March 31, 2012, out of 1,91,391 shareholders of the Bank 37,007 shareholders hold the shares of the Bank under physical mode and 1,54,384 shareholders hold the shares in demat form. Out of the total equity shares of 55,95,80,364 of the Bank, 32,45,80,364 equity shares are held by the Government of India and the remaining 23,50,00,000 are held by the public. As on 31st March, 2012, the public shareholding (incl. Govt. of India) in Electronic Form is 96.88% and 3.12% is in physical form.

8.2 Electronic Clearing Services (ECS)

Electronic Clearing Services is a method by which payment of dividend etc. where the amount due to the investor can directly be credited to his/her account. The bank has offered the services to the shareholders having account at the following Centres:

Agra	Haldia	Pondicherry
Allahabad	Hubli	Pune
Amritsar	Indore	Raipur
Aurangabad	Jabalpur	Rajkot
Baroda	Jalandhar	Ranchi

भोपाल	जम्मू	सेलम
कैलिकट (कोज़िकोड)	जमशेदपुर	सिलिगुड़ी
कोयंबतूर/ तिरुपूर	जोधपुर	शोलापुर
देहरादून	काकिनाडा	सूरत
धनबाद	लखनऊ	त्रिशूर
दुर्गापुर	लुधियाना	तिरुचिरापल्ली
ईरोड	मदुरै	तिरुपति
एर्णाकुलम	मंगलूर	उदयपुर
गोवा	मैसूर	वाराणसी
गोरखपुर	नासिक	विजयवाडा
ग्वालियर	नेल्लूर	विशाखपट्टणम

8.3 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) द्वारा लाभांश भुगतान

इस प्रणाली का उद्देश्य लाभांश के भुगतान की केंद्रीयकृत संसाधन की सुविधा प्रदान करना है। एनईसीएस (जमा) से कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत कवर किए गए हिताधिकारी खातों में बहुविध जमा करने में जारीकर्ता को सहायता मिलती है। इस प्रयोजन के लिए शेयरधारकों को सीबीएस खाता नंबर, एमआईसीआर नंबर आदि अपने अमूर्त धारण हेतु निक्षेपागार प्रतिभागियों को तथा मूर्त धारण के मामले में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों को प्रदान करते हुए बैंक खाता विवरण अद्यतन करना होगा। एनईसीएस से शेयरधारक को भुगतान तारीख को ही अपने खाते में लाभांश प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

8.4 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंतरण उनके प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हों। बोर्ड ने अंतरणों के अनुमोदन के लिए एक शेयर अंतरण समिति बनायी है जिसकी नियमित अंतरालों पर बैठकें होती हैं। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निर्धारित सांविधिक अवधि के अंदर अंतरण प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका पुष्टिकरण शेयर अंतरण समिति द्वारा किया जाता है।

शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलापों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, मुम्बई के कार्यालय में की जाती है। शेयरधारक अंतरण विलेख एवं अन्य कोई दस्तावेज, शिकायत एवं फरियाद रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के निम्न पते पर भेज सकते हैं।

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड

काशीराम जमनादास भवन, कार्यालय संख्या 21/22, भूतल,

5, पी.डी.मेलो रोड, (घडियाल गोडी), मुम्बई 400 009

फोन नं.022-23726253 से 56

संपर्क व्यक्ति: सुश्री वलसा सजन

बैंक प्रधान कार्यालय के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग में निवेशकों की सेवा का उत्तरदायित्व लेता है एवं संसूचना/पत्राचार/फरियाद/शिकायतों को निवारणार्थ निम्न पते पर भेजा जा सकता है।

कंपनी सचिव

निवेशक सेवाएँ अनुभाग

आन्ध्र बैंक,

डा. पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500004.

टेलीफोन/फैक्स सं 040 - 23230883; टेलीफोन : 040 - 23252371/2388

ई मेल : mbd@andhrabank.co.in

8.5 एस्करो खाता खोलना

बैंक ने आन्ध्र बैंक केंद्रीयकृत डीपी शाखा, सोमाजिगुडा, हैदराबाद में एस्करो खाता खोला है और 25.03.2010 को हमारे फालो ऑन पब्लिक ऑफर में भाग लेने वाले शेयरधारकों के अदावी शेयरों को अंतरित किया।

183 शेयरधारकों से संबंधित 27,279 अदावी शेयरों को उपर्युक्त एस्करो खाते में अंतरित किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान, 926 ईक्विटी शेयरों को शेयरधारकों के अनुरोध पर उनके डीमैट खातों में अंतरित किया गया। उचित खाते में बकाया बेदावा शेयरों की संख्या 22,288 शेयर हैं।

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के असली हकदार शेयरों का दावा नहीं करते।



Bhopal	Jammu	Salem
Calicut(Kozhikode)	Jamshedpur	Siliguri
Coimbatore / Tirupur	Jodhpur	Solapur
Dehradun	Kakinada	Surat
Dhanbad	Lucknow	Thrissur
Durgapur	Ludhiana	Tiruchirapalli
Erode	Madurai	Tirupathi
Ernakulam	Mangalore	Udaipur
Goa	Mysore	Varanasi
Gorakhpur	Nasik	Vijayawada
Gwalior	Nellore	Visakhapatnam

8.3 Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS)

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit) facilitate the Issuer, multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Share Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his account on the pay-out date itself.

8.4 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly affected within the period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for confirmation of the Transfers, which meets at regular intervals. The Registrars & Share Transfer Agents undertake the process of transfers within the stipulated statutory period which is confirmed by the Share Transfer Committee.

Share Transfers, Dividend Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the Office of the Registrars and Share Transfer Agents, M/s. MCS Limited, Mumbai. The Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at the following address of the Registrars and Share Transfer Agents:

M/s. MCS LIMITED
KASHIRAM JAMNADAS BLDG.,
OFFICE NO.21/22, GROUND FLOOR
5, P.D'MELLO ROAD, (GHADIYAL GODI), MUMBAI - 400 009.
Ph. No. 022-23726253 to 56
Contact Person: Ms. Valsa Sajan

The Bank also undertakes the investor services in Merchant Banking Division at Head Office of the Bank. Any communication / correspondence /grievances/ complaints can be sent to the following address for redressal:

The Company Secretary
Investor Services Section
Andhra Bank
Dr.Pattabhi Bhavan, Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.
Tel / Fax. 040-23230883; Tel:040-23252371/2388
E-mail add: mbd@andhrabank.co.in

8.5 Opening of an ESCROW Account

The Bank has opened an ESCROW Account with Andhra Bank Centralised DP Branch, Somajiguda, Hyderabad and on 25.03.2010 transferred the unclaimed shares of the shareholders who have participated in our Follow-on Public Offer. 27,279 unclaimed shares pertaining to 183 shareholders were transferred to the above Escrow Account. During the year 2011-12, 926 equity shares were transferred from the account to the shareholders' demat accounts on their request. The number of unclaimed shares outstanding in the Suspense account are 22288 shares.

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के असली हकदार शेयरों का दावा नहीं करते.

9. वित्तीय कैलेंडर

9.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक:

बैंक के शेयर धारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के विवरण निम्नानुसार हैं.

तारीख, समय एवं वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	5 जुलाई, 2012 - 3.30 बजे सायं शिल्पकला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइटेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद - 500 081
--	---

9.2 वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी)

अवधि की समाप्ति के लिए त्रैमासिक परिणामों का अनुमोदन :

30 जून 2012	--- जुलाई 2012 के अंत में
30 सितंबर 2012	--- अक्टूबर 2012 के अंत में
31 दिसंबर 2012	--- जनवरी 2013 के अंत में
31 मार्च 2013	--- लेखा परीक्षित वार्षिक खाते - अप्रैल 2013

9.3 बही संवरण की तारीख (लाभांश)

29.06.2012 से 04.07.2012 (दोनों दिन मिलाकर)

9.4 लाभांश भुगतान तारीख :

2011-12 के लिए लाभांश भुगतान तारीख : 11.07.2012

(नोट : 2011-12 वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने 07.05.2012 को 55% दर से ₹ 5.50 पैसे प्रति शेयर लाभांश घोषित किया एवं इसे 11-07-2012 को अदा किया जाएगा)

10.1 31.03.2012 को शेयरधारिता पैटर्न

क्रमसंख्या	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर का %
01	भारत सरकार	1	324580364	58.0042
02	आम जनता	188285	59548941	10.6418
03	एनआरआई /ओसीबी	1373	1040026	0.1859
04	प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	1486	12717289	2.2726
05	म्यूचुअल निधि एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट	27	2501465	0.4470
06	बैंक/ वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनी	56	82938810	14.8216
07	विदेशी संस्थागत निवेशक	128	75235705	13.4450
08	अन्य	35	1017764	0.1819
	कुल	191391	559580364	100.0000

31 मार्च 2012 को कुल विदेशी शेयरहोल्डिंग 13.6309 % रही (31 मार्च 2011 को 14.8286) जो बैंक की प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है ।

क्र सं	श्रेणी	31.03.2011 को		31.03.2012 को	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	125	8,09,82,680	128	7,52,35,705
2.	एनआरआई / ओसीबी	2555	19,95,291	1373	10,40,026
	कुल	2680	8,29,77,971	1501	7,62,75,731

10.2 बैंक ने कोई जीडीआर/ एडीआर/वारंट या परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किये हैं.

31.03.2012 को बैंक के शीर्ष पांच शेयरधारक :

क्र.सं.	निवेशक का नाम	कुल होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या
01	भारत सरकार	58.0042	324580364
02	भारतीय जीवन बीमा निगम	10.6955	59849691
03	जेनेसिस इंडियन इन्वेस्टमेंट कं लि.	6.0482	33844560



The voting rights on these unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

9. Financial Calendar

9.1 Annual General Meeting of the shareholders:

Particulars of the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

Date, Time & Venue of the AGM	5th July 2012, @ 3.30 p.m. Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
-------------------------------	---

9.2 Financial Calendar (Tentative)

Approval of quarterly results for the period ending:

June 30, 2012	-- End of July, 2012
September 30, 2012	-- End of October, 2012
December 31, 2012	-- End of January, 2013
March 31, 2013 --	Audited Annual Accounts – April, 2013

9.3 Date of Book Closure (Dividend)

29-06-2012 to 04-07-2012 (both days inclusive)

9.4 Dividend payment date

Dividend payment date for 2011-12: 11.07.2012

(Note: The Board of Directors of the Bank recommended Dividend on 07.05.2012 @ 55% being ₹ 5.50ps per share for the Financial Year 2011-12, subject to shareholders' approval, and the same will be paid on 11.07.2012.)

10.1 SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2012

Sl. No.	Category	No. of Holders	No. of Shares	% to Shares
01	Government of India	1	324580364	58.0042
02	General Public	188285	59548941	10.6418
03	NRI's / OCBs	1373	1040026	0.1859
04	Private Corporate Bodies	1486	12717289	2.2726
05	Mutual Funds & UTI	27	2501465	0.4470
06	Banks / Financial Institutions / Insurance Cos.	56	82938810	14.8216
07	Foreign Institutional Investors	128	75235705	13.4450
08	Others	35	1017764	0.1819
	TOTAL	191391	559580364	100.0000

The total foreign shareholding as on 31st March, 2012 was 13.6309% (14.8286 as on 31st March, 2011) as under, which is within the stipulated level of 20% of the paid up capital of the bank:

Sl. No	Category	As on 31.03.2011		As on 31.03.2012	
		No. of shareholders	No. of shares	No. of shareholders	No. of shares
1.	Foreign Institutional Investors	125	8,09,82,680	128	7,52,35,705
2.	NRI's / OCBs	2555	19,95,291	1373	10,40,026
	Total	2680	8,29,77,971	1501	7,62,75,731

10.2 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments

Top 5 shareholders of the Bank as on 31.03.2012

Sl.No	Name of the Investor	Percentage of total holding	Total number of shares
01	Government of India	58.0042	324580364
02	Life Insurance Corporation of India	10.6955	59849691
03	Genesis Indian Investment Co. Ltd	6.0482	33844560

क्र.सं.	निवेशक का नाम	कुल होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या
04	बजाज एलिएज जीवन बीमा कंपनी लि.	2.1029	11767407
05	एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	1.4114	7897827

11. 31.03.2012 को श्रेणीवार शेयरधारकों का वितरण

ईक्विटी शेयरों का अभिहित मूल्य	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	190527	99.55	54975825	9.83
5001 से 10000	384	0.20	2750417	0.49
10001 से 20000	171	0.09	2401806	0.43
20001 से 30000	68	0.04	1704686	0.30
30001 से 40000	37	0.02	1275162	0.23
40001 से 50000	25	0.01	1121487	0.20
50001 से 100000	54	0.03	3971073	0.71
100001 से 99999999	124	0.06	166799544	29.81
और अधिक	1	0.00	324580364	58.00
कुल	191391	100.00	559580364	100.00

12. राज्यवार शेयरहोल्डिंग वितरण

राज्य	धारकों की संख्या	कुल धारण	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1	324580364	58.0042
आन्ध्र प्रदेश	81582	31114963	5.5604
अरुणाचल प्रदेश	9	884	0.0002
असम	455	94292	0.0169
बिहार एवं झारखण्ड	1801	376278	0.0672
चंडीगढ़	500	219791	0.0393
दिल्ली	8008	3660184	0.6541
गुजरात	9385	2139731	0.3824
हरियाणा	2033	522838	0.0934
हिमाचल प्रदेश	136	29719	0.0053
जम्मू कश्मीर	178	42595	0.0076
कर्नाटक	12377	3282191	0.5865
केरल	3383	738156	0.1319
मध्य प्रदेश	2802	741892	0.1326
महाराष्ट्र	23700	171806622	30.7028
मणिपुर	2	2016	0.0004
मेघालय	23	3052	0.0005
नागालैंड	8	1384	0.0002
ओडीशा	4887	1415858	0.2530
पंजाब	1106	391692	0.0700
राजस्थान	3006	698336	0.1248
तमिलनाडु	15941	4654003	0.8317
त्रिपुरा	47	7425	0.0013
उत्तर प्रदेश	5591	1277341	0.2283



04	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd	2.1029	11767407
05	HDFC Standard Life Insurance Company Ltd	1.4114	7897827

11. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS CATEGORY-WISE AS ON 31.03.2012

Nominal Value of Equity shares	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Upto 5000	190527	99.55	54975825	9.83
5001 to 10000	384	0.20	2750417	0.49
10001 to 20000	171	0.09	2401806	0.43
20001 to 30000	68	0.04	1704686	0.30
30001 to 40000	37	0.02	1275162	0.23
40001 to 50000	25	0.01	1121487	0.20
50001 to 100000	54	0.03	3971073	0.71
100001 to 99999999	124	0.06	166799544	29.81
and above	1	0.00	324580364	58.00
TOTAL	191391	100.00	559580364	100.00

12 STATE-WISE SHAREHOLDING DISTRIBUTION

STATE	NO OF HOLDERS	TOTAL HOLDING	%
PRESIDENT OF INDIA	1	324580364	58.0042
ANDHRA PRADESH	81582	31114963	5.5604
ARUNACHAL PRADESH	9	884	0.0002
ASSAM	455	94292	0.0169
BIHAR & JHARKAND	1801	376278	0.0672
CHANDIGARH	500	219791	0.0393
DELHI	8008	3660184	0.6541
GUJARAT	9385	2139731	0.3824
HARYANA	2033	522838	0.0934
HIMACHAL PRADESH	136	29719	0.0053
JAMMU & KASHMIR	178	42595	0.0076
KARNATAKA	12377	3282191	0.5865
KERALA	3383	738156	0.1319
MADHYA PRADESH	2802	741892	0.1326
MAHARASHTRA*	23700	171806622	30.7028
MANIPUR	2	2016	0.0004
MEGHALAYA	23	3052	0.0005
NAGALAND	8	1384	0.0002
ORISSA	4887	1415858	0.2530
PUNJAB	1106	391692	0.0700
RAJASTHAN	3006	698336	0.1248
TAMIL NADU	15941	4654003	0.8317
TRIPURA	47	7425	0.0013
UTTAR PRADESH	5591	1277341	0.2283


राज्य	धारकों की संख्या	कुल धारण	प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	7461	6559917	1.1723
कुल	184422	554361524	99.0674
अन्य	6969	5218840	0.9326
सकल कुल	191391	559580364	100.0000

* मुंबई में प्रतिनिधि कार्यालय वाले विदेशी संस्थागत निवेशक / अनिवासी भारतीय शेयरधारक सम्मिलित हैं।

13. शेयरों का मूल्य, शेयर बाजार में व्यापार किये गये शेयरों की मात्रा

अवधि	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज			स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई		
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा
अप्रैल 2011	159.00	138.15	12105259	159.00	138.35	1154883
मई 2011	144.85	128.10	15651100	144.65	128.35	2293448
जून 2011	146.50	127.00	12675486	147.90	127.50	1439791
जुलाई 2011	139.25	119.10	13010274	139.60	130.95	2880681
अगस्त 2011	138.90	117.90	11990654	138.40	113.60	1140924
सितम्बर 2011	134.40	117.50	11705115	134.30	117.50	1668800
अक्टूबर 2011	124.30	112.00	8969236	124.20	112.45	843564
नवम्बर 2011	122.00	94.40	14836094	122.15	94.45	1725880
दिसम्बर 2011	103.65	76.50	8807051	103.15	79.00	956230
जनवरी 2012	105.90	79.80	11262756	105.70	79.95	1357478
फरवरी 2012	134.40	99.55	21390380	134.95	94.70	2829974
मार्च 2012	138.45	112.55	16182160	136.00	110.30	1530652

एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी और बैंकेक्स के संचालन की तुलना में एनएसई पर बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन (प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को) नीचे दर्शाया गया है-






WEST BENGAL	7461	6559917	1.1723
TOTAL:	184422	554361524	99.0674
OTHERS:	6969	5218840	0.9326
GRAND TOTAL:	191391	559580364	100.0000

(*) includes FII / NRI shareholders, having correspondent offices in Mumbai

13 SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES

Period	National Stock Exchange			Stock Exchange, Mumbai		
	High	Low	Volume	High	Low	Volume
April 2011	159.00	138.15	12105259	159.00	138.35	1154883
May 2011	144.85	128.10	15651100	144.65	128.35	2293448
June 2011	146.50	127.00	12675486	147.90	127.50	1439791
July 2011	139.25	119.10	13010274	139.60	130.95	2880681
August 2011	138.90	117.90	11990654	138.40	113.60	1140924
September 2011	134.40	117.50	11705115	134.30	117.50	1668800
October 2011	124.30	112.00	8969236	124.20	112.45	843564
November 2011	122.00	94.40	14836094	122.15	94.45	1725880
December 2011	103.65	76.50	8807051	103.15	79.00	956230
January 2012	105.90	79.80	11262756	105.70	79.95	1357478
February 2012	134.40	99.55	21390380	134.95	94.70	2829974
March 2012	138.45	112.55	16182160	136.00	110.30	1530652

Performance of Bank's share price on NSE in comparison with the movement of S&P CNX Nifty and Bankex (as on the last day of every month) is shown here below:



31 मार्च 2012 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में बैंक के शेयर का मूल्य रु.119.15 पैसे एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि में रु.119.30 पैसे पर बंद हुआ.

14. प्रति शेयर डाटा

	2009-10	2010-11	2011-12
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-	10/-
31 मार्च को बाजार भाव - एनएसई (₹)	108.20	150.65	119.15
आय (₹)	21.56	26.05	24.03
लाभांश (₹)	5.00	5.50	5.50
राही मूल्य (₹)	90.93	116.02	133.33
लाभांश पे-आउट (निवल लाभ का %)	23.19%	24.29%	22.89%

15. चलनिधि:

आन्ध्र बैंक के शेयर बीएसई के विशिष्ट ग्रुप एवं एनएसई के निफ्टी चैनल इंडेक्स में शामिल हैं। व्यापार की अच्छी मात्रा शेयरधारकों को प्रवेश/निकासी के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है.

16. गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ:

बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त हैं। अतः गैर कार्यपालक अध्यक्ष के कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। शेयरधारक निदेशकों की कार्य अवधि, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 एवं आन्ध्र बैंक (शेयर एवं बैठक) सामान्य विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुसार तय की जाती है, के अलावा स्वतंत्र निदेशकों की कार्यवधि सरकार द्वारा तय की जाती है.

कार्यपालक निदेशक के लिए पारिश्रमिक सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तय किया जाता है। 09.03.2007 के सरकारी निदेशों के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति गठित की गयी है.

बैंक ने शेयरधारकों को वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा नहीं भेजी है ।

शेयरधारक निदेशकों, जिन्हें (केंद्रीय सरकार के अलावा) शेयरधारकों द्वारा नामित/ चुना जाता है, के अलावा स्वतंत्र निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 द्वारा जारी निदेशों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन किया गया है।

बैंक में व्हिसल ब्लोयर पॉलिसी है एवं स्वतंत्र निदेशक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं।



The Bank's share price as on 31st March, 2012 closed at ₹ 119.15p on the National Stock Exchange, Mumbai and at Rs. 119.30p on the Bombay Stock Exchange Limited.

14. Per Share Data

	2009-10	2010-11	2011-12
Face Value (₹)	10/-	10/-	10/-
Market Quotation as on 31st March – NSE (₹)	108.20	150.65	119.15
Earnings (₹)	21.56	26.05	24.03
Dividend (₹)	5.00	5.50	5.50
Book Value (₹)	90.93	116.02	133.33
Dividend payout (% of Net Profit)	23.19%	24.29%	22.89%

15. Liquidity

Andhra Bank Shares are included in the specified group in BSE and CNX Nifty of NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

16. Non-Mandatory Requirements

The Bank has an Executive Chairman appointed by the Government. Hence, maintaining of an Office of a Non Executive Chairman does not arise. The tenure of the independent Directors is determined by the Government, excepting the tenure of the Shareholder Directors which is determined in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Andhra Bank (Shares and Meetings) General Regulations, 2003.

The remuneration of the Executive Directors is determined in terms of the Government guidelines. There is a Remuneration Committee constituted in terms of Government directive dated 09.03.2007.

The Bank has not sent half yearly declaration of financial performance to the shareholders.

The Independent Directors are appointed by the Government excepting the Shareholder Directors, who are elected by the shareholders (other than Central Government). There is a Nomination Committee constituted in terms of directives issued by Reserve Bank of India dated 01.11.2007.

The Bank has in place a Whistle Blower Policy and the Independent Directors are sent for training.

प्रमाणपत्र

(स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध समझौते खंड 49(v) के अनुपालन में)

निदेशक मंडल

आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय,

हैदराबाद

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

(क) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण तथा नकद-प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है तथा हमारे उत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार :

- इन विवरणों में कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हों।
- ये सभी विवरण एक साथ बैंक के कार्यों का सही एवं उचित चित्रण करते हैं तथा लागू कानून, विनियम एवं वर्तमान लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण, गैर-कानूनी अथवा बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई लेनदेन नहीं किए गए।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की जाँच कर ली है तथा हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को, ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियाँ, यदि हों, तथा जो हमें ज्ञात हुई हों, सूचित कर दी हैं तथा इन कमियों को दूर करने हेतु हमारे द्वारा किए अथवा प्रस्तावित उपायों के बारे में भी सूचित कर दिया है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति को निम्न की सूचना दी है :-

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उनकी सूचना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गई है।

तथा

- महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं, जो हमारे ध्यान में आईं तथा प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका, यदि हो, संलिप्तता।

ह/-

(टी वी एस चंद्रशेखर)

महा प्रबंधक (लेखा)

एवं

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-

(बी ए प्रभाकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

तिथि : 07.05.2012



CERTIFICATE

(Pursuant to Clause 49(V) of the Listing Agreement with the Stock Exchanges)

The Board of Directors
ANDHRA BANK
Head Office
Hyderabad.

This is to certify that..

- (a) The financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2012 have been reviewed and that to the best of our knowledge and belief;
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee
 - (i) significant changes in internal control over Financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements;

AND

- (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

sd/-

(TVS Chandrasekhar)
General Manager (Accounts)
& Chief Financial Officer

sd/-

(B.A. Prabhakar)
Chairman & Managing Director

Place: MUMBAI

Date : 07.05.2012

प्रमाणपत्र

आन्ध्रा बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु शेयर बाजार यानी मुम्बई एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आन्ध्रा बैंक सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा विनिर्दिष्ट, जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा - परीक्षा या इन पर राय का प्रकटन नहीं है।

हमारी राय एवं उत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट, जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम उल्लेख करते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यकलापों की निर्वहण सक्षमता या प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है।

कृते राजू एंड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-003475S

(एस श्रीनिवास राव)
साझेदार (एम.नं. 9329)

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन-002413S

(ई एस रंगनाथ)
साझेदार (एम.नं.13924)

कृते उमा महेश्वर राव एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004453S

(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)
साझेदार (एम.नं.024860)

कृते आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004137S

(आर सुब्रामणियन)
साझेदार (एम.नं. 8460)

कृते पात्रो एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100E

(राजेन्द्र पात्रो)
साझेदार (एम.नं.019423)

कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-108959W

(एल एस चन्द्रशेखर)
साझेदार (एम.नं.044265)

स्थान: मुम्बई
दिनांक 07.05.2012



CERTIFICATE

The Members of Andhra Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Andhra Bank, for the year ended 31st March, 2012, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges i.e., BSE Ltd and National Stock Exchange as far as applicable to Nationalised Banks.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to what is stated above:

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement, to the extent applicable to the Nationalised Banks.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank as per the record, maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Raju & Prasad
Chartered Accountants
FRN-003475S

(S Srinivasa Rao)
Partner (M.No.9329)

For Nataraja Iyer & Co.,
Chartered Accountants
FRN-002413S

(E S Ranganath)
Partner (M.No.13924)

For Umamaheswara Rao & Co.,
Chartered Accountants
FRN-004453S

(G Siva Rama Krishna Prasad)
Partner (M.No.024860)

For R Subramanian and Company
Chartered Accountants
FRN-004137S

(R Subramanian)
Partner (M.No.8460)

For Patro & Co.,
Chartered Accountants
FRN-310100E

(Rajendra Patro)
Partner (M.No. 019423)

For C R Sagdeo & Co.,
Chartered Accountants
FRN-108959W

(L S Chandrasekhar)
Partner (M.No. 044265)

Place: MUMBAI
Date : 07.05.2012

31.03.2012 के अनुसार तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31.03.2012

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
निधि का स्रोत SOURCE OF FUNDS			
पूंजी CAPITAL	1	5,595,804	5,595,804
प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	69,198,103	59,328,358
जमा DEPOSITS	3	1,058,512,181	921,562,816
उधार BORROWINGS	4	82,405,572	76,397,408
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	33,930,709	26,122,809
कुल TOTAL		1,249,642,369	1,089,007,195
निधि का प्रयोजन APPLICATION OF FUNDS			
भा रि बैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	55,638,870	71,844,052
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	30,817,007	32,745,455
निवेश INVESTMENTS	8	296,289,041	242,039,993
अग्रिम ADVANCES	9	836,418,274	714,353,582
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	3,025,531	3,175,002
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	27,453,646	24,849,111
कुल TOTAL		1,249,642,369	1,089,007,195
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	405,876,469	361,629,430
वसूली हेतु बिल BILLS FOR COLLECTION		36,592,930	30,620,760
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक		अ अ ताज कार्यपालक निदेशक		के के मिश्रा कार्यपालक निदेशक	
निदेशक				टीवीएस चन्द्रशेखर महा प्रबन्धक	
मधुलिका पी सुकुल	एन वी आर रेड्डी	एन राज गोपाल रेड्डी			
जी आर सुन्दरवडिवेल	के आर आनन्दा	पंकज चतुर्वेदी	वाई अमरनाथ		वी सत्यनारायण
नन्दलाल एल सारडा	के रघुरामन	मनोरंजन दास	उप महा प्रबन्धक		मुख्य प्रबन्धक

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते राजू एंड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-003475S
(एस श्रीनिवास राव)
साझेदार (एम.नं. 9329)
कृते आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004137S
(आर सुब्रामणियन)
साझेदार (एम.नं. 8460)

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन-002413S
(ई एस रंगनाथ)
साझेदार (एम.नं.13924)
कृते पात्रो एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100E
(राजेन्द्र पात्रो)
साझेदार (एम.नं.019423)

कृते उमामहेश्वर राव एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004453S
(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)
साझेदार (एम.नं.024860)
कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-108959W
(एल एस चन्द्रशेखर)
साझेदार (एम.नं.044265)

स्थान: मुम्बई

दिनांक 07.05.2012



31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2012

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
आय INCOME			
उपयुक्त ब्याज INTEREST EARNED	13	113,387,283	82,912,769
अन्य आय OTHER INCOME	14	8,599,296	8,969,578
कुल आय TOTAL INCOME		121,986,579	91,882,347
व्यय EXPENDITURE			
विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	75,794,068	50,703,074
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	18,042,492	17,048,640
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS AND CONTINGENCIES		14,703,304	11,459,908
कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE		108,539,864	79,211,622
वर्ष हेतु निवल लाभ NET PROFIT FOR THE YEAR		13,446,715	12,670,725
आगे लाया गया लाभ PROFIT BROUGHT FORWARD		2,927,093	2,006,560
कुल TOTAL		16,373,808	14,677,285
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO STATUTORY RESERVE		3,361,679	3,169,222
पूंजी आरक्षिती को अंतरण TRANSFER TO CAPITAL RESERVE		44,500	44,000
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO REVENUE & OTHER RESERVES		6,750,000	4,000,000
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO SPECIAL RESERVE		1,650,000	960,000
प्रस्तावित लाभांश PROPOSED DIVIDEND		3,077,692	3,077,692
लाभांश पर कर TAX ON DIVIDEND		499,278	499,278
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		990,659	2,927,093
कुल TOTAL		16,373,808	14,677,285
प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड) EARNING PER SHARE (BASIC AND DILUTED) ₹		24.03	26.05

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं

The schedules referred to above form an integral part of profit & loss Account.

B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director			A.A. Taj Executive Director		K. K. Misra Executive Director	
Directors Madhulika P. Sukul G R Sundaravadivel Nandlal L Sarda			N.V.R. Reddy K.R. Ananda K. Raghuraman		N. Raja Gopal Reddy Pankaj Chaturvedi Manoranjan Das	
			T.V.S. Chandrasekhar General Manager Y. Amarnath Deputy General Manager		V. Satyanarayana Chief Manager	

As per our report of even date.

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(S SRINIVASA RAO)
Partner (M. No. 9329)
For R SUBRAMANIAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN-004137S
(R SUBRAMANIAN)
Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(E S RANGANATH)
Partner (M.No. 13924)
For PATRO & CO
Chartered Accountants
FRN-310100E
(RAJENDRA PATRO)
Partner (M. No.19423)

For UMAMAHESWARA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN-004453S
(G SIVA RAMA KRISHNA PRASAD)
Partner (M No. 24860)
For C R SAGDEO & CO
Chartered Accountants
FRN-108959W
(L S CHANDRASHEKAR)
Partner (M. No.44265)

Place : Mumbai
Date : 07.05.2012

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL		
I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		
10/- रु प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH	30,000,000	30,000,000
II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED CALLED UP AND PAID UP		
10/- ₹ प्रत्येक के 55,95,80,364 इक्विटी शेयर (केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 32,45,80,364 इक्विटी शेयर सहित) 55,95,80,364 EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH (INCLUDING 32,45,80,364 EQUITY SHARES HELD BY CENTRAL GOVERNMENT).	5,595,804	5,595,804
कुल अनुसूची - 1 TOTAL SCHEDULE - 1	5,595,804	5,595,804
अनुसूची SCHEDULE-2:: प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	16,900,000	13,730,778
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	3,361,679	3,169,222
कुल TOTAL - I	20,261,679	16,900,000
II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	3,435,571	3,391,571
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	44,500	44,000
कुल TOTAL - II	3,480,071	3,435,571
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	17,784,196	6,800,000
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	-	10,984,196
कुल TOTAL - III	17,784,196	17,784,196
IV. राजस्व प्रारक्षिती REVENUE RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	15,281,498	11,281,525
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	6,750,000	4,000,000
घटायें: समायोजन LESS: ADJUSTMENTS	-	27
कुल TOTAL - IV	22,031,498	15,281,498
V. आई टी अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षिती SPECIAL RESERVE U/S 36(1)(viii) OF IT ACT		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	3,000,000	2,040,000
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	1,650,000	960,000
घटायें - कटौतें LESS: DEDUCTIONS	-	-
कुल TOTAL - V	4,650,000	3,000,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	990,659	2,927,093
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 2	69,198,103	59,328,358



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-3:: जमा DEPOSITS		
I. मांग जमा DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	418,492	850,552
ii) अन्य से FROM OTHERS	63,271,540	70,750,419
कुल TOTAL	63,690,032	71,600,971
II. बचत बैंक जमा SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	-	-
ii) अन्य से FROM OTHERS	215,782,923	196,192,780
कुल TOTAL	215,782,923	196,192,780
III. मीयादी जमा TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	473,901	1,095,812
ii) अन्य से FROM OTHERS	778,565,325	652,673,253
कुल TOTAL	779,039,226	653,769,065
कुल TOTAL - I	1,058,512,181	921,562,816
II-अ) भारत में शाखाओं की जमा II-A) DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	1,058,512,181	921,562,816
II-आ) भारत से बाहर शाखाओं की जमा II-B) DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - II	1,058,512,181	921,562,816
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 3	1,058,512,181	921,562,816
कुल अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से FROM RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii) अन्य बैंकों से FROM OTHER BANKS	-	-
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	28,141,697	27,759,547
iv) गौण ऋण SUBORDINATED DEBTS		
क) 7.25% 111 माह बांड a) 7.25% 111 MONTHS BONDS	2,000,000	2,000,000
ख) 9.15% 124 माह बांड b) 9.15% 124 MONTHS BONDS	7,000,000	7,000,000
ग) 11.00% 120 माह बांड c) 11.00% 120 MONTHS BONDS	6,000,000	6,000,000
घ) 8.55% 120 माह बांड d) 8.55% 120 MONTHS BONDS	3,200,000	3,200,000
ङ) नवोन्मेषी स्थायी ऋण प्रलेख e) INNOVATIVE PERPETUAL DEBT INSTRUMENTS	2,000,000	2,000,000
च) उच्च टियर II बांड f) UPPER TIER II BONDS	10,000,000	10,000,000
उप जोड़ SUB-TOTAL (i, ii, iii, iv)	58,341,697	57,959,547
II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA	24,063,875	18,437,861
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 4	82,405,572	76,397,408

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-5:: अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल BILLS PAYABLE	6,736,335	6,363,682
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
III. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	4,984,579	4,299,833
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS	8,253,500	4,375,900
V. आस्थगित कर देयता (निवल) DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	904,500	710,000
VI. अन्य OTHERS (प्रावधान सहित INCLUDING PROVISIONS)	13,051,795	10,373,394
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 5	33,930,709	26,122,809
अनुसूची SCHEDULE-6:: भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी तथा शेष		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I) हस्तगत नकदी CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोटों सहित INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	4,698,759	4,579,162
II) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	50,940,111	67,264,890
ii) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 6	55,638,870	71,844,052
अनुसूची SCHEDULE-7:: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि		
BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i) बैंकों में शेष BALANCES WITH BANKS		
a) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	3,197,972	1,080,777
b) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	16,826,064	5,076,064
कुल TOTAL	20,024,036	6,156,841
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
a) बैंकों में WITH BANKS	7,791,946	22,976,528
b) अन्य संस्थाओं में WITH OTHER INSTITUTIONS	-	-
कुल TOTAL	7,791,946	22,976,528
कुल TOTAL - I	27,815,982	29,133,369
II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,518,977	1,657,689
ii) अन्य जमा खातों में IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	1,482,048	1,954,397
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	-
कुल TOTAL - II	3,001,025	3,612,086
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 7	30,817,007	32,745,455



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-8:: निवेश INVESTMENTS		
I भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES	267,279,159	227,195,506
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES	103,644	235,919
iii) शेयर SHARES	2,128,466	1,963,827
iv) डिबेंचर तथा बांड DEBENTURES AND BONDS	7,059,694	5,859,745
v) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	1,900,082	1,352,100
vi) अन्य OTHERS	17,725,133	5,431,396
कुल TOTAL - I	296,196,178	242,038,493
II भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) GOVERNMENT SECURITIES (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	-	-
ii) अनुषंगी तथा/अथवा विदेश में संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD	92,863	1,500
iii) अन्य निवेश OTHER INVESTMENTS	-	-
कुल TOTAL - II	92,863	1,500
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I and II)	296,289,041	242,039,993
सकल निवेश GROSS INVESTMENTS	296,557,675	242,098,858
घटायें LESS: मूल्यहास DEPRECIATION	268,634	58,865
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 8	296,289,041	242,039,993

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-9:: अग्रिम ADVANCES		
I-A. खरीदे एवं भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	15,962,041	16,786,690
I-B नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	433,772,551	385,505,110
I-C. मीयादी ऋण TERM LOANS	386,683,682	312,061,782
कुल TOTAL - I	836,418,274	714,353,582
II-A. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरुद्ध अग्रिमों सहित) SECURED BY TANGIBLE ASSETS (Includes Advances against Book Debts)	698,502,165	570,987,850
II-B. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर COVERED BY BANK/GOVERNMENT GUARANTEES	34,315,283	29,652,441
II-C. अरक्षित अग्रिम UNSECURED ADVANCES	103,600,826	113,713,291
कुल TOTAL - II	836,418,274	714,353,582
III-A. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिक क्षेत्र PRIORITY SECTOR	276,594,775	235,741,470
ii) सार्वजनिक क्षेत्र PUBLIC SECTOR	75,099,124	58,344,298
iii) बैंक BANKS	-	-
iv) अन्य OTHERS	484,724,375	420,267,814
कुल TOTAL	836,418,274	714,353,582
III-B. भारत से बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - III	836,418,274	714,353,582
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 9	836,418,274	714,353,582
अनुसूची SCHEDULE-10:: अचल आस्तियां FIXED ASSETS		
A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर: PREMISES		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	859,634	787,895
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	246,422	71,739
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	-
तिथि को मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	305,135	274,394
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	800,921	585,240
II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	7,425,054	7,160,634
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	702,733	565,473
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	169,441	301,053
तिथि को मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	6,042,651	5,534,784
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	1,915,695	1,890,270
III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	216,719	180,456
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	158,939	112,081
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	350,057	75,818
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य VALUE AT THE END OF THE YEAR	25,601	216,719
B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1,112,749	1,080,526
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	29,363	34,799
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	2,576
तिथि को मूल्यहास/परिशोधन DEPRECIATION / AMORTIZATION TO DATE	858,798	629,976
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	283,314	482,773
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 10	3,025,531	3,175,002



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-11:: अन्य अस्तियां OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	934,823	1,876,065
II. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	7,230,085	5,447,115
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)	10,976,000	9,207,380
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	65,581	74,346
V. आस्थगित कर अस्ति (निवल) DEFERRED TAX ASSET (NET)	-	-
VI. अन्य OTHERS	8,247,157	8,244,205
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 11	27,453,646	24,849,111
अनुसूची SCHEDULE-12:: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंकों के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता CLAIMS AGAINST BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	1,360,295	1,358,460
II. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर/निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID SHARES/INVESTMENTS	-	-
III. पूंजी प्रतिबद्धता CAPITAL COMMITMENTS	1,265,800	1,405,041
IV. विकल्प एवं व्युत्पन्न OPTIONS & DERIVATIVES	9,770,825	4,346,301
V. बकाया वायदा विनिमय करार OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	193,096,096	196,929,298
VI. घटकों की ओर से दी गई गारंटियां GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
a) भारत में IN INDIA	103,785,812	88,736,886
b) भारत से बाहर OUTSIDE INDIA	-	-
VII. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	62,425,167	50,055,557
VIII. लैटर ऑफ कम्फर्ट LETTER OF COMFORT	28,273,150	15,289,327
IX. ब्याज-दर स्वैप INTEREST RATE SWAPS	-	-
X. विवादग्रस्त कर देयता DISPUTED TAX LIABILITY	5,735,600	3,358,000
XI. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है OTHER ITEMS FOR WHICH BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	163,724	150,560
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 12	405,876,469	361,629,430

लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-13:: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	92,782,421	66,891,686
II. निवेश पर आय INCOME ON INVESTMENTS	19,735,281	15,395,925
III. भा रि बैं में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधि INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	751,371	308,420
IV. अन्य OTHERS	118,210	316,738
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 13	113,387,283	82,912,769
अनुसूची SCHEDULE-14:: अन्य आय OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2,640,131	2,376,688
II. निवेश की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	1,209,116	1,407,793
III. निवेश के प्रतिदान पर लाभ PROFIT ON REDEMPTION OF INVESTMENTS	31	(83)
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS	10,407	8,562
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	612,876	943,849
VI. अनुषंगी/कम्पनियों/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय INCOME BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES / JOINT VENTURES IN INDIA	59,204	19,781
VII. विविध आय MISCELLANEOUS INCOME	4,067,531	4,212,988
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 14	8,599,296	8,969,578



लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-15:: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS	69,460,484	45,655,730
II. भा रि बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज INTEREST ON RBI/INTER-BANK BORROWINGS	3,541,432	2,255,187
III. अन्य OTHERS	2,792,152	2,792,157
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 15	75,794,068	50,703,074
अनुसूची SCHEDULE-16:: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	11,499,325	11,042,190
II. किराया, कर तथा बिजली RENT, TAXES AND LIGHTING	1,224,607	1,120,743
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री PRINTING AND STATIONARY	170,336	171,806
VI. विज्ञापन तथा प्रचार ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	75,187	98,232
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	938,982	1,074,350
VI. निदेशक की फीस, भत्ते एवं व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	7,061	7,335
VII. लेखा परीक्षक की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित के शुल्क तथा व्यय सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	148,346	178,857
VIII विधि प्रभार LAW CHARGES	144,679	120,682
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS AND TELEPHONES ETC.	287,039	274,137
X. मरम्मत तथा रख-रखाव REPAIRS AND MAINTENANCE	711,637	634,974
XI. बीमा INSURANCE	851,414	724,601
XII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE	1,983,879	1,600,733
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 16	18,042,492	17,048,640

अनुसूची - 17 वर्ष 2011-12 हेतु महत्वपूर्ण लेखा नितियाँ

1. सामान्य :

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं सांविधिक प्रावधानों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. राजस्व की पहचान

निम्न के अलावा आय एवं व्यय संचयी आधार पर है :-

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- ख. अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ग. लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- घ. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है, तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- क. आय एवं व्यय की मदें लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।
- ख. मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है। वायदा विनिमय संविदा को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है। इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित वर्ष के अंत में दरों पर अंतरित किया जाता है तथा लाभ/हानि को राजस्व में सम्मिलित किया जाता है।
- ग. विदेशी साख पत्रों, लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुनः वर्णन किया जाता है।
- ड. बैंक टू बैंक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-संविदा, अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर किया जाता है या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि के लिए। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है।

4. निवेश :

क. तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।

- i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii) शेयर
- iv) डिबेंचर एवं बॉड
- v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम
- vi) अन्य

ख. निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।

- i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
- ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

परिपक्वता तक रखे गये निवेश के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं। व्यापार के लिए रखे गये के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं। अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत है।

ग. मूल्यांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है।

i) परिपक्वता तिथि तक रखे गए :

- क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिये जाते हैं। यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है।

- ख. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निधारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध :

- क. इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश बाजार में तिमाही अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और शेयर बाजार, फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) से तुलनपत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है। अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

- ख. छः समूहों में से (उपर्युक्त पैरा ख) प्रत्येक के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR 2011-12

1. GENERAL:

The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform to the statutory provisions, Regulatory guidelines, practices prevailing in the banking industry in India and Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2. REVENUE RECOGNITION:

Income and Expenditure are accounted on accrual basis, except that;

- Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- Interest on overdue bills, commission, exchange, brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
- Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

- Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange rate notified by FEDAI at the close of the year and the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.

Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to revenue.

- Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.
- Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging Bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

4. INVESTMENTS:

a. Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

- Government Securities
- Other Approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries / Joint Ventures and
- Others.

b. Investments are further classified into the following three categories:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for Sale (AFS)
- Held for Trading (HFT)

"Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity. "Held for Trading" category comprises of securities acquired with the intention of trading. "Available for Sale" securities are those which are not classified in either of the above two categories. Investments in Subsidiaries/ Joint ventures/Associates are classified as Held to Maturity.

c. Valuation:

The Investments are valued in accordance with Reserve Bank of India guidelines on the following basis:-

i) Held to Maturity:

- Investments classified under this category are stated at acquisition cost net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortized over the remaining period of maturity.
- Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for each investment individually.

ii) Available for Sale:

- Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the Balance Sheet date from trades/ quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.
- The net depreciation under each of the six heads is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

iii) व्यापारार्थ रखे गये :

- क. इस वर्ग के निवेश का मूल्यन प्रत्येक महीने के अंत में एफआईएमडीए द्वारा कीमत/प्रतिफल घोषित करने के बाद बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है।
- ख. प्रत्येक 6 शीर्ष में निवल मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है। अलग अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मार्किंग टू मार्केट करने के बाद, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

घ. विवेकपूर्ण मानदंड :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं।

ड. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि :

- i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बॉण्डों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है।
- ii. "बिक्री के लिए उपलब्ध " और "व्यापारार्थ रखे गये" श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।
- iii. "परिपक्वता तक रखे गये" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है। (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण अपेक्षित है)
- iv. इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

च. सामान्य:

- i. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री रिकार्ड करने हेतु "निपटान तिथि" लेखा का अनुपालन कर रहा है।
- ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण: अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है। जहाँ बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, सहित) के विरुद्ध रखे मूल्यहास के विरुद्ध प्रावधान को बही-मूल्य को कम करके बाजार मूल्य किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।
- (ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी- बट्टे पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में वही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है। प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है। उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-हास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

- (ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-हास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-हास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

- iii. एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंशदान पर प्रारंभिक शुल्क/ प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।

- iv. प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में दी गयी दलाली, कमीशन सुरक्षा लेनदेन कर तथा स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5. क. व्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

- क. सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है अथवा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।
- ख. जब समायोजित लाभ या हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं।

ख. व्याज दर स्वाप (व्यापार)

- क) व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।
- ख) ऐसे स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।
- ग) शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।
- घ) स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं।

6. अग्रिम

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का उल्लेख किया गया है।
- i. अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण वार किया गया है
- ii. अनर्जक आस्तियों के लिए भा रि बैं के निदेशों के अनुसार प्रावधान किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।
- iii. मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान
- ख. तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान का निवल है।



iii) Held for Trading:

- a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/ yields declared by FIMMDA at the end of every month.
- b. The net depreciation under each of the six heads is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d. Prudential Norms:

The identification of non performing investments and provision made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines.

e. Profit / Loss on Sale of Investments:

- i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.
- ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.
- iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

f. General

- i. Bank is following 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities.
- ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category: Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.
- b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:

If the security originally placed under HTM category;

 - is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.
 - is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both the above cases, these securities

are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

- c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provision for the accumulated depreciation, if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.
- iii. Upfront fee / Incentives on subscription of securities in HTM / AFS / HFT categories are reduced from the cost of securities. The incentives received after sale of securities is credited to Profit and Loss account.
- iv. Brokerage, Commission, Security Transaction tax and Stamp Duty paid in connection with the acquisition of securities are treated as revenue expenditure.

5. a. INTEREST RATE SWAPS: (Hedging)

- i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.
- ii Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/ liability.

b. INTEREST RATE SWAPS (Trading)

- i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss account;
- ii. Income and expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;
- iii. Fee is recognized as income or expenses as the case may be;
- iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

6. ADVANCES

- a) Advances are classified in accordance with the Prudential Norms issued by Reserve Bank of India.
 - i. Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.
 - ii. Provisions are made for non performing assets in accordance with the RBI Guidelines, and additional provisions as assessed
 - iii. General provision is made for standard assets.
- b) Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets



ग. अनर्जक आस्तियों में आंशिक वसूली को पहले प्रभार एवं ब्याज को विभाजित किया गया है बाद में मूल धन के प्रति इसमें समझौता निपटान वाले अनर्जक अग्रिम छोड़ दिए गए हैं चूंकि उनमें पहले वसूली को मूल के प्रति समायोजित किया जाता है ।

7. अचल आस्तियाँ :

क. परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का वर्णन परंपरागत लागत में मूल्यहास के निवल पर किया गया है.

ख. मूल्यहास

- कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यहास लगाया गया है.
- कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुर्जों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है.
- एटीएम पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है, के आधार पर किया गया है.

ग. परिशोधन

- 60 वर्ष से कम अवधि वाली पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है.
- साफ्टवेयर के मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है तथा उसे अनुमानित उपयोगी अवधि हेतु परिशोधित किया गया है ।

8. कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं.

ख. दीर्घावधि लाभ

अन्य दीर्घावधि लाभ जैसे छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी-छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी/नकदीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन योजना, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को एक्स-ग्रेशिया तथा निकासी पर व्यय के पुनर्बंटन को वर्ष की समाप्ति पर एक्वयुरियल आधार पर आंका जाता है ।

ग. पश्च-रोज़गार लाभ

- परिभाषित अंशदान योजनाएं : जैसे भविष्य/पेंशन निधि को व्यय माना गया है तथा लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।
- परिभाषित परिलाभ योजनाएं

क) ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है. ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है

ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है. पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है.

ग) परिशोधन

बैंक के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने के पश्चात अतिरिक्त देयता/व्यय तथा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में सुधार के अनुसरण में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधन हो रहा है.

9. कराधान हेतु प्रावधान

- चालू एवं आस्थगित दोनों करों हेतु कर के लिए प्रावधान किया गया है ।
- समय के अंतर के कारण आस्थगित कर-आस्ति तथा देयता तथा जो बाद की अवधि में रिवर्सल हेतु सक्षम है, उन्हें तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार बनाए गए कानूनों तथा कर-दरों द्वारा पहचाना गया है ।
- आस्थगित कर-आस्ति को नहीं पहचाना जाता जबतक कि निश्चित न हों कि भविष्य की कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर-आस्ति वसूली जाएगी ।

10. आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और आस्ति हानिकरण के लिए प्रावधान किया गया है.

11. प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रावधान

संभवतया या वर्तमान बाध्यता के विगत की घटनाएँ प्रासंगिक देयताओं के रूप में मानी जाती हैं. वर्तमान देयता के संबंध में प्रावधान निर्धारित किया गया है, जहां कहीं विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, जहां कहीं देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो छोड़ने की संभावना है.

12. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट किया गया निवल लाभ निम्न लिखित के बाद किया गया है.

- निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान
- कराधान हेतु प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- अनर्जक निवेशों पर प्रावधान
- अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान



- c) Partial recoveries in Non Performing Assets are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.

7. FIXED ASSETS

- a) Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost net of depreciation.

b) DEPRECIATION

- Depreciation on Premises and on other Fixed Assets except Computers and ATMs is provided on written down value method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.
- The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ 33.33 % on straight line method.
- Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.

c) AMORTIZATION

- Premium paid for acquisition of leasehold land for a period less than 60 years and cost of the buildings constructed thereon is amortized over the period of lease.
- The cost of Software is treated as intangible asset and the same is amortized over its estimated useful life.

8. EMPLOYEES BENEFITS

a) Short Term Benefits

Short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit & Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Long Term Benefits:

Other Long Term Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC availment/encashment, Employee Incentive Scheme, Ex-gratia to retirees and Relocation of expenses on exit are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

c) Post Employment Benefits

- Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to the Profit & Loss Account.

ii) Defined Benefit Plans

(a) Gratuity:

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by LIC /Bank through a separate scheme. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(c) Amortization

The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

9. PROVISION FOR TAXATION:

- Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.
- Deferred tax asset and liability arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of balance sheet date.
- Deferred tax asset is not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset will be realized.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

11. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Past events leading to possible or present obligation is treated as contingent liabilities. Provision is recognized in the case of present obligation where the reliable estimate can be made and where there are probable out flow of resources embodying forgoing of economic benefits to settle the obligation.

12. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

- Provision for depreciation on Investments
- Provision for Taxation
- Provision on loan losses
- Provision on standard Assets
- Provision for non-performing investments
- Other usual and necessary provisions

अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियां

1. भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकटीकरण प्रस्तुत है:

1.1. पूंजी

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
	बेसल -I	बेसल -II	बेसल -I	बेसल -II
i. सीआरएआर (%)	12.34	13.18	13.48	14.38
ii. सीआरएआर - टीयर- I पूंजी (%)	8.45	9.03	9.07	9.68
iii. सीआरएआर- टीयर II पूंजी (%)	3.89	4.15	4.41	4.70
iv. भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.00		58.00	
v. वर्ष के दौरान टीयर -II पूंजी के रूप में उगाहे गोण ऋण की राशि	शून्य		शून्य	
vi. वर्ष के दौरान आईपीडीआई के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि	शून्य		शून्य	
vii. वर्ष के दौरान पूंजी के रूप में उगाहे गए अप्पर टीयर II लिखत की राशि	शून्य		शून्य	

1.2 निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य भारत में	*29646.48	24,209.73
भारत के बाहर	**9.29	0.15
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान (अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान सहित)		
भारत में	26.86	5.88
भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य भारत में	*29619.61	24,203.85
भारत के बाहर	**9.29	0.15
(2) निवेश पर मूल्यहास के प्रति रखे गए प्रावधान में उतार-चढ़ाव		
i) प्रारंभिक शेष	5.88	25.10
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	20.98	0.15
iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए / अतिरिक्त प्रावधान	0.00	19.37
iv) अंतिम शेष	26.86	5.88

* भारत सरकार के एक पत्र के अनुपालन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शेयर पूंजी जमा के रूप में ₹ 8.26 करोड़ (₹ 8.26 करोड़) का निवेश भी सम्मिलित है।

** निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क) ₹ 1 (₹ 1) के मास्टर कार्ड इंक के निवेश में 162 (162) शेयर (क्लास बी)

ख) ₹ 1 (₹ 1) के स्विफ्ट मूल्य के 8 (8) शेयर में निवेश

ग) ₹ 9.29 करोड़ की राशि के मलेशियन रिंगिट 10 प्रत्येक के 585025 शेयरों का इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में निवेश।

मास्टर कार्ड इंक के साथ विगत व्यवसाय संबंध के दृष्टिगत इसके शेयर वस्तु के रूप में प्रोत्साहन हेतु निःशुल्क आबंटित किए गए हैं।

स्विफ्ट के शेयरों में प्रारंभिक सदस्यता में आबंटित शेयरों तथा पुनराबंटन पर उपचित शेयर सम्मिलित हैं। शेयरों का पुनराबंटन बैंक द्वारा स्विफ्ट नेटवर्क आधारित वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता पर आधारित है।

वर्ष के दौरान ₹ 4.19 करोड़ हेतु 10571 वीजा शेयर अंकित मूल्य (बही मूल्य ₹ 1) पर बेचे गए।

1.2.1 रिपो लेनदेन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च 2012 को शेष
रिपो के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	200.00 (150.00)	900.00 (1400.00)	59.56 (97.37)	0.00 (0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	100.00 (150.00)	3000.00 (5000.00)	58.88 (96.92)	0.00 (0.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)



Schedule 18 - Notes on Accounts

1. In terms of the Guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the following disclosures are made:

1.1. Capital

(₹ in crore)

Particulars	31 st March-2012		31 st March-2011	
	BASEL-I	BASEL-II	BASEL-I	BASEL-II
i) CRAR (%)	12.34	13.18	13.48	14.38
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	8.45	9.03	9.07	9.68
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	3.89	4.15	4.41	4.70
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	58.00		58.00	
v) Amount of subordinated debt raised as Tier – II capital during the year	NIL		NIL	
vi) Amount raised by issue of IPDI during the year	NIL		NIL	
vii) Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments during the year	NIL		NIL	

1.2 Investments

(₹ in crore)

Particulars	31 st March-2012	31 st March-2011
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
In India	*29646.48	24,209.73
Outside India	**9.29	0.15
(ii) Provision for Depreciation (including provision for Non-Performing investments)		
In India	26.86	5.88
Outside India	0.00	0.00
(iii) Net Value of Investments		
In India	*29619.61	24,203.85
Outside India	**9.29	0.15
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i) Opening balance	5.88	25.10
ii) Add: Provision made during the year	20.98	0.15
iii) Less: Write-off/(write-back) of excess provisions during the year	0.00	19.37
iv) Closing balance	26.86	5.88

* Investments include ₹ 8.26 crore (₹ 8.26crore) invested in Regional Rural Banks as Share Capital Deposit pursuant to a letter by Government of India.

** Includes the following

- Investments in 162 (162) shares (Class B) of Master card Inc valued at Re. 1(Re. 1)
- Investments in 8 (8) shares of SWIFT valued at Re. 1 (Re. 1)
- Investment in 585025 shares of Malaysian Ringgit 10 each amounting to ₹ 9.29 crore in India International Bank (Malaysia) BHD.

Shares of Master Card Inc are allotted in kind, free of cost, as an incentive in view of the past business relation with the entity.

Shares of SWIFT include shares allotted in initial membership and shares accrued on re-allocation. The reallocation of share is based on bank's utilization of SWIFT's network based financial services.

During the year 10571 Visa shares of face value were sold (Book value Re. 1) for a consideration of ₹ 4.19 crore.

1.2.1 Repo Transactions

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Balance as on 31 st March 2012
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities	200.00 (150.00)	900.00 (1400.00)	59.56 (97.37)	0.00 (0.00)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities	100.00 (150.00)	3000.00 (5000.00)	58.88 (96.92)	0.00 (0.00)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

1.2.2. गैर एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना (2011-12)

(₹ करोड़ों में)

क्रमांक (1)	निर्गमकर्ता (इश्यूअर) (2)	राशि (3)	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा (4)	निवेश श्रेणी से कम की प्रतिभूतियों की मात्रा (5)	गैर श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा (6)	असूचीगत प्रतिभूतियों की मात्रा (7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	41.07 (36.72)	11.97 (7.72)	-	-	-
2	वित्तीय संस्थान	341.83 (217.59)	331.78 (127.17)	-	-	-
3	बैंक	1184.72 (327.13)	995.03 (277.69)	-	-	-
4	प्राइवेट कॉर्पोरेट	1143.02 (744.69)	1057.29 (524.06)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	204.29 (140.36)	204.29 (140.36)	-	-	-
6	अन्य	-	-	-	-	-
	कुल	2914.93 (1466.49)	2600.36 (1077.00)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)
7	घटाएँ: मूल्यहास के प्रति प्रावधान	24.31 (5.63)	-	-	-	-
8	शेष	2890.62 (1460.86)	2600.36 (1077.00)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)

ii) अनर्जक गैर एलएलआर निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रारंभिक शेष	0.43	0.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	--	--
वर्ष के दौरान अपमार्जन	--	--
अंतिम शेष	0.43	0.43
धारित कुल प्रावधान	0.43	0.43

एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

(क) वर्ष के दौरान, बैंक ने 'बिक्री हेतु उपलब्ध'(एएफएस)/व्यापार हेतु धारित(एचटीएम) श्रेणी से लगभग ₹ 1545.94 करोड़ (₹ 748.32 करोड़) की केन्द्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का निम्नतर अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर परिपक्वता तक धारण(एचटीएम) श्रेणी में अंतरण किया गया तथा लाभ एव्र बही खाते में ₹ 24.05 करोड़(शून्य) की अंतरण हानि दर्ज की गई। बैंक ने परिपक्वता तक धारण(एचटीएम) श्रेणी की जोखिम पूंजी निधि से ₹ 25.73 करोड़ (₹ 9.04 करोड़) के निवेश का 'बिक्री हेतु उपलब्ध'(एएफएस) उद्यम पूंजी निधि में अंतरण किया तथा ₹ 1.59 करोड़ (₹ 0.18 करोड़) का मूल्यहास दर्ज हुआ।

(ख) बैंक ने एचएमटी श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से कुल ₹ 8.79 करोड़ (₹ 8.77 करोड़) का लाभ अर्जित किया जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार (निवल कर सहित साविधिक रिजर्व में अंतरित करने हेतु) ₹ 4.45 करोड़ (₹ 4.40 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित खाते में अंतरित की गई है।

1.3 व्युत्पन्न

1.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
स्वैप करार का आनुमानिक मूल	शून्य	शून्य
काउंटर पार्टियों के बाध्यता न पूरा करने से होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
स्वैप के कारण बैंक द्वारा अपेक्षित संपादिक	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य



1.2.2. Non S.L.R. Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non SLR Investments (2011-12)

(₹ in crore)

Sr. No. (1)	Issuer (2)	Amount (3)	Extent of Private Placement (4)	Extent of 'below Investment Grade Securities' (5)	Extent of 'unrated' securities (6)	Extent of 'unlisted' securities (7)
1	PSUs	41.07 (36.72)	11.97 (7.72)	—	—	—
2	FIs	341.83 (217.59)	331.78 (127.17)	—	—	—
3	Banks	1184.72 (327.13)	995.03 (277.69)	—	—	—
4	Private Corporates	1143.02 (744.69)	1057.29 (524.06)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)
5	Subsidiaries / Joint Ventures	204.29 (140.36)	204.29 (140.36)	—	—	—
6	Others	—	—	—	—	—
	Total	2914.93 (1466.49)	2600.36 (1077.00)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)
7	Less: Provision held towards depreciation	24.31 (5.63)	—	—	—	—
8	Balance	2890.62 (1460.86)	2600.36 (1077.00)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)	65.10 (18.76)

ii) Non Performing Non SLR Investments

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening Balance	0.43	0.43
Additions during the year	—	—
Reduction during the year	—	—
Closing Balance	0.43	0.43
Total provisions held	0.43	0.43

out of which an amount of ₹4.45 crores (₹4.40 crores), net of tax and amount required to be transferred to Statutory Reserve has been appropriated to Capital Reserve Account as per guidelines issued by Reserve Bank of India.

1.3 Derivatives

1.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
The fair value of the swap book	Nil	Nil

SALE AND TRANSFERS TO/FROM HTM CATEGORY

(a) During the year, the Bank has shifted Central/State Govt. securities aggregating ₹ 1545.94 crores (₹ 748.32 crores) from 'Available for Sale' (AFS)/Held for Trading (HFT) category to Held to Maturity (HTM) Category at lower of acquisition cost/book value/market value and booked a shifting loss of ₹ 24.05 crores (NIL) to Profit and Loss Account. Bank also shifted investment of ₹ 25.73 crore (₹ 9.04 crores) in Venture Capital funds from Held to Maturity (HTM) Category to Available for Sale (AFS) category and provided a depreciation of ₹ 1.59 crore (0.18 cr)

(b) The Bank earned gross amount of ₹8.79 crores (₹8.77 crores) as profit on sale of securities in HTM category

1.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न:

(₹ करोड़ों में)

क्र.सं	विवरण	राशि	
		2011-12	2010-11
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च 2012 को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि	शून्य	शून्य
(iii)	"अत्याधिक प्रभावी" नहीं तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि	शून्य	शून्य
(iv)	"अत्याधिक प्रभावी" नहीं तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि का अंकित बाजार मूल्य	शून्य	शून्य

1.3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

- ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) एवं अग्रिम दर करार (एफआरए) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ब्याज दर स्वैप के लिए नीति एवं प्रक्रिया, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखा नीति, मूल्यांकन के लिए नीति, आईएसडीए प्रलेखन, कट लॉस, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है एवं ₹ 1500 करोड़ का कैप निर्धारित किया है (ट्रेडिंग बही के लिए ₹ 500 करोड़ की उप सीमा)। बैंक ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के समग्र ढाँचे के अंतर्गत व्युत्पन्न आपरेशन का संचालन किया है।
- बैंक ने विभिन्न प्रकार के मुद्रा स्वैप में विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं, काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखा नीति, आईएसडीए प्रलेखन, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया एवं विभिन्न प्रकार के ब्याज दर स्वैप जो कार्पोरेट ऋण ग्राहकों, अन्य बैंक तथा गैर ऋण ग्राहक के साथ दुतरफा आधार पर परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है। बैंक की नीति दुतरफा आधार पर अपने अग्रिम ऋण जोखिम के लिए बचाव-व्यवस्था/कीमत निर्धारण के लिए बैंक ग्राहकों को प्लेन वनिला यूरोपियन स्टाइल विकल्प के लिए अनुमोदन देती है।
- दुतरफा आधार पर लिए गए व्युत्पन्न करारों या बचाव व्यवस्था के लिए अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को संविदा की तारीख को विद्यमान दर पर

रिकार्ड किया गया है और तुलनपत्र तारीख की समाप्ति दर पर रिपोर्ट किया गया है। इन लेनदेनों से संबंधित राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक आनुपातिक अवधि के लिए किया गया है। दुतरफा आधार पर किए गए संविदाओं के संबंध में संविदा के जल्दी समाप्त किए जाने पर राजस्व का निर्धारण संविदा समाप्ति पर किया गया।

ख) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रक्रिया का क्षेत्र एवं प्रकृति :

सभी बकाया स्वैप, नए स्वैप में प्रवेश, स्वैप से बाहर, स्वैप के बाजार मूल्य पर अंकित की जाने की स्थिति की समीक्षा बैंक की निवेश समिति तथा बोर्ड द्वारा मासिक अंतराल पर किया जाता है। आइआरएस के अंतर्गत किए गए लेनदेनों का विवरण भी भारतीय रिजर्व बैंक को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाता है।

ग) बचाव व्यवस्था एवं/या मिटिगेटिंग के लिए नीति एवं बचाव व्यवस्था एवं/या मिटिगेटिंग के प्रभाव को जारी रखने की समीक्षा हेतु रणनीति एवं प्रक्रिया :

बाजार अवसर के दृष्टिगत ब्याज दर के संचालन को ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई की जाती है। यद्यपि स्वैप की शर्तों के अनुसार, नियत तिथि/तिथि को स्वैपों का निपटान होता है, बाजार में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए दैनिक आधार पर स्वैप बुक की निगरानी की जाती है। जब नकारात्मक बाजार गति एकदिशीय हो, हानि घटाने के लिए स्वैप को एक्जिट किया जाता है। हानि घटाने की सीमा, एक्जिट अधिकार, समीक्षा प्राधिकारी इत्यादि निर्धारित हैं।

घ) बचाव व्यवस्था एवं गैर बचाव व्यवस्था लेनदेन के रिकार्ड, आय, प्रीमियम एवं छूट की पहचान, बकाया संविदा का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम मिटिगेशन के लिए लेखा नीति:

बोर्ड द्वारा विस्तृत लेखा नीति एवं मूल्यांकन नीति अनुमोदित की जाती है। उस स्वैप के अलावा जो उस आस्ति/देयता के रूप में माना जाता हो जो निम्नतर कीमत अथवा बाजार मूल्य पर हो, बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए लेनदेन को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ऐसे मामले में स्वैप नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में परिणामी लाभ या हानि के साथ बाजार मार्क को अंकित किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है जब नामोद्दिष्ट आय एवं देयता पर ऑफसेटिंग लाभ एवं हानि निर्धारित की जाती है। समाप्त स्वैप पर निर्धारित कोई लाभ या हानि आस्थगित किए जाने पर स्वैप का शेष लघु करार समय पर माना जाता है या आस्ति/देयता के शेष समय पर माना जाता है।

आय विवरण में रिकार्ड किए प्रभारों सहित ट्रेडिंग लेनदेन को बाजार को अंकित किया जाना चाहिए। आय, व्यय, शुल्क, स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को तुरंत ही आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाए।



1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

S.No.	Particulars	Amount	
		2011-12	2010-11
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil

1.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosures:

a) Structure and Organization for Management of risk in derivatives trading:

- In terms of Reserve Bank of India guidelines on Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRA) the Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, policy for valuation, ISDA documentation, cut loss, reporting etc., for Interest Rate Swaps and fixed a cap of ₹ 1500 crores for interest rate swaps (sub-limit of ₹ 500 crores for Trading Book). Bank has conducted the derivative operations within the overall framework of these guidelines.
- The Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, ISDA documentation, reporting etc., for undertaking forex derivatives in various forms of currency swaps & various types of interest rates swaps not specifically prohibited by Reserve Bank of India with the corporate borrower customers, other banks and non-borrower customers to be covered on back to back basis. Bank's policy also permits entering into Plain Vanilla European Style Option to Bank's customers for hedging / pricing their forward exposures on back to back basis, or for hedging foreign currency exposures.

- Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till the expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

b) Scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

The position of all outstanding swaps, new swaps entered, swaps exited, mark to market value of swaps etc., is being reviewed by the bank's investment committee and Board at monthly intervals. Details of transactions undertaken in IRS are also reported to Reserve Bank of India on a fortnightly basis.

c) Policies for hedging and / or mitigating and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Depending on the market opportunities a view on interest rate movement is taken and acted upon. Though the settlement of swaps takes place on due date/dates as per the terms of the swaps, the value monitoring is carried out daily to know the impact of market changes on Swap Book. When unfavorable market movements are unidirectional, swaps are exited cutting loss. Cut loss limits, exit powers, reviewing authority etc., are prescribed.

d) Accounting policy for recording the hedge and non-hedge transactions, recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation:

Detailed accounting policy and valuation policy are approved by Board. Transactions for hedging purposes are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset / liability that is carried at lower of cost or market value. In that case, the swap is marked to market, with the resultant gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability. On termination of swap, gain or loss is recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Any gain or loss on the terminated swap was deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

Trading transactions have to be marked to market with charges recorded in the income statement. Income, expenditure, fee, gains or losses on termination of swaps are all recorded as immediate income or expenses.

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	
		31.03.2012	31.03.2011
i	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)	977.08	434.63
	क) बचाव व्यवस्था के लिए	977.08	434.63
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00
ii	दैनिक बाजार मूल्य स्थिति		
	क) बचाव व्यवस्था	114.71	111.64
	क. आस्ति (+)	114.71	111.64
	ख. देयता (-)	0.00	0.00
	ख) व्यापार	0.00	0.00
	क. आस्ति (+)	0.00	0.00
	ख. देयता (-)	0.00	0.00
iii	ऋण जोखिम	203.07	119.67
iv	ब्याज दर में एक प्रतिशत का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	0.00	0.00
	क. बचाव व्यवस्था व्युत्पन्न पर	0.00	0.00
	ख. व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00
v	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 पर देखे गये अधिकतम व न्यूनतम	0.00	0.00
	क) बचाव व्यवस्था पर	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर	0.00	0.00

विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम हेतु बचाव व्यवस्था के लिए बैंक की ₹ 114.71 करोड़ (₹ 111.64 करोड़) की मार्क टू मार्केट की स्थिति है। बैंक के लिए इस लेनदेन हेतु निवल मार्क टू मार्केट प्रभाव शून्य है।

1.4. आस्ति गुणवत्ता :
1.4.1. अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
(i) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए (%)	0.91%	0.38%
(ii) एनपीए का उतार चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	995.64	487.87
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1287.31	794.68
(ग) वर्ष के दौरान अपमार्जन	484.94	286.91
(घ) अंतिम शेष	1798.01	995.64
(iii) निवल एनपीए का उतार चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	273.68	95.72
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (निवल)	482.17	177.96
(ग) वर्ष के दौरान अपमार्जन	0.00	0.00
(घ) अंतिम शेष	755.85	273.68
(iv) एनपीए के लिए प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अलावा)		
(क) प्रारंभिक शेष	719.09	391.86
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	497.91	472.37
(ग) वर्ष के दौरान अपमार्जन	174.84	145.14
(घ) अंतिम शेष	1042.16	719.09

1.4.2 पुनर्संचित खातों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

आस्ति का प्रकार	विवरण	सीडीआर तंत्र	एमएसएमई ऋण पुनर्संचना	अन्य	ऋण
पुनर्संचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	21	2536	17789	20346
	बकाया राशि	1748.64	532.50	3309.23	5590.37
	घाटे की कीमत (उचित मूल्य में ह्रास)	342.00	11.75	65.10	418.84
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	1043	7450	8493
	बकाया राशि	0.00	29.40	192.70	222.10
	घाटे की कीमत (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	0.68	10.26	10.94
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0.00	7800	6521	14321
	बकाया राशि	0.00	43.58	224.98	268.56
	घाटे की कीमत (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	1.53	3.73	5.26
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	21	11379	31760	43160
	बकाया राशि	1748.64	605.48	3726.91	6081.03
	घाटे की कीमत (उचित मूल्य में ह्रास)	342.00	13.96	79.09	435.04



B) Quantitative Disclosure

(₹ in crore)

S.No.	Particulars	Currency Derivatives	
		31.03.2012	31.03.2011
i	Derivatives (Notional principal Amount)	977.08	434.63
	a) For Hedging	977.08	434.63
	b) For Trading	0.00	0.00
ii	Marked to Market Positions		
	A. Hedging	114.71	111.64
	a) Asset (+)	114.71	111.64
	b) Liability(-)	0.00	0.00
	B. Trading	0.00	0.00
	a) Asset(+)	0.00	0.00
	b) Liability(-)	0.00	0.00
iii	Credit Exposure	203.07	119.67
iv	Likely Impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)	0.00	0.00
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00
v	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	0.00	0.00
	a) On hedging	0.00	0.00
	b) On trading	0.00	0.00

Bank is having Mark to Market Position of ₹ 114.71 crores (₹ 111.64 crores) for a derivative deal entered for hedging its foreign currency exposure. Net mark to market effect for this transaction is NIL for the bank.

1.4 Asset Quality

1.4.1 Non-Performing Assets

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(i) Net NPA to Net Advances (%)	0.91%	0.38%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	995.64	487.87
(b) Additions during the year	1287.31	794.68
(c) Reductions during the year	484.94	286.91
(d) Closing Balance	1798.01	995.64
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	273.68	95.72
(b) Additions during the year (Net)	482.17	177.96
(c) Reductions during the year	0.00	0.00
(d) Closing Balance	755.85	273.68
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening Balance	719.09	391.86
(b) Additions during the year	497.91	472.37
(c) Reductions during the year	174.84	145.14
(d) Closing Balance	1042.16	719.09

1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Assets type	Particulars	CDR Mechanism	MSME Debt Restructuring	Others	Total
Standard advances restructured	No. of Borrowers	21	2536	17789	20346
	Amount outstanding	1748.64	532.50	3309.23	5590.37
	Sacrifice (diminution in the fair value)	342.00	11.75	65.10	418.84
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	0.00	1043	7450	8493
	Amount outstanding	0.00	29.40	192.70	222.10
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.68	10.26	10.94
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	0.00	7800	6521	14321
	Amount outstanding	0.00	43.58	224.98	268.56
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	1.53	3.73	5.26
TOTAL	No. of Borrowers	21	11379	31760	43160
	Amount outstanding	1748.64	605.48	3726.91	6081.03
	Sacrifice (diminution in the fair value)	342.00	13.96	79.09	435.04

घाटे की कीमत /प्रावधान सहित उक्त प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा प्रबंध द्वारा संग्रहित तथा प्रमाणित हैं।

1.4.3 वित्त वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
(i) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv) पूर्व वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ	शून्य	शून्य

1.4.4 बेची/खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

i) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	2011-12	2010-11
1	क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख) बकाया कुल	शून्य	शून्य
2	क) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख) बकाया कुल	शून्य	शून्य

ii) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	2011-12	2010-11
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य

1.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31st मार्च-2012	31st मार्च-2011
मानक आस्तियों पर प्रावधान*	825.35	437.59

* ₹ 418.85 करोड़ (₹ 131.09 करोड़) की पुनर्संरचित मानक आस्ति के प्रावधान सहित

1.4.6 अस्थिर एवं अतिरिक्त प्रावधान

क) बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से 31.03.2012 को ₹ 38.06 करोड़ (₹ 38.06 करोड़) के अस्थिर प्रावधान थे जो भा.रि.बैं के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट सकल अनर्जक अग्रिम के न्यूनतम से ऊपर एवं अधिक है।

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं द्वारा विनिर्दिष्ट आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार ऐसे खातों पर पहले से दिए जा रहे पूर्ण प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1 लाख से कम के अनर्जक अग्रिम पर प्रावधान दिया गया। बैंक के विचार से जहाँ भी प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास हुआ है या होने की संभावना है अतिरिक्त प्रावधान दिया गया है। ऐसा अतिरिक्त प्रावधान 31 मार्च, 2012 तक 421.40 करोड़ (272.88 करोड़ रु)।

ग) उपरोक्त अस्थिर एवं अतिरिक्त प्रावधानों को अग्रिम से हटाया गया है।

1.5 व्यापार अनुपात

विवरण	2011-12	2010-11
(i) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	10.03	8.93
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.76%	0.97
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	2.49	2.60
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल (%)	1.19	1.36
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय* (जमा राशि जमा अग्रिम) (₹ करोड़ों में)	12.62	11.65
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ* (₹ करोड़ों में)	0.09	0.09

* 31.03.2012 प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ों में) को कर्मचारियों की संख्या पर आधारित



The above disclosures including sacrifice/provisions is as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and is compiled & certified by the management.

1.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction.

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(i) No. of accounts	Nil	Nil
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	Nil	Nil
(iii) Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v) Aggregate gain over net book value	Nil	Nil

1.4.4 Details of non performing financial assets sold / purchased:

i) Details of non performing financial assets purchased.

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a) of these, no. of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

ii) Details of non performing financial assets sold.

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	No. of accounts sold	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

1.4.5 Provisions on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31 st March-2012	31 st March-2011
Provisions towards Standard Assets*	825.35	437.59

*Including provision on restructured standard assets amounting to ₹ 418.85 crores (₹131.09 crores)

1.4.6 FLOATING AND ADDITIONAL PROVISIONS

a) Floating Provision of ₹ 38.06 crore (₹ 38.06 crore), is held as at 31.03.2012 in respect of gross non performing advances over and above the minimum prescribed as per RBI guidelines with a view to strengthening the financial position of the Bank.

b) During the year, the provision on nonperforming advances with balances below ₹1 lac has been made as per IRAC norms prescribed by Reserve Bank of India as against earlier practice of full provision on such accounts. Additional provisions are made wherever, in the opinion of the Bank, the value of security has deteriorated or likely to deteriorate. Such additional provision aggregated to ₹ 421.40 crore (₹ 272.88 crore) is held on 31st March 2012.

c) The above floating and additional provisions are netted off from advance.

1.5 Business Ratios

Particulars	2011-12	2010-11
(i) Interest income as percentage to working funds	10.03	8.93
(ii) Non-interest income as percentage to working funds	0.76	0.97
(iii) Operating profit as percentage to working funds	2.49	2.60
(iv) Return on assets (%)	1.19	1.36
(v) Business* (deposits plus advances) per employee (₹ in crores)	12.62	11.65
(vi) Profit* per employee (₹ in crores)	0.09	0.09

*Based on the number of employees as on 31.03.2012.

1.6 आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता ढाँचा

(₹ करोड़ों में)

31.03.2012 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति											
	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 to 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	255.57	1278.81	1335.31	1389.53	10461.79	12525.72	32978.01	42741.46	2347.38	537.63	105851.21
ऋण/ अग्रिम	338.53	1141.75	2005.51	1841.46	9412.09	4838.70	9592.82	32354.34	9694.29	12422.35	83641.84
निवेश	43.34	204.88	344.05	177.89	1820.96	197.76	239.50	3079.57	4351.00	19196.83	29655.78
उधार	0.00	76.31	0.00	1042.94	840.37	1332.32	365.03	1348.82	380.21	2854.55	8240.55
विदेशी मुद्रा आस्ति	196.08	31.63	67.83	119.67	434.14	781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.98
विदेशी मुद्रा देयता	73.36	77.32	1.10	208.79	828.84	1334.48	113.83	20.03	31.41	0.00	2689.16

प्रबंध द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

1.7 जोखिम

1.7.1. स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) प्रत्यक्ष ऋण जोखिम		
i) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधकों द्वारा प्रतिभूत ऋण जिसमें उधारकर्ता रहता है या रहेगा या किराए पर दिया गया है:		
(i) ₹ 20 लाख तक	3999.33	3518.22
(ii) ₹ 20 लाख से अधिक	1034.05	959.91
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, मल्टी टेनेंटेड वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमाएँ भी शामिल हैं।	3044.63	3631.22
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश- क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	2.02	2.70
ख) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) को गैर निधि एवं निधि आधारित ऋण जोखिम	1049.11	1043.27
स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	9129.14	9155.32



1.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in crore)

Maturity pattern of certain items of Assets & Liabilities as on 31.03.2012											
	Day 1	2-7 days	8-14 days	15 - 28 days	29 days - 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	255.57	1278.81	1335.31	1389.53	10461.79	12525.72	32978.01	42741.46	2347.38	537.63	105851.21
Loans / Advances	338.53	1141.75	2005.51	1841.46	9412.09	4838.70	9592.82	32354.34	9694.29	12422.35	83641.84
Investments	43.34	204.88	344.05	177.89	1820.96	197.76	239.50	3079.57	4351.00	19196.83	29655.78
Borrowings	0.00	76.31	0.00	1042.94	840.37	1332.32	365.03	1348.82	380.21	2854.55	8240.55
Foreign Currency Assets	196.08	31.63	67.83	119.67	434.14	781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.98
Foreign Currency Liabilities	73.36	77.32	1.10	208.79	828.84	1334.48	113.83	20.03	31.41	0.00	2689.16

As compiled by the management and relied upon by the Auditors

1.7 Exposures

1.7.1. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category	As on 31 st March-2012	As on 31 st March-2011
a) Direct exposure		
i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;		
- Upto ₹ 20 Lakhs	3999.33	3518.22
- Above ₹ 20 Lakhs	1034.05	959.91
(ii) Commercial Real Estate – Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.). Exposure would also include non- fund based (NFB) limits.	3044.63	3631.22
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential	2.02	2.70
b. Commercial Real Estate		
b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	1049.11	1043.27
Total Exposure to Real Estate Sector	9129.14	9155.32

1.7.2 पूंजी बाजार को ऋण जोखिम

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
i) इक्विटी शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की ईकाईयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि का कॉर्पोरेट ऋण में अनन्य निवेश नहीं होता	137.15	147.04
ii) शेयर/बांड/ डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर(आपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु व्यक्तियों का निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.05	5.99
iii) किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों की प्रारंभिक प्रतिभूतियों के रूप में अग्रिम	—	0.77
iv) शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा प्रतिभूत किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानी जहां प्रारंभिक प्रतिभूति परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की ईकाईयां को अग्रिमों द्वारा संपूर्ण रूप से कवर नहीं किया जाता है, के अलावा	8.67	8.00
v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	235.00	122.10
vi) शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां की प्रतिभूति पर या संसाधन को जुटाने की आशा से नई कंपनियों की इक्विटी को निर्बंध आधार पर प्रवर्तकों का अनुदान पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को मंजूर ऋण	425.00	500.00
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह /निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ	0.00	0.00
ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.10
x) उद्यम के लिए पूंजी निधियों को सभी प्रकार के ऋण जोखिम (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत)	176.34	126.11
पूंजी बाजार को कुल ऋण जोखिम	982.21	910.11

1.7.3 जोखिम श्रेणी वार देशी ऋण जोखिम*

(₹ करोड़ों में)

जोखिम श्रेणी	मार्च 31, 2012 को		मार्च 31, 2011 को	
	ऋण जोखिम (निवल)	रखा गया प्रावधान	ऋण जोखिम (निवल)	रखा गया प्रावधान
नगण्य (ए1)	809.19	शून्य	953.41	शून्य
कम (ए 2)	517.79	शून्य	582.42	शून्य
सामान्य से कम (बी 1)	83.61	शून्य	101.13	शून्य
सामान्य (बी 2)	0.05	शून्य	0.00	शून्य
सामान्य से अधिक (सी 1)	8.57	शून्य	4.36	शून्य
उच्च (सी 2)	0.00	शून्य	0.00	शून्य
अति उच्च (डी)	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	1419.21		1641.32	

*भारतीय निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम के श्रेणीकरण पर आधारित



1.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	As on 31 st March-2012	As on 31 st March-2011
(i) Direct investments in equity shares convertible debentures / bonds and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	137.15	147.04
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ESOPS), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	0.05	5.99
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	—	0.77
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures or units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	8.67	8.00
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	235.00	122.10
(vi) Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	425.00	500.00
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Financing to stock brokers for margin trading.	0.00	0.10
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered).	176.34	126.11
Total Exposure to Capital Market	982.21	910.11

1.7.3 Risk Category wise Country Exposure*

(₹ in crore)

Risk Category	As on March 31, 2012		As on March 31, 2011	
	Exposure (net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
Insignificant (A1)	809.19	NIL	953.41	NIL
Low (A2)	517.79	NIL	582.42	NIL
Moderately Low (B1)	83.61	NIL	101.13	NIL
Moderate (B2)	0.05	NIL	0.00	NIL
Moderate High (C1)	8.57	NIL	4.36	NIL
High (C2)	0.00	NIL	0.00	NIL
Very High (D)	0.00	NIL	0.00	NIL
Total	1419.21		1641.32	

*based on categorization followed by Export and Credit Guarantee Corporation of India Ltd.,

प्रत्येक देश से विदेशी विनिमय लेनदेन से संबंधित निवल ऋण जोखिम निधि बैंक की कुल आरिस्ट के 1% के अंदर है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.7.4. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण

(₹ करोड़ों में)

उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम की सीमा	मंजूर सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा का अतिक्रमण हुआ	अवधि के दौरान बकाया राशि
--	--	--	--	--

बैंक ने किसी भी समूह खाते में एकल उधारकर्ता अथवा समूह उधारकर्ता वार ऋण जोखिम की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है।

1.7.5. अनुसूची 9 में आरक्षित अग्रिमों में ₹ 153.41 करोड़ (151.59 करोड़) का अग्रिम सम्मिलित है जिन हेतु अमूर्त प्रतिभूतियों/आस्तियों को संपार्थिक के रूप में लिया गया है।

1.8 वर्ष के दौरान आय कर के लिए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
आयकर के लिए प्रावधान	460.00	315.54
आस्थगित कर	19.45	184.31
संपत्ति कर	0.15	0.15

1.9 भा.रि.बैं द्वारा लगाए गए दंड

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान भा.रि.बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है।

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1. लेखा मानक 5-अवधि के लिए लाभ या हानि का विवरण, अवधि पूर्व मर्दे

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत लाभ एवं हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मद प्रकटीकरण हेतु नहीं है।

2.2 लेखा मानक 9: राजस्व मान्यता

अनुसूची 17 की लेखाकरण नीति (2) के अनुसार कुछ मर्दे नकद के आधार पर सांवाधक/विनियामक आवश्यकता एवं महत्ता के अनुसार ली जाती हैं।

2.3 लेखा मानक - 15 कर्मचारी लाभ

2.3.1 ग्रेच्युटि

बैंक उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटि प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से

सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं। बैंक प्रतिवर्ष देय ग्रेच्युटि के निधियन हेतु न्यास में योगदान करता है। ग्रेच्युटि निधि के नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष ग्रेच्युटि का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है। ऋण बीमांकन पद्धति ईकाई के अनुमान के अनुसार ग्रेच्युटि देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है।

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटि का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, जो हैं, ग्रेच्युटि भुगतान अधिनियम, 1972 तथा दूसरी सेवा नियमों के अनुसार एवं कर्मचारी अत्याधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने के पात्र होगा।

2.3.2 पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 के बाद तथा 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में कार्यरत हुए। आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन अधिनियम के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन निधि का प्रबंध आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है।

01.04.2010 के बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% योगदान देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

2.3.3 भविष्य निधि

बैंक सांवाधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है। निधि का संचालन एक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान में देता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर-पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है। फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होता है।

2.3.4 अवकाश नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग-पत्र पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% याने 120 दिनों के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक फंड में योगदान देता है।

2.3.5 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का विवरण:-



The net funded exposure of the bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank, hence no provision is required to be made as per RBI guidelines.

1.7.4. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ in crore)

Name of the borrower	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Maximum Amount outstanding during the period
—	—	—	—	—

The bank has not exceeded the ceiling for Single Borrower or Group Borrower wise exposures in any of the Group accounts.

1.7.5. Unsecured advances in schedule 9 includes advances ₹ 153.41 cr (151.59 cr) advance for which intangible securities/assets have been taken as collaterals.

1.8 Amount of Provisions for Income-tax for the year

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Provision for Income Tax	460.00	315.54
Deferred Tax	19.45	184.31
Wealth Tax	0.15	0.15

1.9 Penalties imposed by RBI

During the year ended 31st March, 2012, no penalty has been levied by RBI.

2. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India

2.1. Accounting Standard 5 – Statement of profit or loss for the period, prior period items

There is no material prior period item included in Profit and Loss account which is required to be disclosed as per the Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India read with guidelines issued by Reserve Bank of India.

2.2 Accounting Standard 9: Revenue Recognition

As mentioned in accounting policy (2) of schedule 17 certain items are accounted on cash basis on account of statutory/regulatory requirements and materiality

2.3 ACCOUNTING STANDARD –15 EMPLOYEE BENEFITS

2.3.1 Gratuity

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity,

payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the employee will be entitled to get most beneficial amount.

2.3.2 Pension

Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.09.1995 and joined before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employee Pension Regulations. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust

Employees who joined on or after 01/4/2010 are entitled to Defined contributory Pension Scheme where under the employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority

2.3.3 Provident Fund

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees. The fund is administered by a trust. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank contributes equally amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the pattern prescribed by Government of India.

2.3.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death and on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days.

Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

2.3.5 The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

(क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	2084.06 (906.82)	515.38 (360.36)	230.31 (200.31)
ब्याज लागत	175.27 (94.82)	41.23 (28.83)	18.42 (16.03)
चालू सेवा लागत	151.49 (74.14)	13.42 (13.42)	6.98 (7.00)
नए विकल्पियों हेतु पिछली सेवा लागत	(865.35)		
प्रदत्त लाभ	-102.94 (-106.95)	-48.70 (-48.67)	-32.69 (-30.79)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि (लाभ)	86.82 (249.88)	24.84 (161.44)	30.37 (37.76)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	2394.70 (2084.06)	546.17 (515.38)	253.39 (230.31)

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	2087.22 (906.82)	515.38 (363.22)	233.51 (204.70)
अभिग्रहण समायोजन	(475.29)		
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	177.41 (94.82)	44.32 (36.04)	21.97 (19.59)
नियोक्ता का योगदान	240.17 (716.57)	35.17 (164.79)	39.30 (40.00)
प्रदत्त लाभ	-102.94 (-106.95)	-48.70 (-48.67)	-32.69 (-30.78)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि (लाभ)	-7.16 (0.69)		
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	2394.70 (2087.24)	546.17 (515.38)	262.09 (233.51)

(ग) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2394.70 (2084.06)	546.17 (515.38)	262.09 (230.31)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2398.95 (2087.24)	546.17 (515.38)	262.10 (233.51)
तुलनपत्र में निवल देयता	-	-	-

(घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

(₹ करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्तमान सेवा लागत	151.49 (74.14)	13.42 (13.42)	6.98 (7.00)
नए विकल्पियों हेतु पिछली सेवा लागत	- (865.35)	-	-
ब्याज लागत	175.27 (75.27)	41.23 (28.83)	18.42 (16.02)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	-177.41 (-94.82)	-44.32 (-36.05)	-21.97 (-19.59)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ/हानि)	90.82 (272.09)	24.84 (161.44)	35.97 (37.76)
फंड को योगदान की गई लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	240.17 (1192.03)*	35.17 (167.64)*	39.30 (41.19)

* ₹ 506.65 करोड की अपरिशोधित राशि सहित



(a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	2084.06 (906.82)	515.38 (360.36)	230.31 (200.31)
Interest Cost	175.27 (94.82)	41.23 (28.83)	18.42 (16.03)
Current Service Cost	151.49 (74.14)	13.42 (13.42)	6.98 (7.00)
Past Service Cost for New Optees	(865.35)		
Benefits Paid	-102.94 (-106.95)	-48.70 (-48.67)	-32.69 (-30.79)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	86.82 (249.88)	24.84 (161.44)	30.37 (37.76)
Present value of obligation at year end	2394.70 (2084.06)	546.17 (515.38)	253.39 (230.31)

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	2087.22 (906.82)	515.38 (363.22)	233.51 (204.70)
Acquisition Adjustments	(475.29)		
Expected Return on Plan Assets	177.41 (94.82)	44.32 (36.04)	21.97 (19.59)
Employer's contribution	240.17 (716.57)	35.17 (164.79)	39.30 (40.00)
Benefits Paid	-102.94 (-106.95)	-48.70 (-48.67)	-32.69 (-30.78)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	-7.16 (0.69)		
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2394.70 (2087.24)	546.17 (515.38)	262.09 (233.51)

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	2394.70 (2084.06)	546.17 (515.38)	262.09 (230.31)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	2398.95 (2087.24)	546.17 (515.38)	262.10 (233.51)
Net Liability recognized in Balance Sheet	—	—	—

d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	151.49 (74.14)	13.42 (13.42)	6.98 (7.00)
Past Service Cost for New Optees	(865.35)	—	—
Interest Cost	175.27 (75.27)	41.23 (28.83)	18.42 (16.02)
Expected return on Plan Asset	-177.41 (-94.82)	-44.32 (-36.05)	-21.97 (-19.59)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	90.82 (272.09)	24.84 (161.44)	35.97 (37.76)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account / contributed to funds	240.17 (1192.03)*	35.17 (167.64)*	39.30 (41.19)

*Including unamortized amount of ₹506.65 crore)

(ड.) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ों में)

केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	498.93 (278.12)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	149.00 (149.00)
सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश	1685.74 (1009.51)
अन्य निवेश	58.29 (66.60)
बैंक शेष	6.99 (584.01)
कुल	2398.95 (2087.24)

(च) तुलनपत्र की तारीख को मूल बीमांक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधियुक्त) (%)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त) (%)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त) (%)
बट्टा दर	8.40 (8.41)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.50 (8.50)	9.60 (9.55)	9.60 (9.55)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	3.00 (3.00)	4.00 (3.00)	4.00 (3.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

बीमांक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर किया जाता है।

च) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है:-

बट्टा दर:- बट्टा दर रिपोर्टिंग की तारीख को सरकारी बांडों पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर :

पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बांडों पर आय के आधार पर ली गई है। ग्रेच्युटि और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है।

वेतनवृद्धि: बैंक द्वारा दिये गए विगत डाटा के आधार पर

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधि)

(₹ करोड़ों में)

	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती अवार्ड	बीमारी छुट्टी	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
01.04.2011 को देयता	15.54	0.59	23.99	0.80	0.63
31.03.2012 को देयता	13.13	0.41	26.39	0.74	1.20
परिवर्ती देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	-2.41 (2.70)	-0.18 (-0.18)	2.4 (5.28)	-0.06 (0.09)	0.57 (-0.08)

(झ) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति : ₹ 1.04 करोड
(1.04 करोड)

(ज) भविष्य निधि को अंशदान : ₹ 0.62 करोड
(11.67 करोड)

2.3.6: विवेकपूर्ण विनियामक उपाय (पेंशन विकल्प पुनः जारी करना तथा ग्रेच्युटि में वृद्धि)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने भा.रि.बैं. के परिपत्र सं डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक फरवरी, 2011 के अनुसार ग्रेच्युटि भुगतान अधिनियम के तहत पाँच वर्ष की अवधि हेतु ग्रेच्युटि की सीमा में ₹ 3.50 लाख से ₹ 10 लाख की वृद्धि की अनुमति तथा कर्मचारियों द्वारा द्वितीय पेंशन विकल्प के चुने जाने के कारण अतिरिक्त देयता में हुई वृद्धि के परिशोधन का विकल्प चुना। 31 मार्च, 2011 को बकाया कुल ₹ 506.56 करोड की राशि में से ₹ 93.66 करोड की राशि जो अतिरिक्त पेंशन देयता का 1/5वां भाग है तथा ₹ 33 करोड, जो कि ग्रेच्युटि के खाते पर अतिरिक्त देयता का 1/5वां भाग है लाभ एवं हानि खाते को चालू वर्ष के लिए प्रभारित किया गया तथा बकाया ₹ 379.99 करोड की राशि आगे के लिए रख ली जाती है।



(e) Investment details of Pension Fund Trust:

(₹ in crore)

Central Government Securities	498.93 (278.12)
State Government Securities	149.00 (149.00)
Investments in PSUs	1685.74 (1009.51)
Other Investments	58.29 (66.60)
Bank Balance	6.99 (584.01)
Total	2398.95 (2087.24)

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

Actuarial Assumptions	Pension (Funded) (%)	Gratuity (Funded) (%)	Leave Encashment (Funded) (%)
Discount Rate	8.40 (8.41)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.50 (8.50)	9.60 (9.55)	9.60 (9.55)
Expected Rate of Salary Increase	3.00 (3.00)	4.00 (3.00)	4.00 (3.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate:- The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return:

In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded)

(₹ in crore)

	LTC / LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2011	15.54	0.59	23.99	0.80	0.63
Liability as on 31.03.2012	13.13	0.41	26.39	0.74	1.20
Transitional Liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount debited to Profit & Loss Account	-2.41 (2.70)	-0.18 (-0.18)	2.4 (5.28)	-0.06 (0.09)	0.57 (-0.08)

(i) Short term employees' benefits:

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore
(1.04 crore)

**(j) Contribution to Provident Fund: ₹ 0.62 crore
(11.67 crore)**

2.3.6 : Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension option and enhancement of gratuity)

During the year 2010-11, the Bank opted for amortization of additional liability arising on account of exercise of second pension option by the employees and revision of gratuity limit from ₹ 3.50 lacs to ₹10 lacs as per the Payment of Gratuity Act over a period of five years pursuant to permission given by Reserve Bank of India vide its circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09th of February, 2011. Out of the amount of ₹ 506.65 cr., carried forward as on 31st March, 2011 an amount of ₹ 93.66 cr., being 1/5th of the additional pension liability and ₹ 33 cr., being 1/5th of additional liability on account of gratuity has been charged off to the Profit and Loss Account for the current year and balance amount of ₹ 379.99 cr has been carried forward.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस 17)

व्यवसाय सेगमेंट

(₹ करोड़ों में)

		खंडवार परिणाम	
	व्यापार खंड	2011-12	2010-11
1	खंड राजस्व		
	(क) राजकोष	2060.55	1788.79
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	5808.81	3824.47
	(ग) रिटेल बैंकिंग	3590.31	2887.18
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	738.99	687.79
	कुल	12198.66	9188.23
	कम: अंतर-खंड राजस्व		
	परिचालन से आय	12198.66	9188.23
2	खंड परिणाम		
	(क) राजकोष	475.50	469.75
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	1340.46	1004.34
	(ग) रिटेल बैंकिंग	828.51	758.20
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	170.53	180.77
	कुल	2815.00	2413.06
	कम: अन्य अनाबंटित व्यय	990.73	645.99
	कर पूर्व कुल लाभ	1824.27	1767.07
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	479.60	500.00
	निवल लाभ	1344.67	1267.07
3	खंड आस्तियां		
	(क) राजकोष	29628.90	24204.00
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	53060.84	42353.94
	(ग) रिटेल बैंकिंग	26943.94	25580.95
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3637.05	3500.47
	ड.) कुल अनाबंटित आस्तियां	11693.51	13261.36
	कुल आस्तियां	124964.24	108900.72
4	खंड देयताएँ		
	(क) राजकोष	2406.39	1843.79
	(ख) कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग	33117.89	24487.33
	(ग) रिटेल बैंकिंग	54260.54	47176.64
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	18472.79	20492.31
	ड.) अनाबंटित देयताएं	9227.24	8408.23
	कुल	117484.85	102408.30
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	7479.39	6492.42
	कुल देयताएँ	124964.24	108900.72

(प्रबंधन द्वारा संकलित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास में लिया गया)

खंड परिणामों पर टिप्पणी

- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा मानक एएस-17 के अनुपालन हेतु बैंक ने "राजकोष परिचालन", "कार्पोरेट/थोक बैंकिंग", "खुदरा बैंकिंग" एवं "अन्य बैंकिंग परिचालन" प्राथमिक व्यापार खंड के रूप में एवं "घरेलु" खंड को गौण/भौगोलिक खंड के रूप में चुना है।
- खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।



3. SEGMENT REPORTING (AS 17)

Business segments

(₹ in crore)

Segment wise Results			
	Business Segments	2011-12	2010-11
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury	2060.55	1788.79
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5808.81	3824.47
	(c) Retail Banking	3590.31	2887.18
	(d) Other Banking Operations	738.99	687.79
	Total	12198.66	9188.23
	Less: Inter Segment Revenue		
	Income from Operations	12198.66	9188.23
2	Segment Results		
	(a) Treasury	475.50	469.75
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1340.46	1004.34
	(c) Retail Banking	828.51	758.20
	(d) Other Banking Operations	170.53	180.77
	Total	2815.00	2413.06
	Less : Other Un-allocable Expenditure	990.73	645.99
	Total Profit Before Tax	1824.27	1767.07
	Income Tax and other taxes paid	479.60	500.00
	Net Profit	1344.67	1267.07
3	Segment Assets		
	(a) Treasury	29628.90	24204.00
	(b) Corporate/Wholesale Banking	53060.84	42353.94
	(c) Retail Banking	26943.94	25580.95
	(d) Other Banking Business	3637.05	3500.47
	(e) Un-allocable Assets	11693.51	13261.36
	Total Assets	124964.24	108900.72
4	Segment Liabilities		
	(a) Treasury	2406.39	1843.79
	(b) Corporate/Wholesale Banking	33117.89	24487.33
	(c) Retail Banking	54260.54	47176.64
	(d) Other Banking Operations	18472.79	20492.31
	(e) Un-allocable Liabilities	9227.24	8408.23
	Total	117484.85	102408.30
	Capital & Reserves	7479.39	6492.42
	Total Liabilities	124964.24	108900.72

(Compiled by Management and relied upon by the Auditors)

Note on Segment Results

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", "Corporate/Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" Segment as secondary / geographic segment.
- Segment revenue represents revenue from external customers.

भौगोलिक खंड:-

बैंक की भारत के बाहर कोई शाखा नहीं है, रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड केवल घरेलू परिचालन है, अतः अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।

4 संबंधित पार्टी प्रकटन (एएस 18)
संबंधित पार्टी के नाम एवं बैंक से उनका संबंध

(क) बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रूप में मान्यता दी है:

- श्री बी.ए. प्रभाकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02/01/2012 से)
- श्री अ.अ. ताज, कार्यपालक निदेशक
- श्री के.के. मिश्र, कार्यपालक निदेशक (26/12/2011 से)

iv) श्री आर.रामचंद्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2011 तक)

v) श्री अनिल गिरोत्रा, कार्यपालक निदेशक (30.09.2011 तक)

(ख) अनुषंगी

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड

(ग) सहयोगी

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
- ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी

संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन:-

(राशि ₹ में)

क्र सं	नाम	सम्बंध	लेनदेन की प्रकृति	2011-12	2010-11
1	श्री बी.ए. प्रभाकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (02.01.2012 से)	पारिश्रमिक	389562	—
2	श्री आर.रामचंद्रन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2011 तक)	पारिश्रमिक	1663050	831913
3	श्री आर.एस. रेड्डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2010 तक)	पारिश्रमिक	293425	1472013
4	श्री अ.अ. ताज	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	2018740	1545204
5	श्री के.के. मिश्र	कार्यपालक निदेशक (26.12.2011 से)	पारिश्रमिक	341691	—
6	श्री अनिल गिरोत्रा	कार्यपालक निदेशक (30.09.2011 तक)	पारिश्रमिक	1314525	2094916

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर एएस-18 के अनुच्छेद 9 के दृष्टिगत जहां राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य पार्टियों से अपने लेनदेन के प्रकटीकरण से छूट है जो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं है, बैंक की अनुषंगी एवं सहयोगी बैंकों के साथ लेनदेन प्रकट नहीं किया गया है।

(iii) संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूँजी - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी - 9.29 करोड़ ₹ (0.15 करोड़ रु)

5. प्रति शेयर उपार्जन (10/- रु प्रत्येक का अंकित मूल्य) (एएस 20)

विवरण	2011-12	2010-11
मूल्य ई.पी.एस ₹	24.03	26.05
डाइल्यूटेड ई.पी.एस. ₹	24.03	26.05
मूल ई.पी.एस. का परिकलन		
निवल लाभ (₹ करोड़ में) (साधारण मदों व कुल करों को छोड़कर)	1344.67	1267.07
शेयरों की औसत अधिभारिता सं. (करोड़ में)	55.95	48.64
प्रति शेयर मूल उपार्जन ₹	24.03	26.0



Geographic segments:-

The Bank does not have any branches outside India, the only reportable Geographical segment is of domestic operations, and hence no separate disclosure is made.

4 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank

(a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel As per the Accounting Standard

- i) Shri B.A. Prabhakar, Chairman and Managing Director (From 02/01/2012)
- ii) Shri A.A. Taj, Executive Director
- iii) Shri K.K. Misra, Executive Director (From 26/12/2011)

iv) Shri R.Ramachandran, Chairman and Managing Director (Upto 31.12.2011)

v) Shri Anil Girotra, Executive Director (Upto 30.9.2011)

(b) Subsidiary

Andhra Bank Financial Services Ltd.,

(c) Associates

- (i) Chaitanya Godavari Grameena Bank
- (ii) Rushikulya Gramya Bank

(d) Joint Ventures

- i) India First Life Insurance Company Ltd.,
- ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.

Transactions with Related parties:-

(Amount in ₹)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2011-12	2010-11
1	Sri B.A. Prabhakar	Chairman & Managing Director (From 02.01.2012)	Remuneration	389562	—
2	Sri.R. Ramachandran	Chairman & Managing Director (Upto 31.12.2011)	Remuneration	1663050	831913
3	Shri. R. S Reddy	Chairman & Managing Director (Upto 31.08.2010)	Remuneration	293425	1472013
4	Sri A. A. Taj	Executive Director	Remuneration	2018740	1545204
5	Sri K.K.Misra	Executive Director (w.e.f. 26.12.2011)	Remuneration	341691	—
6	Sri Anil Girotra	Executive Director (upto 30.09.2011)	Remuneration	1314525	2094916

The transactions with the Subsidiary and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 on Related Party Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

iii) Capital invested in Joint Venture - India International Bank (Malaysia) Bhd. ₹ 9.29 cr., (0.15 cr.)

5. EARNING PER SHARE (Face Value ₹ 10/- each) (AS 20)

Particulars	2011-12	2010-11
Basic EPS ₹	24.03	26.05
Diluted EPS ₹	24.03	26.05
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ In crore) (excluding extra ordinary items, net of taxes)	1344.67	1267.07
Weighted Average No. of Shares (in crore)	55.95	48.64
Basic Earning per Share ₹	24.03	26.05

6. आय पर कर हेतु लेखा (एएस 22)

6.1 31.03.2012 तक प्रमुख घटक निम्न अनुसार हैं:-

(₹ करोड़ों में)

समय अंतर	मार्च 31, 2012		मार्च 31, 2011	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों में प्रावधान, जिनका आय-कर हेतु लेखा (एएस 22) में दावा नहीं किया गया	28.31	-	76.92	-
(2) आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार दावा अधिक/कम मूल्यहास	4.53	-	-	11.58
(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती पर डी.टी.एल.	-	-	-	99.65
(4) ए.एस. 15(आर) के अनुसार परिवर्ती प्रावधान पर डीटीए	-	-	131.60	-
(5) ग्रेजुटी की सीमा में परिशोधन तथा पेंशन विकल्प पुनः मिलने पर अतिरिक्त देयता के परिशोधन पर डीटीएल	-	123.29	-	168.29
कुल	32.84	123.29	208.52	279.52

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है चूंकि आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रारक्षिती का आहरण न करने के बैंक के निर्णय के बाद इसे स्थायी अंतर माना जाता है। ए.एस.15 (आर) के अनुसार परिवर्ती प्रावधान पर डीटीए को भी वर्ष के दौरान अलग किया गया है।

7. परिचालन बंद करना (एएस-24)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बन्द नहीं किया है जिससे देयता अथवा आस्तियों की वसूली पर प्रभाव पड़े तथा उक्त प्रभाव पड़ने वाले किसी परिचालन को बंद करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है।

8. आस्तियों का अनर्जक होना (एएस 28)

लेखा मानक 28 के पैरा 8 से 10 में दर्शाए गए सूचक - अनर्जक आस्तियों (आइसीएआइ द्वारा जारी) की जाँच पर यह पाया गया कि बैंक के मामले में कोई सूचक नहीं हैं। वसूली-योग्य राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है तथा किसी संभावित अनर्जक हानि का कोई संकेत नहीं है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएँ न्यायालय के निर्णय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, माँगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व, संबंधित पार्टियों द्वारा माँग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं।

10 अन्य प्रकटन

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अंतर्गत दर्शाई "प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ" का ब्रेक-अप	2011-12	2010-11
(i) निवेश के मूल्य में हास	45.02	0.49
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	481.68	468.22
(iii) मानक आस्तियाँ	100.00	93.50
(iv) कर	460.15	315.69
(v) आस्थगित कर	19.45	184.31
(v) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ: क) पुनर्गठित अग्रिम ख) अन्य प्रावधान	303.95 60.08	71.56 12.23
कुल	1470.33	1146.00

10.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर-साइकलिकल प्रोजेक्शनिंग बफर)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2011-12	2010-11
प्रारंभिक शेष	38.06	38.06
वर्ष के दौरान जमा	-	-
वर्ष के दौरान कटौती (झा-डाउन मोड का उद्देश्य एवं राशि)	-	-
अंतिम शेष	38.06	38.06

वर्ष के दौरान प्रारक्षिती में कोई गिरावट नहीं है (गत वर्ष 0.002 करोड़)

10.3 शिकायतों का प्रकटन तथा बैंकिंग लोकपाल के निर्णय जो कार्यान्वित नहीं हुए।

क) ग्राहकों की शिकायतें (संख्या)		ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय (संख्या)	
क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित	936	क) वर्ष के प्रारंभ में जो अकार्यान्वित थे	1
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	106990	ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय	5
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई	107116	ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित	6
घ) वर्ष की समाप्ति पर लंबित	810	घ) वर्ष की समाप्ति पर अकार्यान्वित	शून्य

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में "एटीएम" शिकायतों की संख्या 87444, क्रेडिट कार्ड संबंधी 87, आरटीजीएस/नेफ्ट की 2454, पेंशन संबंधी 5819 तथा सामान्य प्रकृति की 1520 शिकायतें सम्मिलित हैं।



6. Accounting for taxes on income (AS 22)

6.1 The major components as on 31.03.2012 are as follows:- (₹ in crore)

Timing Difference	31 st March-2012		31 st March-2011	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision created in books but not claimed in Income Tax	28.31	—	76.92	—
(2) Excess / Less Depreciation claimed as per Income Tax Act, 1961	4.53	—	—	11.58
(3) DTL on Special Reserve created u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961	—	—	—	99.65
(4) DTA on transitional provision as per AS-15(R)	—	—	131.60	—
(5) DTL on amortization of additional liability on a/c of re-opening of pension option and revision in ceiling of gratuity	—	123.29	—	168.29
Total	32.84	123.29	208.52	279.52

No Provision for Deferred Tax Liability (DTL) on deduction claimed under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961 has been made as the same is considered as Permanent difference consequent to the decision of the Bank not to withdraw the Reserves created under the provisions of the Income Tax Act. DTA on transitional provision as per AS-15(R) has also been derecognized during the year.

7. Discontinuing operations (AS-24)

During the financial year 2011-12 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized.

8. Impairment of Assets (AS 28)

The indications listed in paragraphs 8 to 10 of Accounting Standard 28—'Impairment of Assets' (issued by the ICAI) have been examined and on such examination, it has been found that none of the indications are present in the case of the bank. A formal estimate of the recoverable amount has not been made, as there is no indication of a potential impairment loss.

9. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS (AS 29)

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

10 Other disclosures

10.1 PROVISIONS AND CONTINGENCIES

(₹ in crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2011-12	2010-11
(i) Depreciation in value of Investments	45.02	0.49
(ii) Non Performing Assets	481.68	468.22
(iii) Standard Assets	100.00	93.50
(iv) Taxes	460.15	315.69
(v) Deferred Tax	19.45	184.31
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	303.95	71.56
b) Other provisions	60.08	12.23
TOTAL	1470.33	1146.00

10.2 FLOATING PROVISIONS (Countercyclical provisioning buffer)

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening balance	38.06	38.06
Additions during the year	—	—
Reduction during the year (Purpose and amount of drawdown made)	—	—
Closing balance	38.06	38.06

There is no drawdown from reserves during the year (previous year 0.002 cr.)

10.3 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

a) Customer complaints (in numbers)		b) Awards passed by the Banking Ombudsman (in numbers)	
a) Pending at the beginning of the year:	936	a) Unimplemented at the beginning of the year:	1
b) Received during the year:	106990	b) Passed by the Banking Ombudsman during the year:	5
c) Redressed during the year:	107116	c) Implemented during the year:	6
d) pending at the end of the year:	810	d) Unimplemented at the end of the year:	nil

The total complaints received during the year include 87444 number of complaints for ATM, 87 for Credit Card, 2454 for RTGS/NEFT, 5819 for Pension and 1520 complaints of general nature.

10.4. बैंक द्वारा जारी लैटर ऑफ कंफर्ट का प्रकटन:

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा 4994.26 (₹ 1874.40) करोड़ ₹ के 838 (726) लैटर ऑफ कंफर्ट/घोषणा-पत्र जारी किए गए हैं। 31.03.2012 तक बकाया लैटर ऑफ कंफर्ट की राशि 2827.32 (₹ 1528.93) करोड़ ₹ है।

संयुक्त उद्यम की ओर से लैटर-ऑफ कंफर्ट:

अपने संयुक्त उद्यम इंडियन इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बी.एच.डी. की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य हेतु, बैंक ने निगारा मलेशिया

बैंक के हित में दि.05/08/2010 को एक लैटर ऑफ कंफर्ट तथा एक घोषणा-पत्र जारी किया गया है तथा ऐसे एलओसी/एलओयू पर वित्तीय प्रभाव पूंजी अंशदान के आन्ध्रा बैंक शेयर की सीमा तक सीमित है। 31.03.2012 तक, आन्ध्रा बैंक को मलेशियन रिंगिट 58,50,250 केवल (585025 पूर्ण प्रदत्त शेयर) पूंजी के अंशदान को कहा गया है तथा बैंक ने इसका प्रेषण कर दिया है। ऐसी पूंजी अंशदान के समकक्ष रुपए अनुषंगी में 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित है तथा घोषणा-पत्र के अंतर्गत संयुक्त शेष प्रतिबद्धता आर.एम. 69,149,750 समकक्ष ₹ 115.20 करोड़ रु है।

10.5 प्रावधान कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ों में)

1	2	3	4	5
		सकल एनपीए @जमा 31.03.2012* तक तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते	विशिष्ट प्रावधान, तकनीकी/विवेकपूर्ण, बड़े खाते @जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान सहित	(4) से (3) अनुपात (%)
1	अवमानक अग्रिम	1084.16	371.57	34.27
2	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग)	642.48	561.12	87.34
	क) < 1 वर्ष	405.51	336.80	83.06
	ख) 1-3 वर्ष	167.90	155.25	92.47
	ग) >3 वर्ष	69.07	69.07	100.00
3.	हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिम (71.37) + तकनीकी रूप से बड़े खाते (819.84)	891.21	891.21	100.00
4	कुल	2617.85	1823.90	69.67
5	अग्रिमों हेतु अस्थिर प्रावधान (केवल उस सीमा तक जहाँ उनका प्रयोग टीयर II पूंजी के रूप में नहीं हो रहा है)		38.06	
6	प्राप्त डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावे तथा समायोजन तक बकाया रखे गए।		0.04	
7	प्राप्त आंशिक भुगतान तथा उचित खाते अथवा किसी अन्य वैसे ही खाते में रखा गया।			
8	कुल	2617.85	1862.00	71.13
9	प्रावधान कवरेज अनुपात	71.13%		

*तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बड़े-खाते अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है किंतु प्र.का. स्तर पर बड़े-खाते डाले गए (पूर्ण रूप से अथवा आंशिक)

@ विशिष्ट प्रावधानों में तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े-खाते जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान सम्मिलित है।



10.4. Disclosure of Letters of Comfort (LoC) issued by bank:

During the year ended 31.03.2012, 838 (726) Letters of Comfort/Letter of Undertaking have been issued by the bank amounting to ₹ 4994.26 (₹ 1,874.40) crores. The Letters of Comfort outstanding as on 31.03.2012 are amounting to ₹ 2827.32 (₹ 1528.93) crores.

Letter of Comfort on behalf of Joint Venture

For the purpose of fulfillment of capital requirements of its joint venture Indian International Bank (Malaysia) Bhd, Bank has issued a Letter of Undertaking and a Letter of

Comfort on 05.08.2010 favoring Bank Negara Malaysia and the financial impact on Such LOC/LOU is limited to the extent of Andhra Bank's share of capital contribution. As on 31.03.2012, Andhra bank has been called upon to contribute capital to the extent Malaysian Ringgit 58,50,250 only (representing 585025 fully paid shares) and the same has been remitted by the Bank. The rupee equivalent of such capital contribution is included under the head "Investments in Subsidiaries and Joint Ventures Balance commitment under Letter of Undertaking is RM 69,149,750 equivalent to ₹ 115.20 cr.,

10.5 Provisioning Coverage Ratio

(₹ in crore)

1	2	3	4	5
		Gross NPA [@] plus technical / prudential write-off as on 31.03.2012*	Specific Provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical / prudential write-off @	Ratio of (4) to (3) (%)
1	Sub-Standard Advances	1084.16	371.57	34.27
2	Doubtful Advances (a+b+c)	642.48	561.12	87.34
	a) < 1 year	405.51	336.80	83.06
	b) 1-3 Years	167.90	155.25	92.47
	c) >3 years	69.07	69.07	100.00
3	Advances classified as Loss Assets (71.37)+Technically Written-off (819.84)	891.21	891.21	100.00
4	Total	2617.85	1823.90	69.67
5	Floating Provisions for Advances (only to the extent they are not used as Tier II Capital)		38.06	
6	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment		0.04	
7	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account			
8	Total	2617.85	1862.00	71.13
9	Provisioning Coverage Ratio	71.13%		

*Technical or prudential write off is the amount of nonperforming loans which are outstanding in the books of the branches but have been written off (fully or partially) at Head Office level.

@ Specific provisions held including provisions for diminution in fair value of the restructured accounts classified as NPAs plus technical/prudential write off.

10.6 बैंक-बीमा व्यवसाय

बैंक ने बैंक-बीमा लाइफ से शुल्क के रूप में 4.60 करोड़ ₹ (13.03 करोड़ ₹) प्राप्त किए - तथा बैंक-बीमा गैर-जीवन से शुल्क के रूप में 5.35 करोड़ (13.23 करोड़ ₹) ₹ प्राप्त किए।

10.7 जमा, अग्रिमों, जोखिमों तथा एनपीए

10.7.1 जमा का केंद्र : (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	11292 (12298)
बैंक के कुल जमा के प्रति 20 बड़े जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	10.67 (13.34)

10.7.2 अग्रिमों का केन्द्र (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं कुल अग्रिम	15524 (15513)
20 बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का प्रतिशत	18.33 (21.5)

10.7.3 जोखिमों का केन्द्र (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल जोखिम	15559 (15523)
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम के प्रति 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को जोखिम का प्रतिशत	16.27 (14.15)

10.7.4. अनर्जक आस्तियों का केन्द्र (₹ करोड़ों में)

सर्वोच्च चार एन पी ए खातों पर कुल जोखिम	351.85
---	--------

10.8 क्षेत्र-वार एनपीए

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति एन पी ए का प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	2.97
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम तथा बड़े)	1.07
3	सेवा	4.98
4	व्यक्तिगत ऋण	2.84

10.9 एनपीए का मूवमेंट

विवरण	(₹ करोड़ों में)
1 अप्रैल, 2011 को सकल एनपीए	995.64
वर्ष के दौरान जमा (नए एनपीए)	1287.31
उप-जोड (क)	2282.95
घटाएँ:-	
(i) कोटि उन्नयन	143.14
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	172.38
(iii) बट्टे खाते	169.42
उप-जोड (ख)	484.94
31 मार्च, 2012 तक सकल एनपीए (क-ख)	1798.01

10.10 ओवरसीज आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	शून्य
कुल एनपीए	शून्य
कुल राजस्व	शून्य

10.11 बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान सी.बीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। कुल 89.04 करोड़ रु के संबंधित सॉफ्टवेयर की लागत का 5 वर्ष की अनुमानित उपयोगी आयु हेतु परिशोधन किया गया जिसमें से 31.03.2012 तक 17.81 करोड़ ₹ (35.62 करोड़.₹) बकाया है।

10.12 तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका समेकन लेखाकरण मानदंडों के अनुसार किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

10.13 31 मार्च, 2012 तक का अंतर शाखा एवं अंतर बैंक समायोजन किया जा चुका है।

10.14 आय कर के लिए प्रावधान लागू नियमों एवं विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं के आधार पर किया गया है। समान मामलों में न्यायिक उद्घोषणाओं के दृष्टिगत, 2009-10 वर्ष तक के मूल्यांकन वर्ष, जिसका मूल्यांकन समाप्त/अपील की गई है, ₹ 2.76 करोड़ के सेवा कर सहित ₹ 573.56 करोड़ (₹ 346.32 करोड़) के विवादित कर माँग के लिए कोई अतिरिक्त प्रवाधान आवश्यक नहीं माना गया है।

10.15 वर्ष 2003-04 के दौरान ₹ 50.36 करोड़ के 1437 व्यक्तिगत आवासीय ऋण खातों को प्रतिभूतिकृत किया गया तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से किए गए समनुदेशन विलेख के अनुपालन में विशेष प्रयोजन संस्था न्यास को अंतरित किया गया। एनएचबी ने उक्त राशि हेतु पास थ्रू प्रमाण-पत्र जारी किया है, जिसमें से कुछ भाग विभिन्न बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा पीटीसी श्रेणी-ए निवेश के तहत अंशदान किया गया तथा शेष बैंक द्वारा पीटीसी श्रेणी-बी के तहत अंशदान किया। 31.03.2012 को पीटीसी-ए श्रृंखला का मूल्य रु 1.15 करोड़ रहा (31.03.2011 को ₹ 3.44 करोड़ रहा)। साथ ही, बैंक द्वारा निवेश का हिस्सा दर्शाते हुए 31.03.2012 को पीटीसी श्रेणी-बी निवेश हेतु ₹ 2.02 करोड़ का बही मूल्य रहा (31.03.2011 को ₹ 2.70 करोड़ रहा)। 31.03.2012 को पूल का वर्तमान बकाया शेष रहा ₹ 5.24 करोड़ (332 खाते) (₹ 7.45 करोड़ - 472 खाते)। बैंक एसपीवी न्यास हेतु सेवा प्रदानकर्ता की भूमिका में है। पीटीसी-बी निवेश में ऋण वृद्धिकरण के अतिरिक्त नकद संपार्श्विक के रूप में ₹ 0.68 करोड़ (₹ 0.68 करोड़) की राशि बैंक ने प्रदान की है। प्रतिभूतिकृत आवास ऋणों की वसूली न होने पर हुए हानि की पूर्ति हेतु ₹ 1.17 करोड़ की राशि विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई है।

10.16 कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त दावे के रूप में प्रारंभिक तौर पर ₹ 157.68 करोड़ की राशि कृषकों के राहत हेतु राशि के रूप में माना गया। यद्यपि, केन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों द्वारा अंतिम दावों के तौर पर ₹ 151.80 करोड़ कि राशि प्रमाणित है जिसमें से ₹ 130.59 करोड़ 2010-11 के दौरान प्राप्त हुआ तथा शेष ₹ 21.21 करोड़ की दावे की 31 मार्च 2011 को प्राप्ति योग्य राशि 2011-12 के दौरान पूरी तरह से प्राप्त हुई।

10.17 जहाँ भी चालू वर्ष के आंकड़ों से पुष्टि की आवश्यकता थी पिछले वर्ष के आंकड़ों पुनर्समूहित/पुनःश्रेणीकृत/पुनःश्रृंखलित किए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं।



10.6 Bancassurance business

The Bank has received ₹ 4.60 crores (₹ 13.03 crores) as fee from Bancassurance – Life and ₹ 5.35 crores (₹ 13.23 crores) as fee from Bancassurance – Non Life.

10.7 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

10.7.1 Concentration of Deposits:

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	11292(12298)
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	10.67(13.34)

10.7.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	15524 (15513)
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	18.33 (21.5)

10.7.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total exposure to twenty largest borrowers/customers	15559 (15523)
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	16.27 (14.15)

10.7.4. Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	351.85
---	--------

10.8 Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.97
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.07
3	Services	4.98
4	Personal Loans	2.84

10.9 Movement of NPAs

Particulars	Amount in ₹ crore
Gross NPAs as on 1st April, 2011	995.64
Additions (Fresh NPAs) during the year	1287.31
Sub-total (A)	2282.95
Less:-	
(i) Up gradations	143.14
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	172.38
(iii) Write-offs	169.42
Sub-total (B)	484.94
Gross NPAs as on 31st March, 2012 (A-B)	1798.01

10.10 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Total Assets	Nil
Total NPAs	Nil
Total Revenue	Nil

10.11 Bank has completed the process of implementation of Core Banking Solution during the year 2008-09. The related cost of software aggregating to Rs. 89.04 crores is being amortized over the estimated useful life of 5 years out of which an amount of ₹ 17.81 cr.(₹ 35.62 crores) is outstanding as on 31.03.2012.

10.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

10.13 Reconciliation of Inter Branch and Inter Bank transactions have been done up to 31st March 2012.

10.14. Provision for Income Tax has been made on the basis of the applicable laws and various judicial pronouncements available. In view of judicial pronouncements in similar cases, no additional provision is considered necessary towards disputed tax demands of ₹ 573.56 crore (₹ 346.32 cr) including service tax of ₹ 2.76 cr. upto assessment year 2009-10 for which assessments are completed/appealed.

10.15 1437 individual housing loan accounts securitized during the year 2003-04 amounting to ₹ 50.36 crores and were transferred to a Special Purpose Vehicle (SPV) Trust pursuant to the Deed of Assignment executed with National Housing Bank (NHB). The NHB has issued Pass Through Certificates (PTCs) of said amount, out of which part was subscribed by various Banks/Financial Institutions as PTC Class-A investments and the balance was subscribed by the bank as PTC Class-B. The value of PTC-A series stood at ₹ 1.15 crores as on 31.03.2012 (₹ 3.44 crores as on 31.03.2011). Further, PTC class-B investment with a book value of ₹ 2.02 crores has been shown as a part of investments by the bank as on 31.03.2012 (₹ 2.70 crores as on 31.03.2011).

The present outstanding balance of the pool as on 31.03.2012 is ₹ 5.24 crores (332 accounts)(₹ 7.45 crore-472 accounts). The bank is acting as service provider to the SPV Trust. An amount of ₹ 0.68 crores (₹ 0.68 crores) has been provided by the bank as cash collateral in addition to Investment in PTC- B as credit enhancement. An amount of ₹ 1.17 crores is held as special provision to meet any loss due to non recovery of securitized housing loans.

10.16 In terms of Agriculture Debt Waiver & Relief Scheme, 2008 with regard to the amount of relief to other farmers an amount of ₹ 157.68 crore was initially identified as claim receivable from Government of India. However, an amount of ₹ 151.80 crore has been certified by the Central Statutory Auditors as final claim out of which ₹ 130.59 crore has been received during 2010-11 and balance claim amount of ₹ 21.21 crore receivable as on 31st March 2011 has been fully received during 2011-12.

10.17 Previous year figures have been regrouped / reclassified /rearranged wherever necessary to conform to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति महोदय,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने आन्ध्र बैंक के दिनांक 31 मार्च 2012 की संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। इन विवरणियों में 31 मार्च 2012 को तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा और उस अवधि के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियों में, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1300 शाखाओं की विवरणियाँ हैं। हमने तथा अन्य लेखा परीक्षकों ने जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया। साथ में 392 शाखाएं और 19 सेवा केंद्र, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी, की विवरणियों को तुलनपत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया गया है। अग्रिमों का 1.34 %, जमाराशियों का 8.01%, ब्याज आय का 0.93% और ब्याज व्यय का 6.34% इन गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं से हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, धोखाधड़ी या त्रुटियों के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय देना हमारा दायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार हमसे यह अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि ये वित्तीय विवरणियाँ तात्त्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और इनमें किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। लेखा परीक्षा के लिए चयन की गई प्रक्रिया का स्वरूप लेखा परीक्षक के विवेकाधीन है, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तात्त्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण भी इसमें शामिल है। ऐसे जोखिम निर्धारण के समय लेखा परीक्षक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने हेतु बैंक के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणियों का उचित रूप से प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करेगा। प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है।

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा प्रमाण प्राप्त किए हैं, लेखा परीक्षा के बारे में अपनी राय हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों में दिखाया गया है, और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

(i) तुलन पत्र, उसकी अनुसूचियों सहित संपूर्ण एवं सही तुलन पत्र है एवं उचित रूप से बनाया गया है और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा स्तरों के अनुसार है ताकि 31 मार्च 2012 को बैंक के कार्यकलापों का सही चित्र दर्शाया जा सके।

(ii) भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप खातों द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, लाभ का सही शेष प्रकट करता है; और

(iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण सही और समुचित चित्र दर्शाता है।

महत्वपूर्ण विषय

7. हमारी राय को सीमित किए बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प तथा ग्रेज्युटी सीमा में वृद्धि पर अपने परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी/ 80/21.04.018/2010-11 द्वारा लेखा मानकों (ए.एस) 15, "कर्मचारी सुविधाओं" के



AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the Andhra Bank as at 31st March 2012 which comprise of the Balance Sheet as at 31st March, 2012, Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches audited by us, 1300 branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss account are the returns from 392 branches and 19 service centers which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.34 % of advances , 8.01% of deposits, 0.93% of interest income and 6.34% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us;

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2012, in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

Note no.4 of Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability to the extent of ₹ 379.99 crore pursuant to exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of

प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू करने की छूट के अनुपालन में ₹ 379.99 करोड़ की सीमा तक पेंशन और उपदान देयता से संबंधित आस्थगन के संबंध में अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 4- विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार।

अन्य विधि तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म क एवं ख में दिए हैं।
9. उक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की परिसीमा तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अभिग्रहण) अधिनियम, 1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की परिसीमा की शर्त पर हम निम्नलिखित सूचित करते हैं :

- (i) हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जोकि लेखा के उद्देश्य हेतु हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक था तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया।
 - (ii) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंदर हैं।
 - (iii) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा के उद्देश्य हेतु सामान्यतया पर्याप्त पाई गई हैं और जहाँ प्राप्त विवरणियों में विवरण अपूर्ण / अपर्याप्त है, हमने प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा सूचना पर विश्वास किया है।
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं। :

कृते राजु एंड प्रसाद सनदी लेखाकार एफआरएन-003475एस (एस श्रीनिवास राव) साझेदार (एम.नं.9329)	कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन- 002413एस (ई एस रंगनाथ) साझेदार (एम.नं.13924)	कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन- 004453एस (जी.शिव राम कृष्ण प्रसाद) साझेदार (एम.नं.024860)
कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन- 004137एस (आर. सुब्रमणियन) साझेदार (एम.नं.8460)	कृते पात्रो एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-310100ई (राजेन्द्र पात्रो) साझेदार (एम.नं.019423)	कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-108959डब्ल्यू (एल.एस.चंद्रशेखर) साझेदार (एम.नं.044265)

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 07.05.2012



the provisions of Accounting Standards (AS) 15, "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(i) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit and have found them to be satisfactory.

(ii) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(iii) the returns received from the offices and branches of the Bank have been generally found adequate for the purposes of our audit and where the particulars in the returns received were incomplete/inadequate, we have relied upon the information and explanations furnished by the Management.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants FRN-003475S

(S Srinivasa Rao)
Partner (M. No.9329)

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY
Chartered Accountants FRN-004137S

(R Subramanian)
Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants FRN-002413S

(E S Ranganath)
Partner (M.No.13924)

For PATRO & CO
Chartered Accountants FRN-310100E

(Rajendra Patro)
Partner (M. No.019423)

For UMAMAHESWARA RAO & CO
Chartered Accountants FRN-004453S

(G Siva Rama Krishna Prasad)
Partner (M. No. 024860)

For C R SAGDEO & CO
Chartered Accountants FRN-108959W

(L S Chandrasekhar)
Partner (M. No.044265)

Place: Mumbai
Date: 07.05.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ 000.में)

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	104,589,507	111,676,566
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	86,455,877	104,589,507
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि / कमी	(18,133,630)	(7,087,059)
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	18,242,715	17,670,697
जोड : आस्तियों पर मूल्यहास	938,982	1,074,350
जोड : गौण ऋण पर ब्याज	2,792,152	2,792,157
घटावें : आस्तियों की बिक्री पर लाभ	10,407	8,562
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	21,963,442	21,528,642
परिचालक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
जमा में वृद्धि / (कमी)	136,949,365	144,680,740
उधार में वृद्धि / (कमी)	6,008,165	17,872,982
निवेश में (वृद्धि) / कमी	(54,249,048)	(33,230,007)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(122,064,692)	(153,218,510)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	414,184	(2,675,983)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	7,807,900	1,456,515
परिचालन से जनरेटेड नकदी	(3,170,684)	(3,585,621)
घटावें : प्रदत्त कर	(7,814,720)	(8,927,296)
परिचलनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (ए)	(10,985,404)	(12,512,917)
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	(779,104)	(684,223)
निवेशी कार्यों से नकदी प्रवाह (बी)	(779,104)	(684,223)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	-	11,730,000
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज	(2,792,152)	(2,792,157)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर मिलाकर)	(3,576,970)	(2,827,762)
वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह (सी)	(6,369,122)	6,110,081
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि / कमी (ए)+(बी)+(सी)	(18,133,630)	(7,087,059)

बी ए प्रभाकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते राजू एंड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-003475S
(एस श्रीनिवास राव)
साझेदार (एम.नं. 9329)
कृते आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004137S
(आर सुब्रामणियन)
साझेदार (एम.नं. 8460)

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन-002413S
(ई एस रंगनाथ)
साझेदार (एम.नं.13924)
कृते पात्रो एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100E
(राजेन्द्र पात्रो)
साझेदार (एम.नं.019423)

कृते उमामहेश्वर राव एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004453S
(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)
साझेदार (एम.नं.024860)
कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-108959W
(एल एस चन्द्रशेखर)
साझेदार (एम.नं.044265)

स्थान: मुम्बई
दिनांक 07.05.2012



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ in '000s)

Particulars	For the year ended 31.03.2012	For the year ended 31.03.2011
Opening balance of Cash and Cash equivalents	104,589,507	111,676,566
Closing balance of Cash and Cash equivalents	86,455,877	104,589,507
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	(18,133,630)	(7,087,059)
Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before tax	18,242,715	17,670,697
Add: Depreciation on Assets	938,982	1,074,350
Add: Interest on Subordinated Debt	2,792,152	2,792,157
Less: Profit on Sale of Assets	10,407	8,562
Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	21,963,442	21,528,642
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	136,949,365	144,680,740
Increase / (Decrease) in Borrowings	6,008,165	17,872,982
(Increase) / Decrease in Investments	(54,249,048)	(33,230,007)
(Increase) / Decrease in Advances	(122,064,692)	(153,218,510)
(Increase) / Decrease in Other Assets	414,184	(2,675,983)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	7,807,900	1,456,515
Cash Generated from Operations	(3,170,684)	(3,585,621)
Taxes Paid	(7,814,720)	(8,927,296)
Cash Flow from Operating Activities (A)	(10,985,404)	(12,512,917)
Cash Flow from Investing Activities		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	(779,104)	(684,223)
Cash Flow from Investing Activities (B)	(779,104)	(684,223)
Cash Flow from Financing Activities		
Equity Capital including Premium	-	11,730,000
Interest paid on Subordinated debts	(2,792,152)	(2,792,157)
Dividend paid (including tax on dividend)	(3,576,970)	(2,827,762)
Cash Flow from Financing Activities (C)	(6,369,122)	6,110,081
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)	(18,133,630)	(7,087,059)

B.A PRABHAKAR
Chairman & Managing Director

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(S SRINIVASA RAO)
Partner (M. No. 9329)
For R SUBRAMANIAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN-004137S
(R SUBRAMANIAN)
Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(E S RANGANATH)
Partner (M.No. 13924)
For PATRO & CO
Chartered Accountants
FRN-310100E
(RAJENDRA PATRO)
Partner (M. No.19423)

For UMAMAHESWARA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN-004453S
(G SIVA RAMA KRISHNA PRASAD)
Partner (M No. 24860)
For C R SAGDEO & CO
Chartered Accountants
FRN-108959W
(L S CHANDRASHEKAR)
Partner (M. No.44265)

Place : Mumbai
Date : 07.05.2012

हमारी प्रगति - एक नज़र

(₹ करोड़ों में)

वर्ष/मानदंड	1969 *	1980 **	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12
शाखाओं की संख्या	155	627	1432	1557	1632	1712
व्यवसाय डिलीवरी चैनलों की संख्या	155	754	2248	2502	2676	2821
कुल स्टाफ	2163	7585	14255	14292	14098	15099
निवल लाभ	0.06	1	653	1046	1267	1345
कुल जमा	52	666	59390	77688	92156	105851
निवल अग्रिम #	35	356	44139	56114	71435	83642
निवेश \$	16	170	17103	20906	24210	29656
पूंजी	0.5	1	485	485	560	560
प्रारक्षिती एवं अधिशेष	0.4	4.9	3162	3925	5933	6920
कार्यकारी निधि	58	708	68469	90342	108901	124964
प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम	-	128	14955	19012	23082	27027

निवल प्रावधान

\$ पूर्व - मूल्यह्रास

* बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वर्ष

** आन्ध्रा बैंक के राष्ट्रीयकरण का वर्ष



OUR PROGRESS AT A GLANCE

(₹ in crore)

Year / Parameters	1969*	1980**	Mar-09	Mar-10	Mar-11	Mar-12
No of Branches	155	627	1432	1557	1632	1712
No of Business Delivery Channels	155	754	2248	2502	2676	2821
Staff Strength	2163	7585	14255	14292	14098	15099
Net Profit	0.06	1	653	1046	1267	1345
Total Deposits	52	666	59390	77688	92156	105851
Net Advances #	35	356	44139	56114	71435	83642
Investments \$	16	170	17103	20906	24210	29656
Capital	0.5	1	485	485	560	560
Reserves & Surplus	0.4	4.9	3162	3925	5933	6920
Working Funds	58	708	68469	90342	108901	124964
Priority Sector Advances	-	128	14955	19012	23082	27027

Net of Provisions

\$ Pre – Depreciation

* Year of Nationalisation of Banks

** Year of Nationalisation of Andhra Bank

प्रमुख कार्य-निष्पादन अनुपात

	मार्च 2012 (%)	मार्च 2011 (%)
पूंजी पर्याप्तता		
1. जोखिम आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (भा रि बै का निर्धारित मानदंड - 9%)	13.18	14.38
2. कवरेज अनुपात	5.41	5.71
3. निवल मूल्य के प्रति निवल एन पी ए	10.11	4.22
आस्ति स्तर		
1. कुल निवेश के प्रति सरकारी प्रतिभूतियां	90.21	93.87
2. कुल अग्रिमों के प्रति कुल एन पी ए	0.91	0.38
3. कुल आस्तियों के प्रति ऑफ तुलन-पत्र मदें	32.48	33.15
4. कुल अग्रिमों के प्रति मानक अग्रिम	97.88	98.62
5. कुल आस्तियों के प्रति कुल एन पी ए	0.60	0.25
प्रबन्धन स्तर		
1. कुल जमा के प्रति सकल बैंक ऋण	80.07	78.46
2. कुल आस्तियों में वृद्धि	14.75	20.54
3. औसत उत्पादकता (रु लाख में)	1153.88	959.45
4. लाभ प्रति कर्मचारी (रु लाख में)	8.91	8.99
आय		
1. कुल आय के प्रति गैर-ब्याज आय	7.05	9.76
2. आस्तियों पर प्रतिफल	1.19	1.36
3. निवल ब्याज मार्जिन	3.67	3.80
4. आय के प्रति लागत का अनुपात	39.06	41.40
5. निवल ब्याज आय के प्रति स्टाफ-लागत + अन्य आय	24.89	26.81
6. अग्रिमों पर औसत उपज	12.45	11.16
7. कूपन-आधारित निवेश पर औसत उपज	7.83	7.38
8. औसत कार्यकारी निधि के प्रति परिचालन लाभ	2.49	2.60
चल निधि		
1. कुल आस्तियों के प्रति सरकारी प्रतिभूतियां	21.39	20.86
2. कुल आस्तियों के प्रति नकदी	0.38	0.42
3. कुल आस्तियों के प्रति कुल निवेश	23.71	22.23



KEY PERFORMANCE RATIOS

	March 2012 (%)	March 2011 (%)
Capital Adequacy		
1. Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) (prescribed norm by RBI: 9%)	13.18	14.38
2. Coverage Ratio	5.41	5.71
3. Net NPAs to Net Worth	10.11	4.22
Asset Quality		
1. Govt. Securities to Total Investments	90.21	93.87
2. Net NPAs to Net Advances	0.91	0.38
3. Off Balance Sheet Items to Total Assets	32.48	33.15
4. Standard Advances to Total Advances	97.88	98.62
5. Net NPAs to Total Assets	0.60	0.25
Management Quality		
1. Gross Bank Credit to Aggregate Deposit	80.07	78.46
2. Growth in Total Assets	14.75	20.54
3. Average Productivity (Rs Lakhs)	1153.88	959.45
4. Profit per Employee (Rs Lakhs)	8.91	8.99
Earnings		
1. Non Interest Income to Total Income	7.05	9.76
2. Return on Assets	1.19	1.36
3. Net Interest Margin	3.67	3.80
4. Ratio of Cost to Income	39.06	41.40
5. Staff Cost to Net Interest Income + Other Income	24.89	26.81
6. Average Yield on Advances	12.45	11.16
7. Average Yield on Coupon Based Investments	7.83	7.38
8. Operating Profit to Average Working Funds	2.49	2.60
Liquidity		
1. Govt. Securities to Total Assets	21.39	20.86
2. Cash to Total Assets	0.38	0.42
3. Total Investments to Total Assets	23.71	22.23

विदेशी मुद्रा में आन्ध्रा बैंक का संक्षिप्त वित्तीय विवरण

31.03.2012 के अनुसार तुलन - पत्र

(तुलन-पत्र की तिथि को लागू याने 1 यू एस \$ = ₹ 51.1565 दो मुद्राओं हेतु भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर पर यू एस \$ में परिवर्तित भारतीय रूपए में राशि)

पूंजी एवं देयताएं	(भारतीय ₹ करोड़ में)	(यू एस \$ मिलियन में)
पूंजी	559.58	109.39
प्रारक्षिती एवं अधिशेष	6919.81	1352.67
जमा	105851.22	20691.65
उधार	8240.56	1610.85
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	3393.07	663.27
कुल	124964.24	24427.83
आस्तियां		
भा रि बैं में नकदी एवं शेष	5563.89	1087.62
बैंकों में शेष तथा मांग पर तथा अल्प-सूचना पर धनराशि	3081.70	602.41
निवेश	29628.90	5791.82
अग्रिम	83641.83	16350.19
अचल आस्तियां	302.55	59.14
अन्य आस्तियां	2745.36	536.66
कुल	124964.24	24427.83
आकस्मिक देयताएं	40587.65	7934.02
वसूली हेतु बिल	3659.29	715.31
31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता		
आय		
कमाया हुआ ब्याज	11338.73	2216.48
अन्य आय	859.93	168.10
कुल	12198.66	2384.58
व्यय		
विस्तारित ब्याज	7579.41	1481.61
परिचालन व्यय	1804.25	352.69
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1470.33	287.42
कुल	10853.99	2121.72
विनियोजन		
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण	336.17	65.71
पूंजी प्रारक्षिती को अंतरण	4.45	0.87
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण	675.00	131.95
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण	165.00	32.25
प्रस्तावित लाभांश	307.77	60.16
लाभांश पर कर	49.93	9.76
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष	99.06	19.36



ABRIDGED FINANCIAL STATEMENT OF ANDHRA BANK IN FOREIGN CURRENCY

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2012

(Amount in Indian Rupee converted into US\$ at RBI Reference Rate for two currencies applicable as on the date of Balance Sheet i.e. 1 US\$ = ₹ 51.1565)

CAPITAL AND LIABILITIES	(Indian ₹ in Crore)	(US \$ in million)
Capital	559.58	109.39
Reserves and Surplus	6919.81	1352.67
Deposits	105851.22	20691.65
Borrowings	8240.56	1610.85
Other Liabilities & Provisions	3393.07	663.27
Total	124964.24	24427.83
ASSETS		
Cash and Balances with RBI	5563.89	1087.62
Balances with banks and Money at Call and Short Notice	3081.70	602.41
Investments	29628.90	5791.82
Advances	83641.83	16350.19
Fixed Assets	302.55	59.14
Other Assets	2745.36	536.66
Total	124964.24	24427.83
Contingent Liabilities	40587.65	7934.02
Bills for collection	3659.29	715.31
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2012		
INCOME		
Interest Earned	11338.73	2216.48
Other Income	859.93	168.10
Total	12198.66	2384.58
EXPENDITURE		
Interest Expended	7579.41	1481.61
Operating Expenses	1804.25	352.69
Provisions & Contingencies	1470.33	287.42
Total	10853.99	2121.72
APPROPRIATIONS		
Transfer to Statutory Reserve	336.17	65.71
Transfer to Capital Reserve	4.45	0.87
Transfer to Revenue & Other Reserves	675.00	131.95
Transfer to Special Reserve	165.00	32.25
Proposed Dividend	307.77	60.16
Tax on Dividend	49.93	9.76
Balance carried over to Balance Sheet	99.06	19.36

शाखाओं का वर्गीकरण - जनसंख्या समूहवार CLASSIFICATION OF BRANCHES - POPULATION GROUP WISE

क्षेत्र/राज्य/यू टी Region/State/U.T.	मार्च, 2011 की समाप्ति पर शाखाएं Branches as at the end of March 2011	2011-12 के दौरान खोली गई शाखाएं Branches opened during 2011-12	ग्रामीण Rural	अर्ध-शहरी Semi-Urban	शहरी Urban	मेट्रो Metro	मार्च, 2012 की समाप्ति पर शाखाएं Branches as at the end of March 2012
उत्तरी क्षेत्र Northern Region	88	16	6	11	40	47	104
हरियाणा Haryana	22	4	2	4	19	1	26
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh		1		1			1
पंजाब Punjab	12	7	3	5	8	3	19
राजस्थान Rajasthan	10	4	1	1	9	3	14
चंडीगढ़ (यू टी) Chandigarh (UT)	3				3		3
नई दिल्ली New Delhi	40					40	40
जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	1				1		1
उत्तर पूर्वी क्षेत्र North Eastern Region	5	2		1	6		7
असम Assam	4	1		1	4		5
मेघालय Meghalaya	1				1		1
त्रिपुरा Tripura		1			1		1
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	158(4)	14	44	54	57(1)	17	172(1)
बिहार Bihar	10(1)	3	1	2	9(1)	1	13(1)
झारखंड Jharkhand	10			4	6		10
ओडीशा Odisha	112(1)	4	42	45	29		116
सिक्किम Sikkim	1			1			1
पश्चिमी बंगाल West Bengal	25(2)	7	1	2	13	16	32
केन्द्रीय क्षेत्र Central Region	60	11	1	11	47	12	71
छत्तीसगढ़ Chattisgarh	8	6		2	12		14
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	14				8	6	14
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	32	5	1	6	24	6	37
उत्तराखंड Uttarakhand	6			3	3		6
पश्चिमी क्षेत्र Western Region	91(1)		2	8	40	41(1)	91(1)
गोवा Goa	4			4			4
गुजरात Gujarat	20			1	12	7	20
महाराष्ट्र Maharashtra	66(1)		1	3	28	34(1)	66(1)
दादर नागर हवेली (यू टी) Dadra Nagar Haveli (UT)	1		1				1
दक्षिणी क्षेत्र Southern Region	1230(20)	37	401(2)	394(1)	319(9)	153(1)	1267(13)
आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1065(19)	28	390(2)	354(1)	263(9)	86(1)	1093(13)
कर्नाटक Karnataka	63	2	2	7	19	37	65
केरल Kerala	23(1)	1		13	11		24
तमिल नाडु Tamilnadu	76	6	9	18	25	30	82
पुदुचेरी (यू टी) Puducherry (UT)	3			2	1		3
कुल Total	1632(25)	80	454(2)	479(1)	509(10)	270(2)	1712(15)

नोट - ब्रैकेट में आंकड़े विस्तार पटल दर्शाते हैं - 10 विस्तार पटल जिनका वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्ण शाखा के रूप में परिवर्तन हुआ।

Note: Figures in brackets indicate Extension Counters. 10 Extension Counters converted as full fledged branches during the year 2011-12



अनुषंगी का वित्तीय विवरण

FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY

आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

Andhra Bank Financial Services Ltd.


31.03.2012 को तुलन पत्र *

विवरण	नोट सं.	31.03.2012		31.03.2011	
		₹	₹	₹	₹
I ईक्विटी और देयताएं					
1 शेयरधारक निधि					
(क) शेयर पूंजी	3	50,000,000		50,000,000	
(ख) प्रारक्षिति और अधिशेष	4	-126,858,521	-76,858,521	-176,030,180	-126,030,180
(ग) शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन			0		0
2 शेयर आबंटन राशि आबंटन हेतु लंबित			0		0
3 गैर चालू देयताएं			0		0
(क) दीर्घावधि उधार					
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)					
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं					
(घ) दीर्घावधि प्रावधान					
4 चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधार		0		0	
(ख) व्यापार देयताएं	5	924,532		924,532	
(ग) अन्य चालू देयताएं		0		0	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	6	381,208,334	382,132,866	368,897,621	369,822,153
कुल			305,274,345		243,791,973
II आस्तियां					
1 गैर चालू आस्तियां					
(क) अचल आस्तियां	7				
(i) मूर्त आस्तियां					
सकल ब्लाक		3,181,953		3,181,953	
कम : मूल्यहास		3,181,171		3,180,453	
निवल ब्लाक			782		1,500
(ii) अमूर्त आस्तियां		0		0	
(iii) चालू पूंजित कार्य		0		0	
(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		0		0	
(ख) गैर चालू निवेश		0		0	
(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		0		0	
(घ) दीर्घावधि मीयादी ऋण और अग्रिम		0		0	
(ङ) अन्य गैर-चालू आस्तियां		0		0	
2 चालू आस्तियां					
(क) चालू निवेश		0		0	
(ख) स्टॉक	8	339,309		311,857	
(ग) व्यापार प्राप्त	9	0		0	
(घ) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	180,969,380		131,746,735	
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	11	123,964,874		111,731,881	
(च) अन्य चालू आस्तियां		0	305,273,563	0	243,790,473
कुल			305,274,345		243,791,973

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
2

उपर्युक्त नोट लाभ / हानि लेखे के अभिन्न अंग हैं।

* कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सी एवं जी लेखा परीक्षा की शर्त पर।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते किशोर एंड वेंकट एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार**
**अ अ ताज
अध्यक्ष**
**एस सूर्यनारायण
निदेशक**
**वाई प्रमीला रानी
निदेशक**
**आर आत्माराम
निदेशक**

(के एस आर आंजनेयुलु)

साझेदार

सदस्यता सं. 216283

स्थान : हैदराबाद

तिथि 03.05.2012

**बी नरेंद्रनाथ रेड्डी
निदेशक**
**के. कोटेश्वर राव
प्रबंध निदेशक**
**के रायर
कंपनी सचिव**



Andhra Bank Financial Services Ltd.

Balance Sheet as at 31.03.2012 *

Particulars	Note No	31.03.2012		31.03.2011	
		₹	₹	₹	₹
I EQUITY AND LIABILITIES					
1 Shareholders' Funds					
(a) Share Capital	3	50,000,000		50,000,000	
(b) Reserves and Surplus	4	-126,858,521	-76,858,521	-176,030,180	-126,030,180
(c.) Money Received against Share Warrants			0		0
2 Share Application Money Pending allotment			0		0
3 Non Current Liabilities			0		0
(a) Long Term Borrowings					
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)					
(c) Other Long Term Liabilities					
(d) Long Term Provisions					
4 Current Liabilities					
(a) Short Term Borrowings		0		0	
(b) Trade Payables	5	924,532		924,532	
(c) Other Current Liabilities		0		0	
(d) Short Term Provisions	6	381,208,334	382,132,866	368,897,621	369,822,153
TOTAL			305,274,345		243,791,973
II ASSETS					
1 Non-current assets					
(a) Fixed assets	7				
(i) Tangible assets					
Gross Block		3,181,953		3,181,953	
Less : Depreciation		3,181,171		3,180,453	
Net Block			782		1,500
(ii) Intangible assets		0		0	
(iii) Capital work-in-progress		0		0	
(iv) Intangible assets under development		0		0	
(b) Non -current investments		0		0	
(c) Deferred tax assets (Net)		0		0	
(d) Long term loans and advances		0		0	
(e) Other non current assets		0		0	
2 Current assets					
(a) Current investments		0		0	
(b) Inventories	8	339,309		311,857	
(c) Trade receivables	9	0		0	
(d) Cash and Cash Equivalents	10	180,969,380		131,746,735	
(e) Short term loans and advances	11	123,964,874		111,731,881	
(f) Other current assets		0	305,273,563	0	243,790,473
TOTAL			305,274,345		243,791,973

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2

The Notes referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

* Subject to C & AG Audit Under Section 619(4) of The Companies Act, 1956.

As per our report attached

For Kishore & Venkat Associates

Chartered Accountants

(K S R Anjaneyulu)

PARTNER

Membership No 216283

PLACE : Hyderabad

DATE : 03.05.2012

A A Taj
Chairman

S Suryanarayana
Director

Y Prameela Rani
Director

R Athmaram
Director

B Narendranatha Reddy
Director

K Koteswara Rao
Managing Director

K Rayar
Company Secretary



आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

विवरण	नोट नं		31.03.2012		31.03.2011
			₹		₹
I परिचालन से राजस्व					
ब्याज आय :	14		14,746,009		13,457,998
II अन्य आय :	14		36,488		-63,363
III कुल राजस्व (I+II)			14,782,497		13,394,635
IV व्यय :					
खपत हुई सामग्री का मूल्य			0		0
व्यापारगत स्टॉक की खरीद			0		0
तैयार माल, चालू कार्य और व्यापारगत स्टॉक की माल-सूची में परिवर्तन			0		0
कर्मचारी परिलाभ व्यय	15		964,989		1,082,825
प्रशासनिक और अन्य व्यय	16		146,065		230,627
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7		718		718
अन्य व्यय- किराया, विधिक और व्यावसायिक शुल्क, लेखा परीक्षा शुल्क आदि	17		1,131,967		3,396,405
अशोध्य ऋणों का अपलेखन	17		0		977,327
कुल व्यय			2,243,739		5,687,902
V अपवादात्मक और असाधारण मदों तथा कर से पहले लाभ (III-IV)			12,538,758		7,706,733
VI अपवादात्मक मदें			0		0
VII असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V - VI)			12,538,758		7,706,733
VIII असाधारण मदें	14		49,000,000		0
IX कर से पहले लाभ (VII - VIII)			61,538,758		7,706,733
X कर व्यय	18				
(1) चालू कर		12310713		1,428,832	
(2) आस्थगित कर		0		0	
(3) पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए आय कर/ प्रावधान, जिसकी आवश्यकता नहीं है, का अपलेखन		56386	12,367,099	819,037	609,795
XI परिचालनों की निरंतरता से अवधि हेतु लाभ (हानि) (VII - VIII)			49,171,659		7,096,938
XII परिचालनों को बंद करने से लाभ / (हानि)			0		0
XIII परिचालन बंद करने का कर व्यय			0		0
XIV परिचालन को बंद करने से लाभ/ (हानि) (कर के पश्चात्) (XII- XIII)			0		0
XV अवधि हेतु लाभ (हानि) (XI+XIV)			49,171,659		7,096,938
XVI प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन :	19				
(1) मूल			9.83		1.42
(2) डायल्यूटेड			9.83		1.42

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2

उपर्युक्त नोट लाभ /हानि लेखे के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते किशोर एंड वेंकट एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार**

**अ अ ताज
अध्यक्ष**

**एस सूर्यनारायण
निदेशक**

**वाई प्रमीला रानी
निदेशक**

**आर आत्माराम
निदेशक**

(के एस आर आंजनेयुलु)

साझेदार
सदस्यता सं.216283

स्थान : हैदराबाद

तिथि 03.05.2012

**बी नरेंद्रनाथ रेड्डी
निदेशक**

**के. कोटेश्वर राव
प्रबंध निदेशक**

**के रायर
कंपनी सचिव**



Andhra Bank Financial Services Ltd

Profit and Loss Statement for the year ended 31.03.2012					
Particulars	Note No		31.03.2012		31.03.2011
			₹		₹
I Revenue from operations					
Interest income :	14		14,746,009		13,457,998
II Other income :	14		36,488		-63,363
III Total Revenue (I + II)			14,782,497		13,394,635
IV Expenses :					
Cost of material consumed			0		0
Purchase of stock - in - trade			0		0
Changes in inventories of finished goods work-in-progress and stock-in- Trade			0		0
Employee Benefits expenses	15		964,989		1,082,825
Administrative and other Expenses	16		146,065		230,627
Depreciation and amortization expenses	7		718		718
Other Expenses-Rent, Legal & Prof Fee , Audit fee etc.,	17		1,131,967		3,396,405
Bad Debts Written off	17		0		977,327
Total expenses			2,243,739		5,687,902
V Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III - IV)			12,538,758		7,706,733
VI Exceptional Items			0		0
VII Profit before extraordinary items and tax (V - VI)			12,538,758		7,706,733
VIII Extraordinary Items	14		49,000,000		0
IX Profit before Tax (VII - VIII)			61,538,758		7,706,733
X Tax Expense	18				
(1) Current tax -		12310713		1,428,832	
(2) Deferred tax		0		0	
(3) Income Tax for earlier Asst Years / Provision no longer required written back		56386	12,367,099	819,037	609,795
XI Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII - VIII)			49,171,659		7,096,938
XII Profit/ (Loss) from discontinuing Operations			0		0
XIII Tax expense of discontinuing operations			0		0
XIV Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII - XIII)			0		0
XV Profit (Loss) for the period (XI + XIV)			49,171,659		7,096,938
XVI Earnings per equity share :	19				
(1) Basic			9.83		1.42
(2) Diluted			9.83		1.42

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2

The Notes referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account
As per our report attached

For Kishore & Venkat Associates

Chartered Accountants

(K S R Anjaneyulu)

PARTNER

Membership No 216283

PLACE : Hyderabad

DATE : 03.05.2012

A A Taj
Chairman

S Suryanarayana
Director

Y Prameela Rani
Director

R Athmaram
Director

B Narendranatha Reddy
Director

K Koteswara Rao
Managing Director

K Rayar
Company Secretary



टिप्पणी सं 1 - तैयारी का आधार

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनीज नियम, 2006 (लेखा मानक) में विनिर्दिष्ट अनुसार लेखा मानक तथा कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन में स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप ऐतिहासिक लागत कनवेंशन के अनुसार कंपनी अपने खाते संचयी आधार पर रखती है। फिर भी, कुछ वृद्धि तथा अन्य दावों, जिनकी पुष्टि अथवा पहचान ग्राहकों द्वारा नहीं होती है, को ध्यान में नहीं लिया जाता है।

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अपेक्षित है कि कंपनी का प्रबन्धन, वित्तीय विवरणों की तिथि से आकस्मिक देयताओं से सम्बन्धित प्रकटन तथा आस्तियों व देयताओं के सूचित शेष, जो अवधि की आय एवं व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करे, प्राक्कलन एवं अनुमान करती है। ऐसे अनुमान के उदाहरण में मूर्त तथा अमूर्त अचल आस्तियों की उपयोगी अवधि संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान, सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के सम्बन्ध में भविष्य की बाध्यताएं आदि सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

टिप्पणी सं 2: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. पट्टा वित्त

कम्पनी (एबीएफएसएल) पट्टा वित्त किराया को मान्यता उस वर्ष में देती है जिस वर्ष में वह देय होता है। करार के निष्पादन पर पट्टा संसाधन प्रभार, प्रबंधन शुल्क और अन्य सेवा प्रभार कर आय माना जाएगा।

ख. किराया खरीद - शून्य

ग. निवेश व्यापार

संविदाओं के निष्पादन पर प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय का लेखा रखा जाता है।

घ. ब्याज

(1) उधारों और दावों के मामलों में ब्याज और अन्य देयताएँ मान्यता प्राप्त नहीं हैं जब तक कि ऐसी प्रतिभूतियों पर दावे, और प्रति दावे यदि हों तो निपटाए नहीं जाते।

1. जहां दावे दायर किये गये हैं।
2. जहां खाते संदिग्ध माने गये हैं।
3. जहां पार्टी सुदीर्घ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

(2) निवेश पर ब्याज

प्रतिभूतियां और लाभांश पर ब्याज को मान्यता प्राप्त नहीं है जब तक कि दावे या प्रतिदावे ऐसी प्रतिभूतियों पर, यदि कोई, लंबित हो क्लियर नहीं हो जाते।

शेयरों पर लाभांश आय नकदी के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

विवेक के आधार पर राजस्व को मान्यता प्राप्त नहीं है तब तक समेकित हानि, दंड विलंबित भुगतान प्रकार के मामले में समाधान नहीं हो जाता है क्योंकि राशियों की वसूली निश्चित नहीं है।

ड. व्यापार में स्टॉक

प्रतिभूतियों के स्टॉक का भाव लागत या बाजार मूल्य पर लगाया जाता है, जो भा कम हो। अनकोटेड शेयरों के मामले में, नियंत्रण एवं उत्तर दायित्व की दृष्टि से एवं आईसीएआई द्वारा दिये गये मानक के अनुसार मूल्यांकन ₹ 1/- किया जाता है।

च. अचल आस्तियां

पट्टे पर दी गयी आस्तियों सहित सभी अचल आस्तियों का लागत मूल्य निर्धारित किया जाता है।

ज. मूल्यहास

1. अपने प्रयोग हेतु आस्तियां

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार समानुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

2. पट्टे पर दी गयी आस्तियां

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार समानुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर या प्राथमिक पट्टे की अवधि के दौरान आस्ति की लागत का 95% वर्ष के दौरान अर्जित पट्टा किराया और संपूर्ण प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए कुल किराये अनुपात में बट्टे खाते में डालते हुए जो भी अधिक हो मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

मेसर्स इन्केब इंडस्ट्रीस लिमिटेड को पट्टा वित्त पोषण के अंतर्गत मशीनरी का इस वर्ष भी अब तक उपयोग नहीं किया गया है।

बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक विविध खर्च

सभी खर्च जिनका लाभ कई वर्ष में फैला हुआ है, इस खाते के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक ऐसे वर्ष में अनुमानित लाभ के आधार पर उसको कई वर्ष तक परिशोधित किया जाता है।



NOTE No : 1 :- BASIS OF PREPARATION

The Company maintains its accounts on accrual basis following the historical cost convention in accordance with generally accepted accounting principles ("GAAP") and in compliance with provisions of the Companies Act, 1956 and the Accounting Standards as specified in the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 prescribed by the Central Government. However, certain escalation and other claims, which are not ascertainable or acknowledged by customers, are not taken into account.

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires that the management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements. Examples of such estimates include useful life of tangible and intangible fixed assets, provision for doubtful debts / advances, future obligations in respect of retirement benefit plans etc. Actual results could differ from these estimates.

NOTE No : 2 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. LEASE FINANCE:

The Company (ABFSL) recognizes lease rentals in the year in which it has fallen due. The lease processing charges, management fee and other service charges considered as income on execution of agreements.

B. HIRE PURCHASE: NIL

C. INVESTMENT BUSINESS:

Purchase and Sale of securities are accounted on execution of contracts.

D. INTEREST:

[1] Interest and other dues are not recognised until received on the grounds of prudence in respect of debts and claims.

1. Where suits have been filed.
2. Where accounts are considered doubtful.
3. Where parties are facing prolonged financial difficulties.

[2] Interest on Investments

Interest on securities and dividend on share are not recognised until the claims and counter claims if any, pending on such securities are cleared.

Dividend Income on Shares is recognised when the owners right to receive payment is established.

Revenue is not recognised on the grounds of prudence, until resolved in respect of consolidation damages, penalties, delayed payment charges as recovery of the amounts is not certain.

E. STOCK IN TRADE:

Stock of shares and securities are valued at cost or market value whichever is lower. In case of unquoted shares the valuation is made at ₹ 1/- with a view to have control and accountability and also as per the standards suggested by ICAI.

F. FIXED ASSETS:

All fixed assets including assets given on lease are valued at cost.

G. DEPRECIATION:

1. Assets for own use.

Depreciation is provided on straight-line method on pro rata basis in accordance with rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

2. Assets leased out.

Depreciation is provided on straight line method on pro rata basis in accordance with rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956 or writing off at 95% of the cost of the asset over the primary lease period in proportion of lease rentals earned during the year to total rentals for the entire primary lease period, whichever is higher.

The machinery under lease to M/s. Incab Industries Ltd is not put to use during this year also.

H. Miscellaneous Expenses to the extent not written off:

All expenditure the benefit of which is spread over a number of years is grouped under this account and is amortized over number of years on the basis of estimated benefit derived in each such year.



विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत				
100,00,000 ईक्विटी शेयर रु.10 प्रत्येक (पिछले वर्ष: 100,00,000 ईक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक)		100,000,000		100,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पर्णतः प्रदत्त (सभी शेयर आन्ध्रा बैंक और इसके नामितियों द्वारा धारित हैं) (पिछले वर्ष: 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10)		50,000,000		50,000,000
		50,000,000		50,000,000

क. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और समाप्ति पर उपलब्ध शेयरों का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	₹	शेयरों की संख्या	₹
ईक्विटी शेयर :				
अवधि के आरंभ में	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000
वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से प्रदत्त निर्गम	-	-	-	-
अवधि की समाप्ति पर उपलब्ध शेयर	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000

ख. ईक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्त / अधिकार

कंपनी में ₹ 10/- प्रत्येक शेयर के सममूल्य की एक ही श्रेणी के ईक्विटी शेयर हैं। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। (गत वर्ष-शून्य) ईक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को एक वोट की पात्रता होगी।

ग. धारक / अंतिम धारक कंपनी और / या उनके अनुषंगी / एसोसिएट द्वारा धारित शेयर

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
आन्ध्रा बैंक, धारक कंपनी				
50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष: 50,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10)		50,000,000		50,000,000

घ. कंपनी में 5% से अधिक धारण वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
ईक्विटी शेयर प्रत्येक रु.10 पर्णतः प्रदत्त				
आन्ध्रा बैंक, धारक कंपनी	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%

ड. विकल्प के अंतर्गत निर्गम हेतु आरक्षित शेयर :

शून्य

च. रिपोर्टिंग तारीख के तुरंत पहले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान जारी बोनस शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु जारी शेयर और वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या :

शून्य

छ. ईक्विटी/अधिमानी शेयरों के रूप में निर्गमित परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, परिवर्तन की शीघ्रतम तारीख

शून्य

ज. अप्रदत्त कॉल

शून्य

i. जब्त शेयर

शून्य

नाट नं.4- प्रारक्षिती एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
	₹	₹	₹	₹
लाभ और हानि के विवरणी में अधिशेष/ (कमी)				
अंतिम वित्तीय विवरणी के अनुसार शेष	(176,030,180)		(183,127,118)	
जोड़ : अवधि के दौरान लाभ	49,171,659		7,096,938	
अंतिम शेष		(126,858,521)		(176,030,180)
कुल प्रारक्षिती और अधिशेष		(126,858,521)		(176,030,180)



Andhra Bank Financial Services Ltd

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2012

NOTE NO.3 : SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Authorized 100,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each (Previous year: 100,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each)		100,00,000		100,00,000
Issued, Subscribed & Paid-up 50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up. (All the shares are held by the Andhra Bank and its nominees) (Previous year: 50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each)		50,00,000		50,00,000
		50,00,000		50,00,000

a. Reconciliation of the Shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	No of Shares	₹	No of Shares	₹
Equity Shares:				
At the beginning of the period	5,00,000	50,00,000	5,00,000	50,00,000
Issued during the year as fully paid	-	-	-	-
Outstanding at the end of the period	5,00,000	50,00,000	5,00,000	50,00,000

b. Terms / Rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of ₹10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

During the year ended 31st March 2012, no dividend is declared by Board of Directors. (Previous year - Nil)

c. Shares held by Holding/Ultimate holding company and/or their subsidiaries/associates:

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Andhra Bank, the Holding Company 5000,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid up (Previous year : 5000,000 Equity Shares of ₹ 10 each)		50,00,000		50,00,000

d. Details of Shareholders holding more than 5% shares in the company:

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	No of Shares	%	No of Shares	%
Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid				
Andhra Bank, holding Company	5,00,000	100.00%	5,00,000	100.00%

e. Shares reserved for issue under options: NIL

f. Aggregate number of bonus shares issued, shares issued for consideration other than cash and shares brought back during the period of five years immediately preceding the reporting date:

NIL

g. Securities convertible into equity / preference shares issued along with the earliest date of conversion:

NIL

h. Calls unpaid:

NIL

i. Forfeited Shares

NIL

NOTE NO 4 - RESERVES & SURPLUS

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Surplus/(deficit) in the Statement of Profit and Loss				
Balance as per the last financial statement	(176,030,180)		(183,127,118)	
Add: Profit for the period	49,171,659		7,096,938	
Closing Balance		(126,858,521)		(176,030,180)
Total of Reserves and Surplus		(126,858,521)		(176,030,180)



नोट सं 5 : चालू देयताएँ : व्यापार देयताएँ :

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को देयताएँ		0		0
अन्य को देयताएँ :				
i) मेसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंटस एण्ड पेपर्स लिमिटेड.	880,412		880,412	
ii) अन्य	44,120	924,532	44,120	924,532
		924,532		924,532

- i) टीएनपीएल ने 31.07.1995 को मद्रास उच्च न्यायालय में कथित दावित प्रतिफल तथा वास्तविक प्रतिफल के अंतर ₹ 5.50 करोड की राशि हेतु तथा साथ ही वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक 24% के प्रति वर्ष ब्याज दर से रु 1.88 करोड की राशि तथा व्यय हेतु एक दावा दाखिल किया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2001 को अपना निर्णय दिया और मुकदमें में वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक ₹ 1.88 करोड के राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ब्याज तथा व्यय सहित ₹ 366.02 लाख की डिक्री दी गई।

टीएनपीएल ने मद्रास उच्च न्यायालय न्याय पीठ के समक्ष व्यथित होकर ब्याज वाले भाग को नकारते हुए अपील का दूसरा हिस्सा(309/01) माना। एबीएफएसएल दावे की डिक्री से व्यथित होकर अपील के दूसरे हिस्से (328/01) को माना जो मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी(एबीएफएसएल) द्वारा डिक्री की गई ₹ 80,351 करोड राशि के तिहाई भाग ₹ 1.42 करोड के जमा किए जाने पर स्वीकार किया।

21 जनवरी, 2010 को विद्वान जजों ने टीएनपीएल की ओएसए 309/01 अस्वीकार कर दी तथा हमारी कंपनी (एबीएफएसएल) की ओएसए 328/01 को आंशिक रूप से स्वीकार किया। निर्णय के अनुसार, कंपनी (एबीएफएसएल) टीएनपीएल को 02.04.2001 से वसूली की तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज सहित ₹ 8,80,412/- देने हेतु बाध्य होगी।

उक्त आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल ने भारत के उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का एसएलपी(सी) सं. 11659-11660 दावा दाखिल किया और 01.03.2011 को अवकाश दिया गया।

इस दौरान, 05.04.2010 को, एबीएफएसएल ने 2010 को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका 2718 दायर की जिसमें उच्च न्यायालय के अनुसार एबीएफएसएल तथा टीएनपीएल द्वारा देय राशि के समायोजन के पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय में पहले जमा की गई राशि (₹ 1.42 करोड) को लागू ब्याज सहित लौटाने का निवेदन किया गया।

29.02.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एबीएफएसएल की याचिका को माना तथा उच्च न्यायालय के 21 जनवरी 2010 के न्याय के अनुसार टीएनपीएल को 08.10.2010 से पहले एबीएफएसएल को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

29.09.2010 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल मामले को उच्चतम न्यायालय ले गए जहाँ कोर्ट ने सुनवाई पर एबीएफएसएल को देय राशि को मद्रास उच्च न्यायालय में जमा कराने पर 07.10.2010 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार टी एन पी एल द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में ₹ 2.51 करोड की राशि जमा किए जाने पर एबीएफएसएल की 2010 की मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका 2718 27.10.2010 को खारिज कर दी गई।

नोट सं 6 : अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
आय कर हेतु प्रावधान- वित्तीय .वर्ष 2007 - 08		5,300,000	5,300,000	
आय कर हेतु प्रावधान- वित्तीय .वर्ष 2009 -10		1,425,059	1,425,059	
आय कर हेतु प्रावधान- वित्तीय .वर्ष 2010 -11		1,428,832	1,428,832	
आय कर हेतु एफबीटी- वित्तीय .वर्ष 2007- 08		6,800	6,800	
आय कर हेतु प्रावधान- वित्तीय .वर्ष 2011-12	17,988,021		0	
घटाएँ: वर्ष हेतु एमएटी ऋण पात्रता	5,677,308	12,310,713	0	8,160,691
दावों हेतु प्रावधान		360,736,930		360,736,930
		381,208,334		368,897,621

उक्त मूल्यांकन वर्षों हेतु मूल्यांकन का पूरा होना अभी बाकी है अतः पहले की अवधि में किए गए प्रावधान अभी तक जारी हैं।

₹ 5,677,308 के एमटीए ऋण पात्रता के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 12,310,713 के आय कर का प्रावधान किया गया है।

कंपनी ने अन्य दावों पर आपत्ति की। हाँलाकि निदेशकों ने निर्णय लिया कि आकस्मिक देयताओं पर तथा ऋण नहीं माने गए दावों पर विवेकाधार पर 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 36.07 के वर्तमान प्रावधान को जारी रखा जाएगा।



Note No 5 : CURRENT LIABILITIES : TRADE PAYABLE :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Due to Micro and Small Enterprises		0		0
Due to others :				
i) A/c M/s Tamilnadu Newsprints & Papers Ltd	880,412		880,412	
ii) others	44,120	924,532	44,120	924,532
		924,532		924,532

- i) TNPL filed a suit in the High Court of Madras on 31.07.1995, for a sum of ₹ 5.50 Crore being the difference of interest between the alleged return claimed and the actual return and further interest at 24% per annum on amount of ₹ 1.88 Crore from date of plaint till realization and for costs.

The Hon'ble High Court passed the judgment on 2nd April 2001 and the suit was decreed for a sum of ₹ 366.02 lakhs together with interest at 12% p.a. on the sum of ₹ 1.88 Crore from the date of judgment till realization and for costs.

TNPL, aggrieved by the disallowed portion of the interest has preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court.

ABFSL, aggrieved by the decreeing of the Suit, preferred other side appeal (328/01), which was admitted by the Division Bench of Madras High Court on depositing of ₹1.42 Crore and ₹ 80,351 being one third of the decretal amount by the Company (ABFSL).

On 21st January 2010, the Learned Judges were pleased to dismiss the OSA 309/01 preferred by TNPL and were pleased to partly allow OSA 328/01 preferred by our Company (ABFSL). As per the Judgment, the Company (ABFSL) is liable to pay ₹ 8,80,412/- along with interest at 12% p.a. from 02.04.2001 to TNPL till the date of realization.

Aggrieved by the said order, TNPL filed SLP (C) No 11659-11660 of 2010 before Hon'ble Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2011.

In the meantime, on 05.04.2010, ABFSL filed a petition 2718 of 2010 in Madras High Court, with a request to refund the money deposited earlier in the Madras High Court (₹ 1.42 Crore) along with applicable interest, after adjustment of money to be paid by the ABFSL to TNPL as per High Court order.

The petition of ABFSL was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered TNPL to pay the amount to ABFSL before 08.10.2010 as per the High Court Judgment dt. 21st January 2010.

Aggrieved by the said order of Madras High Court dt. 29.09.2010, TNPL moved the matter in the Hon'ble Supreme Court of India and after hearings the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to depositing the amount payable to ABFSL in Madras High Court.

The petition of ABFSL 2718 of 2010 at Madras High Court was closed on 27.10.2010, on depositing a sum of ₹ 2.51 Crore by TNPL in Madras High Court as per the direction of Hon'ble Supreme Court of India.

NOTE No : 6 : SHORT TERM PROVISIONS

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Provision for Income Tax - F.Y 2007- 08		5,300,000	5,300,000	
Provision for Income Tax - F.Y 2009 -10		1,425,059	1,425,059	
Provision for Income Tax - F.Y 2010 -11		1,428,832	1,428,832	
Provision for for FBT - F.Y 2007- 08		6,800	6,800	
Provision for Income Tax - F.Y 2011-12	17,988,021		0	
Less: MAT Credit Entitlement for the year	5,677,308	12,310,713	0	8,160,691
Provision for Claims		360,736,930		360,736,930
		381,208,334		368,897,621

The assessment for the above Asst years are yet to be finalised hence the provisions made in earlier period is continuing. Provision for Income Tax for the financial year 2011.12 is made ₹ 12,310,713 after considering the MAT credit entitlement of ₹ 5,677,308.

The Company disputed the other claims. However the directors have decided to continue the existing provision of ₹ 36.07 Crore made on contingent liabilities and claims not acknowledged as debts on prudent basis for the financial year ending 31.03.2012.



नोट सं 7: गैर चालू आस्तियाँ : अचल आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ

विवरण	31.12.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(क) स्वत्व आस्तियाँ				
कार्यालय उपस्कार	7,270		7,270	
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	35,791		35,791	
कंप्यूटर	12,500		12,500	
(ख) पट्टे पर दी गई आस्तियाँ :				
प्लॉट व मशीनरी	3,126,392		3,126,392	
सकल ब्लॉक		3,181,953	3,181,953	3,181,953
घटाएँ: संग्रहित मूल्यहास		3,181,171	3,180,453	3,180,453
निवल ब्लॉक		782		1,500

मार्च 31, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु मूल्यहास विवरण कंपनी अधिनियम 1956 (एस एलएम) के अनुसूची VI के अनुसार

नोट : 7 : गैर चालू आस्तियाँ: अचल आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ

आस्तियों का प्रकार	सकल ब्लाक				मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
	01.04.2011 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अपमार्जन	31.03.2012 को कुल	01.04.2011 तक का कुल	वर्ष हेतु	31.03.2012 तक का कुल	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
क: स्वत्व आस्तियाँ									
कार्यालय उपस्कार	7270	0	0	7270	6487	345	6832	438	783
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	35791	0	0	35791	35076	373	35449	342	715
कंप्यूटर	12500	0	0	12500	12499	0	12499	1	1
कुल स्वत्व आस्तियाँ	55561	0	0	55561	54062	718	54780	781	1499
ख: पट्टे पर दी गई आस्तियाँ									
प्लॉट व मशीनरी	3126392	0	0	3126392	3126391	0	3126391	1	1
क + ख का कुल	3181953	0	0	3181953	3180453	718	3181171	782	1500
गत वर्ष	3181953	0	0	3181953	3179735	718	3180453	1500	2218

दिल्ली उच्च न्यायालय में मेसर्स इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध अक्टूबर 1992 से पट्टेदारी किराए ₹ 45.29 लाख के नकदीकरण हेतु दाखिल दावा तीसरे मध्यस्थ के नियुक्ति के अभाव में लंबित है। इस दौरान मेसर्स इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोर्ड के समक्ष औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना (बीआईएफआर) का एक प्रस्ताव रखा। कंपनी (एबीएफएसएल) ने बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष एक याचिका दायर की जिसने कंपनी(एबीएफएसएल) को इंकैब लैब की पट्टेकृत मशीनरी का कब्जा करने की अनुमति दी। परंतु कर्मचारी संघ ने मशीनरी ले जाने का इस निवेदन के साथ विरोध किया कि कुछ पार्टियां इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु बातचीत कर रही हैं। मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास प्रारूप योजना (डीआरएस) को 23.03.2012 को परिचालन एजेंसी द्वारा (भारतीय स्टेट बैंक, स्ट्रेस मैनेजमेंट शाखा, कोलकोता) परिचालित किया गया जिसपर जल्द ही आयोजित की जानेवाली बैठक में चर्चा की जाएगी। उक्त पुनर्वास के दृष्टिगत प्रक्रिया अभी भी बीआईएफआर के समक्ष प्रक्रियागत है।

चूंकि 31.03.2012 तक मशीनरी की परिवहन लागत ₹ 1/- है तथा निर्धारित-लागत से कहीं कम है, मशीनरी पर कोई अनर्जक हानि नहीं है।



Note No 7 : NON CURRENT ASSETS: FIXED ASSETS : TANGIBLE

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
(a) OWNED ASSETS				
Office Equipment	7,270		7,270	
Furniture & Fittings	35,791		35,791	
Computers	12,500		12,500	
(b) ASSETS GIVEN ON LEASE :				
Plant & Machinery	3,126,392		3,126,392	
Gross Block		3,181,953	3,181,953	3,181,953
Less : Accumulated Depreciation		3,181,171	3,180,453	3,180,453
Net Block		782		1,500

DEPRECIATION STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012 As per Schedule VI of the Companies Act 1956 (SLM)

NOTE : 7 : NON CURRENT ASSETS: FIXED ASSETS : TANGIBLE

Nature of Assets	Gross Block				Depreciation			Net Block	
	Balance as on 01.04.2011	Additions during the year	Deletions	Total as on 31.03.2012	Total up to 01.04.2011	For the year	Total up to 31.03.2012	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
A: Owned Assets									
Office Equipment	7270	0	0	7270	6487	345	6832	438	783
Furniture & Fittings	35791	0	0	35791	35076	373	35449	342	715
Computers	12500	0	0	12500	12499	0	12499	1	1
Total Owned Assets	55561	0	0	55561	54062	718	54780	781	1499
B: Assets given on Lease									
Plant & Machinery	3126392	0	0	3126392	3126391	0	3126391	1	1
Total of A + B	3181953	0	0	3181953	3180453	718	3181171	782	1500
Previous Year	3181953	0	0	3181953	3179735	718	3180453	1500	2218

The suit filed against M/s. Incab Industries Ltd in Delhi High Court, for realization of lease rentals since October 1992 amounting to ₹ 45.29 lacs, is pending for appointment of the third arbitrator. In the mean time M/s Incab Industries Ltd., submitted a proposal before the Board for Industrial and Financial Reconstruction [BIFR]. The Company (ABFSL) filed a petition before the Board [BIFR] who has permitted the Company (ABFSL) to take possession of the leased machinery with Incab Industries Ltd. But the workers union is protesting to take the machinery with a plea that some interested parties are negotiating for takeover of Incab Industries Ltd. The draft Rehabilitation Scheme (DRS) submitted by M/s Tata Steel Ltd has been circulated on 23.03.2012 by the operating Agency (State Bank of India, Stressed Asset Management Branch, Kolkata) which would be discussed in the meeting to be held shortly. In view of the above the Rehabilitation process is still under process before BIFR. As such the matter is deferred for some more time.

As the carrying cost of the machinery is ₹ 1/- on 31.03.2012 and is much below the valued cost, there is no impairment loss on the machinery.



नोट सं: 8 : व्यापारगत स्टॉक: शेयरों एवं प्रतिभूतियों का स्टॉक

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
निर्दिष्ट भाव वाले शेयर की कुल राशि - कीमत पर मूल्यांकित अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर सूची से इतर प्रतिभूतियों की कुल राशि - एक रुपए पर मूल्यांकित	143853		116401	
	195456	339309	195456	311857

निर्दिष्ट भाव वाले शेयर तथा सूची से इतर प्रतिभूतियों के बीच अंतर 31.03.2012 को व्यापार के लेनदेन पर बीएसई/एनएसई बुलेटिन पर आधारित है। साथ ही यदि ऐसे शेयर अगर 31.03.2012 से तीन माह की अवधि से पहले बेचे/खरीदे गए नहीं हैं तो शेयर सूची से इतर श्रेणीकृत किए जाते हैं।

मात्रा वार	01.04.2011 को प्रारंभिक स्टॉक 01.04.11 मात्रा	प्रारंभिक स्टॉक 01.04.11 ₹	खरीद/परिवर्धन	खरीद/प्रतिफल/अपमार्जन	विक्रय	अंतिम स्टॉक 31.03.12 मात्रा	अंतिम स्टॉक 31.03.12 ₹
पूर्णतः चुकता ईक्विटी शेयर	2,16,742		-	-	-	2,16,742	3,39,309
(गत वर्ष के आँकड़े)	(2,16,742)	3,82,720	-	-	-	(2,16,742)	3,11,857

31.03.2012 के अनुसार बकाया शेयरों की सूची

क: मूर्त रुप में शेयर:

स्क्रिप्ट/ईक्विटी शेयर का नाम	मात्रा 31.03.2012 ₹	कीमत ₹	कीमत का मूल्य ₹	बाजार दर 31.03.2012 ₹	बाजार मूल्य 31.03.2012 ₹	कीमत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो 31.03.2012 ₹
आधुनिक सिंथेटिक्स लिमिटेड	3,000	50	150000	1	3000	3000
अखिल सिरामेक्स लिमिटेड	5,000	28.75	143750	1	5000	5000
अलैंबस् लिमिटेड	5,000	150	750000	1	5000	5000
आर्यन फाइनेंशियल लिमिटेड	11,400	56.25	641250	1	11400	11400
भीष्म रियाल्टी लिमिटेड	3	-	0	-	0	0
कैपरीकॉन रियाल्टी लिमिटेड	3	-	0	-	0	0
सीफेम औरगेनिक्स लिमिटेड	6,600	40	264000	1	6600	6600
धार सीमेंट लिमिटेड	20,300	100	2030000	1	20300	20300
ईलेक्ट्रा (इंडिया) लिमिटेड	3,300	37.5	123750	1	3300	3300
गुजरात टेलिफोन केबलस् लिमिटेड (डीमैट हेतु एसएचसीआईएल)	46,850	28.75	1352688	1	46850	46850
एच एम जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4,600	87.5	402500	1	4600	4600
इंडो गल्फ एक्सप्लोरेशन्स लिमिटेड / (इंडो गल्फ कोर्पो लिमिटेड)	4,850	130	630500	1	4850	4850
कुनाल इंजीनियरिंग को. लिमिटेड	450	170	76500	1	450	450
निरंजन पिरामल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	8,333	1	8333	1	8333	8333
नोवा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स लिमिटेड	55,400	51.25	2839250	1	55400	55400
प्रेस्टीज फूड्स लिमिटेड	2,700	145	391500	1	2700	2700
प्रेस्टीज एचएम - पौली कंटेनर्स लिमिटेड	5,000	42.5	212500	1	5000	5000
प्यारेलाल टेक्सटाइल लिमिटेड	8,333	1	8333	1	8333	8333
रामपुर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	240	80	19200	1	240	240
श्री इशर अलौय स्टील्स लिमिटेड.	2,000	67.5	135000	1	2000	2000
सिपानी ऑटो मोबाइल्स लिमिटेड	2,100	50	105000	1	2100	2100
	195462		10284054		195456	195456

ख: शेयर, जो 31.03.2012 के अनुसार अमूर्तिकृत स्वरूप में हैं

एशनूर टेक्सटाइल लिमिटेड	21,280	89.29	1900000	6.76	143853	143853
क एवं ख का कुल	216,742		12184054		339309	339309



Note No : 8 : STOCK IN TRADE : STOCK OF SHARES & SECURITIES

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Aggregate amount of quoted share - Valued at Cost or Market value whichever is less	143853		116401	
Aggregate amount of unquoted shares - Valued at Rupee one	195456	339309	195456	311857

Segregation between quoted and unquoted share is made on BSE / NSE Bulletin for the Business transacted on 31.03.2012. Further the shares are classified as unquoted, if such shares are not traded during three months period before 31.03.2012.

Quantity wise	Opening Stock 01.04.11	Opening stock 01.04.11	Purchases/ Additions	Purchase/ Returns/ Deletions	Sales	Closing stock 31.03.12	Closing stock 31.03.12
	Qty.	₹				Qty.	₹
Equity Shares fully paid up	2,16,742		-	-	-	2,16,742	3,39,309
(Previous Years figures)	(2,16,742)	3,82,720	-	-	-	(2,16,742)	3,11,857

List of outstanding shares as on 31.03.2012

A: Shares, which are in physical form:

Name of the Scrip/ EquityShares	Quantity 31.03.2012 ₹	Cost ₹	Cost Value ₹	Mkt. Rate 31.03.2012 ₹	Mkt. Value 31.03.2012 ₹	Cost or Mkt Value whichever is less 31.03.2012 ₹
Adhunik Synthetics Ltd	3,000	50	150000	1	3000	3000
Akhil Ceramics Ltd.	5,000	28.75	143750	1	5000	5000
Arlabs Ltd.	5,000	150	750000	1	5000	5000
Aryan Finefab Ltd.	11,400	56.25	641250	1	11400	11400
Bhishma Realty Ltd.	3	-	0	-	0	0
Capricorn Realty Ltd.	3	-	0	-	0	0
Cepharm Organics Ltd.	6,600	40	264000	1	6600	6600
Dhar Cement Ltd.	20,300	100	2030000	1	20300	20300
Electra (India) Ltd.	3,300	37.5	123750	1	3300	3300
Gujarat Telephone Cables Ltd. (sent to SHCIL for Demat)	46,850	28.75	1352688	1	46850	46850
HMG Industries Ltd.	4,600	87.5	402500	1	4600	4600
Indo Gulf Explosives Ltd./ (Indo Gulf Corp Ltd)	4,850	130	630500	1	4850	4850
Kunal Engineering Co. Ltd.	450	170	76500	1	450	450
Niranjan Piramal Textile Mills Ltd	8,333	1	8333	1	8333	8333
Nova Electro Magnetism Ltd.	55,400	51.25	2839250	1	55400	55400
Prestige Foods Ltd.	2,700	145	391500	1	2700	2700
Prestige HM-Poly containers Ltd.	5,000	42.5	212500	1	5000	5000
Pyarelal Textile Ltd.	8,333	1	8333	1	8333	8333
Rampur Fertilizers Ltd.	240	80	19200	1	240	240
Shri Ishar Alloy Steels Ltd.	2,000	67.5	135000	1	2000	2000
Sipani Auto Mobiles Ltd.	2,100	50	105000	1	2100	2100
	195462		10284054		195456	195456

B: Shares, which are in dematerialized form as on 31.03.2012

Ashnoor Textile Mills Ltd.	21,280	89.29	1900000	6.76	143853	143853
Total of A and B	216,742		12184054		339309	339309



नोट सं 9 : व्यापार प्राप्य :

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूतित, सदिग्ध माने गए इकेब इंडस्ट्रीज लिमिटेड खाते (संदर्भ सं 7)	1,435,014		1,435,014	
घटाएँ : अशोध्य एवं सदिग्ध प्राप्य हेतु प्राप्य	1,435,014	0	1,435,014	0
		0		0

नोट सं 10 : नकद एवं नकद समतुल्य :

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(i) बैंक के पास शेष ; चालू खाते में		969,380		2,246,735
(ii) बैंक जमाएँ (क) 12 माह की परिपक्वता तक : (ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता	170,500,000 9,500,000	180,000,000	2,000,000 127,500,000	129,500,000
		180,969,380		131,746,735

नोट सं 11 : अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम :

विवरण	31.03.2012 के अनुसार		31.03.2011 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण तथा अग्रिम		0		0
(ख) अन्य - अरक्षित, अच्छा माना गया:				
i) प्रदत्त अग्रिम आय कर		118,072,033		107,172,033
ii) अग्रिम कर-अनुषंगी लाभ (मूल्यांकन .वर्ष 2008.09)		6,800		6,800
iii) ब्याज आय पर टीडीएस		5,755,041		4,522,048
iv) वकीलों को अग्रिम	100,000		0	0
v) टेलीफोन विभाग के पास जमा	31,000	131,000	31,000	31,000
		123,964,874		111,731,881

अग्रिम आय कर भुगतान का विवरण - वर्षवार :

वित्तीय वर्ष	संबंधित मूल्यांकन वर्ष	31.03.2012	31.03.2011
		₹	₹
1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
2009-10	2010-11	501,110	501,110
2010-11	2011-12	620,000	620,000
2011-12	2012-13	10,900,000	0
		118,072,033	107,172,033

टीडीएस का विवरण - वर्ष वार

वित्तीय वर्ष	संबंधित मूल्यांकन वर्ष	31.03.2012	31.03.2011
		₹	₹
1995-96	1996-97	819,506	819,506
1997-98	1998-99	0	176,618
1999-00	2000-01	15,232	15,232
2002-03	2003-04	0	58,037
2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
2008-09	2009-10	106,836	106,836
2009-10	2010-11	1,032,903	1,032,903
2010-11	2011-12	970,202	970,202
2011-12	2012-13	1,467,648	0
		5,755,041	4,522,048

आय कर धनवापसी :

- क) कंपनी ने आयकर विभाग से 2004-05 मूल्यांकन वर्ष हेतु आय कर अधिनियम 1961 के यू/एस 154 के अंतर्गत दिनांक 14.06.2011 के आदेश द्वारा ₹ 174 की राशि वापस प्राप्त की।
- ख) कंपनी ने आयकर विभाग से 2003-04 मूल्यांकन वर्ष हेतु आय कर अधिनियम 1961 के यू/एस 154 के अंतर्गत दिनांक 20.06.2011 के आदेश द्वारा ₹ 74,081 की राशि वापस प्राप्त की।
- ग) साथ ही कंपनी ने 1995-96 मूल्यांकन वर्ष हेतु आय कर अधिनियम 1961 के यू/एस 154 के अंतर्गत दिनांक 24.06.2011 के आदेश द्वारा ₹ 1,73,544 की राशि वापस प्राप्त की।



Note No 9 : TRADE RECEIVABLES :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Trade receivables - Unsecured, cosidered doubtful a/c incab industries Ltd (Ref Note No 7)	1,435,014		1,435,014	
Less : Provision for bad & doubtful receivables	1,435,014	0	1,435,014	0
		0		0

Note No 10 : CASH AND CASH EQUIVALENTS :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
(i) Balances with Banks ; In Current Account		969,380		2,246,735
(ii) Bank Deposits				
(a) Up to 12 Months Maturity :	170,500,000		2,000,000	
(b) More than 12 Months maturity	9,500,000	180,000,000	127,500,000	129,500,000
		180,969,380		131,746,735

Note No 11 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
(a) Loans and advances to related parties		0		0
(b) Others - Unsecured, considered good:				
i) Advance Income Tax paid		118,072,033		107,172,033
ii) Advance Tax-Fringe Benefit (A.Y 2008.09)		6,800		6,800
iii) TDS on Interest income		5,755,041		4,522,048
iv) Advance to Advocates	100,000		0	0
v) Deposit with Telephones Department	31,000	131,000	31,000	31,000
		123,964,874		111,731,881

Details of advance Income Tax Payment - Year wise :

Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2012	31.03.2011
		₹	₹
1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
2009-10	2010-11	501,110	501,110
2010-11	2011-12	620,000	620,000
2011-12	2012-13	10,900,000	0
		118,072,033	107,172,033

Details of the TDS - Year wise

Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2012	31.03.2011
		₹	₹
1995-96	1996-97	819,506	819,506
1997-98	1998-99	0	176,618
1999-00	2000-01	15,232	15,232
2002-03	2003-04	0	58,037
2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
2008-09	2009-10	106,836	106,836
2009-10	2010-11	1,032,903	1,032,903
2010-11	2011-12	970,202	970,202
2011-12	2012-13	1,467,648	0
		5,755,041	4,522,048

Income Tax refunds :

- The company received a refund of ₹ 174 through an order dated 14. 06.2011 u/s 154 of the Income Tax act 1961 relating to the asst Year 2004.05 from the Income Tax department.
- The company received a refund of ₹ 74,081 through an order dated 20.06.2011 u/s 154 of the Income Tax Act 1961 relating to the Asst Year 2003.04 from the Income Tax department.
- Further the company also received a refund of ₹ 1,73,544/- by way of an order dated 24.06.2011 u/s154 of the Income Tax Act 1961 relating to the Asst Year 1995.96.



टिप्पणी सं. :12 :प्रासंगिक देयताएँ एवं करार: (जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया)

विवरण	31.03.2012 तक		31.03.2011 तक	
	₹	₹	₹	₹
(i) प्रासंगिक देयताएँ :				
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा गया :				
क) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एस सी बी)		400,246,575		918,500,000
एस सी बी ने कंपनी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया तथा मामला माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई में है.				
ख) तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि.		24,600,000		24,600,000
ग) अपील में मूल्यांकन वर्ष से संबंधित आय कर	102,150,923	102,150,923	107,172,033	
घ) आय कर मांग - मूल्यांकन वर्ष 2008.09			500,000	107,672,033
		526,997,498		1,050,772,033

क) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) ने आंध्र बैंक तथा एबीएफएसएल के विरुद्ध 15.12.1992 को मुकदमा दायर किया है जिसमें अभियोग लगाया गया है कि उन्होंने पाँच लेनदेनों में ₹ 1057282829 का भुगतान किया जिनके लिए स्टॉक तथा / या प्रतिभूतियाँ प्राप्त नहीं हुईं. इसके बाद अक्टूबर 1997 के दौरान एस सी बी ने सूचित किया कि ₹ 243,678,371 के पीएफसी बांडों के एक 9% के लेनेदेन के लिए अपने दावा द्वारा जोर नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा वादी (एस सी बी) की ओर से 19.06.2001 को माननीय विशेष न्यायालय, मुंबई के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि दिसम्बर 1992 के वाद पत्र में संदर्भित शेष चार लेनदेनों में से एस सी बी ₹ 35 करोड़ सह ब्याज की केनट्रिपल यूनिटों से संबंधित लेनदेन को छोड़कर अन्य लेनदेनों पर जोर देना नहीं चाहता. यह तथ्य माननीय न्यायालय के 09.09.2011 के आदेश में दर्ज किया गया जिसमें यह इंगित किया गया है कि वादी अर्थात् एस सी बी ने केनट्रिपल यूनिटों को छोड़कर लेनदेनों के संबंध में अपना दावा छोड़ दिया है. (₹ 400,246,575)

अब वादियों की ओर से तैयार की गई समस्याएँ केवल वादियों अर्थात् एस सी बी और प्रतिवादी सं.3 हितेन पी.दलाल के बीच हैं. वादी एस सी बी और अभिरक्षक अर्थात् प्रतिवादी सं.4 के बीच अलग समस्याएँ उठाई गई हैं. प्रतिवादियों तथा ए बी एफ एस एल के बीच कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है. उक्त के दृष्टिगत दर्शायी गयी प्रासंगिक देयता तदनुसार संशोधित की गई.

ख) टी एन पी एल द्वारा प्रस्तुत सिविल मुकदमा के प्रति उच्चतम न्यायालय में अब अपील प्रस्तुत है. (संदर्भ टिप्पणी सं 5)

आय कर :

ग) **आय कर अपील :** कंपनी ने मूल्यांकन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तथा 1999-00 के लिए अपील प्रस्तुत की है जो माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के समक्ष अनिर्णीत हैं. इन मुल्यवी अपीलों के निपटान के प्रति अग्रिम कर तथा स्व मूल्यांकन कर का भुगतान किया गया तथा विभाग द्वारा धनवापसी में से समायोजित कर बकाया है.

घ) **मूल्यांकन वर्ष 2008-09:** कंपनी (ए बी एफ एस एल) को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत ₹ 5,28,790/- की मांग करते हुए सूचना प्राप्त हुई जिसमें आय कर विभाग ने बैंकों द्वारा किए गए सभी टी डी एस भुगतान / की गई वसूलियों तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) द्वारा किए गए आय कर भुगतानों पर विचार नहीं किया. कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने मूल टी डी एस प्रमाणपत्रों तथा आय कर विभाग को एफ बी टी के विप्रेषण संबंधी अध पन्नों की प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी करें. कंपनी की और भुगतान करने की कोई कर देयता नहीं है. अतः पिछले वर्ष दर्शायी गई ₹ 500000/- की राशि हटा दी गई है.कंपनी (ए बी एफ एस एल) संशोधित आदेश की प्रतीक्षा कर रही है

अन्य मामले :

1) अन्तर कार्पोरेट जमाओं पर ब्याज - खाता मेसर्स कुदरेमुख अयर्न ओर कं. लि. कंपनी (ए बी एफ एस एल) तथा मेसर्स कुदरेमुख अयर्न ओर कं. लि.(के आई ओ सी एल) के बीच विवाद वर्ष 2003-2004 में निपटा दिया गया. फिरभी, के आई ओ सी एल ने अन्तर कार्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राप्य अधिशेष , यदि हो, तो अन्य पी एस यू के साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है.

2) कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने मेसर्स मिश्र धातु निगम लि (मिधानी) द्वारा प्रस्तुत ₹ 4.00 करोड़ की अन्तर कार्पोरेट जमाओं को संविदात्मक तिथि तक ब्याज सहित पुनर्भुगतान 1997 में कर दिया है. मिधानी ने 1997 में पूर्ण एवं अंतिम निपटान स्वरूप प्राप्ति की पावती दी है. फिरभी, मिधानी ने संविदात्मक तिथि के बाद ब्याज के लिए बाद में अपना दावा प्रस्तुत किया है. कंपनी (ए बी एफ एस एल) द्वारा ब्याज का भुगतान करने या पावती देने की बात को तिरस्कार किए जाने पर मिधानी ने विवाद समिति (सीओडी) से संपर्क किया जिसने मिधानी को निदेश दिया कि स्थायी विवादक तंत्र (पी एम ए) से संपर्क करें जिनके पास मामला अनिर्णीत है. कंपनी (ए बी एफ एस एल) का विधिक मत है कि मिधानी का दावा स्वीकार्य नहीं है , अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

3) वर्ष 1994 के दौरान कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने दिल्ली वित्तीय निगम को आई सी डी 153 तथा 155 प्रत्येक की मूल राशि ₹ 100 लाख का भुगतान दिनांक 28/09/1994 की इस करार के साथ किया कि सभी अन्य पी एस यू की मूल राशि एवं ब्याज राशि का पुनर्भुगतान करने के बाद देय तिथि तक संविदात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा. संविदात्मक अवधि के लिए ₹ 7,08,000/- ब्याज का दावा था तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने 9/08/2004 को राशि का भुगतान कर दिया. फिरभी दिल्ली वित्तीय निगम ने अन्तर कार्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राप्य अधिशेष , यदि हो, तो अन्य पी एस यू के साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है.

टिप्पणी सं : 13 :

क) इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए कोई लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया . (पिछला वर्ष: कुछ नहीं)

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रतिभूति जारी नहीं की है. (पिछला वर्ष :कुछ नहीं)



Note No :12 :CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS : (to the extent not provided for)

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
(i) Contingent Liabilities : Claims against the company not acknowledged as debts :				
a) Standard Chartered Bank (SCB) The SCB filed suit against the Company and the matter is in the Hon'ble Special Court, Mumbai.		400,246,575		918,500,000
b) Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd		24,600,000		24,600,000
c) Income Tax relating to the asst years in appeal	102,150,923	102,150,923	107,172,033	
d) Income Tax demand - Asst Year 2008.09			500,000	107,672,033
		526,997,498		1,050,772,033

a) Standard Chartered Bank (SCB) filed a suit on 15.12.1992 against Andhra Bank & ABFSL alleging that it has paid ₹ 1057282829 in five transactions for which they have not received stocks and/or securities. Later during October 1997 SCB informed that they will not be pressing their claim pertaining to one transaction of 9% PFC Bonds of ₹ 243,678,371. Further on be half of the plaintiff (SCB) it was submitted on 19.06.2011 to the Hon'ble Special Court, Mumbai that out of the remaining four transactions referred in the plaint of December 1992, SCB does not wish to press other transactions other than the transaction relating to CANTRIPLE Units of ₹ 35 Crore plus interest. This fact was recorded in the Hon'ble Court in its order dated 09.09.2011 indicating that the Plaintiff i.e. SCB has given up its claim in respect of the transactions except CANTRIPLE Units. (₹ 400,246,575)

Now the issues prepared on behalf of the Plaintiffs are only between the Plaintiffs i.e. SCB and Defendant No 3 i.e. Hiten P.Dalal. Separate issues were raised between Plaintiff SCB and the Custodian i.e. Defendant No 4. No issue has been raised as between the Plaintiffs and ABFSL. In view of the above the contingent liability shown was revised accordingly.

b) The Civil Suit filed by the TNPL is now on appeal before the supreme court. (Ref Note No 5)

INCOME TAX :

c) **Income Tax Appeals :** The Company (ABFSL) had gone on appeals for the Asst. Years 1993-94 to 1997-98 & 1999.00 which are pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Pending disposal of these appeals the advance Tax and Self Asst.Taxes paid and taxes adjusted out of refunds by the department are outstanding.

d) **Assessment Year 2008-09:** The Company (ABFSL) received on 12.03.2010 an intimation U/s 143(1) of Income Tax Act, 1961 with a demand of ₹ 5,28,790/- , wherein IT Department has not taken into consideration all TDS remittances / recovered by Bankers and the FBT & Income Tax remittances made by Company (ABFSL). The Company (ABFSL) submitted detailed proofs of original TDS certificates and copies of the Counterfoils remitting the FBT to Income Tax Department with a request to issue modified order U/s 154 of IT Act, 1961. there is no tax liability for the company to pay further. Hence the amount of ₹ 500000/- shown in the last year is removed. The Company (ABFSL) is waiting for the modified order.

Other matters :

1. Interest on Inter Corporate Deposits A/c M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd. The dispute between the Company (ABFSL) and M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd [KIOCL] was settled during the year 2003-04. However, KIOCL has reserved right to claim on pro-rata basis along with other PSU's in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of Inter Corporate Deposits up to the date of payment.
- 2) The Company (ABFSL) repaid in 1997 the total Inter Corporate Deposits of ₹ 4.00 Crore placed in 1992 by M/s Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI) with interest up to the contracted date. MIDHANI acknowledged the receipt as full and final settlement in 1997. However, MIDHANI, subsequently, has made a claim for interest after the contracted date. On refusal by the Company (ABFSL) to acknowledge or pay the interest, MIDHANI has approached the Committee on Disputes (COD) who directed the MIDHANI to Permanent Machinery of Arbitration (PMA) with whom the matter is pending. The Company (ABFSL) has legal opinion saying that the claim of MIDHANI is not sustainable and hence no provision has been made.
- 3) During the year 1994 the Company (ABFSL) has paid the amounts of ICD 153 & 155 to Delhi Financial Corporation to the extent of principal sum of ₹ 100 lacs each, with an agreement dt.28/9/1994 that the contracted interest up to due date shall be paid after paying the Principal and Interest amount of ICD to all other PSU's. There was a claim for interest of ₹ 7,08,000/- for the contracted period and the Company (ABFSL) has paid the same on 9/08/2004. However Delhi Financial Corporation has reserved the right to claim on prorata basis along with other PSUs in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of ICD's to date of payment.

NOTE No : 13 :

- a) No dividend has been proposed to be distributed to the Equity shareholders for the year. (Previous year: Nil)
- b) The company has not issued any securities during the year for any specific purpose. (Previous Year : Nil)


टिप्पणी सं. 14 - परिचालनों से राजस्व

विवरण	अप्रैल 1, 2011 से मार्च 31, 2012 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2010 से मार्च 31, 2011 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
क) ब्याज आय				
(i) बैंक जमा राशियों पर	14,676,479		9,703,497	
(ii) 03.08.2011 के उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त ब्याज वापसी	49,000,000		0	
(iii) आई.टी. धनवापसियों पर ब्याज	69530	63746009	3754501	13,457,998
ख) अन्य आय :				
i) लाभांश आय				
- कंपनियों से	9,036	9,036	7,500	7,500
ii) निवेश व्यवसाय :				
प्रारंभिक स्टॉक	311,857		382,720	
शेयरों के स्टॉक की बिक्री	0		0	
कार्टे : अंतिम स्टॉक	339,309		311,857	
उपार्जन /निवेश की निवल राशि		27,452		-70,863
		63,782,497		13,394,635

03.08.2011 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश एवं आदेशानुसार तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर्स लि तथा ए बी एफ एस एल के बीच आई सी डी पर ब्याज संबंधी समस्या का निपटान किया गया तथा वर्ष के दौरान ब्याज स्वरूप ₹ 49000000 की धनवापसी प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान इस मद को ब्याज आय के रूप में माना गया तथा असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है.



NOTE NO. 14 - REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the period April 1, 2011 to March 31, 2012		For the period April 1, 2010 to March 31, 2011	
	₹	₹	₹	₹
a) Interest Income				
(i) On Bank Deposits	14,676,479		9,703,497	
(ii) Interest refund received as per Supreme Court order dated 03.08.2011	49,000,000		0	
(iii) Interest on I.T Refunds	69530	63746009	3754501	13,457,998
b) Other Income :				
i) Dividend Income				
- From Companies	9,036	9,036	7,500	7,500
ii) Investment Business :				
Opening Stock	311,857		382,720	
Sale of stock of shares	0		0	
Less : Closing Stock	339,309		311,857	
Earnings / Net of Investments		27,452		-70,863
		63,782,497		13,394,635

As per the directions and order of the Hon'ble Supreme Court dated 03.08.2011 the issue between the Tamilnadu News Print & Papers Ltd and ABFSL relating to the interest on ICDs was settled and received a refund by way of an interest amount of ₹ 49000000 during the year. This amount is treated as an interest income during the year and shown as an extraordinary item.


टिप्पणी सं 15 :- कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	अप्रैल 1, 2011 से मार्च 31, 2012 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2010 से मार्च 31, 2011 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
वेतन एवं भत्ते	774,079		814,831	
एल टी सी तथा छुट्टी की भुनाई	0		55,066	
भविष्य निधि / पेंशन निधि को अंशदान (आन्ध्रा बैंक)	46,535		74,519	
कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना	0	0	0	0
ग्रेज्युटी व्यय	39,828		36,254	
स्टाफ क्वार्टर के लिए किराया	74,457		75,752	
कर्मचारी कल्याण व्यय	30,090	964,989	26,403	1,082,825
		964,989		1,082,825

टिप्पणी सं : 16 : प्रशासनिक एवं अन्य व्यय

विवरण	अप्रैल 1, 2011 से मार्च 31, 2012 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2010 से मार्च 31, 2011 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
यात्रा एवं सवारी व्यय	85,583		181,247	
कार्यालय परिसर हेतु किराया	24,000		24,000	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	22,162		14,393	
डाक व्यय एवं टेलीफोन	14,320		10,987	
		146,065		230,627
		146,065		230,627

टिप्पणी सं.17 :- अन्य व्यय

विवरण	अप्रैल 1, 2011 से मार्च 31, 2012 तक की अवधि के लिए		अप्रैल 1, 2010 से मार्च 31, 2011 तक की अवधि के लिए	
	₹	₹	₹	₹
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षक के रूप में	27,575		27,575	
कर लेखा परीक्षा हेतु	16,545		16,545	
विधिक एवं व्यवसाय व्यय	1,060,344		3,309,853	
व्यय की प्रतिपूर्ति	0		4,188	
फाइल करने हेतु शुल्क	7,060		16,665	
विविध व्यय	20,443	1,131,967	21,579	3,396,405
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	0	0		977,327
		1,131,967		4,373,732

कंपनी में कार्यरत स्टाफ आन्ध्रा बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा वे समय समय पर आन्ध्रा बैंक अधिकारी सेवा विनियम (एबीओएसआर) के अनुसार कर्मचारी लाभ हेतु पात्रता रखते हैं तथा तदनुसार भुगतान किया जाता है / आन्ध्रा बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। लागू सीमा तक भविष्य निधि / पेंशन निधि को अंशदान तथा ग्रेज्युटी को समानुपातिक राशि का भी भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा कोई अलग निधि नहीं बनाए रखी जाती है।



NOTE NO.15 :- EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the period April 1, 2011 to March 31, 2012		For the period April 1, 2010 to March 31, 2011	
	₹	₹	₹	₹
Salaries & Allowances	774,079		814,831	
LTC & Leave Encashment	0		55,066	
Contribution to Provident / Pension Fund (Andhra Bank)	46,535		74,519	
Employee Stock Option Scheme	0	0	0	0
Gratuity Expense	39,828		36,254	
Rent for Quarters -staff	74,457		75,752	
Staff welfare expenses	30,090	964,989	26,403	1,082,825
		964,989		1,082,825

NOTE No : 16 : ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES

Particulars	For the period April 1, 2011 to March 31, 2012		For the period April 1, 2010 to March 31, 2011	
	₹	₹	₹	₹
Travelling & Conveyance	85,583		181,247	
Rent for office premises	24,000		24,000	
Printing & stationery	22,162		14,393	
Postage & Telephones	14,320		10,987	
		146,065		230,627
		146,065		230,627

NOTE NO.17 :- OTHER EXPENSES

Particulars	For the period April 1, 2011 to March 31, 2012		For the period April 1, 2010 to March 31, 2011	
	₹	₹	₹	₹
Payment to Auditors				
-As Auditor	27,575		27,575	
-For Tax Audit	16,545		16,545	
Legal & Professional fees	1,060,344		3,309,853	
Reimbursement of Expense	0		4,188	
Filing Fees	7,060		16,665	
Miscellaneous expenses	20,443	1,131,967	21,579	3,396,405
Bad debts Written off	0	0		977,327
		1,131,967		4,373,732

The staff working in the company are on deputation from Andhra Bank and they are eligible for Employee Benefits as per the Service Regulations (ABOSR) of Andhra Bank from time to time and the same is being paid / reimbursed to Andhra Bank. Contribution to Provident / pension Fund and proportionate amount towards Gratuity is also paid to the Andhra Bank to the extent applicable. No separate fund is being maintained by the company.

टिप्पणी सं : 18 : कर व्यय :

विवरण	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
	₹	₹	₹	₹
आई टी अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत कर व्यय	17988021		0	
कार्टे: वर्ष के दौरान मेट ऋण पात्रता वर्ष के लिए कर व्यय के लिए किया गया प्रावधान (आई टी अधिनियम के मेट प्रावधानों के अन्तर्गत कर व्यय की सम राशि)	5677308		0	
	12310713	12310713		1428832

कंपनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज पर ₹ 1467648 टी डी एस के अतिरिक्त ₹ 109,00,000/- अग्रिम आय कर का भुगतान किया है। कंपनी चालू वर्ष के दौरान आय कर के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आती है, किंतु मेट ऋण के लिए पात्रता रखती है। पिछले वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज आय पर ₹ 970202 टी डी एस के अतिरिक्त ₹ 620000 अग्रिम आय कर का भुगतान किया है। कंपनी आय कर अधिनियम के मेट प्रावधानों के अन्तर्गत आती है।

पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए कर धनवापसी / व्यय :

वर्ष के दौरान मूल्यांकन वर्ष 1995.96, 2003.04 तथा 2004-05 के लिए कर धनवापसी प्राप्त की है। वर्ष के दौरान, धनवापसी में से ₹ 69530 ब्याज आय अन्य आय में सम्मिलित की गई। वर्तमान टी डी एस को तत्संबंधी मूल्यांकन वर्षों में समायोजित करने के बाद पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए ₹ 56386 के निवल कर व्यय को हिसाब में लिया गया है।

टिप्पणी सं : 19 : प्रति ईक्विटी शेयर पर उपार्जन :

विवरण	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
	₹	₹	₹	₹
(i) मूल : प्रति ईक्विटी शेयर पर उपार्जन		9.83		1.42
(ii) डायल्यूटेड : प्रति ईक्विटी शेयर पर उपार्जन		9.83		1.42
ई पी एस का संगणन :				
क : निवल लाभ	49171659		7096938	
ख : ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	5000000		5000000	
प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल उपार्जन (क/ख)	9.83		1.42	

टिप्पणी सं : 20 : एन बी एफ सी के रूप में पंजीकरण की स्थिति :

क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए 9 जनवरी 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशानुसार भारिबैं द्वारा उनके पत्रांक डी एन बी एस (एच) सी एम एस सं.2238/एच वाई क्यू 0472/2004-05 दिनांक 28 जनवरी 2005 को कंपनी (ए बी एफ एस एल) का पंजीकरण हेतु आवेदन नामंजूर किया गया तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) से अपेक्षा की गई कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय नहीं करने के लिए निर्दिष्ट बोर्ड संकल्प पारित कराया जाए। भारिबैं ने कंपनी (ए बी एफ एस एल) को सूचित किया कि यह सुनिश्चित करें कि उक्त पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर कंपनी (ए बी एफ एस एल) की वित्तीय आस्तियाँ बेची जाएं तथा कंपनी (ए बी एफ एस एल) गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित करायी जाए या परिसमापन कराया जाए। तदनुसार कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने प्रबंध निदेशक द्वारा की जानेवाली उचित कार्यवाई की संभावनाओं पर विचार करने के लिए 03.02.2005 को बोर्ड संकल्प पारित किया। कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने शेयरों को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों का निपटान कर दिया है।

कंपनी (ए बी एफ एस एल) ने वित्तीय आस्तियों का निपटान के संबंध में 09.01.2008 को भारिबैं को सूचित किया है तथा निवेदन किया है कि कंपनी (ए बी एफ एस एल) को गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 05.12.2008 को उत्तर दिया कि उसने उल्लिखित विषय वस्तु को रिकार्ड में दर्ज किया है।

टिप्पणी सं : 21 : अन्य सूचना :

क) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग-1 एवं भाग -2 के अन्य शर्तों में निहित मामलों के संबंध में जहाँ तक जानकारी कुछ नहीं या कंपनी पर लागू नहीं है, उनके संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

ख) चालू वर्ष की प्रस्तुति से मिलान हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन / पुनः वर्गीकरण / पुनः व्यवस्था की गई है।



NOTE No : 18 : TAX EXPENSE :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Tax expense under normal provisions of I.T Act	17988021		0	
Less: MAT Credit Entitlement during the year Provision made for Tax expense for the year (Equal to the Tax expense under MAT provisions of I.T Act)	5677308		0	
	12310713	12310713		1428832

The Company has paid the advance Income Tax of ₹ 10900000/- in addition to the TDS of ₹ 1467648 on interest income during the year 2011.12. The Company comes under the regular provisions of the Income Tax during the current year but eligible for MAT credit . During the previous year 2010.11 the company has paid an advance Income tax of ₹ 620000 in addition to the TDS of ₹ 970202 on interest income. The company comes under MAT provisions of the Income Tax Act.

Tax refunds / Expense for earlier Asst Years :

During the year the company has received the income refunds relating to the Asst Years 1995.96, 2003.04 and 2004.05. Out of the refunds an interest income of ₹ 69530 was included in the other income during the year. After revering the existing TDS to the relevant assessment years, a net tax expense of ₹ 56386 was accounted for the earlier asst. years.

NOTE No : 19 : EARNINGS PER EQUITY SHARE :

Particulars	As at 31.03.2012		As at 31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
(i) BASIC : Earnings per Equity Share		9.83		1.42
(ii) DILUTED : Earnings per Equity Share		9.83		1.42
Calculation of EPS :				
A : Net Profit	49171659		7096938	
B : Weighted Average Number of Equity Shares	5000000		5000000	
BASIC Earnings per Equity Share (A/B)	9.83		1.42	

NOTE No : 20 : Status of Registration as NBFC :

a) As per the directions issued by Reserve Bank of India for registration of Non Banking Financial Companies on 9th January 1997, the Company's (ABFSL) application for registration was rejected by RBI vide their letter No. DNBS (H) CMS No.2238/HYQ 0472/2004-05 dated 28th January 2005 requiring the Company (ABFSL) to pass a specific Board Resolution not to carry on the business of a Non-Banking Financial Institution. RBI further informed the Company (ABFSL) to ensure that within a period of 3 years from the date of issue of their said letter, the financial assets of the Company (ABFSL) are disposed of and the Company (ABFSL) is converted into a Non-Banking Non-Financial Institution or is wound up. Accordingly the Company (ABFSL) passed Board Resolution on 03.02.2005 to explore the course of suitable action by the Managing Director at the earliest. The Company (ABFSL) has disposed of the financial assets except the shares.

The Company (ABFSL) has informed Reserve Bank on 09.01.2008 about disposal of the Financial Assets and requested to treat the Company (ABFSL) as Non-Banking Non-Financial Institution. Reserve Bank of India replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned there in on record.

NOTE No : 21 : Other Information :

a) Information with regard to the matters in the other clauses of Part-I and Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent they are either NIL or not applicable to the Company has not been given.

b) The figures of the previous year have been regrouped/ reclassified/rearranged wherever necessary to confirm the Current Year's presentation.

निदेशक की रिपोर्ट 2011-12

आपके निदेशक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षाकृत विवरणी सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

31. मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विशिष्टताओं का सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत है .

(₹ लाखों में)

	2011-12	2010-11
कुल आय	637.83	133.95
परिचालनगत और प्रशासनिक व्यय	22.43	56.87
ह्रास के पहले लाभ	615.40	77.08
कम करें : ह्रास	0.01	0.01
कर भुगतान के पहले का लाभ	615.39	77.07
कम करें : एम ए टी अधिकार के चालू कराधान हतु प्रावधान	123.11	14.29
कर भुगतान के पश्चात् लाभ	492.28	62.78
कम करें : पूर्व वर्षों के लिए आय कर	0.56	0
जोड़ें : पूर्व निर्धारण वर्षों के लिए आय कर	0	8.19
कुल	491.72	70.97
जोड़ें : लाभ न हानि खाते में जमा शेष	(1760.31)	(1831.28)
तुलन पत्र में दर्शाये जाने वाले लाभ व हानि खाते का जमा शेष	(1268.59)	(1760.31)

1. परिचालनों की समीक्षा :

आय में मुख्यतया माननीय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 03.08.2011 के आदेशानुसार तमिलनाडु न्यूस प्रिंट & पेपर्स लिमिटेड से प्राप्त राशि और बैंक की जमा राशियों पर ब्याज तथा आयकर पुनर्देय राशियों पर ब्याज शामिल है .कंपनी ने ह्रास की राशि एवं एम ओ टी के निवल आय कर के प्रावधान के पश्चात् वर्ष 2011-12 के दौरान 492.28 लाख रुपयों का लाभ (2010-11 में 62.78 लाख रुपये) अर्जित किया है. कपनी अभी भी 31 मार्च 2012 को रु 1268.59 लाख रुपयों की संचित हानि उठा रही है (वर्ष 2010-11 में 1760.31 लाख रुपये).

2. सार्वजनिक जमाएं :

प्रस्तुत: कंपनी किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जमाओं को प्रतिधारित नहीं करती है. वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक जनता से जमाएं स्वीकृत नहीं की हैं. कंपनी के निदेशक मंडल ने भी वर्ष 2012-13 के दौरान किसी प्रकार की सार्वजनिक जमा राशिया स्वीकृत न करने का संकल्प किया है .

3. निदेशक मंडल.

श्री अनिल गिरोत्रा, मंडल के अध्यक्ष, जो निदेशक मंडल में 17.05.2008

से कार्यरत थे, ने आन्ध्र बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी सुपरैन्ड्युएशन पर मंडल से त्याग पत्र दिया है और यह त्याग पत्र 15.10.2011 को प्रभावी रूप से स्वीकृत किया गया है .

दिनांक 15.10.2011 के श्री अ अ ताज, कार्यपालक निदेशक को मंडल के अतिरिक्त निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा श्री आर आत्माराम, आन्ध्र बैंक के महा प्रबंधक को दिनांक 05.07.2011 को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के प्रवधानों के अनुसार ये निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक बैठक तक कार्यभार संभालेंगे.

श्री टी उमा महेश्वर राव को (जो आन्ध्र बैंक से प्रतिनियुक्त है) के 07.07.2011 से 06.01.2012 तक कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः प्रतिनियुक्त किया गया .

वर्ष के दौरान श्री टी उमा महेश्वर राव ने आन्ध्र बैंक में पदोन्नति पर स्थानांतरित किये जाने के कारण प्रबंध निदेशक पद से त्यागपत्र दिया जो 18.11.2011 से स्वीकृत किया गया .

श्री के कोटेश्वर राव को 18.11.2011 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में अगले दो वर्षों तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है.

4. ऊर्जा संरक्षण, तकनॉलजी कार्यान्वयन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

ऊर्जा संरक्षण, तकनॉलजी कार्यान्वयन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी विवरण कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) के साथ कंपनी नियम 1988 के अंतर्गत प्रकट अनुसार (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) या तो कुछ भी नहीं है या फिर लागू नहीं होते हैं .

5. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कंपनियों के नियम 1975 में बताया गया है और (कर्मचारियों के विवरण) संशोधित किये गये के अनुसार कुछ भी नहीं माना जाए क्योंकि कोई भी कर्मचारी ₹24,00,000/- प्रति वर्ष या ₹2,00,000/- प्रति वर्ष आहरित नहीं कर रहा है.

6. निदेशक की उत्तरदायित्व घोषणा :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए ए) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुवर्तन में निदेशक की उत्तरदायित्व घोषणा के संबंध में निदेशक इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि :

i) वर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की तैयारी में लागू लेखा मानकों का अनुपालन समुचित स्पष्टीकरण से संबंधित भौतिक प्रस्थानों को ध्यान में रख कर किया गया है .

ii) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है कि ये नीतियां युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण हों ताकि वित्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ / हानियां वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों के विवरणों की सही स्थिति दी जा सके.

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों का संरक्षण करने तथा किसी प्रकार



Directors' Report 2011-12

To the Members,

Your Directors are pleased to present the 21st Annual Report of the Company together with the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March, 2012.

The Financial Highlights of the Company for the year ended 31st March, 2012 is summarized below:

(₹ in lacs)

	2011-12	2010-11
Total Income	637.83	133.95
Operating and Administrative Expenses	22.43	56.87
Profit before depreciation	615.40	77.08
Less: Depreciation	0.01	0.01
Profit Before Tax	615.39	77.07
Less: Provision for Current Taxation Net of MAT Entitlement	123.11	14.29
Profit after tax	492.28	62.78
Less: Income Tax for earlier years	0.56	0
Add: Income tax for earlier Asst. Years	0	8.19
Total	491.72	70.97
Add: Balance in the Profit & Loss A/c	(1760.31)	(1831.28)
Balance in P & L A/c to be carried to Balance Sheet	(1268.59)	(1760.31)

1. Review of Operations

The income mainly consists of amount received from the Tamil Nadu News Print & Papers Ltd on account of Hon'ble Supreme Court of India Order dated 03.08.2011 and interest on Bank Deposits and interest received on I.T refunds. The company earned a profit of ₹ 492.28 lacs during the year 2011-12 (₹ 62.78 lacs in 2010-11) after providing for depreciation and Income Tax net of MAT entitlement. The company still carries an accumulated loss of ₹ 1268.59 lacs as on 31st March, 2012 (₹1760.31 lacs in 2010-11).

2. Public Deposits.

At present Company is not holding any Public Deposits. During the year 2011-12, the company has not accepted any deposits from the public within the meaning of provisions of Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1998. The Board of Directors of the company also resolved not to accept any Public Deposits during the year 2012-13.

3. Board of Directors.

Shri Anil Girotra, Chairman of the Board, who has been on the

Board since 17.05.2008, resigned from the Board on account of his Superannuation from Andhra Bank as an Executive Director and the same was accepted w e f 15.10.2011.

Shri A.A Taj, Executive Director, has been appointed as an additional Director and Chairman in the Board on 15.10.2011 and Shri R. Atmaram, General Manager of Andhra Bank has been appointed as Additional Director of the Company on 05.07.2011. As per the provisions of section 260 of the Companies Act 1956, these Directors hold the office up to the forthcoming Annual General Meeting of the Company.

Shri T.Uma Maheswara Rao was reappointed as Managing Director of the Company (who is on deputation from Andhra Bank) from 07.07.2011 to 06.01.2012.

During the year, Shri T.Uma Maheswara Rao due to his Transfer on Promotion from Andhra Bank, has resigned as Managing Director and the same was accepted w.e.f 18.11.2011.

Shri K.Koteswara Rao has been appointed as an additional director and Managing Director w.e.f 18.11.2011 for a period of two years.

4. Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo:

The particulars relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo, as required to be disclosed under Section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 are either NIL or are not applicable.

5. Particulars of Employees:

As required under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 as amended may be treated as 'NIL' as no Employee of the Company is drawing a remuneration of ₹ 24,00,000/- p.a. or ₹ 2,00,000/- p.m.

6. Directors' Responsibility Statement.

Pursuant to the requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors Responsibility Statement, the Directors hereby confirm that:

(i) in the preparation of the Accounts for the Financial Year ended 31st March 2012, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

(ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of the financial year and of the profit / loss of the company for the Financial Year;

(iii) the directors have taken proper and sufficient care for the

की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए तथा उनका पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकॉर्डों का पर्याप्त रखरखाव करने के लिए समुचित सावधानी बरती है .

v) निदेशकों ने 31, मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत को वार्षिक लेखों को (महत्वपूर्ण) अत्यंत विचारणीय आधार पर तैयार किया है .

7. लेखा परीक्षा समिति :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने प्रस्तुत: निम्नांकित निदेशकों को शामिल करते हुए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन / पुनर्गठन किया है .

1. श्री एस सूर्यनारायण	:	निदेशक
2. श्री आर आत्माराम	:	निदेशक
3. श्रीमती वाई प्रमीला रानी	:	निदेशक
4. श्री बी नरेंद्रनाथ रेड्डी	:	निदेशक

8. लेखा परीक्षक

भारतीय लेखा नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए

मेसर्स किशोर एंड वेंकट असोसिएट्स , सनदी लेखाकर, हैदराबाद को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं .

9. आभार :

निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को कंपनी के सहयोग, समर्थन एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता है ।

निदेशक मूल बैंक अर्थात आन्ध्रा बैंक के सहयोग एवं दिशा निर्देशों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं. आगे मंडल ने , मंडल में अपने कार्य काल के दौरान निदेशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी उनकी सेवाओं और उनके अमूल्य मार्गदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है .

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अ अ ताज)

अध्यक्ष

स्थान : हैदराबाद

तिथी : 03.05.2012



आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the directors have prepared the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2012 on a 'going concern' basis.

7. Audit Committee.

In accordance with the provisions of Section 292 A of the Companies, Act 1956, the Company has constituted / re constituted an Audit Committee comprising of the following Directors at present:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Shri S Suryanarayana | : Director |
| 2. Shri R Athmaram | : Director |
| 3. Smt Y Pameela Rani | : Director |
| 4. Shri B Narendranatha Reddy | : Director |

8. Auditors

The Comptroller & Auditor General of India has appointed

M/s Kishore & Venkat Associates, Chartered Accountants, Hyderabad as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2011-12. The provisions of Section 619 (B) of the Companies Act, 1956 are applicable to the Company.

9. Acknowledgments.

The Directors thank Reserve Bank of India, and Comptroller & Auditor General of India for their valuable guidance, support and cooperation to the Company.

The Directors gratefully acknowledge the support and direction provided by the parent Bank i.e Andhra Bank. The Board further places on record of its appreciation for the services rendered and valuable guidance provided by the directors during their tenure in the Board.

For and on behalf of the Board of Directors

(A A TAJ)
CHAIRMAN

Place: Hyderabad
Date : 03.05.2012.

अनुबंध - 1 - निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट

01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि से संबंधित खातों पर दिनांक 03.05.2012 की रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किये गये प्रेक्षणों पर क्रमानुसार (सूचीबद्ध) सूचित किये गये के अनुसार स्पष्टीकरण.

वर्तमान मामले में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने दिनांक 15.12.2010 के आदेश में यह निदेश दिया है कि मामले को मध्यस्थता को संदर्भित किया जाए तथा मध्यस्थता रिपोर्ट प्राप्त होने पर सूची बनाई जाए. दिनांक 06.04.2011 को आयोजित मध्यस्थता की कार्यवाहियों के अनुसार टीएनपीएल और एबीएफएसएल ने एलडी मध्यस्थता की उपस्थिति में ज्ञापन के साथ मध्यस्थता के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर कर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष

फाइल किया है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 03.08.2011 को आदेश दिया है और तदनुसार वापसी की राशि का विवरण वर्ष 31.03.2012 के दौरान अंत में प्रस्तुत किया जाय .

कंपनी की विशिष्टीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार ऋण और दावों के संबंध में दूरदर्शिता के आधार पर आधारभूत सूचना प्राप्त होने तक ब्याज व अन्य बकाया राशियों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा .

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अ अ ताज)

अध्यक्ष

स्थान : हैदराबाद

तिथी : 03.05.2012



ANNEXURE – 1 - ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

Explanations to observations of the Statutory Auditors in their Report dated 03.05.2012 on the accounts relating to the period 01.04.2011 to 31.03.2012 as per the seriatum indicated in the report.

In the present case, the Supreme Court of India, vide its order dt.15.12.2010, directed the matter to mediation and to list after receiving the report from the mediator. As per the mediation proceedings conducted on 06.04.2011, TNPL and ABFSL signed the minutes of the mediation along with memorandum of settlement in the presence of Ld. Mediator and filed the same before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court gave an order dated 03.08.2011

and accordingly the refund amount is accounted during the year ending 31.03.2012.

As per Significant Accounting Policies of the Company, interest and other dues shall not be recognized until received on the grounds of prudence in respect of debts and claims where suits have been filed.

For and on behalf of the Board of Directors

(A A TAJ)
CHAIRMAN

Place: Hyderabad

Date : 03.05.2012.



लेखाकार की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
आंध्र बैंक वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड
हैदराबाद

हमने 31 मार्च 2012 के अनुसार आंध्र बैंक वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड के तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की है तथा वर्ष के अंत हेतु उस तिथि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी यहाँ संलग्न है। हमारा दायित्व है कि अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करें।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में मान्य सामान्य लेखाकरण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार हमें इस लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यान्वयन इस प्रकार करना है कि इन वित्तीय विवरणियों के भौतिक गलतियों से मुक्त होने के तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किए जा सकें। एक लेखापरीक्षा में राशियों एवं वित्तीय विवरणों में किए प्रकटनों को समर्थित करते प्रमाणों की परीक्षा के आधार पर जाँच करना सम्मिलित है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए लेखाकरण सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए मुख्य अनुमानों के निर्धारण के साथ ही समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन सम्मिलित है। हमारा मानना है कि अपनी लेखापरीक्षा द्वारा हम अपने विचारों हेतु तर्कसंगत आधार देते हैं।

1. कंपनी ने टीएनपीएल से रु 490 लाख प्राप्त किया जिसमें से रु 429 लाख कंपनी से लिए अतिरिक्त ब्याज की राशि है और यह राशि भुगतान के वर्ष में लाभ एवं हानि खाते को नामे की गई तथा मामला न्यायालय में है। मध्यस्थ की 29.03.2011 को आयोजित चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार (उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार) दोनों पार्टियाँ याने एएबीएफएसएल तथा टीएनपीएल 05.04.2011 को प्राप्त रु 490 की राशि का निपटान करें। उक्त राशि कंपनी द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2011-12 में आय के रूप में नहीं मानी गई, यद्यपि राशि 29.03.2011 को प्राप्त होना निश्चित है, राशि 05.04.2011 को वस्तुतः प्राप्त हुई। इस राशि को चालू वित्त वर्ष में असाधारण मद माना गया।
2. कंपनी ने परिपक्वता की तिथि को ब्याज सहित अंतर-कोर्पोरेट जमा चुका दिया है। कुछ जमाकर्ताओं ने करार तिथि के पश्चात से चुकौती की तिथि तक ब्याज का दावा किया। ऐसे दावों को कंपनी ने न तो स्वीकार किया है और न ही आकस्मिक देयता माना है। हमारे विचार में, इन दावों को आकस्मिक देयता माना जाना चाहिए, फिर भी, हम सूचना के अभाव में ब्याज की मात्रा का पता नहीं कर पा रहे।
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखाकार भारतीय रिजर्व बैंक, के दिशानिर्देशों, 2008 के अनुसार हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमने कंपनी के निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सर्वेक्षण के मामले पर उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार विवरण दिया गया है।

4. जनवरी 9, 1997 को गठित कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1932 का 2) के धारा 56 आईए के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन दिया और 28.01.2005 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफआई के रूप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन अस्वीकृत करते हुए एक संसूचना प्राप्त हुई।

नोट संख्या 20 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भा.रि.बैं के 28.01.2005 दिनांकित पत्र के निर्देशानुसार अपने कुछ शेयरों को छोड़कर, जो भौतिक रूप में हैं, कंपनी ने अपनी सारी वित्तीय आस्तियों का निपटान कर दिया। साथ ही, कंपनी ने भा.रि.बैं. को अपने 09.01.2008 दिनांकित पत्र द्वारा इसे गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान का दर्जा देने का अनुरोध किया है। भा.रि.बैं. ने 05.12.2008 को उत्तर दिया कि उन्होंने वर्णित बातों को नोट कर लिया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने जनता से जमाएँ नहीं स्वीकृत करने का संकल्प पारित किया है।

- कंपनी ने संदर्भित वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमाएँ स्वीकृत नहीं की है।
- कंपनी ने मद सं - 1 के विषय के अनुसार आय निर्धारण, लेखाकरण मानक, आस्ति श्रेणीकरण तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पर लागू विवेकाधीन मानदंडों का अनुपालन किया है।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) के तहत कंपनी नियम बोर्ड द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सीएआरओ 2003), के अनुसार हम अनुलग्नक के रूप में निम्न क्रम में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- उपरोक्त संदर्भित पैरा में हमारी उक्त टिप्पणियों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं:
- हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- हमारे विचार में, जैसा कि बही खातों की हमारे द्वारा की गई जाँच से जान पड़ता है कि अब तक कंपनी द्वारा नियमानुसार ही बही खातों का उचित रखरखाव किया है।
- इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते के विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।
- हमारे विचार में, तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते के विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के अंतर्गत उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
- कंपनी और इसके सभी निदेशकों द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के अंतर्गत निदेशक नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।



AUDITORS' REPORT

To

The Members

Andhra Bank Financial Services Ltd

Hyderabad

We have audited the Balance Sheet of Andhra Bank Financial Services Ltd as on 31st March, 2012 and the statement of Profit and Loss account for the year ended on that date and annexed thereof. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. The Company has received ₹ 490 lacs from TNPL out of which ₹ 429 lacs represents the excess interest collected from the Company and same was debited to Profit and Loss Account in the year of payment and the matter was in court. As per the minutes of the 4th sitting of Arbitration (As directed by Supreme Court) on 29-03-2011 both the parties that is ABFSL and TNPL settled the issue for an amount of ₹ 490 lacs which was received on 05-04-2011. The above amount was not recognized as income by the Company, in the asst year 2011.12, though the receipt is certain on 29-03-2011 and the amount was actually received on 05-04-2011. This amount was treated as an extraordinary item in the current financial year .
2. The Company has repaid Inter-Corporate Deposit with interest to the date of maturity. Few depositors claimed for interest after the contracted date and upto the date of repayment. Such claims have not been acknowledged by the company nor recognized as contingent liabilities. In our opinion these claims are to be considered as contingent liabilities, however we are unable to quantify the interest in the absence of information.
3. As required by the Non Banking Financial Companies Auditors' [Reserve Bank] Directions, 2008 we further state that we have submitted a report to the Board of Directors of the Company containing a statement on

the matters of the supervisory concern to the Reserve Bank of India as specified in the said directions.

4. The company, incorporated prior to January 9, 1997 has applied for registration as provided in section 56 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 [2 of 1934] and has received a communication dt.28.1.2005 from the Reserve Bank of India rejecting the application for certificate of registration as an NBFI.

Attention is invited to note No 20 . As per the directions of RBI vide their Lr dt.28.01.2005, the company had disposed off all its financial assets except certain shares which are in physical form. Further, the company has approached RBI vide Lr dt. 09.01.2008 with a request to treat it as Non Banking Non Financial Institution. RBI replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned there in on record.

The board of directors of the company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits.

- The company has not accepted any public deposits during the year under reference.
- The company subject to point no. – 1 has complied with prudential norms relating to the Income recognition, accounting standards, asset classification and provision of bad and doubtful debts as applicable to it.
- As required by the Companies [Auditors' Report] Order, 2003 [CARO 2003], issued by the Company Law Board in terms of Section 227 [4A] of the Companies Act, 1956, we give in the annexure, a statement on the matters specified in the said order.
- Subject to our comments in the paras referred to above, we report that:
- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- In our opinion, proper books of account have been kept by the company as required by law so far, as appears from our examination of these books.
- The Balance Sheet and the statement of Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- In our opinion, the Balance Sheet and the statement of Profit and Loss Account comply with the Accounting Standards referred in sub-section [3C] of Section 211, of the Companies Act, 1956.
- As per the representation made by the Company and all its directors, no director is disqualified from being appointed as director of the company under clause [g] of sub-section [1] of Section 274 of the Companies Act, 1956.

- हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते व उसके साथ अनुलग्न नोटों के अवलोकन पर कंपनी अधिनियम, 1956 में मांगी सूचना उसी प्रकार से हमारी उक्त -टिप्पणियों के संदर्भ में मिलती है और जो सही एवं उचित है।
- 31 मार्च 2012 के अनुसार कंपनी के कार्यों के तुलन पत्र के मामले में
- कंपनी के इस वर्ष के अंत की तिथि को लाभ का लाभ एवं हानि खाते के विवरण के मामले में

लेखाकार की रिपोर्ट का अनुलग्नक

- I. क) कंपनी पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड रख रही है, जिसमें मात्रात्मक विवरण तथा पट्टेदार आस्ति को सम्मिलित कर अचल आस्तियों की स्थिति सम्मिलित है। ख) इन अचल आस्तियों की, कंपनी द्वारा पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर प्रबंधन द्वारा उचित समय पर भौतिक जाँच की जाती रही है। ऐसी जाँचों में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई है। ग) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों का कोई भाग प्रयोज्य नहीं किया गया है।
- II. क) प्रबंधन द्वारा उचित समय पर वस्तु-सूची शेयर, शेयर, बांड की भौतिक जाँच की गई।
ख) हमारे विचार में, प्रबंधन द्वारा वस्तु-सूची की गई भौतिक जाँच कंपनी के आकार एवं व्यापार के प्रकार के अनुसार तर्कसंगत एवं पर्याप्त है।
ग) कंपनी द्वारा वस्तु-सूची शेयरों एवं शेयरों के उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। शेयरों एवं बांडों के भौतिक जाँच पर कोई भौतिक विसंगति नई पाई गई है।
- III. कंपनी ने किसी कंपनी, फर्म, या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रखे रजिस्टर में दिए गए किसी भी पार्टी से या को प्रतिभूतिकृत अथवा गैर-प्रतिभूतिकृत कोई ऋण नहीं लिया/जारी किया है।
- IV. कंपनी के आकार एवं व्यापार के प्रकार के अनुसार वस्तु-सूची की खरीदी एवं अचल आस्तियों तथा शेयर और बांड की बिक्री के लिए एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है।
- V. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि योग्य कोई लेनदेन नहीं है।
- VI. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।
- VII. कंपनी की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। हालाँकि, कंपनी के आकार एवं व्यापार के प्रकार के अनुसार उचित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है।
- VIII. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 [1] [डी] के अंतर्गत कंपनी को

कीमत रिकार्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

- IX. क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे विचार में भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं है।

ख) कंपनी ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98, 1999-00 हेतु आयकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की है।

- X. कंपनी 1991 में गठित हुई थी तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि कंपनी के निवल मूल्य के 50% से अधिक है, हालाँकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ कमाया है।

वर्षवार हानियाँ जो भविष्य में होनेवाले लाभ, यदि हो, से समायोजित की जा सके:-

निर्धारण वर्ष	समायोजन पश्चात नकद हानियाँ
2004-05	₹ 37,33,598/-
2007-08	₹ 23,54,633/-

- XI. शेयरों, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण जारी नहीं किया गया है।

- XII. कंपनी पहले ही शेयरों, प्रतिभूतियों का लेनदेन करती है तथा लेनदेन एवं करारों का उचित रिकार्ड रखती है और इनकी समय पर प्रविष्टियाँ की गई हैं। साथ ही कंपनी द्वारा अपने नाम पर शेयर, प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रतिभूतियाँ रखी गई हैं।

- XIII. कंपनी ने किसी से बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी है।

- XIV. लघु आधार पर कोई निधि नहीं उगाही है तथा न ही दीर्घ-अवधि निवेश किया गया है, तथा इसके विपरीत।

- XV. आबंटन हेतु कोई अधिमानी शेयर उपलब्ध नहीं है।

- XVI. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा के साथ कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं आई है।

- XVII. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) पैराग्राफ सं 11, 13, 16, 19 व 20 आदेश, 2003 कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते किशोर एंड वैंकट एशोसिएटज

सनदी लेखाकार

के एस आर अंजनेयुलु

साझेदार

सदस्यता सं 216283

स्थान - हैदराबाद

दिनांक 03-05-2012



आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड / Andhra Bank Financial Services Ltd.

- Explanations given to us, the said accounts read together with the notes annexed thereto, give information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required subject to our comments referred to above and give a true and fair view.
- In the case of Balance Sheet of the State of Affairs of the company as at 31st March 2012 and
- In the case of statement of Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.

Annexure to the Auditors' Report

- i. a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets including that of leased assets.
- b) These fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, other than those assets that have been leased out by the company. No material discrepancies were noticed on such verification.
- c) No part of fixed assets has been disposed off during the year.
- ii. a) Physical verification of inventory shares, scrip, bonds, has been conducted at reasonable intervals by management.
- b) In our opinion the procedures for physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business.
- c) The Company is maintaining proper records of inventory-Shares and Scrips. No material discrepancies were noticed on physical verification of the Share and Bonds.
- iii. The company has not taken / granted any loans, secured or unsecured to or from companies, firms, or other parties covered with the register maintained under section 301 of the Companies Act 1956.
- iv. There is an adequate internal control procedure commensurate with the size of the company and the nature of business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of Scrips, shares, and bonds.
- v. There are no transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of The Companies Act, 1956;
- vi. The company has not accepted deposits from the public.
- vii. The company has no internal audit system. However,

the internal control procedures in place are commensurate with its size and nature of business.

- viii. The company is not required to maintain cost records under section 209[1][d] of The Companies Act, 1956.
 - ix. a) As per the information and explanation furnished to us, in our opinion the Provident Fund and Employees State Insurance Act, are not applicable to the company.
 - b) The company has gone in appeal against the income tax Assessment orders for the Assessment Years 1993-94 to 1997-98, 1999.00..
 - x. The company was incorporated in the year 1991 and the accumulated losses at the end of the financial year ending 31st March 2012 are more than 50% of its net worth but have earned profit for the current financial year.
- | Assessment Year | Cash losses after adjustments |
|-----------------|-------------------------------|
| 2004-05 | ₹ 37,33,598.00 |
| 2007-08 | ₹ 23,54,633.00 |
- Year wise losses, which can be set off against future profits if any.
 - xi. No Loans have been granted on the basis of Security of Shares, debentures and other securities.
 - xii. The company has dealt in shares, securities and proper records have been maintained of the transactions and contracts and timely entries have been made therein; also the shares, securities, and other securities have been held by the company, in its own name.
 - xiii. The company has not given any guarantee for loans by others from bank or financial institutions;
 - xiv. No funds have been raised on the short-term basis and have been used for long-term investment and vice-versa;
 - xv. No preferential shares are available for allotment.
 - xvi. No fraud on or by the company has been noticed or reported during the year;
 - xvii. The paragraphs No 11,13,16,19 & 20 of Companies (auditor's report) order, 2003 are not applicable to this company.

For KISHORE & VENKAT ASSOCAITES
Chartered Accountants

K. S. R. ANJANEYULU
Partner
Membership No.216283

Place: Hyderabad

Date: 03.05.2012



31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2012		31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद अन्तर्वाह				
कर-पूर्व लाभ	61,538,758		7,706,733	
समायोजन :				
मूल्य ह्रास	718		718	
निवेश व्यवसाय से नकद प्रवाह -				
स्टॉक के मूल्य में परिवर्तन	27,452		-70,863	
प्राप्त ब्याज	0		0	
प्रदत्त ब्याज	0		0	
प्रदत्त लाभांश	0		0	
निवल नकद प्रवाह/ (आउटफलो) निवेश पर				
प्रतिफल से तथा वित्त की चुकौती	0		0	
देनदार में वृद्धि/कमी	100,000		-977,327	
परिचालन से सृजित नकदी		61,412,024		8,755,641
प्रदत्त सीधे कर -निवल चुकौती				
(10900000+1467648-178269=12189379)		12,189,379		2,190,697
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी		49,222,645	0	10,946,338
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अमूर्त अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु भुगतान	0		0	
मूर्त अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु भुगतान	0		0	
मूर्त अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	0		0	
निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह/ (आउटफलो)		0		0
वित्त से पूर्व निवल नकद प्रवाह		49,222,645	0	10,946,338
वित्त-पोषण	0		0	
साधारण पूंजी जारी करना	0		0	
डिबेंचर ऋण की पुनः खरीद	0		0	
शेयर इश्यु के सम्बन्ध में प्रदत्त व्यय	0		0	
वित्तपोषण से निवल नकद प्रवाह/ (आउटफलो)		0		0
नकदी एवं नकदी समकक्ष में वृद्धि/ (कमी)		49,222,645		10,946,338
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी अथवा नकदी समकक्ष	131,746,735		120,800,397	
वर्ष की समाप्ति पर नकदी अथवा नकदी समकक्ष	180,969,380	49,222,645	131,746,735	10,946,338

टिप्पणियां: 1. नकद प्रावह विवरण कम्पनीज (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार परोक्ष पद्धति के अन्तर्गत लेखा मानक सं 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. नकदी एवं नकदी समकक्ष का अर्थ है नकदी एवं बैंक शेष

3. जहां लागू हैं, गत वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया है।

उक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते किशोर एंड बैंकट एसोसियेट्स
सन्दी लेखाकार

अ अ ताज
अध्यक्ष

एस सूर्यनारायण
निदेशक

वाई प्रमीला रानी
निदेशक

आर आत्माराम
निदेशक

(के एस आर आंजनेयुलु)

साझेदार
सदस्यता सं.216283

बी नरेंद्रनाथ रेड्डी
निदेशक

के. कोटेश्वर राव
प्रबंध निदेशक

के रायर
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
तिथि 03.05.2012



Cash Flow Statement for the Year ended 31 March, 2012

Particulars	31.03.2012		31.03.2011	
	₹	₹	₹	₹
Net cash inflow from operating activities				
Profit Before Tax	61,538,758		7,706,733	
Adjustments :				
Depreciation	718		718	
Cash flow from investment business- change in the value of stocks	27,452		-70,863	-
Interest received	0		0	
Interest paid	0		0	
Dividend paid	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from returns on investments and servicing of finance	0		0	
Increase /Decrease in Debtors	100,000		-977,327	
Cash Generated from operations		61,412,024		8,755,641
Direct Taxes paid net of refunds (10900000 +1467648-178269=12189379)		12,189,379		2,190,697
Net Cash from Operating Activities		49,222,645	0	10,946,338
Cash flow from Investing activities :				
Payments to acquire intangible fixed assets	0		0	
Payments to acquire tangible fixed assets	0		0	
Receipts from sales of tangible fixed assets	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from investing activities		0		0
Net cash inflow before financing		49,222,645	0	10,946,338
Financing	0		0	
Issue of ordinary capital	0		0	
Repurchase of debenture loan	0		0	
Expenses paid in connection with share issues	0		0	
Net cash inflow/ (outflow) from financing		0		0
Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents		49,222,645		10,946,338
Cash or Cash Equivalents as at beginning of the year	131,746,735		120,800,397	
Cash and Cash Equivalent as at the end of the year	180,969,380	49,222,645	131,746,735	10,946,338

- NOTES:** 1. Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method as set out in the Accounting Standard No 3 " Cash Flow Statement " as per Companies (Accounting Standard) Rules, 2006.
2. Cash and Cash equivalent represent cash and bank balances.
3. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

As per our report attached

For Kishore & Venkat Associates

Chartered Accountants

(K S R Anjaneyulu)
PARTNER
Membership No 216283
PLACE : Hyderabad
DATE : 03.05.2012

A A Taj
Chairman

S Suryanarayana
Director

Y.Prameela Rani
Director

R Athmaram
Director

B Narendranatha Reddy
Director

K.Koteswara Rao
Managing Director

K. Rayar
Company Secretary





आन्ध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगियों / एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यमों के
समेकित वित्तीय विवरण

**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDHRA BANK
AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES**

31.03.2012 के आन्ध्र बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यमों का समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES AS ON 31.03.2012

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
निधि का स्रोत SOURCE OF FUNDS			
पूंजी CAPITAL	1	5,595,804	5,595,804
प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	69,413,002	59,655,344
जमा DEPOSITS	3	1,058,331,212	921,431,069
उधार BORROWINGS	4	82,452,759	76,397,408
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	41,038,808	30,245,150
कुल TOTAL		1,256,831,585	1,093,324,775
निधि का प्रयोजन APPLICATION OF FUNDS			
भा रि बैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	55,639,489	71,845,676
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	33,096,917	33,892,583
निवेश INVESTMENTS	8	300,770,177	244,337,828
अग्रिम ADVANCES	9	836,418,274	714,353,582
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	3,163,378	3,333,566
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	27,743,350	25,561,540
कुल TOTAL		1,256,831,585	1,093,324,775
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	406,405,157	362,680,202
वसूली हेतु बिल BILLS FOR COLLECTION		36,592,930	30,620,760
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.

बी ए प्रभाकर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	अ अ ताज कार्यपालक निदेशक	के के मिश्रा कार्यपालक निदेशक
टीवीएस चन्द्रशेखर महा प्रबन्धक	वाई अमरनाथ उप महा प्रबन्धक	

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते राजू एंड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-003475S
(एस श्रीनिवास राव)
साझेदार (एम.नं. 9329)
कृते आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004137S
(आर सुब्रामणियन)
साझेदार (एम.नं. 8460)

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन-002413S
(ई एस रंगनाथ)
साझेदार (एम.नं.13924)
कृते पात्रो एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100E
(राजेन्द्र पात्रो)
साझेदार (एम.नं.19423)

कृते उमा महेश्वर राव एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004453S
(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)
साझेदार (एम.नं.024860)
कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-108959W
(सुमन बोस)
साझेदार (एम.नं.45239)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक 05.06.2012



31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी / एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यमों का समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2012

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
आय INCOME			
उपचित ब्याज INTEREST EARNED	13	113,618,789	83,025,457
अन्य आय OTHER INCOME	14	12,467,840	11,500,880
कुल आय TOTAL INCOME		126,086,629	94,526,337
व्यय EXPENDITURE			
विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	75,779,508	50,693,402
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	22,334,350	19,856,299
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS AND CONTINGENCIES		14,726,995	11,471,431
कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE		112,840,853	82,021,132
असाधारण मदों से पूर्व लाभ तथा एसोसिएट्स में लाभ का भाग PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND SHARE OF PROFIT IN ASSOCIATES		13,245,776	12,505,205
असाधारण मद EXTRAORDINARY ITEMS		49,000	-
एसोसिएट्स में लाभ का भाग SHARE OF PROFIT IN THE ASSOCIATES		50,158	43,086
वर्ष हेतु निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR		13,344,934	12,548,291
आगे लाया गया लाभ CONSOLIDATED PROFIT BROUGHT FORWARD		2,516,654	1,766,759
कुल TOTAL		15,861,588	14,315,050
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		3,371,767	3,177,900
पूंजी आरक्षिती को अंतरण Transfer to Capital Reserve		44,500	44,000
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Revenue & Other Reserves		6,778,980	4,024,325
विशेष प्रारक्षिती को अंतरण Transfer to Special Reserve Under IT Act		1,650,000	960,000
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		3,077,692	3,077,692
लाभांश पर कर Tax on Dividend		499,278	499,278
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		439,371	2,531,855
कुल TOTAL		15,861,588	14,315,050
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर आय (मूल एवं अवमिश्रित) Earning per share (Basic and diluted) Rs.		23.85	25.80

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं

The schedules referred to above form an integral part of profit & loss Account.

B.A. Prabhakar Chairman & Managing Director	A.A. Taj Executive Director	K. K. Misra Executive Director
T.V.S. Chandrasekhar General Manager	Y. Amarnath Deputy General Manager	

As per our report of even date.

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants
FRN-003475S
(S SRINIVASA RAO)
Partner (M. No. 9329)
For R SUBRAMANIAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN-004137S
(R SUBRAMANIAN)
Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants
FRN-002413S
(E S RANGANATH)
Partner (M.No. 13924)
For PATRO & CO
Chartered Accountants
FRN-310100E
(RAJENDRA PATRO)
Partner (M. No.19423)

For UMAMAHESWARA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN-004453S
(G SHIVA RAMA KRISHNA PRASAD)
Partner (M No. 24860)
For C R SAGDEO & CO
Chartered Accountants
FRN-108959W
(SUMAN BOSE)
Partner (M. No.45239)

Place : Hyderabad
Date : 05.06.2012

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL		
I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		
10/- ₹ प्रत्येक के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	30,000,000	30,000,000
II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED CALLED UP AND PAID UP		
10/- ₹ प्रत्येक के 55,95,80,364 ईक्विटी शेयर (केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 32,45,80,364 ईक्विटी शेयर सहित) 55,95,80,364 Equity shares of ₹ 10/- each (Including 32,45,80,364 Equity Shares held by Central Government).	5,595,804	5,595,804
कुल अनुसूची - 1 TOTAL SCHEDULE - 1	5,595,804	5,595,804
अनुसूची SCHEDULE-2:: प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	16,967,641	13,789,741
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	3,371,767	3,177,900
कुल TOTAL - I	20,339,408	16,967,641
II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	3,493,971	3,449,971
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	44,500	44,000
कुल TOTAL - II	3,538,471	3,493,971
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	18,174,196	7,190,000
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	-	10,984,196
कुल TOTAL - III	18,174,196	18,174,196
IV. राजस्व प्रारक्षिती REVENUE RESERVE		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	15,487,681	11,463,383
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	6,783,875	4,024,325
घटायें: समायोजन Less: Deductions	-	27
कुल TOTAL - IV	22,271,556	15,487,681
V. आई टी अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती SPECIAL RESERVE U/S 36(1)(viii) OF IT ACT		
प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE	3,000,000	2,040,000
वर्ष के दौरान जमा ADDITION DURING THE YEAR	1,650,000	960,000
घटायें - कटौती Less: Deductions	-	-
कुल TOTAL - V	4,650,000	3,000,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	439,371	2,531,855
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 2	69,413,002	59,655,344



समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-3:: जमा DEPOSITS		
I-A. मांग जमा DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	418,492	850,552
ii) अन्य से FROM OTHERS	63,270,571	70,748,172
कुल TOTAL I-A	63,689,063	71,598,724
I-B बचत बैंक जमा SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	-	-
ii) अन्य से FROM OTHERS	215,782,923	196,192,780
कुल TOTAL I-B	215,782,923	196,192,780
I-C मीयादी जमा TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से FROM BANKS	473,901	1,095,812
ii) अन्य से FROM OTHERS	778,385,325	652,543,753
कुल TOTAL I-C	778,859,226	653,639,565
कुल TOTAL - I	1,058,331,212	921,431,069
II-A भारत में शाखाओं की जमा DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	1,058,331,212	921,431,069
II-B भारत से बाहर शाखाओं की जमा DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल TOTAL - II	1,058,331,212	921,431,069
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 3	1,058,331,212	921,431,069
अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से FROM RESERVE BANK OF INDIA	-	-
ii) अन्य बैंकों से FROM OTHER BANKS	47,187	-
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES (गौण/आइ पी डी आई/अप्पर टीयर-II उधार/बॉन्ड (Including Subordinated/IPDI/Upper Tier-II Debts/Bonds)	58,341,697	57,959,547
II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA	24,063,875	18,437,861
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 4	82,452,759	76,397,408

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-5:: अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल BILLS PAYABLE	6,736,335	6,363,682
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	-	-
III. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	4,984,579	4,299,833
IV. मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान CONTINGENT PROVISIONS AGAINST STANDARD ASSETS	8,253,500	4,375,900
V. आस्थगित कर देयता (निवल) Deferred Tax Liability (Net)	902,597	710,791
VI. अन्य OTHERS (प्रावधान सहित Including Provisions)	20,161,797	14,494,944
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 5	41,038,808	30,245,150
अनुसूची SCHEDULE-6:: भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी तथा शेष		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I) हस्तगत नकदी CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोटों सहित Including Foreign Currency Notes)	4,699,378	4,580,786
II) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	50,940,111	67,264,890
ii) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 6	55,639,489	71,845,676
अनुसूची SCHEDULE-7:: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि		
BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i) बैंकों में शेष BALANCES WITH BANKS		
a) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	4,445,923	1,788,470
b) अन्य खातों में IN OTHER ACCOUNTS	17,475,678	5,295,494
कुल TOTAL	21,921,601	7,083,964
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
a) बैंकों में WITH BANKS	7,791,946	22,976,528
b) अन्य संस्थाओं में WITH OTHER INSTITUTIONS	311,208	220,005
कुल TOTAL	8,103,154	23,196,533
कुल TOTAL - I	30,024,755	30,280,497
II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA		
i) चालू खातों में IN CURRENT ACCOUNTS	1,548,339	1,657,689
ii) अन्य जमा खातों में IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	1,523,823	1,954,397
iii) मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	-
कुल TOTAL - II	3,072,162	3,612,086
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 7	33,096,917	33,892,583



तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-8:: निवेश INVESTMENTS		
I भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES	268,225,156	227,781,349
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES	218,769	276,015
iii) शेयर SHARES	4,911,274	3,378,223
iv) डिबेंचर तथा बांड DEBENTURES AND BONDS	8,439,942	6,613,917
v) अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	584,963	436,821
vi) अन्य OTHERS	18,390,073	5,850,003
कुल TOTAL	300,770,177	244,336,328
II भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) GOVERNMENT SECURITIES (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	-	-
ii) अनुषंगी तथा/अथवा विदेश में संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD	-	1,500
iii) अन्य निवेश OTHER INVESTMENTS	-	-
कुल TOTAL - II	-	1,500
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I and II)	300,770,177	244,337,828
सकल निवेश GROSS INVESTMENTS	301,038,811	244,396,693
घटायें LESS: मूल्यहास DEPRECIATION	268,634	58,865
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 8	300,770,177	244,337,828

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-9:: अग्रिम ADVANCES		
I-A. खरीदे एवं भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	15,962,041	16,786,690
I-B नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर देय ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	433,772,551	385,505,110
I-C. मीयादी ऋण TERM LOANS	386,683,682	312,061,782
कुल TOTAL	836,418,274	714,353,582
II-A. मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋणों के विरुद्ध अग्रिमों सहित) SECURED BY TANGIBLE ASSETS (Includes Advances against Book Debts)	698,502,165	570,987,850
II-B. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर COVERED BY BANK/GOVERNMENT GUARANTEES	34,315,283	29,652,441
II-C. अरक्षित अग्रिम UNSECURED ADVANCES	103,600,826	113,713,291
कुल TOTAL	836,418,274	714,353,582
III-A. भारत में अग्रिम ADVANCES IN INDIA		
i) प्राथमिक क्षेत्र PRIORITY SECTOR	276,594,775	235,741,470
ii) सार्वजनिक क्षेत्र PUBLIC SECTOR	75,099,124	58,344,298
iii) बैंक BANKS	-	-
iv) अन्य OTHERS	484,724,375	420,267,814
कुल TOTAL	836,418,274	714,353,582
III-B. भारत से बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 9	836,418,274	714,353,582
अनुसूची SCHEDULE-10:: अचल आस्तियां FIXED ASSETS		
A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	921,273	842,720
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	253,129	90,113
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	11,560
तिथि को मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	319,468	279,860
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	854,934	641,413
II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	7,488,647	7,206,056
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	714,014	583,655
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	169,441	301,064
तिथि को मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	6,089,127	5,560,182
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	1,944,093	1,928,465
III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	220,235	186,644
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	180,947	163,249
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	373,585	129,658
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य VALUE AT THE END OF THE YEAR	27,597	220,235
B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
लागत पर प्रारम्भिक शेष OPENING BALANCE AT COST	1,165,975	1,115,496
वर्ष के दौरान जमा ADDITIONS DURING THE YEAR	42,225	53,055
वर्ष के दौरान कटौती DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-	2,576
तिथि को मूल्यहास/परिशोधन DEPRECIATION / AMORTIZATION TO DATE	900,446	651,522
वर्ष की समाप्ति पर डब्ल्यू डी वी WDV AT THE END OF THE YEAR	307,754	514,453
साख Goodwill	29,000	29,000
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 10	3,163,378	3,333,566



समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 के अनुसार As on 31.03.2012	31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-11:: अन्य अस्तियां OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENTS (NET)	934,823	1,876,065
II. उपचित ब्याज INTEREST ACCRUED	7,326,526	5,490,305
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) TAX PAID IN ADVANCE /TAX DEDUCTED AT SOURCE (Net of Provision)	11,079,363	9,315,406
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	65,581	74,346
V. आस्थगित कर अस्ति (निवल) DEFERRED TAX ASSET (NET)	-	-
VI. अन्य OTHERS	8,337,057	8,805,418
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 11	27,743,350	25,561,540
अनुसूची SCHEDULE-12:: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंकों के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता CLAIMS AGAINST BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	1,360,295	1,358,460
II. पूंजी प्रतिबद्धता CAPITAL COMMITMENTS	1,265,826	1,405,041
III. विकल्प एवं व्युत्पन्न OPTIONS & DERIVATIVES	9,770,825	4,346,301
IV. बकाया वायदा विनिमय करार OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	193,096,096	196,929,298
V. घटकों की ओर से दी गई गारंटियां GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS (BGs)		
a) भारत में IN INDIA	103,785,812	88,736,886
b) भारत से बाहर OUTSIDE INDIA	-	-
VI. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	62,425,167	50,055,557
VII. लैटर ऑफ कम्फर्ट LETTER OF COMFORT	28,273,150	15,289,327
VIII. ब्याज-दर स्वैप INTEREST RATE SWAPS	-	-
IX. विवादग्रस्त कर देयता (नेवल) DISPUTED TAX LIABILITY (Net)	5,839,355	3,465,672
X. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है OTHER ITEMS FOR WHICH BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	588,631	1,093,660
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 12	406,405,157	362,680,202

समेकित लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-13:: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	92,782,421	66,891,686
II. निवेश पर आय INCOME ON INVESTMENTS	19,960,203	15,498,354
III. भा रि बैं में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधि INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	757,743	308,420
IV. अन्य आय OTHERS	118,422	326,997
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 13	113,618,789	83,025,457
अनुसूची SCHEDULE-14:: अन्य आय OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2,640,131	2,376,688
II. निवेश की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	1,196,729	1,540,562
III. निवेश के प्रतिदान पर लाभ PROFIT ON REDEMPTION OF INVESTMENTS	31	307
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF LAND, BUILDINGS AND OTHER ASSETS	10,407	10,814
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	612,876	943,849
VI. अनुषंगी/कम्पनियों/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय INCOME BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES / JOINT VENTURES IN INDIA	59,213	19,789
VII. बीमा प्रीमियम INSURANCE PREMIUM	3,883,148	2,393,439
VIII. विविध आय MISCELLANEOUS INCOME	4,065,305	4,215,432
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 14	12,467,840	11,500,880



समेकित लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ 000 में ₹ in '000s)

विवरण Particulars	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2011
अनुसूची SCHEDULE-15:: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज INTEREST ON DEPOSITS	69,445,808	45,646,027
II. भा रि बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज INTEREST ON RBI/INTER-BANK BORROWINGS	3,541,432	2,255,187
III. अन्य OTHERS	2,792,268	2,792,188
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 15	75,779,508	50,693,402
अनुसूची SCHEDULE-16:: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	11,767,788	11,213,459
II. किराया, कर तथा बिजली RENT, TAXES AND LIGHTING	1,241,999	1,129,734
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री PRINTING AND STATIONARY	175,496	181,942
IV. विज्ञापन तथा प्रचार ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	173,788	171,392
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	989,029	1,114,972
VI. निदेशक की फीस, भत्ते एवं व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	7,123	7,369
VII. लेखा परीक्षक की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (Including Branch Auditors fees and expenses)	148,978	179,356
VIII विधि प्रभार LAW CHARGES	153,793	129,509
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	297,700	284,955
X. मरम्मत तथा रख-रखाव REPAIRS AND MAINTENANCE	715,517	637,447
XI. बीमा INSURANCE	851,517	724,601
XII. बीमा गतिविधि संबंधी प्रदत्त परिलाभ BENEFITS PAID RELATING TO INSURANCE ACTIVITY	3,612,421	2,311,253
XIII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE	2,199,201	1,770,310
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE - 16	22,334,350	19,856,299

अनुसूची - 17 वर्ष 2011-12 हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य :

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं सांविधिक प्रावधानों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. समेकन का आधार :

- क) समूह (एक अनुषंगी, 2 एसोशिएटज तथा 3 संयुक्त उद्यम) का समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है :-
 - i) आन्ध्रा बैंक (मूल) के लेखा परीक्षित खाते
 - ii) मूल की सम्बन्धित मद से अनुषंगी की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का पंक्ति-दर-पंक्ति जोड़ तथा सभी सामग्री इंट्रा-ग्रुप शेष:लेनदेन हटाने के पश्चात, भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' ए एस 21 के अनुसार अवसूले लाभ/हानि।
 - iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' में संघों द्वारा निवेश हेतु लेखा एएस 23 के अनुसार 'ईक्विटी पद्धति' के अन्तर्गत 'एसोशिएट' में निवेश हेतु लेखा।
 - iv) संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के 'संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' एएस 27 के अनुसार समानुपातिक समेकन।
- ख) संयुक्त उद्यम की ईक्विटी के समूह के भाग तथा संयुक्त उद्यम में निवेश की समूह की लागत के बीच अंतर वित्तीय विवरण में साख के रूप में पहचाना जाता है।

3. जीवन बीमा :

- क) प्रीमियम पॉलिसीधारक से देय होने पर आय माना जाता है। यूनिट-सम्बद्ध व्यवसाय होने पर, प्रीमियम आय सम्बद्ध यूनिटों के सृजन पर पहचानी जाती है। अवधि-समाप्त पॉलिसियों पर प्रीमियम उनके पुनः स्थापन पर आय मानी जाती है।
- ख) अध्यापित पुनर्बीमा को पुनः बीमाकर्ता से सम्बंधित समझौतों के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय आकलन में लिया जाता है।

- ग) अभिग्रहण लागत को खर्च की गई अवधि में व्यय किया जाता है। अभिग्रहण लागत में मुख्यतः बीमा मध्यवर्ती को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी मुद्रण व्यय, स्टॉम्प-ड्यूटी तथा पॉलिसी जारी करने में अन्य सम्बन्धित व्यय सम्मिलित हैं।

4. राजस्व की पहचान

निम्न के अलावा आय एवं व्यय संचयी आधार पर है :-

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- ख. अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ग) लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- घ) वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

- क. आय एवं व्यय की मदें लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं।
- ख. मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है। वायदा विनिमय संविदा को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है। इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित वर्ष के अंत में दरों पर अंतरित किया जाता है तथा लाभ/हानि को राजस्व में सम्मिलित किया जाता है।
- ग. विदेशी साख पत्रों/लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुनः वर्णन किया जाता है।
- घ. बैंक टू बैंक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-संविदा, अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं। इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति पर किया जाता है या संविदा के समय-पूर्व समाप्ति पर समानुपातिक अवधि के लिए। बैंक टू बैंक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है।



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR 2011-12

1. GENERAL:

The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform to the statutory provisions, Regulatory guidelines, practices prevailing in the banking industry in India and Accounting Standards, Guidance Notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2. BASIS OF CONSOLIDATION:

- a. Consolidated financial statements of the Group (comprising of 1 subsidiary, 2 associates and 3 joint ventures) have been prepared on the basis of:
 - i. Audited accounts of Andhra Bank (parent).
 - ii. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiary with the respective item of the parent, and after eliminating all material intra group balances/transactions, unrealized profit/loss, as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
 - iii. Accounting for investment in 'Associate' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
 - iv. Consolidation of Joint ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- b. The difference between cost to the group of its investment in the joint venture and the group's portion of the equity of the joint venture is recognized in the financial statements as goodwill.

3. LIFE INSURANCE:

- a. Premium is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.
- b. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the re-insurer.

- c. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy.

4. REVENUE RECOGNITION:

- Income and Expenditure are accounted on accrual basis, except that;
- a. Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized as per norms laid down by Reserve Bank of India.
 - b. Interest on overdue bills, commission, exchange, brokerage and rent on lockers are accounted on realization.
 - c. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
 - d. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

5. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

- a. Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - b. Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange rate notified by FEDAI at the close of the year and the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.
- Forward exchange contracts are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- c. Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.
 - d. Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging Bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.



6. निवेश :

क. तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं.

- i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii) शेयर
- iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड
- v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा
- vi) अन्य

ख) निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं ।

- i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)
- ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

परिपक्वता तक रखे गये निवेश के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं. व्यापार के लिए रखे गये के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं. बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत है ।

ग. मूल्यांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है.

i) परिपक्वता तिथि तक रखे गए :

क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत को कम कर लिये जाते हैं. यदि अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है.

ख. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निधारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है.

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध :

क. इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश बाजार में तिमाही अंतराल में बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं और शेयर बाजार, फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) से तुलनपत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है. अनकोटेड प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है.

ख. छः शीर्षों में से यदि हों, प्रत्येक के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध मूल्य वृद्धि यदि हो, की उपेक्षा की जाती है. अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है.

iii) व्यापारार्थ रखे गये :

क. इस वर्ग के निवेश का मूल्यन प्रत्येक महीने के अंत में एफआईएमडीए द्वारा कीमत/प्रतिफल घोषित करने के बाद बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है.

ख. प्रत्येक 6 शीर्ष में निवल मूल्यहास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है, अलग अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में, मार्किंग टू मार्केट करने के बाद, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है.

घ. विवेकपूर्ण मानदंड :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है और उन पर प्रावधान किये जाते हैं.

ङ. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि :

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है. डिबेंचर/बॉन्डों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है.

ii. "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापारार्थ रखे गये" श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है.

iii. "परिपक्वता तक रखे गये" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है. (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण अपेक्षित है)

iv. इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है.

च. सामान्य:

i. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री रिकार्ड करने हेतु "निपटान तिथि" लेखा का अनुपालन कर रहा है.

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण: अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है. अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है । जहां बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, इस प्रतिभूति (अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, सहित) के विरुद्ध रखे मूल्यहास के विरुद्ध प्रावधान को बही-मूल्य को कम करके बाजार मूल्य किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है ।

(ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में



6. INVESTMENTS:

a. Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

- i. Government Securities
- ii. Other Approved Securities
- iii. Shares
- iv. Debentures and Bonds
- v. Subsidiaries / Joint Ventures and
- vi. Others.

b. Investments are further classified into the following three categories:

- i. Held to Maturity (HTM)
- ii. Available for Sale (AFS)
- iii. Held for Trading (HFT)

"Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity. "Held for Trading" category comprises of securities acquired with the intention of trading. "Available for Sale" securities are those which are not classified in either of the above two categories. Investments in Subsidiaries/ Joint ventures/Associates are classified as Held to Maturity.

c. Valuation:

The Investments are valued in accordance with Reserve Bank of India guidelines on the following basis:-

i) Held to Maturity:

- a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost net of amortization. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortized over the remaining period of maturity.
- b. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for each investment individually.

ii) Available for Sale:

- a. Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the Balance Sheet date from trades/ quotes on the Stock Exchanges, prices/yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.
- b. The net depreciation under each of the six heads is fully provided for whereas the net appreciation, if any,

is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

iii) Held for Trading:

- a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by FIMMDA at the end of every month.
- b. The net depreciation under each of the six heads is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d. Prudential Norms:

The identification of non performing investments and provision made thereon is as per Reserve Bank of India guidelines.

e. Profit / Loss on Sale of Investments:

- i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption of Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.
- ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.
- iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

f. General

- i. Bank is following 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities.
- ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category: Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.
b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:



यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी-

- बट्टे पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है।

- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है।

- (ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-ह्रास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।
- iii. एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंशदान पर प्रारंभिक शुल्क/ प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।
- iv. प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में दिये गए ब्रोकरेज, कमीशन सुरक्षा लेनदेन कर तथा स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

7. ब्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

- i). सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोड़कर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं।
- ii). जब समायोजित लाभ या हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं।

ख. ब्याज दर स्वाप (व्यापार)

- क) व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है।
- ख) ऐसे स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है।
- ग) शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है।
- घ) स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं।

8. अग्रिम

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का उल्लेख किया गया है।
- i. अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण वार किया गया है
- ii. अनर्जक आस्तियों के लिए भा रि बैं के निदेशों के अनुसार प्रावधान किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं ।
- iii. मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान
- ख. तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान का निवल है ।
- ग. अनर्जक आस्तियों में आंशिक वसूली को पहले प्रभार एवं ब्याज को विभाजित किया गया है बाद में मूल धन के प्रति इसमें समझौता निपटान वाले अनर्जक अग्रिम छोड़ दिए गए हैं चूंकि उनमें पहले वसूली को मूल के प्रति समायोजित किया जाता है ।

9. अचल आस्तियाँ :

- क. परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का वर्णन परंपरागत लागत में मूल्यह्रास के निवल पर किया गया है।
- ख. मूल्यह्रास
 - i. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर परिसर एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया गया है।
 - ii. कंप्यूटरों तथा अन्य कलपुर्जों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर 33.33% की दर पर लगाया गया है।
 - iii. एटीएम पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के अनुसार जिसके संबंध में बैंक ने 7 वर्ष का अनुमान लगाया है, के आधार पर किया गया है।

ग. परिशोधन

- i) 60 वर्ष से कम अवधि वाली पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है।
- ii) साफ्टवेयर के मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है तथा उसे अनुमानित उपयोगी अवधि हेतु परिशोधित किया गया है ।

10. कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में गैर बट्टे के आधार पर व्यय के रूप में पहचानी गयी हैं जिसमें संबंधित सेवाएँ दी गयी हैं।

ख. दीर्घावधि लाभ

अन्य दीर्घावधि लाभ जैसे छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी-छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी/नकदीकरण, कर्मचारी प्रोत्साहन योजना, सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को एक्स-ग्रेशिया तथा निकासी पर व्यय के पुनर्बंटन को वर्ष की समाप्ति पर एक्चयुरियल आधार पर आंका जाता है ।



If the security originally placed under HTM category;

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

- is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

- c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provision for the accumulated depreciation, if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.
- iii. Upfront fee / Incentives on subscription of securities in HTM / AFS / HFT categories are reduced from the cost of securities. The incentives received after sale of securities is credited to Profit and Loss account.
- iv. Brokerage, Commission, Security Transaction tax and Stamp Duty paid in connection with the acquisition of securities are treated as revenue expenditure.

7. INTEREST RATE SWAPS: (Hedging)

- i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost and market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.
- ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/liability.

b. INTEREST RATE SWAPS (Trading)

- i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss account;
- ii. Income and expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;
- iii. Fee is recognized as income or expenses as the case may be;
- iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

8. ADVANCES

- a) Advances are classified in accordance with the Prudential Norms issued by Reserve Bank of India.
 - i. Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.
 - ii. Provisions are made for non performing assets in accordance with the RBI Guidelines, and additional provisions as assessed
 - iii. General provision is made for standard assets.
- b) Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non Performing Assets
- c) Partial recoveries in Non Performing Assets are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.

9. FIXED ASSETS

- a) Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost net of depreciation.

b) DEPRECIATION

- i. Depreciation on Premises and on other Fixed Assets except Computers and ATMs is provided on written down value method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act 1956.
- ii. The depreciation on Computers and other Peripherals is provided @ 33.33 % on straight line method.
- iii. Depreciation on ATMs is provided on straight line method based on the estimated useful life of seven years.

c) AMORTIZATION

- i. Premium paid for acquisition of leasehold land for a period less than 60 years and cost of the buildings constructed thereon is amortized over the period of lease.
- ii. The cost of Software is treated as intangible asset and the same is amortized over its estimated useful life.

10. EMPLOYEES BENEFITS

a) Short Term Benefits

Short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit & Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Long Term Benefits:

Other Long Term Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC availment/encashment, Employee Incentive Scheme, Ex-gratia to retirees and Relocation of expenses on exit are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.



ग. पश्च-रोज़गार लाभ

i) परिभाषित अंशदान योजनाएं : जैसे भविष्य/पेंशन निधि को व्यय माना गया है तथा लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

ii) परिभाषित सुविधा प्लान

क) ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है. ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है

ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है. पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है.

ग) परिशोधन

बैंक के कर्मचारियों को पुनः पेंशन विकल्प देने के पश्चात अतिरिक्त देयता/व्यय तथा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान में सुधार के अनुसरण में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि वित्त वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधन हो रहा है.

11. कराधान हेतु प्रावधान

क. चालू एवं आस्थगित दोनों करों हेतु कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

ख. समय के अंतर के कारण आस्थगित कर-आस्तियां तथा देयताएं तथा जो बाद की अवधि में रिवर्सल हेतु सक्षम है, उन्हें तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार बनाए गए कानूनों तथा कर-दरों द्वारा पहचाना गया है ।

ग. आस्थगित कर-आस्तियों को नहीं पहचाना जाता जबतक कि निश्चित न हो कि भविष्य की कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर-आस्ति वसूली जाएगी ।

12. आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार का संकेत रहता है तो वसूल की जाने वाली राशि और आस्ति हानिकरण के लिए प्रावधान किया गया है.

13 प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रावधान

संभवतया या वर्तमान बाध्यता के विगत की घटनाएँ प्रासंगिक देयताओं के रूप में मानी जाती हैं. वर्तमान देयता के संबंध में प्रावधान निर्धारित किया गया है, जहां कहीं विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, जहां कहीं देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो छोड़ने की संभावना है.

14. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट किया गया निवल लाभ निम्न लिखित के बाद किया गया है.

क). निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान

ख). कराधान हेतु प्रावधान

ग). ऋण हानियों के लिए प्रावधान

घ). मानक आस्तियों पर प्रावधान

ड). अनर्जक निवेशों पर प्रावधान

च) अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान.

15. अनुषंगी - एबीएफएसएल लि :

अनुषंगी लेखा नीतियों हेतु, आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. की टिप्पणी सं 2 का संदर्भ लें.



c) Post Employment Benefits

i) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to the Profit & Loss Account.

ii) Defined Benefit Plans

(a) Gratuity:

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by LIC /Bank through a separate scheme. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

(c) Amortization

The additional liability/expenditure arising consequent upon the reopening of Pension Option to the employees of the bank and enhancement in gratuity limit pursuant to amendment to Payment of Gratuity Act, 1972 is being amortized equally over a period of five years beginning with the financial year 2010-11.

11. PROVISION FOR TAXATION:

a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

b) Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates

and laws that have been enacted or substantively enacted as of balance sheet date.

c) Deferred tax assets are not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Past events leading to possible or present obligation is treated as contingent liabilities. Provision is recognized in the case of present obligation where the reliable estimate can be made and where there are probable out flow of resources embodying forgoing of economic benefits to settle the obligation.

14. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

(a) Provision for depreciation on Investments.

(b) Provision for Taxation.

(c) Provision on loan losses

(d) Provision on standard Assets.

(e) Provision for non-performing investments

(f) Other usual and necessary provisions.

15. SUBSIDIARY – Andhra Bank Financial Services Ltd.,

For Accounting Policies of subsidiary, reference may be made to Note No. 2 of financial statements of Andhra Bank Financial Services Limited.

अनुसूची- 18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां -2011-12

अ. अनुषंगी/ एसोसियेट/संयुक्त उद्यमों की सूची, जिन्हें समेकित विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखा गया है :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखी गई 1 अनुषंगी, 2 एसोसियेट और 3 संयुक्त उद्यम (जो आन्ध्र बैंक, मूल संस्था, सहित समूह बनते हैं) निम्नानुसार हैं :

क) अनुषंगी:			
क्र. सं	संस्था	निगमित देश	समूह का हिस्सा (%)
1	आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस	भारत	100.00
ख) एसोसियेट:			
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
2	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	भारत	35.00
ग) संयुक्त उद्यम:			
1	इंडिया फस्ट लाईफ इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड	भारत	30.00
2	एसआरआईसी (भारत) लिमिटेड	भारत	26.02
3	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	मलेशिया	25.00

ख. समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार

मूल बैंक और इसकी अनुषंगी, एसोसियेट और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) की तैयारी, जब तक कि अन्यथा कथन न किया हो, लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधान, लेखा मानक, भारत में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांत और प्रथाओं, के सभी तात्त्विक पहलुओं अनुपालन में की गई है।

ग. समेकन प्रक्रिया :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी, आन्ध्र बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानक (एएस)21, 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखा मानक (एएस) 27 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' और लेखा मानक (एएस)23 'समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएटों में निवेश हेतु लेखा' और समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा के अनुरूप की गई है। बैंक और इसकी अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, इंद्रा-ग्रुप शेप /लेनदेन और परिणामी अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के पश्चात्, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी कुल राशियों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है।

घ. अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, जहाँ आवश्यक हो, बैंक की लेखा नीतियों के अनुरूप समंजित किया गया है।

ङ. आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड में आन्ध्र बैंक के निवेश के बही मूल्य को निवेश पर मूल्यहास के कारण 'शून्य' तक घटाया गया है। अतः, आन्ध्र बैंक द्वारा धारित एबीएफएसएल की शेयर पूंजी, जो ₹ 5 करोड़ है, समेकित वित्तीय विवरणियों में पूंजी प्रारक्षिती के रूप में दर्शाये गए हैं।

च. आर आर बी में निवेश हेतु लेखा :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) यथा ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक और चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में प्रत्येक की शेयर पूंजी में 35% तक के निवेश को पिछले वर्ष अपनाई गई पद्धति के अनुसार 'एट ईक्विटी पद्धति' में मूल्यांकन किया गया है। एसोसियेटों के निवल आस्तियों में निवेश के मूल्यों में, एसोसियेटों में ₹ 39.39 करोड़ की वृद्धि के कारण समंजन किया गया है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु आर आर बी की अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षा की गई है।



Schedule – 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – 2011-12

A. List of Subsidiary/Associates/Joint Ventures considered for preparation of consolidated financial statements:

The 1 Subsidiary, 2 Associates and 3 Joint Ventures (which along with Andhra Bank, the parent, constitute the group) considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

a) Subsidiary:			
S. No.	Entity	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1	Andhra Bank Financial Services Limited	India	100.00
b) Associates:			
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35.00
2	Rushikulya Gramya Bank	India	35.00
c) Joint Ventures:			
1	India First Life Insurance Company Limited	India	30.00
2	ASREC (India) Limited	India	26.02
3	India International Bank (Malaysia) BHD	Malaysia	25.00

B. Basis of preparation of Consolidated Financial statements.

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank and its subsidiary, associates and Joint Ventures are prepared to comply in all material respects with applicable statutory / regulatory provisions, Accounting Standards, Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India, unless otherwise stated.

C. Consolidation Procedure:

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS-21) "Consolidated Financial Statements", (AS-23) "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and (AS-27) "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements. The financial statements of the Bank and its subsidiary are combined on a line by line basis by adding together like sum of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating material intra group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.

D. The financial statements of subsidiary, are adjusted, wherever necessary, to conform to the accounting policies of the Bank.

E. The Book value of the investment of Andhra Bank in Andhra Bank Financial Services Ltd., has been reduced to 'Nil' due to depreciation on investments. Therefore, the share capital of ABFSL held by Andhra Bank, amounting to ₹ 5 crores has been reflected as Capital Reserve in the consolidated financial statements.

F. Accounting for investments in RRBs:

In conformity with the Accounting Standard 23 issued by the Institute of Chartered Accountants of India the investment in Regional Rural Banks (RRBs) namely Rushikulya Gramya Bank and Chaitanya Godavari Grameena Bank to the extent of 35% each of their respective share capital are valued "at equity method" in line with methods followed in previous year. The values of investment in associates have been adjusted due to increase in net assets of the associates by ₹ 39.39 crores.

The RRBs are duly audited by other auditors for the year ending on 31st March 2012.

छ. संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु लेखा :

- (i) इंडिया फर्स्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी कंपनियों के संबंध में संयुक्त उद्यमों में निवेश लेखा मानक 27 के अनुसार, 'आनुपातिक समेकन पद्धति' के अंतर्गत लिए गए हैं। निवेशित राशि तथा कंपनी के ईक्विटी में निवेश के नाम-मात्र मूल्य में अंतर को साख के स्म में पहचाना गया है।
- (ii) संयुक्त उद्यमों की संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षा की गई है।
- (iii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की वित्तीय विवरणियां, जिन्हें शामिल पर विचार किया गया है, 31 दिसंबर 2011 को समाप्त वर्ष से संबंधित हैं।
- (iv) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु संयुक्त उद्यम, इंडिया फर्स्ट लाईफ इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड, की 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों को, पिछले वर्ष के आंकड़ों में शामिल करने हेतु विचार किया गया है ताकि इन्हें तुलना योग्य बनाया जा सके।
- (v) लागू विनिमय दर पर ओवरसीज़ संयुक्त उद्यम में निवेश के बही मूल्य के अनुवाद के कारण अंतर को 'राजस्व प्रारक्षिती' माना गया है।

ज. संयुक्त वित्तीय विवरणियों के लिए अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :

क. जोखिम के प्रति पूंजी पर्याप्तता अनुपात	2011-12	2010-11
(i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर I + टीयर II पूंजी	13.09	14.33
(ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर I पूंजी	8.96	9.65
(iii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर II पूंजी	4.13	4.68
(iv) आन्ध्र बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.00	58.00
(v) वर्ष के दौरान टीयर II पूंजी के रूप में आन्ध्र बैंक द्वारा जुटाए गौण ऋण की राशि	--	--
ख. प्रति शेयर अर्जन (₹ 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)		
प्रति शेयर अर्जन (मूल और डायल्यूटेड) (₹)	23.85	25.80
मूल ई पी एस का आकलन		
निवल लाभ (₹ करोड़ों में)	1334.49	1254.83
भारित औसत शेयर संख्या (₹ करोड़ों में)	55.96	48.64
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹)	23.85	25.80



G. Accounting for investment in Joint Ventures:

- (i) The investments in joint ventures have been accounted as per Accounting Standard 27 with regard to the companies India First Life Insurance Co. Ltd., ASREC (India) Limited and India International Bank (Malaysia) BHD under 'Proportionate Consolidation Method'. The difference between the amount invested and the nominal value of the investment in the equity of the company has been recognized as goodwill.
- (ii) Joint Ventures have been duly audited by their respective auditors.
- (iii) Financial statements of India International Bank (Malaysia) BHD which are considered for incorporation pertain to the year ended 31st December, 2011.
- (iv) Financial statements of Joint Ventures India First Life Insurance Company Ltd., and ASREC (India) Ltd., for the year ended 31st March 2011 have been considered for incorporation in the previous year's figures to make them comparable.
- (v) The difference arising on account of translation of book value of investment in overseas joint venture at the applicable exchange rate has been treated as 'Revenue Reserve'.

H. Additional disclosures for consolidated financial statements are as under:

A. Capital to Risk Adequacy Ratio	2011-12	2010-11
(i) Capital adequacy ratio Tier I + Tier II capital	13.09	14.33
(ii) Capital adequacy ratio Tier I capital	8.96	9.65
(iii) Capital adequacy ratio Tier II capital	4.13	4.68
(iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in Andhra bank	58.00	58.00
(v) Amount of subordinated debt raised by Andhra Bank as Tier-II capital during the year.	--	--
B. Earnings per share (face value of ₹ 10/- each)		
Earning per Share (Basic and diluted) (₹)	23.85	25.80
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ in crores)	1334.49	1254.83
Weighted Average No of Shares (₹ in crores)	55.96	48.64
Basic Earning per Share (₹)	23.85	25.80

I. समेकित व्यवसाय वर्ग

समेकित वर्ग-वार परिणाम			
		(₹ करोड़ों में)	
भाग क		को समाप्त वर्ष	
क्र सं.	व्यवसाय वर्ग	31.03.2012	31.03.2011
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	वर्ग राजस्व		
	(क) राजकोष	2060.55	1788.79
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	5808.81	3824.47
	(ग) खुदरा बैंकिंग	3590.31	2887.18
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	1148.99	952.19
	कुल	12608.66	9452.63
	घटाएं: अंतर-वर्ग राजस्व	0	0
	परिचालन से आय	12608.66	9452.63
2	वर्ग परिणाम		
	(क) राजकोष	475.50	469.75
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	1340.46	1004.34
	(ग) खुदरा बैंकिंग	828.51	758.20
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	162.72	169.68
	कुल	2807.19	2401.97
	घटाएं : (i) अन्य अनाबंटनीय व्यय	990.73	645.98
	कर पूर्व कुल लाभ	1816.46	1755.99
	आय कर और अन्य प्रदत्त कर	481.97	501.16
	निवल लाभ	1334.49	1254.83
3	वर्ग आस्तियां		
	(क) राजकोष	29628.90	24204.00
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	53060.84	42353.94
	(ग) खुदरा बैंकिंग	26943.94	25580.95
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	4355.97	3932.23
	(ङ) अनाबंटनीय आस्तियां	11693.51	13261.36
	कुल आस्तियां	125683.16	109332.48
4	वर्ग देयताएं		
	(क) राजकोष	2406.39	1843.79
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	33117.89	24487.33
	(ग) खुदरा बैंकिंग	54260.54	47176.64
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	19170.22	20891.38
	(ङ) अनाबंटनीय देयताएं	9227.24	8408.23
	कुल	118182.28	102807.37
	पूँजी एवं प्रारक्षितियां	7500.88	6525.11
	कुल देयताएं	125683.16	109332.48

भाग ख भौगोलिक खंड: एक ही खंड है- देशी खंड
(प्रबंधन द्वारा समेकित और लेखा-परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)



I. CONSOLIDATED BUSINESS SEGMENTS

CONSOLIDATED SEGMENTWISE RESULTS			
(₹ in Crore)			
Part A		Year Ended	
SL. No.	Business Segments	31.03.2012	31.03.2011
		Audited	Audited
1	Segment Revenue		
	(a) Treasury	2060.55	1788.79
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5808.81	3824.47
	(c) Retail Banking	3590.31	2887.18
	(d) Other Banking Operations	1148.99	952.19
	Total	12608.66	9452.63
	Less: Inter Segment Revenue	0	0
	Income from Operations	12608.66	9452.63
2	Segment Results		
	(a) Treasury	475.50	469.75
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1340.46	1004.34
	(c) Retail Banking	828.51	758.20
	(d) Other Banking Operations	162.72	169.68
	Total	2807.19	2401.97
	Less: (i) Other Un-allocable Expenditure	990.73	645.98
	Total Profit Before Tax	1816.46	1755.99
	Income Tax and Other Taxes paid	481.97	501.16
	Net Profit	1334.49	1254.83
3	Segment Assets		
	(a) Treasury	29628.90	24204.00
	(b) Corporate/Wholesale Banking	53060.84	42353.94
	(c) Retail Banking	26943.94	25580.95
	(d) Other Banking Business	4355.97	3932.23
	(e) Un-allocable Assets	11693.51	13261.36
	Total Assets	125683.16	109332.48
4	Segment Liabilities		
	(a) Treasury	2406.39	1843.79
	(b) Corporate/Wholesale Banking	33117.89	24487.33
	(c) Retail Banking	54260.54	47176.64
	(d) Other Banking Operations	19170.22	20891.38
	(e) Un-allocable Liabilities	9227.24	8408.23
	Total	118182.28	102807.37
	Capital & Reserves	7500.88	6525.11
	Total Liabilities	125683.16	109332.48

Part B Geographic Segments :There is only one segment - Domestic Segment

(Compiled by the Management and relied upon by the Auditors)

समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां

भाग क:

जे) कृपया अनुसूची-18 'आन्ध्रा बैंक के लेखों पर टिप्पणियां' देखें

भाग ख :

के) कृपया आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (एबीएफएसएल) की 'टिप्पणियों पर लेखा का संदर्भ' ले।

एल) गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप जहाँ आवश्यक हो पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित / पुनः समूहित किया गया है।



Notes on Accounts to consolidated Financial Statements

Part A :

J. Please refer to Schedule -18 “Notes on Accounts of Andhra Bank”

Part B:

K. Please refer to ‘Notes on Accounts’ of Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL).

L. Previous year’s figures have been regrouped/re-classified/rearranged wherever necessary to confirm to current year’s figures.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल,

आन्ध्रा बैंक

1. हमने आन्ध्रा बैंक, इसकी अनुषंगी एसोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यमों (दि ग़्रुप) के दिनांक 31 मार्च 2012 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि खाता और उसके साथ संबद्ध उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जाँच की है जिनमें निम्नलिखित शामिल किए गए हैं :

- i) हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा किए गए बैंक के लेखा-परीक्षित खाते
- ii) एक अनुषंगी, दो एसोसियेट और तीन संयुक्त उद्यमों के लेखा-परीक्षित खाते, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई।

ये वित्तीय विवरणियां आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और प्रबंधन द्वारा समूह में विभिन्न ईकाइयों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर इन्हें तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन इस प्रकार से करें जिससे युक्तिसंगत आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणियों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से, पहचानी गई वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप, तैयार किया गया है और ये तात्त्विक मिथ्या-कथन से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की, परीक्षण आधार पर, जाँच शामिल है। लेखा-परीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय

हेतु युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हमने बैंक, जिसकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2012 को ₹ 124964 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹ 12199 करोड़ का राजस्व दर्शाया गया है, की वित्तीय विवरणी की संयुक्त लेखा परीक्षा की है।
4. हमने इसकी अनुषंगी, दो एसोसियेट और तीन संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2012 को ₹ 5721 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹ 1739 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है। ये वित्तीय विवरणियाँ हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय, अन्य संस्थाओं के संबंध में शामिल की गई राशि के संबंध में, पूर्णतः अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
5. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी, आन्ध्रा बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानक 21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखा मानक 23 'समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएटों में निवेश हेतु लेखा' और लेखा मानक 27 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप की गई है।
6. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अनुषंगी, एसोसियेट और संयुक्त उद्यम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर अन्य लेखा-परीक्षकों के रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि संबद्ध समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के संबंध में भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और सटीक स्थिति दर्शाती हैं :

(क) 31 मार्च 2012 को समूह की स्थिति से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में और

(ख) समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह का समेकित लाभ और

(ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह का नकदी प्रवाह।

कृते राजु एंड प्रसाद

सनदी लेखाकार एफआरएन-003475एस

(एस श्रीनिवास राव)

साझेदार (एम.नं.9329)

कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन- 004137एस

(आर सुब्रमणियन)

साझेदार (एम.नं.8460)

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 05.06.2012

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन- 002413एस

(ई एस रंगनाथ)

साझेदार (एम.नं.13924)

कृते पात्रो एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन-310100ई

(राजेन्द्र पात्रो)

साझेदार (एम.नं.019423)

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन- 004453एस

(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)

साझेदार (एम.नं.024860)

कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन-108959डब्ल्यू

(सुमन बोस)

साझेदार (एम.नं.45239)



AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors,

Andhra Bank.

1. We have examined the attached consolidated Balance Sheet of Andhra Bank(the Bank), its subsidiary, associates and joint ventures (the Group) as on 31st March, 2012, and the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the:

- i) Audited accounts of the Bank audited by us.
- ii) Audited accounts of One subsidiary, Two Associates and Three Joint Ventures audited by other auditors.

These financial statements are the responsibility of the Andhra Bank's Management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the Group. Our Responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the generally accepted auditing standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects, in accordance with an identified reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have jointly audited the financial statement of the Bank whose financial statements reflect total assets of

₹ 124964 Crores as on 31st March 2012, and total revenue of ₹ 12199 Crores

4. We did not audit the financial statements of its Subsidiary, two Associates and three Joint Ventures whose financial Statements reflects total assets of ₹ 5721 Crores as on 31st March, 2012, and total revenue of ₹ 1739 Crores. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.

5. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standards 21 - " Consolidated financial statements", Accounting Standard 23 - " Accounting for investments in Associates in consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 - " Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve bank of India.

6. Based on our Audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and the other financial information of the Subsidiary. Associates and Joint Ventures and to the best of our information and according to the explanations given to us we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a). In the case of Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as on 31st March 2012 and
- b) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and
- c) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

For RAJU & PRASAD
Chartered Accountants FRN-003475S

(S Srinivasa Rao)
Partner (M. No.9329)

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY
Chartered Accountants FRN-004137S

(R Subramanian)
Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO
Chartered Accountants FRN-002413S

(E S Ranganath)
Partner (M.No.13924)

For PATRO & CO
Chartered Accountants FRN-310100E

(Rajendra Patro)
Partner (M. No.019423)

For UMAMAHESWARA RAO & CO
Chartered Accountants FRN-004453S

(G Siva Rama Krishna Prasad)
Partner (M. No. 024860)

For C R SAGDEO & CO
Chartered Accountants FRN-108959W

(Suman Bose)
Partner (M. No.045239)

Place: Hyderabad
Date: 05.06.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ हजारों में)

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारम्भिक नकदी शेष एवं नकदी समकक्ष	105,738,259	111,809,124
अन्तिम नकदी शेष एवं नकदी समकक्ष	88,736,406	105,738,259
अवधि के दौरान नेदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (+) / कमी (-)	(17,001,853)	(6,070,865)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	18,154,318	17,559,814
जोड़ें - आस्तियों पर मूल्य-ह्रास	989,029	1,114,972
जोड़ें - गौण ऋण पर ब्याज	2,792,152	2,792,157
घटाएं - आस्तियों की बिक्री पर लाभ	10,407	10,814
परिचालन आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	21,925,092	21,456,129
परिचालन आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन		
जमा में वृद्धि/कमी	136,900,143	144,669,793
उधार में वृद्धि/कमी	6,055,351	17,872,982
निवेश में वृद्धि/कमी	(56,403,349)	(34,438,914)
अग्रिमों में वृद्धि/कमी	(122,064,692)	(153,218,510)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/कमी	850,785	(3,233,707)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/कमी	10,793,660	4,384,404
परिचालन से सृजित नकदी	(1,943,010)	(2,507,823)
प्रदत्त कर	(7,852,286)	(8,950,063)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)	(9,795,296)	(11,457,886)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की (खरीद) / बिक्री	837,434	(723,033)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	837,434	(723,033)
वित्त गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	-	11,729,973
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज	(2,792,152)	(2,792,157)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(3,576,971)	(2,827,762)
वित्त गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	(6,369,123)	6,110,054
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह में वृद्धि (+) / कमी (-) (क)+(ख)+(ग)	(17,001,853)	(6,070,865)

बी ए प्रभाकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते राजू एंड प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन-003475S
(एस श्रीनिवास राव)
साझेदार (एम.नं. 9329)
कृते आर सुब्रामणियन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004137S
(आर सुब्रामणियन)
साझेदार (एम.नं. 8460)

कृते नटराज अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन-002413S
(ई एस रंगनाथ)
साझेदार (एम.नं.13924)
कृते पात्रो एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100E
(राजेन्द्र पात्रो)
साझेदार (एम.नं.19423)

कृते उमा महेश्वर राव एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-004453S
(जी शिव राम कृष्ण प्रसाद)
साझेदार (एम.नं.024860)
कृते सी आर सगदेव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-108959W
(सुमन बोस)
साझेदार (एम.नं.45239)



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ in '000s)

Particulars	For the year ended 31.03.2012	For the year ended 31.03.2011
Opening balance of Cash and Cash equivalents	105,738,259	111,809,124
Closing balance of Cash and Cash equivalents	88,736,406	105,738,259
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	(17,001,853)	(6,070,865)
Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before tax	18,154,318	17,559,814
Add: Depreciation on Assets	989,029	1,114,972
Add: Interest on Subordinated Debt	2,792,152	2,792,157
Less: Profit on Sale of Assets	10,407	10,814
Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	21,925,092	21,456,129
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities		
Increase / (Decrease) in Deposits	136,900,143	144,669,793
Increase / (Decrease) in Borrowings	6,055,351	17,872,982
(Increase) / Decrease in Investments	(56,403,349)	(34,438,914)
(Increase) / Decrease in Advances	(122,064,692)	(153,218,510)
(Increase) / Decrease in Other Assets	850,785	(3,233,707)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	10,793,660	4,384,404
Cash Generated from Operations	(1,943,010)	(2,507,823)
Taxes Paid	(7,852,286)	(8,950,063)
Cash Flow from Operating Activities (A)	(9,795,296)	(11,457,886)
Cash Flow from Investing Activities		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	837,434	(723,033)
Cash Flow from Investing Activities (B)	837,434	(723,033)
Cash Flow from Financing Activities		
Equity Capital including Premium	-	11,729,973
Interest paid on Subordinated debts	(2,792,152)	(2,792,157)
Dividend paid (including tax on dividend)	(3,576,971)	(2,827,762)
Cash Flow from Financing Activities (C)	(6,369,123)	6,110,054
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)	(17,001,853)	(6,070,865)

B.A PRABHAKAR

Chairman & Managing Director

For UMAMAHESWARA RAO & CO

Chartered Accountants
FRN-004453S

(G SHIVA RAMA KRISHNA PRASAD)

Partner (M.No. 24860)

For C R SAGDEO & CO

Chartered Accountants
FRN-108959W

(SUMAN BOSE)

Partner (M. No.45239)

For RAJU & PRASAD

Chartered Accountants
FRN-003475S

(S SRINIVASA RAO)

Partner (M. No. 9329)

For R SUBRAMANIAN AND COMPANY

Chartered Accountants
FRN-004137S

(R SUBRAMANIAN)

Partner (M. No.8460)

For NATARAJA IYER & CO

Chartered Accountants
FRN-002413S

(E S RANGANATH)

Partner (M.No. 13924)

For PATRO & CO

Chartered Accountants
FRN-310100E

(RAJENDRA PATRO)

Partner (M. No.19423)

Place : Hyderabad
Date : 05.06.2012





प्रधान कार्यालय: : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

फार्म बी

प्राक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक, 5 जुलाई, 2012

पंजीकृत फोलियों नं _____

डीपीआईडी नं _____

ग्राहक आईडी नं _____

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____

_____ राज्य _____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____

राज्य को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की गुरुवार, 05 जुलाई, 2012 सायं 03.30 बजे शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाइट्स सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद 500 081 में होने वाली वार्षिक साधारण बैठक और उसके स्थगन की बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

कृपया ₹ 1/- का
राजस्व स्टाम्प
लगायें

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(बड़े अक्षरों में)

पता _____

प्राक्सी के हस्ताक्षर _____ पता _____

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश

- प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक,
 - वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या लिखित रूप में प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो
 - संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- परंतु यह कि किसी प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के यथेष्ट रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया है और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए
- प्राक्सी साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
 - नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, प्रधान कार्यालय, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, आन्ध्रा बैंक, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में वार्षिक साधारण बैठक प्रारंभ होने के चार दिन के पहले यानी कि शनिवार, 30 जून 2012 के कार्यसमय की समाप्ति के पहले अर्थात् सायं 2.00 बजे जमा किया जाए.
- कोई भी प्राक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो.
- बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.
- वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.
- प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.
- जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.



Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.

FORM - B
PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING, 5th JULY, 2012

Regd. Folio No. _____

D.P.ID No. _____

Client ID No. _____

I/We _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Andhra Bank hereby appoint, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf in the Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders of Andhra Bank to be held on Thursday, the 5th July, 2012 at 03.30 pm at Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hitec City, Madhapur, Hyderabad - 500 081, and at any adjournment thereof.

Please affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

Name _____
(in Block letters)

Signature of roxy _____ Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- i) No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing;
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register of members OR his/her attorney, duly authorised in writing;
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing;
- ii) An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.
- iii) The Proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Investor Services Section, Head Office, Dr.Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004, not later than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e., 2.00 P.M. of Saturday, 30th June, 2012.
- iv) No instrument of proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- v) An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- vi) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vii) The shareholder, who has executed an instrument of proxy, shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- viii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.



केवल मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारकों हेतु



निवेशक सेवा कक्ष

प्रधान कार्यालय: : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (ऋण समाशोधन)

ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक फोलिया नंरार :
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम और नगर एवं पिन कोड
 - ग. खाता नंबर सीबीएस खाता :
 - (चेक बुक पर दर्शाए अनुसार)
 - घ. खाते का प्रकार (कृपया चिह्न लगाएं) : एसबी ☐ सीए ☐ सीसी ☐
 - (एसबी खाता/ चालू खाता / नकदी ऋण)
 - च. बैंक तथा शाखा की 9 अंक कूट संख्या :
 - (बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाए अनुसार)
5. कूट संख्या की सटीकता जाँचने हेतु आपके बैंक द्वारा आपके उपर्युक्त खाते के लिए जारी चेक के पन्ने की फोटोप्रति या कोरे रद्द चेक संलग्न करें।

घोषणा

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही और संपूर्ण हैं। यदि असंपूर्ण सूचना के कारण से लेनदेन में विलंब होता है या लेनदेन होता ही नहीं है तो मैं आन्ध्रा बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।

स्थान :

दिनांक :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी रिकार्ड के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

स्थान :

दिनांक :

संबंधित शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर


Investors Services Section
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.
**ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING)
ECS MANDATE FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES**

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio Number :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name :
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No. **CBS A/c** :
(As appearing on the Cheque Book)
 - D. Account Type (Please Tick) : SB ☐ Current ☐ CashCredit ☐
(SB Account/Current A/c. or Cash Credit)
 - E. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch :
(as appearing on the MICR Cheque issued by the Bank)
5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for Verifying the accuracy of the MICR code.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Andhra Bank responsible.

Place :

Date :

Signature of the First Holder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date :

Signature of the Manager of the Bank concerned



(भारत सरकार का उपक्रम)
A Govt of India Undertaking

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

(स्थान पर प्रवेश के समय सौंपी जाए to be surrendered at the time of Entry)

दिनांक : 5 जुलाई, 2012 Date : 5th July, 2012
समय : सायं : 03.30 बजे Time : 03.30 P.M.
स्थान : शिल्प कला वेदिका, शिल्पारामम, क्राफ्ट्स विलेज, हाई टेक सिटी के पास, मादापुर, हैदराबाद -500081
Place : Shilpakala Vedika, Shilparamam, Crafts Village, Near Hi-Tech City, Madhapur, Hyderabad-500 081.

शेयरधारक का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder	
उपस्थित प्रोक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Proxy / Representative present	

पंजीकृत फोलियो सं Regd. Folio (यदि बेकागजीकृत नहीं if not dematerialised)	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि बेकागजीकृत if dematerialised)
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	



(भारत सरकार का उपक्रम)
A Govt of India Undertaking

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004

प्रवेश पास ENTRY PASS

(बैठक के दौरान रखा जाना है to be retained throughout the meeting)

पंजीकृत फोलियो सं Regd. Folio (यदि बेकागजीकृत नहीं if not dematerialised)	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि बेकागजीकृत if dematerialised)
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या Number of Shares	

शेयरधारक/प्रोक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रवेश पास के साथ स्थल में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें, फिर भी प्रवेश सत्यापन/जांच, जो आवश्यक समझा जाए, के अधीन होगा। प्रवेश पास - बैलट पेपर का भाग शेयरधारक/प्रोक्सी/प्रतिनिधि को वापिस सौंपा जाएगा जो उन्हें बैठक के अंत तक अपने पास रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि नहीं दी जाएगी।

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

टिप्पणी P.S. किसी भी प्रकार के उपहार / उपहार कूपन बांटे नहीं जाएंगे
No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

NOTES:

[illegible]